

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं० 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/वालयूम-VIII

दिनांक : 22 जुलाई, 2013

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
मध्य प्रदेश, राजस्थान,
दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिजोरम

विषय:-निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन (जुलाई, 2013)-विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2013-तत्संबंधी ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पर अनुदेशों के संकलन (जुलाई, 2013), जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मिजोरम की विधान सभाओं के आगामी साधारण निर्वाचनों पर लागू होगा, की एक प्रति अग्रेषित करने और इन अनुदेशों को राज्य की क्षेत्रीय भाषा में अनूदित करवाने और आपके राज्य के सभी राजनीतिक दलों, मीडिया और संबंधित कर्मचारियों को भेजने के लिए अनुरोध करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

निर्वाचन व्यय—अनुवीक्षण

पर

अनुदेशों का संकलन

(जुलाई—2013)

भारत निर्वाचन आयोग

भाग

I

विषय सूची

भाग-1

क्रम सं०	नाम	पृष्ठ सं०
1.	प्रस्तावना	1
2.	निर्वाचन व्यय के प्रकार	2
3.	निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र	3
4.	व्यय अनुवीक्षण तंत्र में भिन्न-भिन्न टीमों के कार्य	6
5.	व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया	23
6.	अभ्यर्थियों द्वारा लेखे का रख-रखाव	37
7.	निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण	41
8.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की राजनैतिक दलों और मीडिया के साथ तथा रिटर्निंग अधिकारियों की अभ्यर्थियों के साथ की बैठक	43
9.	व्यय अनुवीक्षण तथा रजिस्ट्रों के रख-रखाव पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण	44
10.	राजनैतिक दलों और अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यय	44
11.	लेखा विवरण की संवीक्षा तथा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट	46
12.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट	49
13.	व्यय अनुवीक्षण में रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका	49
14.	जिला निर्वाचन अधिकारी (डी ई ओ) की भूमिका	50
15.	आयोग मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई	51
16.	राजनैतिक दलों की भूमिका	52
17.	प्रशिक्षण	52
18.	निर्वाचन व्यय विवरण को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डालना और ई ई एम एस सॉफ्टवेयर	56
19.	जब्त की संबंधी रिपोर्टों का संकलन	56

भाग - II

अनुलग्नक सं०	अनुलग्नक का संक्षिप्त विवरण	पृष्ठ सं०
1.	कानूनी प्रावधान (भारतीय दण्ड संहिता, 1860; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 से सुसंगत उद्धरण)	59
2.	व्यय प्रेक्षक की आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट	73
3.क	व्यय-प्रेक्षक रिपोर्ट- I	74
3.ख	व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट- II	76
4.	व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट- III	78
5.	व्यय प्रेक्षक की अंतिम रिपोर्ट (रिपोर्ट-IV)	80
6.	सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट	83
7.	वीडियो निगरानी दलों के लिए क्यू शीट	84
8.	उड़न दस्ते द्वारा नकदी/अन्य मदों की जब्ती तथा संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	85
8.क	आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते द्वारा दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	86
9.	स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा दैनिक गतिविधि रिपोर्ट	87
10.	निर्वाचन के दौरान आम जनता के लिए अपील हेतु फार्मेट	88
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के रख-रखाव हेतु छाया प्रेक्षण रजिस्टर	89
12.	प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों/पेड न्यूज का विवरण	90
13.	कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट	92
14.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन लेख के रख-रखाव हेतु रजिस्टर	93
15.	निर्वाचन व्ययों का सार विवरण	100
16.	जन सभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का विवरण	108
17.	टी0वी0 चैनल तथा केबल नेटवर्क पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के संबंध में आयोग का पत्र सं० 509/75/2004/जे0एस0- I, दिनांक 15.4.2004	110
18.	पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध से संबंधित आयोग का पत्र सं० 3/9 (इ.एस.-008)/94-जे.एस.-II, दिनांक 2 सितम्बर, 1994	119
19.	राजनीतिक दलों के द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेख में किए गए व्यय के दावे के विवरण के लिए प्रारूप	125
20.	वह भाषा, जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सकता है (आयोग का पत्र सं० 76/95/जे0एस0- II दिनांक 10.4.1995)	126
21.	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन लोक सभा या राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार जाँच रिपोर्ट	127
22.	राज्य/जिला स्तर के नोडल ऑफिसर द्वारा आई.एम.एफ.एल/बीयर/देशी शराब की एकांतर दिवस रिपोर्ट के लिए फार्मेट	133
23.	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग-क एवं ख)	135
24.	अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट का प्रारूप	137
25.	मुख्य (स्टार) प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय - निर्वाचन अभियान आदि के लिए (निर्देश संख्या 437/6/2008/सीसीबीई/दिनांक 24 अक्टूबर, 2008	138
26.	टी0वी चैनलों तथा केबल टीवी नेटवर्क-रेडियो प्रसारण पर राजनीतिक प्रवृत्ति के विज्ञापन से संबंधित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं० 509/75/2004/जे0एस0- I/वाल्थूम- II/आर सी सी, दिनांक 21.11.2008	140
27.	विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन	143
28.	दूरदर्शन प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण	146
29.क	निर्वाचनों के दौरान पेड न्यूज अर्थात् मीडिया में समाचार के रूप में विज्ञापन, की जाँच पड़ताल करने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं० 491/मीडिया/2010, दिनांक 8 जून, 2010	147
29.ख	निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज अर्थात् मीडिया में समाचार के रूप में विज्ञापन की जाँच-पड़ताल करने के उपायों के संबंध में आयोग का पत्र सं० 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन) दिनांक 18 मार्च, 2011	150
29.ग	निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक दलों या उनके कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों द्वारा लिए गए टी0वी/केबल-चैनलों पर अभ्यर्थियों के विज्ञापनों से निपटने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंध में आयोग का पत्र सं० 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन) दिनांक 16 अगस्त, 2011	151
29.घ	पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंधों के बारे में आयोग का दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 का पत्र संख्या 3/9/2007/जे0एस0- II	153
30.	राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन-प्रचार अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में (आयोग का पत्र सं० 576/3/2005/जे0एस0- II, दिनांक 29.12.2005	155
31.	बेरिकेड तथा मंचों इत्यादि पर उपगत व्यय (विज्ञापनों की दैनिक रिपोर्ट के लिए आयोग का पत्र सं०	159

	76/2004/जे0एस0-11, दिनांक 10-4-2004)	
32.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना (आयोग का पत्र सं0 76/81, दिनांक 18.9.1981	161
33.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित रजिस्टर में अनुरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन व्ययों का दैनिक लेखा जाँच-अनुपालन के लिए अधिकारियों /व्यय प्रेक्षकों को प्रस्तुत करने के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/98/जे0एस0-11 दिनांक 30.10.1998	163
34.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश – अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखे की जाँच के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0-11, दिनांक 12.3.2004)	165
35.	साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन – निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश- अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखे की जाँच के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2003/जे0एस0-11, दिनांक 29.10.2003)	166
36.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम (आयोग का पत्र सं0 3/1/2004/जे0एस0-11, दिनांक 03.4.2004)	168
37.	निर्वाचन-व्ययों का लेखा-स्पष्टीकरण (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0-11, दिनांक 6.8.2004.)	169
38.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय (आयोग का पत्र सं0 76/ई ई/2005/जे0एस0-111, दिनांक 6.10.2005	170
39.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय, (आयोग का पत्र सं0 76/ई ई/2005/जे0एस0-111, दिनांक 7.10.2005	171
40.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 – अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2007/जे0एस0-11, दिनांक 29.3.2007	172
41.	अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों का लेखा- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 76/2007/जे0एस0-11, दिनांक 4.4.2007	174
42.	निर्वाचन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर व्यय (आयोग का पत्र सं0 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158, दिनांक 29.3.1996)	176
43.	आदर्श आचार संहिता के संबंध में (आयोग का पत्र सं0 437/6/गुज0/98-योजना-111, दिनांक 16.1.1998	179
44.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना – दर चार्ट की तैयारी (आयोग का पत्र सं0 76/2004/जे0एस0-11, दिनांक 17.3.2004	180
45.	निर्वाचन के दौरान प्रचार समाचार की आड में पेड न्यूज को रोकने के उपाय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 491/मीडिया पॉलिसी/2010, दिनांक 23 सितम्बर, 2010	183
46.	दल के प्रचारकों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ प्राप्त करते हुए पार्टी प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग से संबंधित आयोग का पत्र सं0 437/6/आई एन एस टी/2008-सी सी तथा बी ई, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008	185
47.	दल के नेताओं द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 76/2009/एस डी आर, दिनांक 31 मार्च, 2009	187
48.	दल के नेताओं द्वारा हवाई जहाजों/हेलीकाप्टरों द्वारा निर्वाचन प्रचार में उपगत व्यय के संबंध में आयोग का पत्र सं0 76/2009/एस डी आर, दिनांक 20 अगस्त, 2009	188
49.	व्यय संबंधी मामलों के लिए अतिरिक्त एजेन्ट नियुक्त करने के लिए फार्मेट	189
50.	निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विस्तृत जल्दी रिपोर्ट ।	190
51.	पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट-I व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ई एस सी) के लिए पुलिस प्रेक्षक की तैयारी रिपोर्ट-ई एस सी में आगमन के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली।	192
52.	पुलिस प्रेक्षक-रिपोर्ट-II व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन/पुनर्निर्वाचन, यदि कोई हो, के पूरे होने के 24 घंटे के भीतर ई-मेल/फैक्स, स्पीडपोस्ट द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट।	193
53.	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विमान पत्तनों के माध्यम से संदेहास्पद धन/सोना-चांदी (बुलियन) के परिवहन पर रोक लगाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 03 जुलाई, 2013 का कार्यालय ज्ञापन संख्या सी ए एस-7(15)/2012/डिव-1 (विविध), भारत सरकार, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (नागर विमानन मंत्रालय) 'ए' विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 – तत्संबंधी	194
54.	आयोग के दिनांक 21 मार्च, 2013 के पत्र सं0 76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/वालयूम-I में संशोधन संबंधी आयोग का दिनांक 18 अप्रैल, 2013 का पत्र सं0 76/ अनुदेश/2013/ई ई पी एस/वालयूम-v	198
55.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचारकों द्वारा किए गए आवास व्यय संबंधी स्पष्टीकरण के बारे में आयोग का 3 जून, 2011 का पत्र सं0 464/आ.प्र.-लो.स एवं आ.प्र.-वि.स./बी ई/2011/ई ई एम	200
56.	निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण – अभ्यर्थियों से संबंधित व्यय – नकद भुगतान के संबंध में दिनांक 07 अप्रैल, 2011 का आयोग का पत्र सं0 76/अनुदेश/2011/ई ई एम	202
57.	जिन व्यक्तियों से नकदी/सामान पकड़ा गया है उन्हें रसीद देने का फार्मेट	204

58.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अधीन आने वाले पार्टी नेताओं (स्टार प्रचारकों) के निर्वाचन व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण संबंधी दिनांक 20 जनवरी, 2012 का आयोग का पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस	205
58.क	स्टार प्रचारकों के साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों जैसे चिकित्सा परिचर, सुरक्षा गार्ड, मीडिया प्रतिनिधि इत्यादि पर व्यय के लेखांकन संबंधी आयोग का दिनांक 18 अप्रैल, 2013 का पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस वॉल्यूम I)	207
59.	मतदान की तारीख के पश्चात स्टार प्रचारकों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा एयरकाफ्ट्स/हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करने पर व्ययों को जोड़ा जाना – पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोआ की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन, 2012 दिनांक 09 फरवरी का आयोग का पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस	209
60.	अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में शामिल करना – सामुदायिक भोजन (लंगर, भोज इत्यादि) पर वहन व्ययों के संबंध में दिनांक 05 दिसंबर, 2011 का आयोग का पत्र सं० 76/अनुदेश/2011/ई ई एम	211
61.	अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे के बारे में जांच रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया-आयोग का दिनांक 12 जून, 2013 का पत्र सं० 76/ अनुदेश/2012/ई ई पी एस/ वॉल्यूम-IV	213
62.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन के दौरान वीडियो वैनो के प्रयोग पर स्पष्टीकरण – उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोआ की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन, 2012 के संबंध में 09 फरवरी का आयोग का पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस/खंड-1	215
63.	संक्षिप्त संदेश सेवाएं (एस एम एस) के दुरुपयोग पर निषेध के संबंध में दिनांक 05 नवंबर, 2008 का आयोग का पत्र संख्या 464/अनु०/2008/ई पी एस	216
64.	संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचनों के दौरान संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना एकत्र करने के संबंध में दिनांक 19 जुलाई, 2012 का आयोग का पत्र सं० 61/शिकायतें/ए पी-एल एस/2012/ई ई पी एस	218
65.	आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 16 जनवरी, 2013 का पत्र संख्या 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2013/खंड-II	220
66.	निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी के बारे में परिवहन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 20 फरवरी, 2013 का पत्र सं० एफ सं० 60(2)/2008-बी ओ-II	223
67.	मतदान दिवस तक उत्पाद शुल्क विभाग की जब्ती तथा छापा मारने/परिसंपत्तियों इत्यादि के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	225
68.	मतदान दिवस तक आयकर विभाग द्वारा की गई जब्तियों के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	226
69.	मतदान दिवस तक पुलिस विभाग द्वारा की गई जब्तियों के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	227
70.	निर्वाचन के दौरान 'पेड न्यूज़' अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने के उपाय। (आयोग का दिनांक 27.08.2012 का पत्र सं० 491/पेड न्यूज़/2012/मीडिया)	228
71.	निर्वाचन के दौरान 'पेड न्यूज़' अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने के उपाय। (भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 09.10.2012 का पत्र सं० 491/पेड न्यूज़/2012/मीडिया)	234
72.	निर्वाचनों के संबंध में टेलीविजन प्रसारण के लिए आचार संहिता	235
73.	उड़न दस्तों तथा स्थैतिक निगरानी दलों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया। (भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 21.03.2013 का पत्र सं० 76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खंड-I)	237
74.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लेखों के रख-रखाव तथा उनके लेखों के निरीक्षण के संबंध में आयोग का दिनांक 14 मार्च, 2013 का आदेश संख्या 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2013/खंड-I	247
75.	राजनैतिक दलों द्वारा "निर्वाचन व्यय की विवरणी" फाइल करने के लिए प्रपत्र में संशोधन-जिसे विधानसभा निर्वाचनों के 75 दिनों/लोक सभा निर्वाचन के 90 दिनों के पश्चात फाइल किया जाएगा। (आयोग का दिनांक 21.01.2013 का पत्र सं० 76/ई ई/2012-पी पी ई एम एस)	250
76.	अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ भरे जाने वाले शपथपत्रों के संशोधित प्रपत्र। (भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 25.02.2011 का पत्र सं० 3/ई आर/2011/एस डी आर)	269

1. प्रस्तावना:-

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अनुसार लोक सभा या राज्य विधान सभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मिलित हैं) के मध्य उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। उपरोक्त व्यय का कुल योग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। धारा 77(2) के अधीन लेखों में ऐसे विवरण निहित होने चाहिए जैसे कि निर्धारित किए गए हों। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 90, प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय की विभिन्न सीमाएं निर्धारित करता है। वे विवरण जिन्हें लेखों में दिखाया जाना है, इन नियमों के नियम 86 में निर्धारित हैं। व्यय पर निर्धारित सीमाएं अनुलग्नक-1 में संलग्न हैं। लेखों के अनुरक्षण में असफलता भारतीय दंड-संहिता की धारा 171-झ के अधीन एक निर्वाचन अपराध है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(6) के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (3) के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया जाना एक भ्रष्ट आचरण है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचनों में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना भ्रष्ट आचरण है, इसे उच्चतम न्यायालय ने कंवरलाल गुप्ता बनाम अमरनाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308) में इस प्रकार स्पष्ट किया है :

“..... सीमित करने के प्रावधान द्विउद्देशीय हैं। प्रथम स्थाने यह किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, के समक्ष प्रकट रहने चाहिए जिससे कि वे किसी भी अन्य व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी, चाहे वह कितनी भी धनी और वित्त पोषित हो, के साथ समानता के आधार पर निर्वाचन लड़ने में सक्षम हो और किसी भी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी को अपनी बेहतर वित्तीय क्षमता के आधार पर अन्य की अपेक्षा कोई लाभ नहीं मिलेगा।

व्यय सीमित करने का अन्य उद्देश्य, जहां तक संभव हो सके, निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक धन के प्रभाव को दूर करना है। यदि व्यय पर कोई सीमा नहीं होगी तो सभी राजनैतिक पार्टियां चंदा एकत्रित करने में लगे रहेंगे। अधिक धन के हानिकारक प्रभाव देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे.....”

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी टोस कारण या

औचित्यसम्मतता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अंदर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सम्बन्धित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने एल.आर. शिवराम गोवडे बनाम टी एम चन्द्र शेखर – ए आई आर 1999 एस सी 252 में निर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशुद्धता में जा सकता है और यदि लेखा अशुद्ध या असत्य पाया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के अधीन उसे निरर्हित किया जा सकता है । इस तरह न केवल अभ्यर्थी को विधि द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों को रखना होता है बल्कि उसे निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का दिन – प्रतिदिन का सही लेखा रखना होता है और प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति को निरीक्षण के लिए दिखाना होता है और परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय, विजयी अभ्यर्थी के खिलाफ निर्वाचन याचिका के लिए एक आधार बन जाता है। निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में विधिक उपबंध इस सार-संग्रह के अनुलग्नक 1 में उपवर्णित हैं। आयोग द्वारा समय-समय पर निर्वाचन व्ययों के अनुवीक्षण एवं संवीक्षा पर अनुदेश जारी किए गए हैं। निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण एवं इसकी संवीक्षा के लिए यह सार-संग्रह संबंधित विधिक उपबंधों तथा निर्वाचन अधिकारियों, प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों द्वारा ईमानदारी से अनुसरण किए जाने वाले अनुदेशों को समेकित करता है।

2. निर्वाचन व्यय के प्रकार:

मूल रूप से निर्वाचन व्यय को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है । पहला है निर्वाचन व्यय, जो कि निर्वाचन-प्रचार के कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है। बशर्ते यह अनुमेय सीमा के अंतर्गत हों इसमें जन सभाओं, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों जैसे प्रचार संबंधी मदों पर व्यय शामिल होता है। दूसरी श्रेणी में वे व्यय आते हैं जिनको विधि के अधीन अनुमति प्राप्त नहीं होती है। उदाहरण के लिए, निर्वाचकों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके बीच रुपए, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना, रिश्वत देने की परिभाषा के अंतर्गत आता है और यह भारतीय दंड संहिता के अधीन एक अपराध है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन एक भ्रष्ट आचरण है। ऐसी मदों पर व्यय करना अवैध है। व्यय का एक और प्रकार, जो हाल ही में सामने आ रहा है, वह है- प्रतिनियुक्त विज्ञापन, पैसा देकर खरीदे गए समाचार (पेड न्यूज) इत्यादि। अतः निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के दो उद्देश्य हैं। व्यय की प्रथम श्रेणी के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुमति प्राप्त मदों पर किए गए सभी यथार्थ निर्वाचन व्ययों को सच्चाई पूर्वक दिखाया गया है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय खाते की संवीक्षा करते समय इस पर समुचित विचार किया गया है। जहाँ तक प्रतिनियुक्त विज्ञापन पेड न्यूज सहित, निर्वाचन व्यय की दूसरी श्रेणी का प्रश्न है, यह

स्पष्ट है कि अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों द्वारा इसकी रिपोर्ट कभी भी नहीं दी जाएगी। हमारे तंत्र को ऐसे व्ययों को पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ होना चाहिए। साथ ही न केवल इसे निर्वाचन व्यय के खातों में प्रविष्ट किया जाना चाहिए, बल्कि, यदि अपेक्षित हो तो, पुलिस/सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें दर्ज कराने समेत, विधि के सुसंगत उपबंधों के अधीन इन दोषकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र:

अभ्यर्थी द्वारा किए गए दैनिक निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों का दैनिक रख-रखाव अनिवार्य होगा। यद्यपि, निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है, फिर भी अनुवीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए इसे निर्वाचन अभियान के दौरान ही नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। निर्वाचन अभियान समाप्त हो जाने पर निर्वाचन व्यय का कोई साक्ष्य जुटा पाना कठिन हो जाएगा। चूंकि विधि के अधीन अपेक्षित है कि निर्वाचनों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को लेखे की संवीक्षा करना तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। अतः जिला निर्वाचन अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह निर्वाचन अभियान के दौरान उचित साक्ष्य एकत्रित करे, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन – व्यय खाते में कुछ छूट तो नहीं गया है। व्यय अनुवीक्षण तंत्र का ढांचा इस प्रकार होगा :

3.1 निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र की संरचना

3.1.1 व्यय प्रेक्षक (ईओ):

अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों का निरीक्षण करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक व्यय प्रेक्षक होगा, लेकिन प्रत्येक व्यय प्रेक्षक के निरीक्षण में साधारणतया पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक नहीं होंगे।

3.1.2 सहायक व्यय प्रेक्षक (ईओ):

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख के दिन प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक (ईओ) नियुक्त किए जाएंगे और यदि व्यय प्रेक्षक द्वारा परिवर्तन का सुझाव दिया जाता है तो उसे भी निष्पादित किया जाएगा। सहायक व्यय प्रेक्षक केन्द्रीय सरकार की अन्य सेवाओं में समूह ख अधिकारियों या समतुल्य रैंक के होंगे या आयकर विभाग के आयकर अधिकारी

(आईटीओ) होंगे। आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों और लेखा-परीक्षा एवं लेखा से जुड़े कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय लोक उपक्रमों के कर्मचारियों को तरजीह दी जाएगी। अगर जिले में ऐसे अधिकारी न हों तो राज्य कोषागार या वित्त विभाग के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। उन्हें अधिमानतः ऐसा स्थानीय अधिकारी होना चाहिए जो उसी जिले के भीतर या उसके आस-पास तैनात हो लेकिन उनका कार्य-स्थान एवं गृह नगर एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। उन्हें एक वाहन, एक निजी सुरक्षाकर्मी और एक स्थानीय सिम कार्ड, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय परिसर में कार्यालय स्थान उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि वे सभी टीमों, नोडल अधिकारियों और व्यय प्रेक्षक के साथ समन्वय करेंगे। अगर सहायक व्यय प्रेक्षक का मुख्यालय निर्वाचन-क्षेत्र से अलग हो तो उन्हें निर्वाचन-क्षेत्र में आवास और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वे उन्हें यथा-ग्राह्य, दैनिक भत्ता का दावा करेंगे जिसका डी ई ओ/आर ओ द्वारा भुगतान किया जाएगा।

3.1.3 वीडियो निगरानी टीम (वीएसटी)

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए एक या एक से अधिक वीडियो टीम तैनात की जानी चाहिए जिसमें कम से कम एक कर्मचारी और एक वीडियोग्राफर हो। यदि आवश्यक हो तो व्यय प्रेक्षक की सिफारिश से अधिक संख्या में टीमें तैनात की जा सकती हैं। सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में संवेदनशील घटनाओं और सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्राफी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन में एक से अधिक सार्वजनिक रैलियां संगठित की जाती हैं तो जुलूस और रैलियों की रिकॉर्डिंग के लिए एक से अधिक वीडियो टीमें तैनात की जाएंगी। वीडियो निगरानी दल सहायक व्यय प्रेक्षक की निगरानी में काम करेंगे।

3.1.4 वीडियो अवलोकन टीम (वीवीटी)

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए एक वीडियो अवलोकन टीम होगी जिसमें एक अधिकारी तथा दो लिपिक होंगे।

3.1.5 लेखा टीम (एटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए कम से कम एक लेखा टीम होनी चाहिए जिसमें एक कर्मचारी और एक सहायक/लिपिक होगा। लेखा टीम के कार्मिक विभिन्न सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखा अनुभागों से लिए जाने चाहिए।

3.1.6 शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर

जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष में चौबीसों घंटे चालू एक कॉल सेन्टर की स्थापना की जाएगी जो निर्वाचन की घोषणा की तारीख से ही प्रचालित होगी। इस कॉल सेन्टर को एक टोल-फ्री दूरभाष संख्या दी

जाएगी, जिसकी तीन या चार हंटिंग लाइन होंगी जिसका जनता में व्यापक प्रचार किया जाएगा जिससे निर्वाचनों से संबंधित भ्रष्ट आचरण की सूचना दी जा सके। नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर का उत्तरदायित्व एक वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाएगा जो कि शिकायतें प्राप्त करेगा ओर रिकॉर्ड करेगा तथा उसे संबंधित अधिकारी या उड़न दस्तों को पहुंचाएगा जिससे बिना विलम्ब के कार्रवाई की जा सके। 24 घंटे टेलीफोन पर उपलब्ध रहने के लिए कॉल सेन्टर को पर्याप्त कर्मचारी दिए जाएंगे।

3.1.7 मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी):

प्रत्येक जिले में एक मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति होगी। यह आयोग के 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं. 509/75/2004/जेएसआई (अनुलग्नक-17) द्वारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से विद्यमान समिति के विस्तार में होगी। आयोग के अनुदेश दिनांक 27 अगस्त, 2013 (अनुलग्नक-71) के अनुसार प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठित जिलास्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- क) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के)
- ख) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम से कमतर रैंक के नहीं)
- ग) केन्द्रीय सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी (यदि जिले में कोई हो)
- घ) स्वतंत्र नागरिक/जर्नलिस्ट जैसा कि पी सी आई द्वारा सिफारिश की जाए ।
- ड.) जिला जन सम्पर्क अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/समतुल्य-सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होंगे :

- (क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष
- (ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई प्रेक्षक
- (ग) एक विशेषज्ञ जो समिति द्वारा सहयोजित किया जाएगा।
- (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के ऐसे अधिकारी जो भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करते हों और उपर्युक्त (ग) पर स्थित विशेषज्ञ से अलग हों।
- (ड.) स्वतंत्र नागरिक या पत्रकार जैसाकि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित किया जाए (यदि कोई हो)
- (च) मीडिया के प्रभारी अपर/संयुक्त सीईओ (सदस्य सचिव)

3.1.8 उड़न दस्ते (एफएस):-

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड में एक या अधिक समर्पित उड़न दस्ते होंगे जो अवैध नकदी का आदान प्रदान, या शराब का वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुएं, जो मतदाताओं को घूस देने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हों, उसका पता लगाएंगे। उड़न दस्ते में टीम का प्रमुख एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट

होगा, पुलिस स्टेशन का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एक वीडियोग्राफर और 3-4 सशस्त्र पुलिस कार्मिक होंगे। उनको नकदी या सामान इत्यादि की जब्ती के लिए, पूरी तरह समर्पित एक वाहन, मोबाइल फोन, एक वीडियो कैमरा और अपेक्षित पंचनामा दस्तावेज दिए जाएंगे।

3.1.9 स्थैतिक निगरानी टीम (एसएसटी):

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में एक या अधिक निगरानी टीमों होंगी जिनमें प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कार्मिक होंगे। यह टीम चैक पोस्ट बनाएगी और अपने क्षेत्र में भारी मात्रा में लाए जाने वाली नकदी, अवैध शराब, कोई संदेहास्पद वस्तु या शस्त्रों इत्यादि की आवाजाही पर निगरानी रखेगी। जाँच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

3.1.10 व्यय अनुवीक्षण सेल

जिला निर्वाचन अधिकारी लेखा कार्यों में निपुण वरिष्ठ अधिकारी जो एस डी एम/ए डी एम श्रेणी से कमतर रैंक के न हों, को व्यय अनुवीक्षण सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। ऊपर उल्लिखित सभी टीमों और नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल के घटक होंगे।

3.1.11 आयोग के साथ व्यय अनुवीक्षण पर समन्वय करने, व्यय से संबंधित कार्मिकों एवं राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगा जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से कम न हो।

4 व्यय अनुवीक्षण तंत्र में विभिन्न टीमों के कार्य :

4.1.1 व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र (ईएससी):

पिछली घटनाओं, निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण एवं अन्य घटनाक्रमों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों को अभिचिह्नित करेंगे जिनमें अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों को अपनाए जाने की संभावना है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को 'व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र' का नाम दिया जाएगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दो सहायक व्यय प्रेक्षक, दो उड़नदस्ते तथा और अधिक संख्या में स्थैतिक निगरानी टीमों और वीडियो निगरानी टीमों होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी टीमों के प्रभावी कामकाज को सुकर बनाना होगा। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सूची आयोग को पहले, समय रहते ही भेज दी जानी चाहिए।

4.1.2 व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी): व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान साक्षरता या आर्थिक विकास या पिछले निर्वाचन में शिकायतों की संख्या के आधार पर व्यय प्रेक्षक (पहले विजिट के दौरान) के परामर्श से की जानी है। ऐसे पॉकेटों पर स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी) द्वारा निर्वाचनों के पहले के अंतिम तीन दिनों के दौरान निकटता से निगरानी रखी जानी है।

4.2 व्यय प्रेक्षक :

4.2.1 व्यय प्रेक्षक का दौरा : व्यय प्रेक्षक निर्वाचनों की अधिसूचना के दिन, 3 पूर्ण दिवसों की कालावधि के लिए निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचेगा। इस दौरे के दौरान वह निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत सभी दलों से मिलेगा। यदि व्यय प्रेक्षक सहायक व्यय प्रेक्षक के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट नहीं हैं तो वे परिवर्तन करने के लिए कहेंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारियों की अतिरिक्त सूची उपलब्ध कराएंगे; वे सहायक व्यय प्रेक्षकों को, उनकी उपयुक्तता के आधार पर, बदल सकते हैं। वे सभी कर्मचारियों को नई कार्यविधि के बारे में भी प्रशिक्षित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि टीमों को उपयुक्त साजो-सामान से लैस किया जाएगा। वह जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस के नोडल अधिकारी, आयकर तथा राज्य उत्पाद एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन करेगा। मतदान तैयारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वे निर्वाचन क्षेत्र छोड़ेंगे।

4.2.2 वे अभ्यर्थिताएं वापस लेने की तारीख के तत्काल पश्चात दूसरी बार फिर से निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे तथा पूर्ण प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बने रहेंगे, मतदान की समाप्ति के पश्चात ही वे निर्वाचन क्षेत्र से जाएंगे। यदि वह साधारण प्रेक्षक का कार्य भी कर रहा है, तो वे फॉर्म 17 -ए की संवीक्षा पूरी करने के बाद ही निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी पूरी हो गई है तथा स्ट्रॉंग रूम सील हो गया है। मतगणना पूरी होने तक भी उसके वहां रहने की आवश्यकता हो सकती है।

4.2.3 व्यय प्रेक्षक, परिणामों की घोषणा के बाद 30वें दिन एक बार फिर जिले में जाएगा और तब तक वहाँ रहेगा जब तक कि परिणामों की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के लेखाओं के विवरण की संवीक्षा में आवश्यक सहायता की आवश्यकता है।

4.2.4 व्यय प्रेक्षक की भूमिका:

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षक, आयोग की आँख और कान होते हैं। व्यय प्रेक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में लगे हुए सभी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों का पर्यवेक्षण करेंगे और उन्हें दिशा-निर्देश

देंगे। वह सभी व्यय अनुवीक्षण कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी का मार्ग – दर्शन करेंगे।

4.2.5 वे सहायक व्यय प्रेक्षकों के कामकाज का पर्यवेक्षण करेंगे। आवश्यकता के आधार पर, एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं। वह सहायक व्यय प्रेक्षक को अंतिम प्रशिक्षण देगा। वह व्यय अनुवीक्षण में लगे हुए टीम के कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा और जहाँ भी किसी भी टीम के कार्यों में कोई कमी या अनियमितता पाई जाएगी तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस में लाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक की सिफारिश पर तुरन्त सुधारात्मक उपाय करेगा।

4.2.6 वह अभियान के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का कम से कम तीन बार निरीक्षण करेगा और उनकी विसंगतियों पर टिप्पणी करेगा। निरीक्षण की तारीख इस तरह निश्चित की जानी चाहिए कि दो निरीक्षणों के मध्य का अन्तराल तीन दिनों से कम न हो और अंतिम निरीक्षण मतदान के दिन से तीन दिन पहले न हो ताकि निरीक्षण के अंतर्गत मुख्य प्रचार व्यय को कवर कर लिया जाए।

4.2.7 वह प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर के रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेगा।

4.2.8 वह आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय, पुलिस के नोडल अधिकारी, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नोडल अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी एजेन्सियों के मध्य सूचनाओं का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो। किसी भी एजेन्सी से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विधि प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जानी है। यदि किसी एजेन्सी द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई, तो उसे तुरन्त आयोग के नोटिस में लाया जाएगा, एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी देनी होगी।

4.2.9 यदि निगरानी टीमों, उड़न दस्तों, आयकर के अन्वेषण निदेशालय या पुलिस या राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कोई भी जब्ती की जाती है, तो वह उसी दिन आयोग को रिपोर्ट फैक्स करेगा तथा एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।

4.2.10 यदि उन्हें अभ्यर्थियों के दिन-प्रति-दिन के लेखा के निरीक्षण के दौरान छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में प्रचार व्यय, यदि कोई हो, के छिपाए जाने का पता लगता है तो वह उसका उल्लेख करेंगे। इस संबंध में, जिला व्यय अनुवीक्षण समिति के गठन के लिए 14 मार्च, 2013 को जारी आयोग के आदेश (अनुलग्नक-74) और अभ्यर्थियों के उत्तरों पर लिए गए निर्णय का अनुपालन किया जाएगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश की एक प्रति सभी अभ्यर्थियों को दी जाए। उसे सही संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता करनी होगी। यदि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत

नहीं है तो उसे जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में उसकी टिप्पणी के लिए दिए गए स्थान में साक्ष्यों का हवाला देते हुए कारणों का उल्लेख करना होगा।

4.2.11 यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी निरीक्षणों के दौरान सार्वजनिक रैलियों, या पोस्टर/पैम्फलेट या मीडिया व्यय या वाहन व्यय में 'शून्य' व्यय दर्शाया है, वह भी तब, जब उसने जिला निर्वाचन अधिकारी से सार्वजनिक रैली या वाहनों के उपयोग इत्यादि के लिए अनुमति प्राप्त की थी, तो ऐसे मामलों को प्रत्येक निरीक्षण के बाद तुरन्त ही ऐसे अभ्यर्थी का नाम और 'व्यय का वह शीर्ष 'जहां 'शून्य' दिखाया गया है, का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाया जाएगा। एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी।

4.2.12 व्यय प्रेक्षक की रिपोर्टें:

वह (i) 24 घंटों के अन्दर आगमन तथा प्रस्थान रिपोर्ट (अनुलग्नक 2) (ii) अपने प्रथम दौरे के तीसरे दिन अर्थात् अधिसूचना की तारीख के पश्चात पहली रिपोर्ट (अनुलग्नक 3क), (iii) दूसरे दौरे के दौरान अभ्यर्थिता वापस लेने के पश्चात 24 घंटों के अंदर दूसरी रिपोर्ट (अनुलग्नक 3 ख), (iv) मतदान के पश्चात तीसरी रिपोर्ट (अनुलग्नक 4) तथा (v) अनुलग्नक 5 पर उल्लिखित प्रोफॉर्मा के अनुसार अपने तीसरे दौरे के पश्चात चौथी तथा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

वे किसी भी स्रोत द्वारा स्वतंत्र रूप से उनके ध्यान में लाए गए संदेहास्पद पेड न्यूज के सभी मामलों की, उन पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए, सूचना उसी दिन मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को देंगे। इसके अतिरिक्त, वे मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-निर्णीत पेड न्यूज के सभी मामलों की अपनी व्यय रिपोर्ट III (अनुलग्नक-4) में रिपोर्ट देंगे, और विज्ञापन/पेड न्यूज की फोटो प्रतिलिपि या सीडी/डीवीडी आयोग को अग्रेषित करेंगे उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

4.3.1 सहायक व्यय प्रेक्षक:

अधिसूचना के दिन से ही उसे निर्वाचन क्षेत्र में नियत कर दिया जाएगा और वह व्यय प्रेक्षक की अनुमति के बिना निर्वाचन क्षेत्र से नहीं जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के लिए कम से कम एक सहायक व्यय प्रेक्षक होगा। लेकिन व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में दो या अधिक सहायक व्यय प्रेक्षक हो सकते हैं – एक घटनाओं की बाह्य (आउटडोर) रिकॉर्डिंग के लिए और दूसरा टीम के साथ समन्वयन के लिए।

4.3.2 सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो सी डी की रिपोर्टें देखेगा, प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्टें एवं शिकायतें पढ़ेगा, और प्रेक्षण रजिस्टर (प्रेक्षण रजिस्टर के रख-रखाव के सम्बन्ध में अनुच्छेद 5.1 देखें) और अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेगा। वह छाया प्रेक्षण और साक्ष्यों के फोल्डर के रख-रखाव का पर्यवेक्षण करेगा।

सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक के आने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके पर्यवेक्षण एवं व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्टें/आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रति-दिन के लेखाओं में उचित रूप से दर्शाए गए हैं। भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर वह इसे शीघ्र कार्रवाई के लिए उड़न दस्तों को हस्तान्तरित करेगा और व्यय प्रेक्षक को तुरन्त सूचित करेगा। उड़न दस्ते प्रत्येक शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे। यदि दस्तों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कार्रवाई करने में देरी की जाती है तो वह इसे व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लाएगा, जो बदले में आयोग को रिपोर्ट करेगा और एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देगा। यदि उसे लगता है कि स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) उपयुक्त मुख्यमार्गीय सड़कों पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो वे बदलावों का सुझाव दे सकता है।

4.3.3 वह अपने सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट (अनुलग्नक 6) के अनुसार व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेगा। व्यय प्रेक्षक के निर्वाचन-क्षेत्र पहुंचने तक सहायक व्यय प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसे बाद में व्यय प्रेक्षक के ध्यान में लाया जाएगा। साक्ष्यों के फोल्डर में अभियान के दौरान एकत्रित किए गए सभी साक्ष्यों का रिकॉर्ड होगा। वह इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के समय व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थी के रजिस्टर में किसी भी व्यय को छिपाने या कम करके बताने के साक्ष्य पाए जाने पर, सहायक व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय उसे व्यय प्रेक्षक और उसके माध्यम से उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी के नोटिस में लाएगा। अभ्यर्थी के रजिस्टर में व्यय को कम दिखाए जाने पर, व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के दौरान अभ्यर्थी के रजिस्टर में अपनी टिप्पणी लिखेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। इसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में नोट किया जाएगा और उस पर निर्वाचन एजेंट/अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इन विसंगतियों को उसी दिन रिटर्निंग अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया जाना चाहिए जो उसी दिन ऐसी विसंगतियों पर आयोग के आदेश, दिनांक 14 मार्च, 2013 (अनुलग्नक-74) के अनुसार अभ्यर्थी को नोटिस जारी कर देगा। यदि कोई कठिनाई हो तो, व्यय प्रेक्षक इसे आयोग को सूचित करेगा और उसका मार्ग-दर्शन लेगा।

4.3.4 सहायक व्यय प्रेक्षक, आयोग को अपनी संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में व्यय प्रेक्षक के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की भी सहायता करेगा। वह व्यय प्रेक्षक के जिले के दूसरे दौरे के दौरान उपस्थित रहेगा और उसके कार्य में उसकी सहायता करेगा।

4.3.5 सहायक व्यय प्रेक्षक, जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण और अनुवीक्षण समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे और उसके प्रभावी कार्य-संचालन के विषय में व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। यदि इस समिति द्वारा सभी केबल/चैनल/समाचार पत्र आदि नहीं देखे जा रहे हैं, तो इसे तुरन्त ही व्यय प्रेक्षक/आयोग के नोटिस में लाया जाना चाहिए। एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी जानी चाहिए।

4.3.6 यदि वीडियोग्राफर की अनुपलब्धता के कारण किसी सार्वजनिक रैली/जुलूस/घटना की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी है तो सहायक व्यय प्रेक्षक ऐसी घटना का उल्लेख छाया प्रेक्षण रजिस्टर में करेगा। यदि मीडिया समिति द्वारा प्रिन्ट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई विज्ञापन रिपोर्ट नहीं किया गया है तो सहायक व्यय प्रेक्षक एक प्रति प्राप्त करेगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उसका उल्लेख करेगा।

4.4.1 वीडियो निगरानी टीमें:

वीडियो निगरानी टीमें उचित रूप से प्रशिक्षित होनी चाहिए और व्यय से संबंधित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए। वीडियो निगरानी टीमों को शूटिंग के प्रारम्भ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली (वॉयस मोड) में रिकॉर्ड करना होगा। वह वाहनों/घटनाओं/पोस्टरों/कट-आउट का इस तरह से वीडियो लेगा कि प्रत्येक वाहन का साक्ष्य, उसका निर्माण और रजिस्ट्रेशन संख्या, फर्नीचर की संख्या, रोस्ट्रम का आकार, बैनर, कट आउट इत्यादि स्पष्ट दिखाई दें जिससे व्यय का अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसे वाहन रैली के स्थल के बाहर पार्क किए गए हैं तो, जहाँ तक सम्भव हो, ड्राइवर एवं पैसेन्जर का बयान भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वाहन का प्रयोग निर्वाचन के लिए ही किया गया था।

4.4.2 घटना की शूटिंग के दौरान वीडियो टीम को घटना में प्रयोग किए गए वाहनों, कुर्सियों, फर्नीचर/लाइट/लाउडस्पीकर इत्यादि की अनुमानित संख्या और प्रकार, कार्यक्रम में प्रयुक्त रोस्ट्रम/बैनर/पोस्टर/कटआउट इत्यादि के अनुमानित आकार का विवरण स्वर माध्यम से भी रिकॉर्ड करना होगा। इससे वीडियो निगरानी टीमों को दृश्यों के संदर्भ में दुतरफा जाँच कर लेने और घटना के व्यय का अनुमान लगाने में आसानी रहेगी। वे भाषण तथा अन्य घटनाओं को भी रिकॉर्ड करेंगे, जिससे पता लगाया जा सके कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ है।

4.4.3 वीडियो निगरानी टीमें रिकॉर्डिंग के समय अनुलग्नक 7 में दिए गए प्रोफार्मा में एक संकेत पत्र तैयार करेंगी। यह संकेत पत्र (क्यू शीट) रिकार्ड की गई सी डी के साथ निगरानी टीमों को दिया जाना चाहिए। वीडियो सी डी में पहचान संख्या, दिनांक, कर्मचारी या अधिकारी का नाम होगा और इसे हमेशा संकेत पत्र के साथ रखा जाएगा। संकेत पत्र के रख-रखाव का उद्देश्य है कि सीडी में उपलब्ध साक्ष्यों को सरसरी तौर पर देख लिया जाए और साक्ष्यों के संगत भाग को संक्षिप्त समय में देख लिया जाए।

4.4.4 एक ही दिन में एक से अधिक सार्वजनिक रैलियों, जलूस इत्यादि रहने पर पर्याप्त संख्या में वीडियो टीमों तैनात की जानी चाहिए और जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अपेक्षित सभी संभार तंत्र उपलब्ध कराएगा ।

4.4.5 वीडियो अवलोकन टीम: वीडियो निगरानी दलों द्वारा ली गई वीडियो रिकार्डिंग में से वीडियो अवलोकन दल इन-हाउस सी डी तैयार करेंगे तथा किसी भी बाहरी एजेंसी को संपादन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ यह सी डी नहीं सौंपेंगे। व्यय से संबंधित मामलों और आदर्श आचार संहिता से संबंधित मामलों की पहचान के लिए वीडियो अवलोकन टीम द्वारा वीडियो, निगरानी टीम द्वारा ली गई वीडियो सी डी रोज देखी जाएगी । वे उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन तक व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट लेखा टीम/सहायक व्यय प्रेक्षक को देंगे। व्यय से संबंधित रिपोर्टों में टीम सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन संख्या और उनका प्रकार, मंच का आकार, कुर्सियों की संख्या पोस्टर/बैनर में उद्घरण का आकार, कट आउट की संख्या और वीडियो में की गई व्यय की अन्य सभी मदों को डालेगी । यह टीम आदर्श आचार संहिता से संबंधित रिपोर्टों/अवलोकन को साधारण प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगी । लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक, व्यय की दर प्रस्तुत करेंगे, वीडियो साक्ष्य के आधार पर कुल व्यय की गणना करेंगे और संबंधित अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे। जब इसे जांच के लिए व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तब अभ्यर्थी के रजिस्टर के साथ इसकी तुलना की जाएगी। जैसा कि पहले कहा गया है, किसी भी व्यय को न दिखाया जाना, विलोपित करने को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर सुधारात्मक उपाय के लिए तुरन्त लिखित रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

4.5.1 पुलिस प्रेक्षक:

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य के बाहर से ऐसे पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं जो उप महानिरीक्षक (डी आई जी) के स्तर से नीचे की श्रेणी के न हो तथा जो अन्य बातों के अलावा कुछ जिलों को समाहित करने वाले क्षेत्र में उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों के कार्य का निरीक्षण करेंगे । पुलिस प्रेक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उड़न दस्तों द्वारा सभी शिकायतों पर उचित एवं निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की गई है और स्थैतिक निगरानी टीमों प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वाहन या व्यक्ति की एक से अधिक जांच न की जाए और जांच के कार्य में लगे कर्मचारियों पर नजर रखने

के लिए समुचित प्रति-जांच (काउन्टर चैक की) जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिस व्यक्ति से जब्ती की गई है उसे उचित पावती दी गई है तथा वह प्राधिकारी, जिसके पास उस अपील करनी है, का विवरण बताया गया है। उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी टीमों द्वारा दैनिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट की प्रति उसी दिन उनको अग्रेषित की जाएगी। यदि वह इनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वह टीम में केन्द्रीय पुलिस बल रखने के लिए राज्य के नोडल पुलिस अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समन्वय स्थापित करेगा। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह तुरन्त आयोग को रिपोर्ट करेगा।

4.5.2 अधिसूचना के दिन पुलिस प्रेक्षक, निर्वाचन क्षेत्र में रिपोर्ट करेगा और मतदान समाप्त होने तक रहेगा। पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट-I और पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट-II के साथ-साथ पुलिस प्रेक्षक को आगमन और निर्गमन की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजी जाएगी। (अनुलग्नक-51 और 52)

4.5.3 पुलिस प्रेक्षक व्यय मामलों में व्यय प्रेक्षक और आदर्श आचार संहिता के मामले में साधारण प्रेक्षक के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा। वह आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा।

4.5.4 नकद या उपहार या शराब इत्यादि के वितरण के बारे में भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त होने या कानूनी एवं व्यवस्था की समस्या होने की आशंका होने पर वह स्वयं किए गए सुधारात्मक उपाय की सूचना आयोग को देगा।

4.6.1 उड़न दस्ते (एफएस) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी):

निर्वाचनों की शुचिता को बनाए रखने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार खर्चों, रिश्वत की मदों का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध शस्त्रों, गोला-बारूद, शराब या असामाजिक तत्वों आदि पर नजर रखने के लिए गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और चेक पोस्टों के लिए अनुलग्नक-73 के अनुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की है और उस दस्ते (एफएस) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दैनिक गतिविधि रिपोर्टों के फार्मेट इसके साथ संलग्न हैं।

4.6.2 जब्त धनराशि तब तक अभ्यर्थी का निर्वाचन व्यय नहीं मानी जाएगी जब तक कि न्यायालय में दाखिल मुकदमें पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले लिया जाता और उस समय तक जब तक कि उसकी प्रविष्टि छाया

प्रेक्षण रजिस्टर में न कर दी जाए। शिकायत/एफआईआर प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखा जाएगा (आयोग की अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2013/ईईपीएम/वाल्सूम v दिनांक 18 अप्रैल, 2013, अनुलग्नक 54)

4.7 व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) (i) जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक व्यय प्रेक्षक के परामर्श से निर्वाचन-क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पॉकेटों की पहचान करेंगे। मतदान के अंतिम तीन दिनों के दौरान ये क्षेत्र स्थैतिक निगरानी दलों (एसएसटी) की 24x7 निगरानी में होंगे। इस अवधि के दौरान स्थैतिक निगरानी दल में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल का संयोजन होगा।

(ii) जहां यह सूचना मिलती है कि कोई अभ्यर्थी अत्यधिक निर्वाचन खर्च में लिप्त है तो ऐसे अभ्यर्थी हर समय वीडियो निगरानी में होंगे।

4.8 हेलिकॉप्टर/निजी विमानों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने अपने दिनांक 03.07.2013 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या सीए एस-7(15)/2012/प्रभाग-। (निर्वाचन) (अनुलग्नक 53) के जरिए अन्य सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, निम्नलिखित कदमों की सिफारिश करते हुए अनुदेश जारी किए हैं:

वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर आरोहण-पूर्व जांच

(i) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तलाशी और व्यक्तियों एवं सामान की जांच करने के संबंध में सभी नियमों एवं कार्यविधियों को निरपवाद रूप से सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। किसी विमान/हेलीकॉप्टर, जिनमें वाणिज्यिक/चार्टर्ड विमान शामिल हैं, पर सवार होने वाले सभी यात्रियों (सिवाय उनके जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त है) और सभी सामानों (सिवाय उनके जिनके लिए नियमों के अंतर्गत छूट-प्राप्त है) को मतदान सम्बद्ध राज्य के प्रचालनात्मक हवाई अड्डों के आरोहण-पूर्व सिक्यूरिटी चेक एरिया से गुजरना/गुजारना होगा।

(ii) वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर चार्टर्ड विमानों (फिक्सड विंग विमानों के सहित) और हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग या उड़ान भरने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) या रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) से पूर्व-अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। वाणिज्यिक हवाई अड्डों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों की ट्रैवल प्लान के बारे में उस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को यथासंभव यथाशीघ्र, अधिमानतः आघे घंटे पहले, सूचित करेगा जिसमें हवाई अड्डा अवस्थित है।

(iii) हालांकि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, एटीसी ऐसे सभी चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों, वाणिज्यिक हवाई अड्डों के लैंडिंग एवं उड़ान भरने, लैंड करने के समय, उड़ान भरने के समय और यात्री मालसूची, रूट प्लॉन आदि का रिकार्ड रखेगा। एटीसी संबंधित राज्य के सीईओ को और उस जिले के डीईओ को इस सूचना की

एक प्रति विमान के लैंड करने/उड़ान भरने की तिथि के बाद 3 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा जिसमें हवाई अड्डा अवस्थित है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) निरीक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन करने के लिए ऐसी सूचना व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। एटीसी निरीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षक को भी आवश्यकतानुसार रिकार्ड उपलब्ध कराएंगे।

(iv) ऐसे व्यक्तियों/यात्रियों (जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं हैं) के सभी सामानों, जिनमें हैंड बैगेज शामिल हैं, की भी सीआईएसएफ/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पुलिस द्वारा बिना किसी रियायत के स्क्रीनिंग की जाएगी जिन्हें विमान तक जाने के लिए वाहन की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति है।

(v) मतदान सम्बद्ध राज्य के लिए या उससे उड़ान भरने वाले विमानों के सामान से 10 लाख रु से अधिक की नकदी या 1 किग्रा या उससे अधिक के सोना-चांदी का पता लगने पर सीआईएसएफ या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के पुलिस प्राधिकारी तत्काल आयकर विभाग को रिपोर्ट करेंगे।

(vi) सूचना मिलने पर आयकर विभाग आयकर कानूनों के अनुसार आवश्यक सत्यापन करेंगे और अगर कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो आवश्यक उपाय करेंगे। वे कोई भी नकदी या सोना-चांदी रिलीज करने से पहले निर्वाचन आयोग संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

(vii) कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां जैसे सीआईएसएफ, राज्य पुलिस और आयकर विभाग अपनी आंतरिक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस तरह तैयार करेंगी कि पता लगने से लेकर हवाई अड्डे पर जब्ती या रिलीज तक के सम्पूर्ण घटनाक्रम को क्लोज सर्किट टीवी/वीडियो कैमरा द्वारा फिल्माया जाए। इस प्रयोजन के लिए सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों में ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी संस्थापित किए जाएंगे जहां नकदी/सोना-चांदी का पता लगता है/गिना जाता है/जब्त किया जाता है। सीसीटीवी, कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों, जिनमें आयकर विभाग शामिल हैं, के पूछताछ चैम्बरों में भी संस्थापित किए जाएं। सीसीटीवी/वीडियो कैमरा की ऐसी रिकार्डिंग हवाई अड्डा प्रचालक/प्राधिकार के पास 3 महीनों की अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग/सीईओ को उपलब्ध कराई जाए।

गैर-वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हेलीपैडों में जांच:-

(viii) दूरवर्ती/अनियंत्रित हवाई अड्डों/हेलीपैडों में राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का उड़न दस्ता या पुलिस प्राधिकारी विमान के पायलट के समन्वय से विमान से बाहर आने वाले सभी सामान (किसी यात्री द्वारा लिए गए हस्तधारित पर्स या पाउच के सिवाय) की स्क्रीनिंग/प्रत्यक्ष जांच करेगा। रिट याचिका सं. 231/2012 दिनांक 09.11.2012 निर्वाचन आयुक्त बनाम भाग्योदय जनपरिषद एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी या एजेंट या पार्टी पदाधिकारी के कोई भी अनधिकृत हथियार, निषिद्ध वस्तुओं, 50,000/- रु से अधिक की नकदी की पड़ताल की जाएगी और उन्हें जब्त करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दूरवर्ती अनियंत्रित हवाई अड्डों/हेलीपैडों में उतरने के समय किसी भी यात्री के शरीर की तब तक तलाशी नहीं की जाएगी जब तक कि व्यक्ति द्वारा अनधिकृत हथियारों या निषिद्ध सामानों, आदि ढोए जाने के बारे में कोई विनिर्दिष्ट जानकारी न हो।

(ix) दूरवर्ती/अनियंत्रित हवाई अड्डों और हेलीपैडों में अभ्यर्थी द्वारा या राजनीतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ट्रैवल प्लान, जिले में लैंड करने के स्थान और विमानों/हेलीकॉप्टरों के यात्रियों के नामों का उल्लेख करते हुए लैंड करने से कम से कम 24 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देना होगा ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर सके और हेलीपैड का कोऑर्डिनेट भी उपलब्ध करा सके। इस प्रकार का आवेदन मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन प्राथमिकता आधार पर अनुमति जारी करेंगे।

(x) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन-क्षेत्र में विमान/हेलीकॉप्टर के लैंड करने के पांच दिनों के भीतर विमान/हेलीकॉप्टर की मालिकाना/लीज पर लेने वाली कम्पनी को प्रदत्त/देय भाड़ा प्रभारों, यात्रियों के नाम और राजनीतिक दल का नाम (यदि पार्टी ने भाड़े पर लेने के खर्च का वहन किया हो) के बारे में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

4.9.1 पुलिस मुख्यालय में नोडल अधिकारी: राज्य के पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी, जिसका चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, को सभी उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, सभी विधि प्रवर्तन एजेंसी तथा आयोग के साथ समन्वयन के लिए नोडल अधिकारी घोषित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महानिदेशक (आई जी) रैंक के तीन नामों, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से बताया नहीं गया है, का पैनल भेजेगा। निर्वाचनों के दौरान उनके कार्यालय की दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या तथा मोबाइल संख्या व्यय प्रेक्षकों, अन्वेषण निदेशालय, उत्पाद-शुल्क विभाग तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित कर दी जाएगी। वह जिले के सभी मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा, जो बदले में उड़न दस्ते या एसएसटी में कार्यरत सभी कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। वे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.9.2 वह जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा भेजी गई जिले के उड़न दस्तों तथा स्थैतिक निगरानी दलों की जब्ती रिपोर्टों को समेकित करेगा तथा वह प्रतिदिन आयोग के व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ को फैक्स द्वारा अनुलग्नक 8, 8क तथा 9 के अनुसार संयुक्त दैनिक गतिविधि रिपोर्ट भेजेगा तथा उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी।

4.10 लेखा टीमें:

4.10.1 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खण्ड के प्रत्येक अभ्यर्थी के 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' और 'साक्ष्यों के फोल्डर' के रख-रखाव में लेखा टीमों को सहायक व्यय प्रेक्षक के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा। उन्हें जैसा रिपोर्ट किया गया है वैसे ही वे व्यय की मदों की प्रविष्टि करेंगे और प्रत्येक मद के सम्मुख अधिसूचित दर लिखेंगे,

फिर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मर्दान पर कुल व्यय की गणना करेंगे। छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रोफार्मा अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

4.10.2 ऐसे मामले हैं, जहाँ निर्वाचन अभियान सामग्री नामांकन दाखिल करने के बाद प्रयोग की गई है, जबकि नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान कर दिया गया होगा, रिटर्निंग अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकन दाखिल करने के बाद निर्वाचन अभियान सामग्री पर किए गए व्यय को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करना चाहिए, भले ही उसका भुगतान, नामांकन दाखिल करने से पहले कर दिया गया हो। इसी तरह नामांकन दाखिल करने के संबंध में रैली या जलूस पर व्यय को निर्वाचन व्यय के एक भाग के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

4.11 शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर:

प्रत्येक जिले में व्यय अनुवीक्षण में लगे हुए विभिन्न कार्यकर्ताओं के मध्य सम्पर्क के लिए नियंत्रण कक्ष और शिकायतें रजिस्टर करने के लिए एक कॉल सेन्टर होगा। जनता/व्हिस्ल ब्लोअर द्वारा की गई सभी मौखिक शिकायतें भी शिकायत रजिस्टर में रिकार्ड की जानी चाहिए और प्रत्येक शिकायत के सामने समय दर्ज करना चाहिए। व्यय से संबंधित शिकायतें तुरन्त उड़न दस्ते के सम्बन्धित अधिकारी को भेज दी जानी चाहिए, एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को देनी होगी और यदि आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत है तो, एक प्रति सामान्य प्रेक्षक को भी देनी होगी। शिकायतकर्ता का नाम और पता शिकायत की प्रकृति, शिकायत का समय और नियंत्रण कक्ष द्वारा शिकायत पर की गई कार्रवाई के साथ अनुलग्नक 13 में दिए प्रोफार्मा में एक रजिस्टर का भी रख-रखाव किया जाना चाहिए। नियंत्रण कक्ष सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु शिकायत तुरन्त आगे भेजी जा रही है यह सुनिश्चित करने के लिए व्यय प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षक समय-समय पर इस रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे।

4.11.1 मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी):

जैसा कि आयोग के दिनांक 23 सितम्बर, 2010 के पत्र सं० 491/मीडिया पोलिसी/2010 द्वारा पेड न्यूज को जाँचने के उपायों के सम्बन्ध में (अनुलग्नक-45) में निदेश दिया गया है कि जिला स्तर पर विस्तारित और पुनर्गठित समिति पहले से दिए गए विज्ञापनों के प्रमाणीकरण कार्य के अलावा, केबल नेटवर्क सहित प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विज्ञापनों/पेड न्यूज/निर्वाचन संबंधी समाचारों को सी डी या डी वी डी में रिकॉर्ड करेगी और उनकी फोटोकॉपी रखेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस समिति को उस निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र, सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार चैनल के केबल कनेक्शन सहित तीन या चार टी वी सेट और एक रिकॉर्डिंग यंत्र और अलग कमरे दिए जाएं जिससे कि वे निर्वाचनों से सम्बन्धित सभी विज्ञापन/विचार विमर्श देख सकें और रिकार्ड कर सकें।

4.11.2 आयोग ने अपने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र सं० 509/75/2004/जे.एस.-। (अनुलग्नक-17) और दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के पत्र सं० 509/75/2004/जे.एस.-।/वॉल्यूम-11/आर सी सी (अनुलग्नक-26) द्वारा निदेश दिया था कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान निजी एफ एम चैनलों सहित सभी टी वी चैनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो में राजनीतिक प्रकृति के सभी विज्ञापन इस उद्देश्य के लिए संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित संवीक्षा समिति से पूर्व अनुमति मिल जाने के बाद ही बनाए जा सकते हैं । ऐसे प्रस्तावित विज्ञापनों के आवेदन में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :

- (i) विज्ञापन की उत्पादन लागत
- (ii) सन्निवेशनों की संख्या और प्रत्येक सन्निवेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर के विवरण सहित टी वी चैनल या केबल नेटवर्क/रेडियो पर दिए जाने वाले ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने की अनुमानित लागत।
- (iii) इसमें यह विवरण भी शामिल होना चाहिए कि क्या सन्निविष्ट विज्ञापन कोई अभ्यर्थी(र्थियों) या राजनीतिक पार्टी/पार्टियों के चुनाव में लाभ की प्रत्याशा से है।
- (iv) यदि विज्ञापन राजनीतिक पार्टी या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा जारी किया गया है तो उस व्यक्ति को शपथ देनी होगी कि यह किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए नहीं है, और
- (v) एक बयान देना होगा कि सभी प्रकार के भुगतान चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किए गए हैं।

4.11.3 जब भी जिला स्तरीय समिति या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति किसी विज्ञापन के लिए अनुमति देती है तो उसे समस्त व्यय विवरण के साथ अनुमति की एक प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और लेखा टीम को अग्रेषित करनी होगी जो इस व्यय को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करेगी ।

4.11.4 राजनीतिक दल/अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण में और विज्ञापन/पेड न्यूज को प्रिन्ट मीडिया में हुए व्यय के विवरण को प्रस्तुत करना होगा। यदि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को लगता है कि कोई विज्ञापन पूर्व अनुमति के बिना किसी अभ्यर्थी के पक्ष में टीवी, रेडियो, केबल नेटवर्क, एफएम चैनल में प्रकाशित किया गया है, तो वे तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अधीन अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा ।

4.11.5 यदि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन या विज्ञापनिका आदि के प्रकाशन की सूचना मिलती है, तो वे इसे व्यय प्रेक्षक की जानकारी में लाएंगे और उसकी एक प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखेंगे। इस विज्ञापन पर हुए व्यय का छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी के रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान उसे इसकी सूचना दी जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पैम्फलेट या पोस्टर, हैंडबिल या अन्य दस्तावेज प्रकाशक व मुद्रक के नाम, पता वर्णित किए बिना और प्रकाशक की घोषणा (जो कि दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की गई हो) प्राप्त किए बगैर। निर्वाचन के लिए प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेंगे या मुद्रित या प्रकाशित करवाएंगे। यह ऐसे प्रेस की जिम्मेदारी है कि वह दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्तिसंगत समय के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दस्तावेज की प्रति के साथ घोषणा की प्रति सौंपेंगे।

आयोग के दिनांक 8.6.2010 की संख्या 491/मीडिया/2010 (अनुलग्नक 29क) तथा दिनांक 16.10.2007 की संख्या 3/09/2007/जे एस-11 (अनुलग्नक 29घ) के अनुदेशों के अनुसार धारा 127क के प्रयोजनार्थ अन्य दस्तावेजों के मुद्रण में समाचार पत्र में डाला गया कोई विज्ञापन और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित 'पेड न्यूज' शामिल है। इस प्रावधान के उल्लंघन के लिए मुद्रक या उस व्यक्ति को छः महीने का कारावास या 2000/-रुपये के जुर्माने का दण्ड है। इसलिए रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी के लिए नोटिस जारी करेंगे और प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों और विज्ञापनों में निहित कल्पित व्यय को उनके ध्यान में लाएंगे और यह पूछेंगे कि क्या ऐसी सामग्री के प्रकाशन के लिए उनके द्वारा घोषणा/प्राधिकार दिया गया है। इसके बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उल्लंघन में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मामला उस मीडिया हाउस के साथ उठाया जाएगा। इस संबंध में आयोग के दिनांक 21.11.2008 के पत्र संख्या 509/75/2004/जे0एस0आई/खण्ड-111/आर सी सी में निहित अनुदेशों, जो अनुलग्नक 26 के रूप में हैं, का भी अनुपालन किया जाए। विज्ञापन के आवेदन और प्रसारण के लिए विज्ञापन के प्रमाणन के आरूप भी अनुलग्नक 27 एवं 28 पर संलग्न हैं।

4.12.1 पेड न्यूज: भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पेड न्यूज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 'कोई भी खबर या विश्लेषण जो (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया में नकद या अन्य किसी रूप में प्रतिफल के लिए प्रकाशित किया गया है।' आयोग ने इस परिभाषा के साथ जाने का निर्णय ले लिया है। आयोग का दिनांक 8 जून 2010 का परिपत्र सं0 491/मीडिया/2010 पेड न्यूज के प्रति दृष्टिकोण और आवश्यकतानुसार कार्रवाई निर्दिष्ट करता है (अनुलग्नक 29क)। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एम सी एम सी) सभी समाचार पत्रों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और जन-संचार की अन्य माध्यमों जैसे बल्क एस एम एस (अनुलग्नक 63) आदि देखेगा और अभ्यर्थियों और पार्टियों से संबंधित विज्ञापनों, विज्ञापनिकाओं संदेशों, चर्चाओं और साक्षात्कारों का रिकॉर्ड रखेगा। यह समिति अनुलग्नक-12 में दिए प्रोफार्मा में प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित दैनिक रिपोर्ट लेखा टीम को देगी तथा इसकी प्रति रिटर्निंग ऑफिसर व व्यय प्रेक्षक को देगी। यह रिपोर्ट पेड न्यूज के आकलित मामलों के समर्थक दस्तावेजों की कटिंग/क्लिपिंग, संबंधित

टीवी और रेडियों विज्ञापनों की रिकॉर्डिंग सहित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन विज्ञापन पर किए गए व्यय के संबंध में होगी, जिसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रकाशन पर व्यय न दिखाए जाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी पेड न्यूज की घटना के संबंध में व्यय प्रेक्षक की सलाह से अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। व्यय प्रेक्षक 24 घंटे के अंदर एक प्रति निर्वाचन आयोग को देते हुए पेड न्यूज की रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक को देगा।

4.12.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोक सभा/राज्य /संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा की अवधि समाप्त होने से 6 माह पूर्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टी0वी0 चैनल/रेडियो चैनल/समाचार पत्रों से मानक रेट कार्ड प्राप्त करेंगे। ऐसे रेट कार्ड लेखा दल को विज्ञापनों की दरों की गणना के लिए देंगे। लेखा टीम निहित व्यय की डी ए वी पी/डी पी आई आर की दर से, जो भी कम हो, गणना करेगी और इसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेगी। व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय इस प्रकार की विसंगतिया को अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन एजेंट ध्यान में लाएगा और 'पेड न्यूज' पर किये गये व्यय की विसंगतियों का अभ्यर्थी के निर्वाचन रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम में उल्लेख करेगा।

4.12.3. ऐसे सभी नोटिसों की प्रतिलिपि पेड न्यूज के साथ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड और जिला निर्वाचन वेबसाइट/मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेबसाइट में प्रदर्शित की जानी चाहिए। इनकी एक प्रति जनता के किसी भी सदस्य को 1/-रु प्रति पृष्ठ का भुगतान करने पर दी जा सकती है।

4.12.4. अभ्यर्थी द्वारा पेड न्यूज पर किए गए व्यय को स्वीकार करने में विवाद होने पर ऐसे मामलों के संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई अपील पर विचार किया जा सकता है, जो पहले ही आयोग के दिनांक 8 जून 2010 के परिपत्र में परिकल्पित है और जिसे पुनः विस्तारित एवं पुनर्गठित किया गया है और सदस्यता आयोग के दिनांक 18.3.2011 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 के द्वारा पृथक परिपत्र में अधिसूचित है। (अनुलग्नक-29ख) आयोग ने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के निर्णय के विरुद्ध राज्यस्तरीय एमसीएमसी में अपील करने के लिए निर्धारित समय-सीमा संबंधी दिशा-निर्देशों और अपने पत्र सं. 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया, दिनांक 27 अगस्त, 2012 (अनुलग्नक-70) के जरिए निहित कार्यविधि को भी जारी किया है।

4.12.5. कथित पेड न्यूज और राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टीवी/केबल चैनलों पर विज्ञापनों, के दृष्टान्तों को सुलझाने में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या 491/मीडिया/2011 (विज्ञापन दिनांक 16-08-2011 अनुलग्नक 29ग) द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश दिया है -

1. लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा के समाप्त होने की नियत तारीख से छः महीने पहले, जैसा भी मामला हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टेलीवीजन चैनलों/रेडियो चैनलों/समाचार पत्रों की सूची और उनके मानक दर कार्ड, मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और आयोग को अग्रेषित किए जाएंगे। इस उक्त छः महीने की अवधि के भीतर प्रचलन में आए कोई भी समाचार चैनल, समाचार पत्र इत्यादि के संबंध में भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।

2. जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी), अभ्यर्थियों से संबंधित सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी कि वे मानक रेट कार्डों के आधार पर कल्पित व्यय को अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय खाते में शामिल करने के लिए उस परिस्थिति में भी उन्हें (अभ्यर्थियों को) नोटिस जारी करे जब उन्होंने चैनल/समाचार-पत्र को, वास्तव में, कोई धनराशि का भुगतान नहीं किया हो, जो अन्यथा 'पेड न्यूज' की दशा में किया जाता है। इसमें प्रचार अभियान में शामिल स्टार प्रचारक (प्रचारकों) या अन्य द्वारा किए जाने वाले प्रचार, जो किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी निर्वाचन संभावना को प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हों, भी शामिल होंगे। नोटिस की एक प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी भेजी जाएगी।

3. संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन के मामले में उप निर्वाचनों की घोषणा होते ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी मानक दर कार्ड प्राप्त करेगा और इसके तत्काल बाद मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति आवश्यक कार्रवाई करेगी।

4. निर्वाचन अभियान प्रारम्भ होने से पहले 'पेड न्यूज' के मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों और मीडिया घरों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विषय में संक्षिप्त विवरण देंगे।

5. मानक दर चार्ट के अनुप्रयोग से संबंधित तकनीकी संदेह होने पर मामले को डी ए वी पी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श के लिए भेजा जाएगा।

4.12.6 केबल नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचार अभियान का अनुवीक्षण :

मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) केबल नेटवर्क, रेडियो इत्यादि सहित इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभियान की बारीकी से निगरानी करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों और समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करनी चाहिए और उन्हें यह सुस्पष्ट रूप में बता दिया जाना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए/प्रकाशित किए गए सभी विज्ञापनों की उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अंतर्गत पूरी जिम्मेदारी लेनी

पड़ेगी और प्रतिनियुक्त विज्ञापनों के प्रचलन को सख्ती से निपटा जाएगा । जिला निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और मीडिया को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देंगे तथा 'भुगतान' पर आधारित 'न्यूज रिपोर्टों', सामान्य रूप से जिसे पेड न्यूज के रूप में परिभाषित किया जाता है, का एमसीएमसी के माध्यम से लेखा-जोखा रखा जाएगा और वे इस प्रकार कि रीति से बचें । जिला निर्वाचन अधिकारी को नई व्यय अनुवीक्षण प्रणाली तथा संबंधित विधिक प्रावधानों को समझा देना चाहिए । वह राजनैतिक दलों से संयम बरतने का अनुरोध करेंगे और राजनीतिक दलों के माध्यम से उनके सभी अभ्यर्थियों को खर्च के मामले में इसी प्रकार का संयम बरतने की सलाह देंगे । राज्य स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इसी प्रकार का कार्य करेंगे ।

4.12.7 यदि नेता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तात्पर्य से स्टार प्रचारक) के फोटो या अपील के साथ सामान्य पार्टी प्रचार के लिए बिना किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन किया जाता है तो ऐसे सामान्य विज्ञापन पर व्यय राजनैतिक दल के खाते में डाला जाएगा । अगर ऐसा नेता किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी है तो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे सामान्य पार्टी प्रचार पर, भले ही उसमें उनका फोटो हो, का व्यय ऐसे नेता के खाते में नहीं डाला जाएगा क्योंकि यह सामान्य दल प्रचार की प्रकृति का है, और इसमें उसके निर्वाचन क्षेत्र का कोई सन्दर्भ नहीं है । (आयोग का दिनांक 20 जनवरी, 2012 का पत्र सं० 76 अनुदेश/2012/ई ई पी एस, अनुलग्नक- 58 पर)

4.12.8 आयोग ने निर्वाचन से संबंधित टेलीविजन प्रसारणों पर आचार संहिता जारी की है जो अनुलग्नक-72 पर है ।

4.13. व्यय अनुवीक्षण सेल:

(i) जिला मुख्यालय में व्यय अनुवीक्षण सेल के नोडल अधिकारी पर्याप्त जनशक्ति और कार्यालय स्थान और साधन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ समन्वय करेगा । नोडल अधिकारी निर्वाचन की अधिसूचना से पहले ही व्यय अनुवीक्षण कार्य में लगी विभिन्न टीमों की जनशक्ति को प्रशिक्षण देगा । जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को, जिसकी सेवाएं व्यय अनुवीक्षण के लिए अपेक्षित हैं, तैनात कर सकता है ।

(ii) व्यय अनुवीक्षण सेल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा और निर्वाचनों की अधिसूचना के मध्य के समय के दौरान राजनीतिक पार्टियों/संभावित अभ्यर्थियों द्वारा की गई सभी सार्वजनिक बैठकों/रैलियों की वीडियोग्राफी करने के लिए उत्तरदायी होगा । ऐसी अवधि के दौरान वीडियो सीडी/डीवीडी के अनुसार राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए सभी ऐसे व्ययों की गणना इस सेल द्वारा की जाएगी और राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए व्यय का अनुमान लगाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाएगा । यद्यपि इस व्यय को अभ्यर्थी के रजिस्टर में शामिल नहीं करना है, पार्टी को इस व्यय को विधान सभा मतदान के 75 दिन

और लोकसभा मतदान के 90 दिन के अंदर आयोग को दिखाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पार्टी द्वारा इस दौरान और परिणामों की घोषणा तक किए गए कुल व्यय से संबंधित जिलावार रिपोर्ट एकत्रित करेगा और परिणामों की घोषणा के 45 दिन के अंदर आयोग को अग्रेषित करेगा।

(iii) शिकायत मानीटरिंग कक्ष में टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे लोगों में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के प्रति जागरूकता बढ़े।

5. व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुवीक्षण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

5.1. छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्यों का रख-रखाव फोल्डर:

अनुलग्नक 11 में संलग्न प्रोफार्मा में लेखा टीम द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। इस रजिस्टर का रख-रखाव हार्ड कापी और/या एक्सल सीट, क्रमवार रखे गए प्रिंट आउट क्रमानुसार पृष्ठ में प्रेक्षित व्यय विभिन्न टीमों द्वारा किए गए व्यय के निरीक्षण/व्यय अनुवीक्षण रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। इस रजिस्टर का उद्देश्य अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट किए गए बड़े-बड़े व्ययों की मदों की पुनः जांच करना है।

5.1.2 लेखा टीम को, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दलों, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति, स्थैतिक निगरानी दलों, उड़न दस्तों तथा शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष से दैनिक आधार पर सूचना प्राप्त होगी। लेखा टीम, व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक के सम्पूर्ण दिशा-निर्देशों और निरीक्षण के अधीन कार्य करेगी।

5.1.3 सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर का प्रतिदिन निरीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि व्यय अनुवीक्षण की विभिन्न टीमों द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी व्ययों की इस रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है। कोई विसंगति या कमी पाई जाने पर इसे तुरंत व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए।

5.2. साक्ष्यों का फोल्डर:

लेखा टीम द्वारा प्रत्येक छाया प्रेक्षण रजिस्टर के साथ साक्ष्यों के फोल्डर का भी रख-रखाव किया जाएगा। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में किसी भी व्यय के खिलाफ एकत्रित सभी साक्ष्यों को इस फोल्डर में रखना होगा। सभी पृष्ठों में पृष्ठ संख्या डालनी होगी और सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। इस फोल्डर में

दृश्य और श्रव्य सीडी, पोस्टर, पुस्तिका, पैम्फलेट की प्रतियां इत्यादि, समाचार पत्रों के विज्ञापन और पेड न्यूज की कटिंग, बिलों और वाउचरों की प्रतियां एवं व्यय के संबंध में विभिन्न अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की प्रतियां, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतियां, व्यय से संबंधित शिकायतों की प्रति और इन शिकायतों पर पूछताछ की रिपोर्ट, व्यय अनुवीक्षण से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को जारी किए गए नोटिस और प्राप्त जवाब, अभ्यर्थी के व्यय के संबंध में दर्ज की गई एक एफआईआर इत्यादि को शामिल किया जा सकता है।

5.3. यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा निषिद्ध मदों पर व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है, तो विधि के संगत प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मतदाता को प्रभावित करने के लिए धन या अन्य कोई ऐसी वस्तु वितरित की है तो उसी दिन उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की घूसखोरी से संबंधित प्रावधानों के अधीन सक्षम न्यायालय में/पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त साक्ष्यों के साथ इस व्यय की सभी प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में की जानी चाहिए और दर्ज किए गए एफआईआर के विवरण की भी छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट व्यय प्रेक्षक द्वारा 24 घंटे के अंदर आयोग को दे दी जानी चाहिए।

5.4. अभ्यर्थी द्वारा रख-रखाव किए गए निर्वाचन व्यय रजिस्टर का जिस अवधि तक का निरीक्षण कर लिया गया है उस अवधि तक के छाया प्रेक्षण रजिस्टर को अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि या जनता के किसी सदस्य को दिखाया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा रख-रखाव रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित राशि से कम है तो इसे उसके नोटिस में लाया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय रजिस्टर में रिपोर्ट किया गया व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित व्यय, से कम है तो इसे निरीक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर के अधीन उसके रजिस्टर में से लिखकर अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के नोटिस में लाया जाएगा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी इसकी नोटिंग की जाएगी तथा अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। इस प्रकार की विसंगति के लिए रिटर्निंग अधिकारी, उसी दिन लिखित में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को एक नोटिस देगा। आम जनता के सूचनार्थ रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर नोटिस की प्रति प्रदर्शित की जाएगी। आम जनता का कोई भी सदस्य 1 रूपया प्रति पृष्ठ के शुल्क का भुगतान कर नोटिस की प्राप्ति कर सकता है। नोटिस तथा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट से प्राप्त जवाब की प्रति साक्ष्य के फोल्डर में रखी जाएगी तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में भी उसका उल्लेख किया जाएगा। प्राप्त जवाबों को भी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा तथा 1/-रु0 प्रति पृष्ठ का भुगतान कर इन्हें आम जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रकार से जारी किए गए नोटिसों तथा प्राप्त जवाबों को, यदि कोई है तो, परिणामों की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखों की सत्यता के बारे में राय बनाने के लिए व्यय प्रेक्षक सहित डी ई एम सी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी को चिह्नित की जाएगी। आयोग के नवीनतम अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

5.5.1 जन सभाओं, रैलियों इत्यादि का अनुवीक्षण

कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि, जो जन सभा या रैली के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता है, वह अनुमति के लिए आवेदन के साथ अनुलग्नक-16 में दिए आरूप में योजना व्यय भी प्रस्तुत करेगा।

5.5.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र सहित इस व्यय योजना की प्रति, उस जनसभा या रैली के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ड्यूटी पर भेजे गए अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को भी उस महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए दी जाएंगी।

5.5.3 लेखा टीम प्रत्येक जनसभा या रैली पर हुए व्यय की अधिसूचित दरों के आधार पर अलग से गणना करेगी तथा फोटो, वीडियो रिकार्डिंग तथा विवरणियों इत्यादि के रूप में इकट्ठे किए साक्ष्यों का फोल्डर रखेगी।

5.5.4 नामांकन दाखिल करते हुए रैली या जुलूस संगठित करने के संबंध में सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखे में शामिल किए जाएंगे।

5.5.5 आयोग ने अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2011/ईईएम, दिनांक 07.04.2011 (अनुलग्नक-56) जारी किया है जिसके अनुसार जब आम जनता के सदस्य स्वेच्छा से किसी अभ्यर्थी की जनरैली/जुलूस/जनसभा में बिना किसी से कोई भुगतान या प्रतिपूर्ति लिए अपने निजी वाहन में वहां उपस्थित होते हैं तो उसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। तथापि, प्रचार के प्रयोजनार्थ रैली या जनसभा में निजी वाहनों पर झंडे या बैनर लगाकर किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए उनका प्रयोग करना, अभ्यर्थियों के व्यय में जोड़ा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी (र्थियों) की रैली या जनसभा के लिए वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या वाले वाणिज्यिक वाहन प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे वाहनों के व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखे में शामिल किया जाएगा।

5.5.6 अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाला एक निजी वाहन, प्रचार वाहन के रूप में माना जाएगा तथा ईंधन और ड्राइवर के वेतन के रूप में बाजार दरों पर अनुमानित व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा अपने अन्य वाहनों को प्रचार के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए जाने के मामले में इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने की अधिसूचित दरों के अनुसार अनुमानित व्यय की अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा गणना की जाएगी।

5.5.7 पार्टी प्रतीकों के साथ झंडे, टोपी तथा मफलरों के प्रयोग के बारे में आदर्श आचार संहिता में एफ ए क्यू के प्रश्न सं0 72 में स्पष्ट कर दिया गया है। पार्टी प्रतीकों के साथ इस प्रकार की मदों जैसे झंडे, मफलर या टोपियों के व्यय को निर्वाचन व्यय के रूप में संबंधित पार्टी द्वारा उसके खाते में डाला

जाएगा। यदि उन पर अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम व फोटो छपा है तो इसे अभ्यर्थी के लेखों में जोड़ा जाएगा। तथापि, पार्टी/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्त्र यथा साड़ी, कमीज, टी-शर्ट, धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण वर्जित है क्योंकि इसे मतदाताओं को घूस के रूप में देना, माना जाता है।

5.5.8 भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 28 मार्च, 2011 की अनुदेश सं0 464/अनु0/2011/ईपीएस में यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन कार्यों के लिए जिले में विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए जिला स्तर पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों को छोड़कर) के वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी (र्थियों) के लेखों में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिला पदधारी स्वयं ही अभ्यर्थी है तथा उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है और जहां से वह निर्वाचन लड़ रहा है वहाँ गतिविधि के लिए ऐसा वाहन प्रयोग कर रहा है या किसी विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के प्रचार के लिए ऐसा वाहन प्रयोग कर रहा है तो प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन के भाड़े का खर्च अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा।

5.5.9 यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए अपना लेखा बिना किसी उचित कारण प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे जन सभा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। जनसभा के लिए अनुमति अस्वीकृत करने से पहले लेखा प्रस्तुत न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। तथापि, यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए लेखा प्रस्तुत करता है, तो तुरंत जन सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। यह ऐसे डमी अभ्यर्थियों जो निर्वाचन लड़ने के लिए गंभीर नहीं हैं, के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेगा।

5.6.1 स्टार प्रचारकों के यात्रा खर्चों पर व्यय:

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार राजनैतिक पार्टी के नेताओं द्वारा हवाई या अन्य किसी भी तरह की यात्रा के खर्च को निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत या वहन व्यय नहीं माना जाएगा। धारा का स्पष्टीकरण (2) मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के 40 व्यक्तियों तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अलावा अन्य किसी पार्टी अर्थात् रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त पार्टियों के 20 व्यक्तियों, जिनके नामों की सूचना, अधिसूचना की तारीख से 7 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को दे दी गई है, को राजनैतिक नेताओं में शामिल करना परिभाषित करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को इस प्रकार से संसूचित राजनैतिक नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। निर्धारित अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अलग, से प्राप्त स्टार प्रचारकों से संबंधित सूची की सूचना प्राप्त करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसे सभी रिटर्निंग अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों/व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध करवाएगा और इसे उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

- 5.6.2 स्टार प्रचारक द्वारा जनसभा या बैठक के मामले में यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेंट स्टार प्रचारक/अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मंच बांटता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़कर रैली का समस्त व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा । यदि अभ्यर्थी मंच पर उपस्थित नहीं है परंतु अभ्यर्थी के नाम या अभ्यर्थी के फोटो वाले बैनर/पोस्टर जन रैली के स्थान पर प्रदर्शित किए गए हैं या प्रतिष्ठित व्यक्ति/स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किया गया है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय के अलावा जन रैली का पूरा खर्च अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखों में डाला जाएगा । यदि रैली/सभा में एक से अधिक अभ्यर्थी मंच बांटते हैं या रैली/सभाओं में उनके नामों के साथ बैनर या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की रैली/सभा पर हुए व्यय को ऐसे अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से बांट दिया जाएगा । रिटर्निंग अधिकारी को रैली में उपस्थित अन्य अभ्यर्थियों के बारे में सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को दे देनी चाहिए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों के व्यय की आवश्यक प्रविष्टि छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कर दी जाए।
- 5.6.3. हेलीकॉप्टर या विमान खर्च:— निर्वाचन व्यय की एक मुख्य मद हेलीकॉप्टर या विमान किराए पर लेना है। आयोग के अनुदेशों के अनुसार यदि निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के अंदर आयोग/सी ई ओ को स्टार प्रचारक के नाम की सूचना दे दी जाती है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी या उसका कोई प्रतिनिधि, परिवार का सदस्य या राजनैतिक पार्टी का कोई नेता (अधिसूचित स्टार प्रचारक के अलावा) स्टार प्रचारक के साथ वाहन सुविधा बांट रहा/रही है तो आयोग के दिनांक 20 अगस्त, 2009, 31 मार्च 2009 के पत्र सं० 76/2009/एस डी आर तथा दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की सं० 437/6/अनु०/2008—सी सी और बी ई (अनुलग्नक-46, 47 व 48) में निहित अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी के व्यय में 50 प्रतिशत व्यय जोड़ दिया जाएगा । यदि एक से अधिक अभ्यर्थी यह सुविधा बांट रहे हैं तो 50 प्रतिशत यात्रा व्यय उन सभी अभ्यर्थियों के बीच विभाजित कर दिया जाएगा। (अनुलग्नक 48)
- 5.6.4 यदि कोई परिचारक, जिसमें सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, या पार्टी के कोई सदस्य सहित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल है जो संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का कोई प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उनके वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर आदि में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा खर्च राजनीतिक पार्टी के खाते में पूरी तरह बुक किया जाएगा बशर्ते कि नेता (स्टार प्रचारक) के साथ ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाला व्यक्ति अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभियान में किसी भी तरीके की भूमिका नहीं निभाता हो। हालांकि, नेता के साथ ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या कोई अभ्यर्थी ऐसे नेता के साथ उनके

वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रा करता हो तो नेता के यात्रा व्यय के 50% का ऐसे अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम में अशापन किया जाएगा। (आयोग की पत्र सं0 76/अनुदेश/ईईपीएस वाल्यूम I, दिनांक 18 अप्रैल, 2013 अनुलग्नक 58क)

5.6.5 यदि किसी अन्य राजनैतिक पार्टी/पार्टी का स्टार प्रचारक, अभ्यर्थी की सहयोगी पार्टी रैली में हिस्सा लेता है और अभ्यर्थी का नाम लेता है या अभ्यर्थी के साथ मंच बांटता है तो सहयोगी पार्टी के प्रचारक का निर्वाचन क्षेत्र तक का यात्रा व्यय छूट प्राप्त नहीं है इसे अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग के दिनांक 24.10.08 के पत्र सं0 437/6/2008 के अनुदेश में निहित है जो कि हेलीकॉप्टर के प्रयोग से संबंधित हैं तथा अनुलग्नक 25 पर दिए गए हैं।

5.6.6 किसी भी अभ्यर्थी के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं वहां के निवास/भोजनाव्यवस्था सहित सभी व्यय उस विशेष अभ्यर्थी के व्यय लेखों में शामिल किए जाएंगे, बशर्ते:

(क) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो, तथा

(ख) स्टार प्रचारक/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के उद्देश्य से वाणिज्यिक होटल या लॉज में रहते हुए ऐसी भोजनाव्यवस्था तथा निवास का खर्च इस बात की परवाह किए बिना किया है कि अभ्यर्थी द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं ।

इस प्रकार की वाणिज्यिक भोजनाव्यवस्था तथा निवास के बाजार मूल्य की गणना अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में की जाएगी चाहे वह भोजन व्यवस्था/निवास सम्मानसूचक ही उपलब्ध कराए गए हों । यदि स्टार प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में भोजन तथा निवास की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रचार के लिए दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करता है तो भोजन तथा निवास का खर्च उन अभ्यर्थियों के व्यय में यथानुपात बांट दिया जाएगा । इस प्रकार के सभी मामलों में नोटिस जारी किया जाए तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जाए ।

(आयोग का दिनांक 3 जून, 2011 का पत्र सं0 464/आन्ध्र प्रदेश-लो0स0 व आन्ध्र प्रदेश-वि0स0/बी ई/2011/ई ई एम, अनुलग्नक 55 पर)

5.7.1 पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण का अनुवीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा होने के तीन दिनों के अंदर अपने जिलों के सभी मुद्रणालयों को लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क की अपेक्षाओं को इंगित

करते हुए लिखेंगे तथा उन्हें यह सूचित करेंगे कि इसका उल्लंघन राज्य के संगत कानूनों के अंतर्गत मुद्रणालयों के लाइसेंस के प्रतिसंहरण सहित बड़ी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। उन्हें उनके द्वारा मुद्रित निर्वाचन पुस्तिकाएं, पोस्टर तथा इसी प्रकार की अन्य मुद्रित सामग्री की प्रिंट लाइन पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम तथा पता की सूचना देने के विशेष रूप से अनुदेश दिए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क (2) के अंतर्गत अपेक्षित मुद्रित सामग्री की प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा प्रकाशक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी तथा यदि यह राज्य की राजधानी में प्रकाशित हुई है तो ऐसे मुद्रण के 3 दिनों के अंदर इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाए। आयोग के दिनांक 02 सितंबर, 1994 (अनुलग्नक-18) के पत्र सं० 3/9/ई एस 008/94-जे एस-II में, इस संबंध में विस्तृत अनुदेश निहित हैं।

- 5.7.2 यदि फोटो या नेताओं की अपील सहित पोस्टर, बैनर, झण्डे, स्टिकर इत्यादि या निर्वाचन के दौरान नेताओं (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के आशय में स्टार प्रचारक) का बिना किसी अभ्यर्थी विशेष के संदर्भ के प्रयोग किया जाता है तो व्यय राजनैतिक दल के खाते में डाला जाएगा। यदि तथापि, नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी है, तब ऐसी मदों का आनुपातिक व्यय जो वास्तव में उसके निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग हुई है को उसके निर्वाचन व्यय में डाला जाएगा (आयोग का दिनांक 20 जनवरी, 2012 का पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस का सन्दर्भ अनुलग्नक 58 पर)
- 5.7.3 जैसे ही जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रणालय से निर्वाचन पुस्तिकाएं या पोस्टर इत्यादि प्राप्त होते हैं, वह इस बात की जांच करेगा कि क्या प्रकाशक तथा मुद्रक ने आयोग के कानूनों तथा निदेशों की अपेक्षाओं का पालन किया है। वह इसकी एक प्रति सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करेगा ताकि सभी राजनैतिक पार्टियां, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति, कानून की अपेक्षाओं के पालन के संबंध में जांच कर सकें।
- 5.7.4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के उल्लंघन के सभी मामलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपराधियों के विरुद्ध शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज करवाई जानी चाहिए, ऐसे मामलों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए तथा संबंधित न्यायालयों में उनकी कड़ी पैरवी की जाना चाहिए। छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए मुद्रण की लागत दर्शाती विवरणी सहित मुद्रित सामग्री की प्रतियां लेखा टीम को दी जानी चाहिए।
- 5.8.1 निर्वाचन कार्यों के दौरान वाहनों के प्रयोग का अनुवीक्षण:

प्रत्येक अभ्यर्थी, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उसके निर्वाचन प्रचार के लिए उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों का विवरण रखेगा। रिटर्निंग अधिकारी उसे उसी दिन प्रयोग करने के लिए परमिट

जारी करेगा । संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया गया वाहन परमिट वाहन के आगे वाली स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। दुपहिया वाहन (मोटरबाइक, स्कूटर, मोपेड), साइकिल रिक्शा इत्यादि भी इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ वाहन माने जाएंगे तथा ऐसे मामले में परमिट मांगे जाने पर दिखाया जाएगा । छाया प्रेक्षण रजिस्टर में शामिल करने के लिए विवरणों को लेखा टीमों को दिया जाएगा।

- 5.8.2 यदि आर ओ की लिखित अनुमति के बिना ही प्रचार के लिए वाहन का प्रयोग किया जाता है तो इसे अभ्यर्थी के लिए अप्राधिकृत प्रचार माना जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी । इसलिए इसे तत्काल प्रचार प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस वाहन पर व्यय छाया प्रेक्षण रजिस्टर में जोड़ा जाएगा।
- 5.8.3 रिटर्निंग आफिसर द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि अभ्यर्थी निरीक्षण के लिए अपने लेखे प्रस्तुत नहीं करता तो रिटर्निंग आफिसर, निर्वाचन के दौरान वाहन का प्रयोग करने की अनुमति तत्काल वापस ले लेगा तथा यह अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अभ्यर्थी द्वारा निरीक्षण के लिए लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आयोग के दिनांक 29.12.2005 के पत्र में दिए अनुदेश अनुलग्नक 30 पर है, और मार्गदर्शन के लिए इनका अनुसरण किया जा सकता है।

- 5.8.4 यदि किसी विशेष अभ्यर्थी ने किसी वाहन के लिए अनुमति ली है और/या उसका प्रयोग किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा या दूसरे अभ्यर्थी के प्रचार प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा रहा है तब अनुमति वापस ले ली जाएगी तथा उड़न दस्तों द्वारा वाहन का अभिग्रहण कर लिया जाएगा। उड़न दस्तों द्वारा सहायक व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट दी जाएगी ताकि उसके व्यय को उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा जो उस वाहन को वास्तव में प्रयोग कर रहे थे।

- 5.9 बैरीकेड तथा मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय का अनुवीक्षण:

सुरक्षा कारणों की वजह से यदि बैरीकेड/मंच इत्यादि के निर्माण पर व्यय, सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है तो यह उस अभ्यर्थी के व्यय खाते में दर्ज कर लेना चाहिए, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होनी है। जब किसी राजनैतिक पार्टी के नेता के साथ मंच पर अभ्यर्थियों का पूरा समूह उपस्थित रहता है तो खर्च को उन सबके मध्य विभाजित कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी महत्वपूर्ण घटना के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसी से व्यय का ब्यौरा प्राप्त कर अभ्यर्थियों को उनके हिस्से की सूचना देगा तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए इसकी एक प्रति

लेखा टीम को चिन्हित करेगा। मंच या बैरीकेड के निर्माण में यदि कोई निजी कंपनी लगी हुई है तो रिटर्निंग अधिकारी तीन दिनों के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय की सूचना मंगवाएगा। यदि कोई ट्रेवल एजेंसी परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती है तो आर ओ तीन दिन के अंदर ऐसी एजेंसी से व्यय का ब्यौरा मंगवाएगा। यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी अन्य किसी जिले से संबंध रखता है तो उस निर्वाचन क्षेत्र/जिले के आर ओ तथा डी ई ओ को भी इस संबंध में सूचना दी जाएगी। आयोग के दिनांक 10.4.2004 के पत्र सं० 76/2004/न्या०अनु०-II में निहित अनुदेशों का बैरीकेड तथा मंच इत्यादि पर उपगत व्यय के संबंध में अनुसरण किया जाएगा (अनुलग्नक 31)

5.9.1(i) यदि वीडियो वैन को राजनैतिक दल के लिए किसी भी अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख किए बिना या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की तस्वीर के बिना, स्टार प्रचारक को छोड़कर, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सामान्य दल के प्रचारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह खर्च दल के खाते में डाला जाएगा, जो निर्वाचन पूरा होने के बाद दल द्वारा विधान सभा चुनाव के मामले में 75 दिनों या लोक सभा चुनाव के मामले में 90 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। (आयोग का दिनांक 9 फरवरी, 2012 के पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस/खण्ड-I, अनुलग्नक 62 पर)

5.9.1(ii) यदि उस पर अभ्यर्थी (यों) के नाम (मों) या फोटो प्रदर्शित किए गए हैं या किसी अभ्यर्थी (यों) का पोस्टर, बैनर प्रदर्शित किए गए हैं और वैन उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, तो व्यय ऐसे अभ्यर्थी (यों) के खाते में डाला जाएगा।

5.10 अन्य अनुवीक्षण तंत्र:

5.10.1 स्वयं सेवी समूहों, एन जी ओ इत्यादि के लेखों का अनुवीक्षण:

स्वयं सेवी समूहों, एन जी ओ इत्यादि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयोग किए जा रहे धन/सामग्री का राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा वितरण के लिए साधन बनाया जा रहा है। चूंकि धन का आवर्तन/आर्थिक सहायता को डी आर डी ए के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, अतः स्वयं सेवी समूहों का निकटता से अनुवीक्षण सम्भव होना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उनका प्रयोग धन/सामग्री के वितरण के लिए नहीं किया जा रहा है जोकि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने जिले में स्वयं सेवी समूहों/एन जी ओ की एकांतर दिन की रिपोर्ट मंगवाएंगे।

5.10.2 विवाह/सामुदायिक भवनों में उपहार सामग्री/भोजन वितरण की जांच:

विगत में मैरिज हाल/सामुदायिक भवनों या बड़े हॉलों को उपहार सामग्री (धोती/साड़ी)/ भोजन वितरण के लिए प्रयोग करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। निर्वाचन अवधि के दौरान शादी हॉल/सामुदायिक भवनों का प्रयोग, जिला निर्वाचन तंत्र की निगरानी में होना चाहिए। बुकिंग के प्रयोजन से उसके साक्ष्य के रूप में जैसे (शादी का कार्ड) इत्यादि आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेने चाहिए ताकि निर्वाचन के उद्देश्य से कोई छद्म व्यय न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे आरक्षणों की दैनिक रिपोर्टें एकत्र करेंगे तथा देखेंगे कि मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए कोई नकली पार्टी गठित न कर ले। किसी प्रकार के संदेहास्पद आरक्षण की रिपोर्ट आयकर विभाग के सहायक/उप निदेशक जिला प्रभारी, को दी जानी चाहिए जो कि आयकर दृष्टिकोण से व्यय की जांच करेंगे। पूजा स्थानों के बाहर 'अन्नदानम' की आड़ में बड़े पैमाने पर भोजन वितरित करने से इस बात का भ्रम होता है कि निर्वाचन के पूर्वदिन भोजन, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बाँटा गया है, जो कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9-क के प्रावधानों के संदर्भ में भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बड़े पैमाने पर भोजन खिलाने पर कोई संदेह होने पर इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

5.10.3 प्रथागत रिवाजों के तौर पर धार्मिक संस्थानों में उनके धार्मिक समुदायों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामुदायिक भोजों (लंगर, भोज इत्यादि) तथा कर्मकांड धर्मानुष्ठानों यथा शादी, मृत्यु इत्यादि के पश्चात सामाजिक प्रक्रियाओं के तौर पर दिए जाने वाले भोज/दावत इत्यादि में अभ्यर्थियों के भाग लेने के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों को लुभाने के लिए उसके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित ऐसे सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से) में भाग लेता है तो आयोग के दिनांक 5.12.2012 के अनुदेश सं० 76/अनुदेश/2011/ईईएम/(अनुलग्नक 60) के अनुसार सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के चुनाव व्यय के रूप में माना जाएगा। तथापि, यह अनुदेश धार्मिक समुदाय द्वारा उनके संस्थानों के अन्दर प्रथागत प्रथा के तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक सामान्य भोज किसी भी व्यक्ति (अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज/लंगर/दावत/आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते कि अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगतुक के रूप में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज इत्यादि के आयोजन में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया है और ऐसे सामुदायिक भोज इत्यादि के आयोजन में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया है। सामुदायिक भोज आदि पर प्रतिबंध, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्वाचन क्षेत्र में मतदान/पुनर्मतदान के

पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएगा। (आयोग का दिनांक 5 दिसम्बर, 2011 की अनुदेश सं0 76/अनुदेश/2011/ ईईएम, अनुलग्नक 60)

5.10.4 विभिन्न साधनों द्वारा उपहारों के बदले दिए जाने वाले टोकनों के वितरण या धन वितरण की जाँच:

मतदाताओं को पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा टोकनों का वितरण भ्रष्ट आचरण का दूसरा ऐसा रूप है जिसके बारे में पूर्व में शिकायतें मिली हैं। यह भी बताया गया है कि टोकन का वितरण आरती देने के समय या बैठक/समारोह में किया जाता है तथा अधि-व्यवसायी को मतदाताओं को रिश्वत देने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाचन प्रचार तथा सामाजिक सभाओं के लिए की गई बैठकों/समारोहों सहित किसी भी विधि से टोकन वितरण की रोकथाम उचित रूप से साक्ष्यों को एकत्रित करके और पुलिस को शिकायत करके की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार की गतिविधियों के बारे में सही समय पर उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक, स्वयं सेवकों, नेहरू युवक केंद्रों तथा अन्य एन जी ओ के साथ बैठक की व्यवस्था करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिए सहायक निदेशक/उप निदेशक, प्रभारी आयकर सहित अधि-व्यवसायियों की सूची एकत्र कर उस पर कड़ी दृष्टि रखेंगे।

5.10.5 अभ्यर्थियों/राजनैतिक पार्टियों द्वारा किसी सरकारी योजना के अंतर्गत वेतन संवितरण सहित नकद के वितरण पर रोकथाम:

मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी योजनाओं जैसे ग्रामीण रोजगार योजना, और सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वेतन के अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन की पूर्वसंध्या पर पैसे दिए जाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को अभ्यावेदन दिए गए। यह नोट किया जाए कि जबकि आदर्श आचार संहिता के कारण गरीब लोगों को विपत्ति में नहीं डाला जाता, योजना के अंतर्गत कार्यकर्ता को वेतन, जिसके लिए वह अधिकृत है, के अतिरिक्त राजनैतिक पार्टियों/अभ्यर्थियों द्वारा उनको नकद भुगतान की अनुमति नहीं है। यह भ्रष्ट आचरण तथा निर्वाचन अपराध है। जिला निर्वाचन अधिकारी वेतन और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अन्य लाभ के संवितरण का अनुवीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी अभ्यर्थी/राजनैतिक पार्टी द्वारा योजना के अंतर्गत वेतन के साथ कोई नकद भुगतान या उपहार सामग्री नहीं दी गई है। यह भी देखा गया है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए निर्वाचन के पूर्वदिन सरकारी योजनाओं के अंतर्गत नकद लाभ (बकाया और अग्रिम राशि दोनों) का विवरण किया जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदान के दिन से 72 घंटों के अन्दर ऐसे किसी भी बकाया और अग्रिम राशि का वितरण न किया जाए।

5.10.6 निर्वाचन के दौरान मदिरा के उत्पादन, भंडारण तथा वितरण का अनुवीक्षण:

निर्वाचनों की अधिसूचना की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक (मदिरा उन्माद को नियंत्रण में रखने के लिए) निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:-

- (i) मदिरा का उत्पादन, कुल खरीद, अनुज्ञप्त स्टॉकिस्ट की स्टॉक सीमा, आई एम एफ एल/बियर/कंट्री लिकर के खुदरा विक्रेता की दैनिक प्राप्ति तथा कुल खरीद तथा मदिरा बिक्री दुकानों के बंद होने के समय का पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़ों के संदर्भ में बारीकी से अनुवीक्षण किया जाएगा।
- (ii) अधिसूचना की तारीख से मतदान पूर्ण होने/दोबारा मतदान होने तक राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के अंतर्गत चौबीसों घंटे प्रतिनियुक्त विशेष प्रवर्तन स्टाफ द्वारा आर टी ओ चेक पोस्ट तथा बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहनों की अंतर-राज्यीय गतिविधियों पर उत्पाद शुल्क विभाग के स्टॉफ द्वारा गहन निगरानी रखी जानी चाहिए। राज्य में सभी मद्यनिर्माणशालाओं और गोदामों को पुलिस गार्ड सहित 24x7 सी सी टी वी निगरानी में रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना उचित लाइसेंस के कोई शराब जारी नहीं की गई है। राज्य में शराब के अवैध भंडारण और अवैध शराब के लाने-ले जाने पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के अंतर-राज्यीय संचलन के अनुवीक्षण के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ उत्पाद शुल्क आयुक्तों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय होना चाहिए।
- (iii) उत्पाद शुल्क विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए ताकि उपर्युक्त पहलुओं का अनुवीक्षण किया जा सके तथा छापे मारकर अवैध शराब पकड़ी जा सके।
- (iv) जिला स्तरीय नोडल अधिकारी, आई एम एफ एल, बियर तथा कंट्री लिकर के लिए अलग फार्मों में इस सार संग्रह के अनुलग्नक-22 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एकांतर दिवसों पर राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को भी भेजेंगे। इसके पश्चात उत्पाद शुल्क विभाग के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, संपूर्ण राज्य की उत्पाद शुल्क गतिविधियों पर उसी प्रपत्र में एकांतर दिवस रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति आयोग को भेजेंगे।

5.10.7 बैंकों से नकद निकासी का अनुवीक्षण:

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से नकद की प्रतिदिन संदेहास्पद निकासी पर जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी बैंकों से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा। आयोग ने अपने दिनांक 19 जुलाई, 2012 के पत्र संख्या 61/शिकायत/ए पी-एल एस/2012/ईईपीएस (अनुलग्नक 64) द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिये हैं कि वे बैंक से निम्नलिखित सन्देहास्पद लेन देन की जानकारी मांगें :-

1. (i) असामान्य तथा संदेहास्पद नकद निकासी या निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 1 लाख से अधिक की राशि बैंक में जमा करवाना जबकि पिछले 2 महीने के दौरान इस प्रकार जमा व निकासी न की गई हो।
- (ii) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नकदी के बिना किसी पूर्व स्थानांतरण के जिला/निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में एक ही बैंक खाते से आर टी जी एस द्वारा राशि का असामान्य स्थानांतरण।
- (iii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल हलफनामों में उल्लिखित अभ्यर्थियों को, उनके पति/उनके पत्नी या उनके आश्रितों के बैंक खाते से एक लाख से अधिक की नकदी की जमा या निकासी।
- (iv) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते में एक लाख से अधिक नकदी की जमा या नकदी की निकासी।
- (v) अन्य कोई संदेहास्पद नकदी का लेन देन जिसका निर्वाचकों को रिश्त देने में प्रयोग किया गया हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी बैंकों से नियमित रूप से रिपोर्टें प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे और उसे विश्लेषण और अन्वेषण, यदि कोई है, के लिए व्यय प्रेक्षक को सौंपेंगे जिसका संचालन आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय के जरिए उड़न दस्तों द्वारा किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि निर्वाचन प्रक्रिया में धन का प्रयोग तो नहीं हुआ है।

यदि नकदी की बड़ी राशि की संदेहास्पद प्रकार की निकासी का कोई मामला सामने आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जाए और उस बड़ी राशि, जो कि दस लाख रुपये से अधिक होगी, के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को {महानिदेशक आयकर (अन्वेषण) का कार्यालय} या सहायक निदेशक/उप निदेशक, जिला प्रभारी आयकर, को आयकर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना दे दी जाएगी।

5.10.8 ए टी एम वैन तथा अन्योँ द्वारा नकदी ले जाने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) द्वारा निर्धारित 'एस ओ पी' के अनुसरण में, अनुलग्नक-66 के अनुसार प्रति संलग्न। एक बार फिर से कहा जाता है कि नकदी को सावधानीपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैंकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए:-

(i) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि बाह्य स्रोत एजेंसियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ियां किसी भी परिस्थिति में बैंक की नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। इस प्रयोजनार्थ, बाह्य स्रोत एजेंसी/कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज इत्यादि होने चाहिए जिसमें उन्हें बैंकों द्वारा दी गई नकदी, जिसे वे ए टी एम मशीनों में भरेंगे और अन्य शाखाओं, बैंकों या करेंसी पेटी में रखने के लिए ले जाएंगे, का उल्लेख होगा।

(ii) बाह्य स्रोत एजेंसियों/कंपनियों के कार्मिक जो नकदी ले जाने वाली गाड़ी के साथ जाएंगे, संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे।

(iii) उपर्युक्त प्रक्रिया इस कारण से निर्दिष्ट की गई है कि निर्वाचन की अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत कर्मचारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या अन्य कोई प्राधिकृत कर्मचारी) बाह्य स्रोत एजेंसी/कंपनी से प्राप्त नकदी ले जाने वाली गाड़ी को निरीक्षण के लिए रोकते हैं तो वह एजेंसी/कंपनी दस्तावेजों तथा मुद्रा के प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा यह स्पष्ट कर सकने की स्थिति में होनी चाहिए कि उन्होंने वह नकदी बैंकों के ए टी एम को नकदी से भरने या बैंकों की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा पेटी में नकदी पहुंचाने के लिए बैंक के अनुदेशों पर नकदी ले जा रहे हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों तथा नकदी ले जाने हेतु बैंकों की कार्यविधि का अंश होगी।
(अनुलग्नक-66)

5.11 निर्वाचनों के दौरान पाई गई संदेहास्पद अवैध नकदी, विदेशी मुद्रा तथा नकली भारतीय करेंसी नोटों (एफ आई सी एन) इत्यादि की सूचना के संबंध में जिले में सुसंगत प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किया जा सकता है। (अनुलग्नक-65)

आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय की निर्वाचनों के दौरान तैनाती की जाएगी और वे भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 16 जनवरी, 2013 की पत्र संख्या 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/खंड-VIII के अनुसार कार्यों का निष्पादन करेंगे (अनुलग्नक-65)। दैनिक गतिविधि रिपोर्ट, संशोधित प्रारूप (अनुलग्नक-24)

के अनुसार, आयकर के सहायक/उप निदेशक द्वारा संबंधित महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण)/आयकर विभाग (अन्वेषण) के कार्यालय के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो बाद में उन रिपोर्टों को समेकित करेगा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति सहित इसे प्रत्येक एकांतर दिवस पर निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

6. अभ्यर्थियों द्वारा लेखों का रख-रखाव:

6.1 निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया :

6.1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक, दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उसके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हों या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा, अलग एवं सही लेखा रखेगा।

6.1.2 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 उपबंधित करती है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास (लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत) अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होता है। इस तीस दिन की अवधि की गणना में परिणाम घोषित करने की तारीख शामिल नहीं है। आयोग का दिनांक 10.4.1995 का पत्र सं० 76/95/जे०एस०-॥ (अनुलग्नक 20 पर प्रति संलग्न) स्पष्ट करता है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के हित में उन्हें जिस भाषा में निर्वाचक नामावली मुद्रित की गई है उसी भाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी स्थानीय भाषा (ओं) में, निर्वाचन व्यय दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन नामावली के लिए अनुमोदित प्रादेशिक भाषा में उनके निर्वाचन व्यय के लेखों की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में फार्म/रजिस्टर/नियमों के उद्धरण प्राप्त हों तथा कोई भी अभ्यर्थी यह शिकायत न कर सके कि वह निर्वाचन व्यय की विवरणियां दाखिल करने के संबंध में सांविधिक अपेक्षाओं से अनभिज्ञ था, इसलिए वह प्रतिदिन के लेखों का उचित रूप से तदनुसार लेखा नहीं रख पाया।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर जारी आयोग के विभिन्न अनुदेश अनुलग्नक 36 से 44 पर दिए गए हैं।

6.2.1 निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाते का खोला जाना।

केवल निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण को सरल बनाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से एक पृथक बैंक खाता खोलने की अपेक्षा की जाती है। यह खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले खोला जाएगा। नाम-निर्देशन दाखिल करते समय अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग

अधिकारी को लिखित रूप में इस बैंक खाते के खाता संख्या की सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगे। निर्वाचन कार्यों पर व्यय किया जाने वाला सारा पैसा, अभ्यर्थी की स्वयं की निधि सहित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निधि का ध्यान किए बिना, इसी बैंक एकाउंट में जमा करवाया जाएगा। जहाँ कहीं भी अभ्यर्थी ने अपना बैंक खाता नहीं खोला या फिर बैंक खाते का लेखा वितरण नहीं दिया है तो रिटर्निंग आफिसर को ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने सम्बन्धी नोटिस जारी कर देना चाहिए।

6.2.2 निर्वाचन व्यय के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी चाहे तो स्वयं के नाम से या अपने निर्वाचन एजेंट के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोल सकता है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति, जो कि अभ्यर्थी का निर्वाचन एजेंट नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए।

6.2.3 बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। ये खाते को-ऑपरेटिव बैंकों या डाक घरों सहित किसी भी बैंक में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के विद्यमान बैंक खाते इस प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं करने चाहिए क्योंकि निर्वाचन प्रयोजनार्थ अलग बैंक खाता होना चाहिए।

6.2.4 जिला निर्वाचन अधिकारी सभी बैंकों, डाक घरों को उचित अनुदेश जारी करेंगे ताकि अभ्यर्थियों को बैंक खाते खोलने में अविलंब सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्वाचन उद्देश्य से समर्पित काउंटर खोलना सुनिश्चित किया जा सके। निर्वाचन अवधि के दौरान उन्हें प्राथमिकता पर कथित खातों से आहरण एवं जमा की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

6.2.5 आयोग ने अनुदेश सं० 76/अनुदेश/2011/इइएम दिनांक 7.4.2011 (अनुलग्नक-55) इस आशय से जारी किया है कि निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों से अभ्यर्थी 'क्रास एकाउंट पेई चेक' द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेगा। तथापि, यदि अभ्यर्थी (र्थियों) द्वारा व्यय की किसी भी मद के लिए किसी व्यक्ति/हस्ती को राशि देय है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यह राशि 20,000/-रु० से अधिक नहीं है तो निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से इस राशि का आहरण कर यह व्यय नकद रूप में उपगत किया जा सकता है। अन्य सभी भुगतान कथित बैंक खाते से 'एकाउंट पेई चेक' द्वारा किए जा सकते हैं।

6.2.6 सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे निर्वाचन के उद्देश्य के लिए खोले गए बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए निश्चित की गई राशि जमा कर दें और उनके सभी निर्वाचन व्ययों को उक्त खाते में से खर्च किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नामांकन से पहले अगर अलग बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना उक्त खाते में जमा किए कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने 'अपेक्षित रीति के अनुसार' खाते का रख-रखाव नहीं किया है।

6.3.1 अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के रजिस्टर का रख-रखाव:

प्रत्येक अभ्यर्थी नाम-निर्देशन के समय आर ओ द्वारा उसे दिए गए अनुलग्नक 14 के अनुसार, रजिस्टर में उसके निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा बनाएगा। रजिस्टर के तीन हिस्से होंगे (I) सफेद पन्नों में पार्ट 'क' में दैनिक लेखे का रजिस्टर (II) गुलाबी पन्नों में पार्ट 'ख' के अनुसार नकद रजिस्टर तथा (III) पीले पन्नों में पार्ट 'ग' के अनुसार बैंक रजिस्टर। अभ्यर्थी को उपर्युक्त तीन भागों में यह रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन प्रेक्षक को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

6.3.2 रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित होना चाहिए तथा रजिस्टर में पृष्ठों की कुल संख्या के बारे में रजिस्टर के प्रथम तथा अंतिम पृष्ठ पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। रजिस्टर में संपूर्ण निर्वाचन अवधि के लिए पर्याप्त पृष्ठ होने चाहिए। तथापि, यदि रजिस्टर जल्दी भर जाता है तो अभ्यर्थी अनुपूरक रजिस्टर मांग सकता है और रिटर्निंग अधिकारी उसी फार्मेट में उसे अनुपूरक रजिस्टर जारी करेगा। अभ्यर्थी, इन रजिस्टरों को प्राप्त करने की पावती देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को इस प्रकार की रसीद की प्रति रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए।

6.3.3 निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखे के रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया

(क) दैनिक लेखे का रजिस्टर:

यह रजिस्टर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए है जिसमें 9 स्तंभ हैं, इसे दैनिक आधार पर तिथिनुसार भरना होता है। जब कभी किसी विशेष दिवस को कोई व्यय नहीं होता, उस तारीख के सामने 'शून्य' लिखना चाहिए। सभी स्तंभों को भली प्रकार से भरने के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक तारीख को उपगत/प्राधिकृत व्ययों (प्रदत्त/बकाया दोनों) की कुल राशि भी लिखनी चाहिए। अभ्यर्थी के निर्वाचन कार्यों के लिए प्रयुक्त किसी भी स्रोत से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य का भी उल्लेख किया जाएगा। वास्तव में इस रजिस्टर में अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/पार्टी/अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्ययों का समावेशन है। ऐसे व्ययों के स्रोत के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की निजी निधि में उपगत/प्राधिकृत राशि का संगत स्तंभ में उल्लेख किया जाना चाहिए। चाहे राशि राजनैतिक पार्टी से प्राप्त की गई हो या राजनैतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत की गई हो, चाहे नकद हो या किसी वस्तु के रूप में, उन सबका उल्लेख संबंधित कॉलम में किया जाना चाहिए। यदि राशि के स्रोत में राजनैतिक पार्टी के अलावा किसी व्यक्ति या हस्ती से नकदी या वस्तु प्राप्त होती है तो उसका उल्लेख इस संबंध में बनाए गए स्तंभ में किया जाना चाहिए।

ख कैश रजिस्टर:

किसी भी स्रोत से नकदी में प्राप्त धनराशि ,जिसमें अभ्यर्थी के बैंक खाते से निकासी भी शामिल है , को नाम निर्देशन की तारीख से परिणामों की घोषणा तक तिथिनुसार कैंश रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उस व्यक्ति या हस्ती का नाम तथा पता, जिससे धनराशि नकद के रूप में प्राप्त हुई है, की प्रविष्टि भी कैंश रजिस्टर के आवती कॉलम में की जाएगी। यदि निर्वाचन प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते से नकदी का आहरण किया जाता है तो उसे उचित विवरण के साथ आवती कॉलम में दिखाया जाना चाहिए। नकदी में उपगत सभी खर्चों को 'भुगतान' स्तंभ में दिखाया जाना चाहिए। जब नकदी की कोई राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है तो उसे भी 'भुगतान' स्तंभ में दर्ज किया जाएगा। जहां प्राप्ति या अदायगी नहीं की गई है उस तारीख के सामने 'शून्य' लिखा जाएगा। तिथीवार नकद शेष भी दिखाया जाना अपेक्षित हैं। यदि अभ्यर्थी के किसी शाखा कार्यालय या किसी व्यक्ति को नकदी दी गई तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सभी भुगतान चैक से किए जाने के प्रयास करने चाहिए तथा निर्वाचन अभियान के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धनराशि ले जाने से बचना चाहिए।

(ग) बैंक रजिस्टर :

निर्वाचन के प्रयोजनार्थ खोले गए बैंक खाते में किसी भी स्रोत से प्राप्त धनराशि जिसमें निजी निधि भी शामिल है, निर्वाचन व्ययों के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण राशि को अभ्यर्थी जमा करवाएगा। सभी निर्वाचन व्ययों को इस बैंक खाते से केवल चेक जारी करके ही उपगत किया जाएगा। तथापि, लघु खर्चों के मामले में, जहां चैक जारी करना संभव नहीं है, रकम का नकदी में आहरण कर उचित वाउचरों के साथ भुगतान किया जाएगा। निक्षेपों, आहरण तथा दैनिक शेष का ब्यौरा बैंक रजिस्टर के संबंधित स्तंभ में दर्ज किया जाएगा। जहां कहीं कोई निक्षेप या आहरण नहीं किए गए, उन तारीखों के सामने 'शून्य' लिखा जाना चाहिए।

6.3.4 अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति:

आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों को यह अनुमति दी जाती है कि विभिन्न व्यय संबंधी मामलों में अभ्यर्थी की सहायता करने के लिए निर्धारित फार्मेट (अनुलग्नक 49) में अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को नियम के अंतर्गत संसद का या विधान मण्डल का सदस्य होने या चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तथा जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 40 के अंतर्गत निर्वाचन एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसे ऐसा अतिरिक्त एजेंट नियुक्त नहीं करना चाहिए। मंत्री/संसद सदस्य/विधायक/पार्षद/मेयर या कार्पोरेशन/सभापति या नगर पालिका/जिला परिषद को अभ्यर्थी के एजेंट के रूप में नियुक्त करने के विरुद्ध सामान्य निषेध है, इसी प्रकार अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति के लिए भी यही नियम लागू होगा। यह नोट किया जाए कि अतिरिक्त एजेंट असांविधिक कार्यों के निष्पादन के लिए होते हैं न कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1960 के नियम 12 के साथ पठित धारा 40 के अंतर्गत नियुक्त निर्वाचन एजेंट के अभ्यर्थी की ओर से कर्तव्य निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत होते हैं।

7. निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण:

7.1 रिटर्निंग अधिकारी, प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक रखेगा जिसमें निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों तथा विधि संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में असफल होने के परिणामों को भली प्रकार स्पष्ट भी करेगा। इस बैठक में सहायक व्यय प्रक्षेक/व्यय प्रक्षेक भी उपस्थित होंगे। रिटर्निंग अधिकारी, व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषाओं में इन अनुदेशों की प्रति सभी अभ्यर्थियों को देगा।

7.2 रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन प्रेक्षक या इस प्रयोजनार्थ व्यय प्रेक्षक के परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पदाभिहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेगा। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रचार अवधि के दौरान कम से कम तीन बार निजी रूप से या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक/निरीक्षक के लिए नामित अधिकारी के सामने रजिस्टर प्रस्तुत करे। दो निरीक्षणों के बीच कम से कम 3 दिनों का अंतराल होना चाहिए। प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक अभ्यर्थी की सुविधा के लिए निरीक्षण का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे रखा जाना चाहिए। समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए कि काम शाम 07:00 बजे तक समाप्त हो जाए। निरीक्षण रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय कक्ष के अलावा किसी अन्य सभा कक्ष/कार्यालय चेंबर में किया जा सकता है। अंतिम निरीक्षण मतदान के तीन दिन पहले ही नियत करना चाहिए।

7.3 अभ्यर्थियों के रजिस्टर के निरीक्षण के लिए निर्धारित दिनों में उस निर्वाचन क्षेत्र में व्यय पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त सहायक व्यय प्रक्षेक को छाया प्रक्षेण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर के साथ उपस्थित रहना चाहिए।

7.4 यदि अभ्यर्थी या उसका एजेंट अपना निर्वाचन व्यय रजिस्टर उस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिन निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता, तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में नोटिस जारी किया जाएगा कि यदि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को फिर से निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल होते हैं तो यह माना जाएगा कि वह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अपेक्षित दैनिक निर्वाचन व्यय के लेखे रखने में असफल रहा है। इस नोटिस का यथा संभव अधिकाधिक प्रचार किया जाएगा तथा इसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर लगाई जाएगी। यदि नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभ्यर्थी जाँच के लिए निर्वाचन व्यय रजिस्टर को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-अ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, यदि अभ्यर्थी नोटिस दिए जाने के तीन दिनों के बाद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करता है, तो निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी को वाहन प्रयोग करने के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली जानी चाहिए। वाहनों के प्रयोग की अनुमति वापस लेने के मामले की सूचना सभी निगरानी दलों तथा उड़न दस्तों को दी जाएगी तथा नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी।

7.5 इस बात का भी प्रचार किया जाना चाहिए कि व्यय रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी से 1/-रु प्रति पृष्ठ का भुगतान कर किसी भी अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक हो सके रजिस्टर का निरीक्षण केवल व्यय प्रेक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ रजिस्टर का निरीक्षण किन्ही अपरिहार्य कारणों से व्यय प्रेक्षक के अलावा किसी पदाभिहित अधिकारी द्वारा किया जाता है वहाँ व्यय प्रेक्षक को ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के परिणामों तथा किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए।

7.6 आयोग के दिनांक 14.03.2013 के आदेश के अनुसार जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) (अनुलग्नक-74 का संदर्भ लें)

(i) यदि रिटर्निंग अधिकारी या कोई प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी सूचना प्राप्त करता है कि किसी अभ्यर्थी ने कुछ व्यय उपगत या प्राधिकृत किया है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अधीन उसके द्वारा बनाए गए निर्वाचन व्यय के दैनिक लेखों में न तो उसे पूर्ण रूप से और न ही उसका अंश दिखाया है अथवा व्यय प्रेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथि को निरीक्षण के लिए उक्त लेख प्रस्तुत नहीं किए तब रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को अधिमानतः, सूचना प्राप्ति की तारीख के 24 घंटों के अंदर या लेखों के निरीक्षण जिसमें व्यय के ब्यौरों का उल्लेख हो और जो दैनिक लेखों में वास्तविक एवं सही रूप से नहीं दिखाए गए हैं अथवा उसे सूचित करना कि वह अपने लेख प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, जैसी भी स्थिति हो, तत्संबंधी साक्ष्यों सहित नोटिस जारी करेगा। तथापि, संदिग्ध पेड न्यूज मदों के मामले में जहां मीडिया प्रमाणन तथा अनुवीक्षण समिति (एम सी एम सी) की सिफारिशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है या जारी किया जा रहा है, ऐसी मदें इस नोटिस में शामिल नहीं की जाएंगी।

(ii) ऐसा अभ्यर्थी 48 घंटों के अंदर नोटिस का जवाब देगा जिसमें वह उनके नोटिस में लाई गई चूकों या अनाचरण के कारणों को स्पष्ट करेगा। जहां अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय की वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, वह उसके निर्वाचन व्ययों में जोड़ दिया जाएगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के मध्य नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय को लेकर विरोध है तो वह इस असहमति के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए जवाब प्रस्तुत करेगा और उसे निम्नलिखित सहित जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डी ई एम सी) को अग्रेषित करेगा:

1. निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
2. जिला निर्वाचन अधिकारी
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिले के व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी

(iv) नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के जवाब की जांच करने के पश्चात डी ई एम सी अभ्यर्थी से जवाब प्राप्त करने के 72 घंटों के अंदर अधिमानतः इस संबंध में निर्णय लेगी कि क्या ऐसे छिपाए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में जोड़ा जाएगा या नहीं।

(v) डी ई एम सी से आदेश के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के पश्चात आयोग को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन संवीक्षा रिपोर्ट भेजते हुए ऐसे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे में ऐसे व्यय शामिल करने पर विचार कर सकता है।

(vi) यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा उसके लेखे के निरीक्षण की आखिरी तारीख के पश्चात प्राधिकृत/उपगत की गई व्यय की किसी मद को, छाया प्रेक्षण रजिस्टर में रिकार्ड किए गए व्ययों की तुलना में, परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत निर्वाचन व्यय विवरणी में नहीं दिखाया जाता है तो डी ई ओ द्वारा लेखे प्रस्तुत करने के 24 घंटों के अंदर डी ई ओ द्वारा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को नोटिस जारी किया जाएगा। इस प्रकार के नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर अभ्यर्थी, अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए डी ई ओ को अपना जवाब प्रस्तुत करेगा।

(viii) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय की छुपायी गई राशि पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करता है या ऐसी छुपायी गई राशि पर असहमति दिखाते हुए जवाब प्रस्तुत करता है तो व्यय प्रेक्षक के परामर्श से डी ई ओ इस प्रकार के जवाब पर विचार करते हुए मामले पर निर्णय लेगा और निर्वाचन व्यय की उक्त राशि पर अपना निर्णय अभ्यर्थी/अभिकर्ता को सूचित करेगा तथा आयोग को प्रस्तुत उसकी संवीक्षा रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख करेगा।

8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की राजनैतिक दलों तथा मीडिया के साथ तथा रिटर्निंग अधिकारियों की अभ्यर्थियों के साथ बैठक :

8.1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी राजनैतिक दलों के साथ राज्य स्तर पर निर्वाचन की घोषणा के तीन दिन के अर्न्तगत बैठक करेगे और नए व्यय अनुवीक्षण उपायो को विस्तार से बताएंगे। वह व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के कम्पेंडियम की एक प्रति दोनों, अंग्रेजी व स्थानीय भाषा में सोपेंगे।

8.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर सभी मीडिया हाउस व पत्रकारों के साथ बैठक करेगें व लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबन्धों के खण्ड 127क को विज्ञापन तथा पेड न्यूज पर भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों को विस्तार से बताएंगे। वह निर्वाचन व्यय अनुदेशों के कम्पेंडियम की प्रति भी उनको सोपेंगे।

8.3 आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा के 3 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन व्यय के संबंध में आयोग के सभी विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों को स्पष्ट करने के साथ-साथ अनुवीक्षा और इनके अनुपालन में असफल रहने के परिणामों की भी व्याख्या करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुदेशों के सार-संग्रह की प्रति, परिसंपत्ति तथा देयता की घोषणा के लिए शपथपत्र का संशोधित फार्मेट तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की प्रति मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को देगा।

8.4 जिला निर्वाचन अधिकारी उनके साथ निर्वाचन व्यय की विभिन्न मदों की दरों पर भी विचार विमर्श करेंगे और सभी राजनैतिक दलों की राय को ध्यान में रखकर दरों की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। यदि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में अन्तर है तो इन अंतरीय दरों के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए।

8.5 प्रतीकों के आवंटन के तत्काल पश्चात रिटर्निंग अधिकारी, सभी अभ्यर्थियों के साथ एक बैठक करेगा। इस बैठक में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन व्यय के संबंध में आयोग के सभी विधिक प्रावधानों तथा अनुदेशों को स्पष्ट करने के साथ-साथ अनुवीक्षण और इनके अनुपालन में असफल रहने के परिणामों की व्याख्या भी करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इसके सार-संग्रह तथा निर्वाचन व्यय की मदों की दरों की अधिसूचना की प्रति प्रत्येक अभ्यर्थी को देगा। स्थानीय या राष्ट्रीय समाचारपत्रों/पत्रिकाओं (अंग्रजी/प्रादेशिक) में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए डी ए वी पी/डी पी आई आर की दरों के बारे में अभ्यर्थी को सूचित किया जाएगा। सहायक व्यय प्रेक्षक या व्यय प्रेक्षक रिटर्निंग अधिकारी के साथ इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

9.1 व्यय अनुवीक्षण पर अभ्यर्थियों के निर्वाचन एजेंटों का प्रशिक्षण :

9.1 विभिन्न व्ययों पर रजिस्ट्रों को बनाने की संशोधित प्रक्रिया तथा निरीक्षण की तारीख की व्याख्या करने के लिए या तो अभ्यर्थियों के साथ बैठक वाले दिन अन्यथा उसके एक दिन बाद रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के सभी निर्वाचन एजेंटों को प्रशिक्षण देने के लिए एक दिन का सरलीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

9.2 रजिस्ट्रों में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रथम निरीक्षण की तारीख से एकदम पहले व्यय प्रेक्षक सभी अभिकर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेंगे। रजिस्टर में प्रविष्टि करने के लिए एक नमूना मार्गदर्शी सिद्धान्त नोट भी रजिस्ट्रों के साथ संलग्न हैं।

10 राजनैतिक दलों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यय

10.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी अपने या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या प्राधिकृत सभी निर्वाचन व्ययों का सही लेखा रखेगा। धारा 77(1) के स्पष्टीकरण -2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित यदि निर्वाचन की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के सात दिनों के अंदर आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राजनैतिक पार्टी के उस नेता के नाम की सूचना दे दी जाती है जिसने यात्रा व्यय उपगत किया है, तो यह व्यय उक्त धारा के प्रयोजनार्थ राजनैतिक पार्टी के अभ्यर्थी द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा। यदि निर्धारित समयवधि में पार्टी से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे नेता की यात्रा पर व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ा जाएगा।

10.2 सुप्रीम कोर्ट ने कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए. आई. आर. 1975 एस.सी 308) दिनांक 10.04.1974 मामले में इसके निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसे बताया गए अभ्यर्थी के निर्वाचन के साथ परिलक्षित किया जा सकता है तथा जो साधारण पार्टी प्रचार पर किया गए व्यय से भिन्न है, को अभ्यर्थी द्वारा विवक्षित रूप से प्राधिकृत किए जाने के कारण यह व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोड़ने का दायी होगा। किसी निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक पार्टी द्वारा विज्ञापनों पर उपगत व्यय को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(i) साधारण पार्टी प्रचार पर व्यय जिसमें किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों का किसी विशेष वर्ग/समूह का संदर्भ दिए बिना सामान्य रूप से पार्टी तथा उसके अभ्यर्थी के लिए समर्थन मांगा जाए।

(ii) विज्ञापन इत्यादि पर पार्टी द्वारा उपगत व्यय, जिसमें किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन तथा वोट मांगे जाएं।

(iii) दल द्वारा उपगत व्यय जो किसी विशेष अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के समूह के अवसरों को बढ़ावा देने से लिए व्यय से संबंधित हो सकता है।

10.3. कंवर लाल गुप्ता के मामले में निर्णय के अनुपात का संदर्भ लेते हुए यह स्पष्ट किया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा किसी विज्ञापन के मामले में, चाहे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया में उपर्युक्त श्रेणी (i) में आता हो, जो किसी विशेष अभ्यर्थी या दिए गए अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ऐसा व्यय राजनैतिक दल का साधारण मत प्रचार पर किया गया व्यय समझा जाएगा। उपर श्रेणी (ii) तथा (iii) में आने वाले व्यय के मामले में जो विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह से संबंधित है, व्यय को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत व्यय समझा जाएगा तथा इस प्रकार के व्यय को उक्त अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन व्यय के हिसाब में लेना होगा।

10.4. धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण-2 के अधीन आने वाले राजनीतिक दल के नेता का यात्रा व्यय भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा, यदि ऐसा नेता स्वयं एक अभ्यर्थी है। जब वह स्टार प्रचारक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जाता है, या दूसरे निर्वाचनों क्षेत्रों से अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस आता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जाने तथा वापस आने की यात्रा पर व्यय छूट-प्राप्त श्रेणी में आयेगा। एक बार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुँच जाता है, तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही यात्रा करता है, तो इस प्रकार की यात्रा पर व्यय अपने निर्वाचन व्यय में उसके द्वारा हिसाब में लिया जाएगा।

10.5 राजनीतिक दल द्वारा नकद या किसी प्रकार से दी गई एकमुश्त राशि दल तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के लेखे में दर्ज की जाएगी तथा निर्वाचन व्ययों का सार विवरण परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दाखिल करना अपेक्षित होगा।

10.6 अभ्यर्थी के नाम या फोटो के बिना दल के पोस्टरों या बैनरों या विज्ञापन इत्यादि पर व्यय राजनीतिक दलों द्वारा, दल के व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के पश्चात तथा निर्वाचन की अधिसूचना से पहले की अवधि में पार्टी द्वारा किये गए व्यय भी, राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन व्यय के रूप में दर्शाए जाने चाहिए। राजनीतिक दल, स्कैन की गई साफ्ट प्रति के साथ विहित फार्मेट में निर्वाचन व्यय को विधानसभा मतदान के मामले में 75 दिनों के भीतर या लोकसभा मतदान के मामले में 90 दिनों के भीतर आयोग को भेजेगा।

10.7. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मतगणना की तारीख से पहले तथा मतदान के बाद के व्ययों को निर्वाचनों के संबंध में व्यय कहा जाएगा तथा अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही हिसाब दिया जाएगा। मतदान के पश्चात, स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी (उसके निर्वाचनों से संबंधित नहीं) की यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक/अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, जहां से उन्होंने निर्वाचन लड़ा था तो मतगणना वाले दिन या उससे पहले मतगणना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के अंदर का यात्रा व्यय उसके खाते में जोड़ा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का यात्रा व्यय उसके खाते में नहीं जोड़ा जाएगा। यदि कोई राजनैतिक दल स्टार प्रचारक का उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का खर्च उठा रहा है तो राजनैतिक दल द्वारा यह खर्च निर्वाचनों की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर आयोग को प्रस्तुत लेखों में दिखाया जाएगा (अनुलग्नक 59), आयोग के दिनांक 09 फरवरी के अनुदेश संख्या 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस) राजनैतिक दलों के रिपोर्टिंग फार्मेट में आयोग के दिनांक 21 जनवरी, 2013 के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पी पी ई एम एस द्वारा संशोधन कर दिया गया है। (अनुलग्नक 75)

11 लेखा विवरणी की संवीक्षा तथा आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट:

11.1 निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग को यह रिपोर्ट देगा कि क्या अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया है, तथा क्या उनके विचार में इस प्रकार का लेखा, अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से समय के अंदर दाखिल किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उनकी प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर तत्काल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनुलग्नक-21 के रूप में संलग्न फार्मेट के अनुसार सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी वार जांच रिपोर्ट तथा सार रिपोर्ट भेजेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को संवीक्षा रिपोर्ट भेजने से पहले वह आयोग की दिनांक 14 मार्च, 2013 की आदेश संख्या 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2013/खंड-I (अनुलग्नक-74) का अनुसरण करेगा। जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी का यह मत हो कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियमों तथा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है तथा उसके पास विश्वास करने का कारण है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया व्यय विवरण, उसके व्यय का सही लेखा नहीं है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को इसका कारण रिकार्ड करना चाहिए तथा आयोग को यह सूचित करना चाहिए कि लेखा विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार नहीं है। वह इस प्रकार की प्रत्येक रिपोर्ट के साथ लेखे की छायाप्रति रखेगा तथा उक्त लेखे में गलतियों को दर्शाते हुए वाउचर तथा उनकी टिप्पणियां सहित व्यय प्रेक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करेगा तथा उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करने से पहले उस अभ्यर्थी के निर्वाचन-व्ययों का मूल लेखा, निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

11.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए कि क्या अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा उसके निर्वाचन व्यय का सही लेखा है या अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्यय का कुछ हिस्सा छुपाया है या कम आंका है, लेखे की संवीक्षा की जाएगी। व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की लेखे की जांच करने तथा आयोग को संशोधित रूप में रिपोर्ट भेजने की तैयारी करने में मदद करेगा। लेखे की जांच करने तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को आयोग को भेजते वक्त छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्य फोल्डर का हिसाब रखा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यय के लेखे की छाया प्रेक्षण रजिस्टर से तुलना की जानी चाहिए। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन एजेंट को पूर्व में जारी किए गए सभी नोटिस तथा प्राप्त किए गए जवाब, यदि कोई हो, उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखे की जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। प्रेक्षकों या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर या किसी अन्य प्राधिकृत दस्तावेज में सभी प्रकार की टिप्पणी पर अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल निर्वाचन व्यय के लेखे की सत्यता की जांच करते समय विचार किया जाना चाहिए। व्यय प्रेक्षक जांच रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी देगा। यदि वह जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं है, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट की पंक्ति 12 में (अनुलग्नक 21) में निर्धारित स्थान में साक्ष्य को दर्शाते हुए तथ्यों को उल्लेख करेगा, जिसे आयोग ने नोटिस जारी करने के लिए देख लिया है।

11.3 जांच के दौरान यदि जिला निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार कोई मद या घटना के संबंध में व्यय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऑकड़ों से अधिक है तथा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पहले नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को निर्वाचन अवधि के दौरान एकत्रित ऐसी विसंगति तथा साक्ष्यों का उल्लेख करते हुए आयोग के दि० 14 मार्च, 2013 के आदेश संख्या 76/अनुदेश/ई ई पी एस/2013/खंड-I (अनुलग्नक-74) के अनुरूप ऐसे अभ्यर्थी को नोटिस जारी करने का निदेश देगा और निर्वाचन अवधि के दौरान इकट्ठे किए गए ऐसे साक्ष्यों और विसंगतियों का उल्लेख करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले जिला व्यय अनुवीक्षण एकक (डी ई एम सी) में अभ्यर्थी के जवाब पर विचार किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इन अभ्यर्थियों से प्राप्त जवाबों पर विचार करने के पश्चात अपनी टिप्पणियों के साथ अपनी जाँच रिपोर्ट भेजेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि नोटिस सही ढंग से जारी हों तथा पावती सम्यक् रूप से प्राप्त हो। यदि अभ्यर्थी इस उद्देश्य से नियत समय के भीतर उन्हें वैध रूप से दिए गए नोटिस का जवाब देने में असफल रहता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी उचित टिप्पणियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। जाँच के दौरान निर्वाचन-व्यय संबंधित शिकायत तथा इन शिकायतों पर जांच रिपोर्टों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

11.4 व्यय प्रेक्षक अपने तीसरे दौर पर अपनी चौथी तथा अंतिम रिपोर्ट (अनुलग्नक-5) आयोग को प्रस्तुत करेंगे तथा साथ-साथ उसे विहित पैरा में अपनी टिप्पणी तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा 'साक्ष्य फोल्डर' में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसे जिला निर्वाचन अधिकारी की जाँच रिपोर्ट (अनुलग्नक-21) में सम्मिलित किया गया है। किसी व्यय की मद को जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए जाने की स्थिति में, वह जिला निर्वाचन अधिकारी को आयोग को भेजे जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसे शामिल करने के लिए कहते हुए इसे उनके ध्यान में लाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट पर उचित टिप्पणी करेगा।

11.5 परिणामों की घोषणा होने के 30 दिनों के अंदर अभ्यर्थी द्वारा फाइल की गई लेखों की सार विवरणी को स्कैन कर प्राप्ति के दो दिनों के अंदर वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसका कड़ाई से पालन किया जाए क्योंकि निर्वाचन याचिका फाइल करने की समय-सीमा 45 दिन है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डी ई ओ की संवीक्षा रिपोर्ट की संवीक्षा एवं सार रिपोर्ट तैयार किए जाने के 3 दिनों के भीतर ई ई एम एस में प्रविष्टि कर दी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संवीक्षा एवं सार रिपोर्टों को परिणाम की घोषणा की तिथि से 37वें दिन तक/उसके पहले अंतिम रूप दे देंगे और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय अधिमानतः 38 वें दिन तक अग्रेषित कर देंगे।

12. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा एवं सार रिपोर्ट की जांच, करेंगे तथा उसे जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मिलने के एक सप्ताह के भीतर अनुपूरक टिप्पणियों, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं, के साथ आयोग को भेजेंगे।

13. व्यय अनुवीक्षण में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका

रिटर्निंग अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संभावित अभ्यर्थियों को अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक रिकार्ड और परिसंपत्तियों तथा देयताओं संबंधी विवरणी फाइल करने के लिए शपथपत्र का संशोधित मिश्रित प्रारूप उपलब्ध करा दिया गया है। वह नामांकन पर्चों के दाखिल करते समय अभ्यर्थियों को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और पृष्ठांकित व्यय रजिस्टर भी देगा। वह व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया, निर्वाचन से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा इन प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रतीकों के आवंटन के तुरंत पश्चात सभी अभ्यर्थियों की एक सभा आयोजित करेंगे। वह अभ्यर्थियों को विधि तथा नियमों के अधीन यथापेक्षित अनुमति पत्र भी शीघ्र जारी करेगा।

13.1 वह प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक द्वारा लेखों की जांच के लिए तारीख अधिसूचित करेंगे तथा वह अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर के बीच किसी विसंगति को स्पष्ट करने के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे। वह शिकायत अनुवीक्षण प्रणाली का पर्यवेक्षण भी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत की जाँच उसकी प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर हो जाए।

13.2 वह यह सुनिश्चित करेगा कि इन अनुदेशों व कोई अन्य अनुदेशों या विधि या नियमों के अधीन सभी अपेक्षित दस्तावेजों को, रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। वह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी दस्तावेजों की प्रति लोक सभा के सदस्यों द्वारा माँगी जाये, सदस्यों को विहित शुल्क के भुगतान पर तत्काल प्रदान की जाए।

13.3 आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों द्वारा परिसंपत्तियों तथा देयताओं की घोषणा पर शपथ पत्रों को उसी दिन वेबसाइट पर डाल दिया जाए। अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में शपथ पत्रों को नामांकनों की जाँच के पश्चात एक दिन के भीतर डाला जाए। (इन अनुदेशों के अंत में अंतिम अनुलग्नक देखें)

13.4 वह व्यय प्रेक्षक द्वारा सुझाए अनुसार त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे।

13.5 वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उड़न दस्ते और एस एस टी द्वारा जब्ती के बाद तुरन्त एफ आई आर/शिकायत दर्ज की जाए।

14. जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका

14.1 जिला निर्वाचन अधिकारी का यह दायित्व है कि समस्त व्यय अनुवीक्षण तंत्र जिला में सही प्रकार काम करें। जिला निर्वाचन अधिकारी को व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के विभिन्न दलों द्वारा सहयोग दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी, व्यय प्रेक्षक तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों को लॉजिस्टिक सहित उनके कार्यों को पूरा करने में सभी प्रकार से सहयोग देंगे। चूंकि धन का प्रयोग निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करता है तथा हिंसा, अन्य निर्वाचन अपराध तथा भ्रष्टाचार फैलाता है, उन्हें इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः निर्वाचन व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण निर्वाचनों के सफल निर्वाचन संचालन में कारगर सिद्ध होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सभी व्यय अनुवीक्षण दलों को लाजिस्टिक सहयोग प्रदान करेंगे।

14.2 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी व्ययों की विभिन्न मदों की दरों पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे व अधिसूचना जारी करने से पहले उनके विचार लेंगे। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की दरों में भिन्नता हो सकती है। प्रचलित दरों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यकर्त्ताओं या मतदान अभिकर्त्ताओं/मतगणना अभिकर्त्ताओं, जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, के लिए जल-पान व्यय नियत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभ्यर्थियों/स्टार अभियानकर्त्ताओं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रैली में प्रयुक्त किए जाने वाले हेलिकोप्टर/एयरक्राफ्ट की प्रति घंटा दर प्राप्त करेंगे जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

14.3 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय मदों की दरों, समाचार पत्रों की मानक दरों सम्बन्धी चार्ट, टी0वी0 व अन्य मीडिया की दरों को अधिसूचित करेंगे। यदि दरें उपलब्ध नहीं हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी डी ए वी पी/डी पी आई आर की विज्ञापन दरों को स्थानीय/राष्ट्रीय दैनिक/पत्रिकाओं (अंग्रेजी/क्षेत्रीय) में आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के तीन दिन के भीतर अधिसूचित करेगा जिन पर निर्वाचन व्यय का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में आगे संदर्भ के लिए आयोग के पत्र सं0 76/2004/जे0एस-11, दिनांक 17.3.2004 (अनुलग्नक-44) में दिए गए अनुदेशों का भी अनुसरण किया जा सकता है।

14.4 वह आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 3 दिनों के भीतर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों की मीटिंग एक दिन की कार्यशाला आयोजित करेगा जिसमें व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा इन प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के परिणामों की

व्याख्या की जाएगी । वह निर्वाचन अनुवीक्षण अनुदेशों पर सार संग्रह की एक प्रति, शपथपत्रों के संशोधित फार्मेट तथा अन्य अनुदेशों की प्रति सौंपेगा ।

14.5 वह जिला में कॉल सेन्टर तथा शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष के सही ढंग से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

14.6 वह आयकर निदेशालय के अन्वेषण अधिकारियों तथा अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा । वह व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में संलग्न सभी अधिकारियों के लिए रहने, खाने, परिवहन तथा सुरक्षा की व्यवस्था करेगा ।

14.7 वह व्यय प्रेक्षक के सहयोग तथा समर्थन से व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की मदद से परिणामों की घोषणा के पश्चात प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्वाचन व्यय के लेखा विवरण की जांच करेगा तथा अनुलग्नक-21 के अनुसार विहित फार्मेट में परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

14.8 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्यय के मामलों के अनुवीक्षण के लिए अनुलग्नक-23 में दिए गए फार्मेट में प्रत्येक महीने के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लम्बित मामले, जहाँ लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है या त्रुटिपूर्ण है, की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन करेंगे तथा आयोग को प्रत्येक महीने के पाँचवे दिन एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे ।

14.9 वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से तथा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि तथा परिणाम की घोषणा की तिथि से अधिसूचना के बाद की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक सभा, रैलियों, होर्डिंगों, विज्ञापनों, बैनरों, पोस्टरों, यात्रा व्ययों इत्यादि पर उपगत निर्वाचन व्यय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को परिणाम की घोषणा के 35 दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजेगा । (अनुलग्नक-19)

15 आयोग मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई :

15.1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के पश्चात आयोग प्रत्येक रिपोर्ट की जांच करेगा तथा निर्णय करेगा कि प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है । यह कार्रवाई निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है ।

(क) यदि आयोग सही मानता है, तो वह अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखों को अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति के भीतर होने पर स्वीकार कर सकता है ।

(ख) यदि आयोग यह विचार करता है कि अभ्यर्थी अधिनियम तथा नियमों द्वारा अपेक्षित समय या रीति के भीतर अपने लेखों प्रस्तुत करने में असफल रहा है तो आयोग अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन निरहित कर दिया जाए ।

15.2 जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया जाएगा तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने का साक्ष्य आयोग को भेजा जाएगा । आयोग द्वारा कोई जवाब, अभ्यर्थी से प्राप्त हुआ हो तो उस पर विचार करने के पश्चात समुचित आदेश जारी करेगा ।

16. राजनीतिक दलों की भूमिका :

16.1 राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के राजनीतिक दलों को निर्वाचन की अधिसूचना के 7 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को अपने स्तर प्रचारकों की सूची भेजनी चाहिए ।

16.2 राजनीतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन के 75 दिनों के भीतर या लोक सभा के निर्वाचन में 90 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को अपने निर्वाचन व्ययों का ब्यौरा दाखिल करना अपेक्षित है । निर्वाचन व्यय के ब्यौरे में निर्दलीय अभ्यर्थियों को दी गई एकमुश्त रकम, स्तर प्रचारकों तथा अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की यात्रा पर व्यय, बैनरों, पोस्टरों, मंचों, कटआउट, तोरणों तथा होर्डिंग पर व्ययों पर ब्यौरा, साधारण दलों के प्रचार तथा निर्दलीय अभ्यर्थियों दोनों के लिए प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में विज्ञापन का ब्यौरा शामिल होना चाहिए ।

16.3 स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान के संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों को नकद लेन-देन नहीं करना चाहिए । सभी दल कार्यकर्ताओं को निर्वाचन प्रचार के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में नकद राशि नहीं ले जाने के लिए परामर्श देना चाहिए । दलों को निर्वाचन व्ययों में स्वतः संयम बरतने तथा उनके अभ्यर्थियों को इस प्रकार करने की सलाह दी जाती है ।

16.4 दलों को सुसंगत फार्मों में तथा नियत समय पर चंदे की सूची मुख्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए । उन्हें अपने लेखों की लेखा-परीक्षा भी करवानी चाहिए तथा अपनी आयकर विवरणी को इसकी प्राप्ति एवं व्यय के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए निर्धारित समय पर दाखिल करना चाहिए ।

17. प्रशिक्षण :

17.1 व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया में संलग्न सभी अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है । मुख्य निर्वाचन अधिकारी अंग्रेजी, हिंदी (हिंदी भाषी राज्यों में) तथा प्रादेशिक भाषा में राजकीय विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेंगे तथा अंग्रेजी रूपांतर को आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे । एक बार अनुमोदित हो जाने पर, इसे प्रत्येक जिले में प्रशिक्षकों को सौंप दिया जाएगा ।

17.2 मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक संयुक्त/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ तथा व्यय पर प्रशिक्षण का प्रभारी होगा। वह मास्टर प्रशिक्षक होगा जिसे आयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एक ए.डी. एम./एस.डी. एम. स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो जिले के व्यय अनुवीक्षण का नोडल ऑफिसर होगा । संयुक्त/अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। प्रत्येक जिले के व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल ऑफिसर विभिन्न दलों जैसे-नियंत्रण कक्ष/ कॉल सेन्टर, लेखा दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया अनुवीक्षण दल, में तैनात सभी अधिकारियों, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन निगरानी दल के पुलिस कर्मी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक के प्रशिक्षण का प्रभारी होगा।

17.3 आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा करते ही व्यय अनुवीक्षण पर अधिकारियों का प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा, परंतु उड़न दस्तों तथा स्थैतिक निगरानी दल को प्रशिक्षण विधान सभा/संसद की समाप्ति की तारीख के तीन महीने पहले दिया जाएगा। व्यय अनुवीक्षण में लगे हुए प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो प्रशिक्षण दिए जाएंगे। प्रथम प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण में व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा जबकि दूसरा प्रशिक्षण नोडल अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण में विधिक प्रावधानों की व्याख्या, फार्मों को भरने तथा व्यय अनुवीक्षण के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर समान बल दिया जाएगा।

17.4 नामांकनों की जाँच के पश्चात, सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ नोडल अधिकारी नई प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थियों के सभी निर्वाचन एजेन्टों को प्रशिक्षण देंगे । वे दिन-प्रतिदिन के लेखे, नकद रजिस्टर तथा बैंक रजिस्टर का हिसाब रखना तथा परिणामों की घोषणा के पश्चात अंतिम लेखे को दाखिल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे ।

17.5 जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन व्ययों का लेखा जमा करने की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर सभी निर्वाचन एजेन्टों/अभ्यर्थियों तथा लेखा प्राप्ति से जुड़े कार्मिकों के लिए एक दिवसीय सरलीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होगा । व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रक्रिया, दाखिल किए जाने वाले फार्म तथा शपथ पत्रों एवं अधिकतर पायी जाने वाली गलतियों की व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षण से जुड़े होना चाहिए । विहित रीति से फार्म नहीं भरने या अधूरा फार्म भरने या सही लेखा नहीं दिखाने के परिणाम से भी अभ्यर्थियों/एजेन्टों को अवगत कराया जाएगा ।

17.6 जिला निर्वाचन अधिकारी परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर लेखा दाखिल करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिणामों की घोषणा के तुरन्त बाद एक पत्र जारी करेगा तथा उस नोटिस में सरलीकरण प्रशिक्षण की तिथि का उल्लेख करेगा ।

17.7 अधिकारियों की पर्याप्त संख्या जिन्हें लेखों के रख-रखाव का अनुभव है, उन्हें लेखा विवरणी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया जाएगा । व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी इन अधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देंगे कि वे अभ्यर्थी/उनके एजेन्टों को प्रक्रिया संबंधी सभी आवश्यकताओं सहित सही विवरण दाखिल करने में सुविधा हो ।

प्रशिक्षण का कार्यक्षेत्र इस प्रकार होगा :

(क) लेखा दाखिल करने के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं :

(i) अभ्यर्थी को दिन-प्रतिदिन के रजिस्टर, बिलों, वाउचर तथा समर्थक शपथपत्र सहित अनुलग्नक-15 के अनुसार सार विवरण प्रस्तुत करना होगा । अभ्यर्थियों के कुल निर्वाचन व्यय जैसा कि उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृत है, उसका सार विवरण के भाग-III के स्तम्भ-2 में उल्लेख किया जाना चाहिए । राजनीतिक दल का नाम तथा उनके द्वारा व्यय की गई राशि, का सार विवरणी के भाग-III के स्तम्भ-3 में उल्लेख किया जाना चाहिए । अन्य व्यक्तियों/संघों/या व्यक्तियों का निकाय, जिन्होंने अभ्यर्थी की ओर से विभिन्न मदों के संदर्भ में व्यय उपगत किए हैं, का सार विवरणी के भाग-III के स्तम्भ-4 में उल्लेख किया जाना चाहिए । प्रयोग किए गए वाहनों पर व्यय का विवरण सार विवरणी के भाग-IV में दाखिल किया जाना चाहिए । सभी स्तम्भों (1-9) को सही प्रकार से भरा जाना चाहिए ।

जन सभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का विवरण सार विवरण के भाग-V में भरा जाना चाहिए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण (2) के निबंधनों के अनुसार नामांकित राजनीतिक दल के नेता (नेताओं) (स्टार प्रचारकों) की यात्रा पर व्यय का विवरण सार विवरणी के भाग-VI के स्तम्भ 1-12 में भरा जाना चाहिए ।

(ख) सार विवरणी के साथ के दस्तावेजों की आवश्यकता :

दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखा के लिए रजिस्टर जिसकी प्रेक्षक द्वारा जाँच की गयी हो, वाउचर के साथ मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा । यदि किसी मद के लिए वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी

द्वारा यह स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक क्यों नहीं था । सभी बिलों तथा वाउचरों पर या तो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए ।

- (i) सार विवरणी के भाग-। से vi, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।
- (ii) अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा प्रमाणित बैंक विवरणी की प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए ।
- (iii) स्वयं अभ्यर्थी द्वारा फार्मेट के अनुसार शपथ पत्र में हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा सार विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- (iv) निर्वाचन व्ययों के लेखे की प्राप्ति की तिथि एवं समय को दर्शाते हुए आयोग द्वारा यथा निर्धारित पावती इस उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैनात किये गए अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए ।
- (v) व्यय के किसी मद पर विसंगतियों की स्थिति में, जो रजिस्टर की जाँच के समय व्यय प्रेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इंगित किया गया था, ऐसी मदों पर विसंगतियों के कारण सहित अलग से स्पष्टीकरण संलग्न किया जाना चाहिए ।
- (vi) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए नोटिसों, तथा निर्वाचन व्यय के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण की प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए ।
- (vii) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि कानूनी प्रावधानों के अधीन यहाँ तक कि अभ्यर्थी जो निर्वाचन हार गए हैं, को नियत समय के भीतर यथा निर्धारित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना होगा अन्यथा उन्हें निरर्हित किया जा सकता है ।

(ग) दोषपूर्ण विवरणियों का परिणाम :

ऐसी विवरणियाँ प्रस्तुत करना जो सही तथा सत्य नहीं हैं, के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा चूक के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है, जिससे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन या तो संसद के किसी भी सदन, लोक सभा या राज्य विधान मण्डलों के सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए 3 वर्षों के लिए निरर्हित किया जा सकता है ।

17.8 काउन्टर पर लेखे की प्राप्ति के लिए उपस्थित अधिकारी इसकी जाँच करेंगे कि अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया लेखा सभी प्रकार से सही और पूर्ण है, तथा अभ्यर्थी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया है। निर्वाचन एजेन्ट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र पर्याप्त नहीं है । यह भी जाँच की जाए कि वे सभी दस्तावेज जो लेखा विवरणी जैसे रजिस्टर, सार विवरणियों, शपथपत्र, बिल तथा वाउचर सहित प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं, लेखा सहित संलग्न हैं । बिल और वाउचर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए यदि अपूर्ण लेखा दाखिल किया जाता है, तो पावती रसीद में दोषों का उल्लेख किया जाए तथा अभ्यर्थी तथा उनके

निर्वाचन एजेन्ट को उसी समय विधि द्वारा निर्धारित समय के भीतर सही तथा पूर्ण लेखा दाखिल करने के अनुदेशों के साथ इंगित किया जाना चाहिए ।

17.9 निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 87 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस तिथि, जिस पर अभ्यर्थी अपने नाम तथा लेखा दाखिल करने की तिथि का उल्लेख करते हुए अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करता है, से दो दिनों के भीतर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना अपेक्षित है । अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्यय के लेखे की सार विवरणी तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम उप विजेता की प्रति इसके दाखिल किए जाने के दो दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर लगायी जानी चाहिए । लेखे की प्रतियाँ किसी भी सदस्य द्वारा 1 रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं ।

18 मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी की निर्वाचन व्यय विवरणी तथा ई ई एम एस सॉफ्टवेयर :

18.1 निर्वाचन के दौरान, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किए गए सभी नोटिसों की प्रति, यदि कोई हो, सहित सभी अभ्यर्थियों के सार विवरण (भाग-। से भाग-v।) तथा उसके जवाबों की स्कैन की गई प्रति सभी लोगों में सूचना के व्यापक प्रसार के लिए अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखे के दाखिल करने के तीन दिनों के भीतर जनता में सूचना के अत्यधिक प्रचार के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अवश्य डाल दिया जाना चाहिए । इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक अनुदेश जारी किया जा सकता है कि निर्वाचन व्ययों के लेखे का सार (संक्षिप्त विवरण) एक शीर्षक नामशः – 'विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2013 (राज्य का नाम)– अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय' के अंतर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखे की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर डाला जा सकता है । इस संबंध में किसी प्रकार का विलम्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए । प्रारंभिक क्रियाकलाप जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को लिंक प्रदान करने का कार्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए नियत तारीख से काफी पहले पूरा किया जा सकता है ।

18.2. जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट ई ई एम एस सॉफ्टवेयर में डाली जाएगी ।

19. जब्त की संबंधी रिपोर्टों का संकलन :

19.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के दौरान जब्ती से संबंधित सभी रिकार्ड उचित प्रकार से एवं सही तरीके से रखे गए हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पुलिस के नोडल अधिकारी, आई जी पी, जिला निर्वाचन अधिकारियों इत्यादि तथा डी.जी. आयकर (अन्वे) से आवश्यक विषय सामग्री प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक-50) में जब्ती के विवरण का संकलन करना होगा तथा इसे मतदान वाले दिन आयोग को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पुलिस, राजस्व विभाग तथा आयकर विभाग के नोडल अधिकारी निर्धारित फॉर्मेट में मतदान वाले दिन मतदान प्रक्रिया के दौरान की गई जब्ती की अपनी अलग-अलग समेकित रिपोर्ट भेजेंगे (अनुलग्नक 67, 68, 69)

19.2 जिले की प्रत्येक श्रेणी की जब्ती, व्यक्ति जिनसे जब्ती की गई है तथा प्राधिकारी जिसे जब्ती सौंपी गयी है, (प्रत्येक जब्ती को अलग से दर्शाए) के तिथिवार उपयोग का रख-रखाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा तथा केवल समेकित कुल आंकड़े भारत निर्वाचन आयोग को संलग्न फार्म में भेजे जाएंगे।

19.3 मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रचार के दौरान जब्ती की गई वस्तुओं/राशि की मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्वाचन अभियान के दौरान दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति को अगले महीने के सातवें दिन तक आयोग को भेजेगा।

19.4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन की घोषणा से, निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की अवधि के दौरान तथा परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना के बाद की अवधि से परिणाम की घोषणा के दौरान भी राजनीतिक दलों द्वारा जन रैलियों/जनसभाओं/होर्डिंगों/बैनरों, यात्रा व्ययों-विज्ञापनों, मीडिया व्ययों में उपगत व्ययों को भी भेजेगा। आयोग इसे प्राप्त करने के पश्चात यह जाँच करेगा कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोग को भेजी गयी रिपोर्ट में उनके द्वारा उपगत सभी व्यय सही प्रकार से दर्शाया गया है।

19.5 अनुदेशों को सभी संबंधित व्यक्तियों के नोटिस में लाया जाए।

भाग- ॥

विधिक उपबंध

भारतीय दंड संहिता 1860

171 ख. रिश्वत:- (1) जो कोई-

- (i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोष देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा
- (ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है ,
वह रिश्वत का अपराध करता है :

बशर्ते लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई की वचनबद्धता इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगी।

- (2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाय करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।
- (3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का आशय नहीं है, हेतु स्वरूप या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171 च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड:- जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

171 ज. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय:-

जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, अंकित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रूपये से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।

171. झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता:—

जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा भर्ती किया जाता है या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा या इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखें, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

77. “निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम सीमा:— (1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, {उस तारीख के, जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है} और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, के बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा ।

{स्पष्टीकरण 1.— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि:—

(क) किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा, राजनैतिक दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए वायुयान द्वारा या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा की गई यात्रा के कारण उपगत व्यय

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

- (ख) सरकार की सेवा में और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, उस खंड के उपबंध में यथावर्णित अपने शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में की गई किन्हीं व्यवस्थाओं, प्रदान की गई सुविधाओं या किए गए किसी अन्य कार्य या बात के संबंध में उपगत कोई व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2. स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्वाचन के संबंध में , “राजनैतिक दल के नेताओं” पद से तात्पर्य :

- (i) जहां ऐसा राजनैतिक दल मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है, वहां संख्या में चालीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति, और
- (ii) जहां ऐसा राजनैतिक दल किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल से भिन्न है, वहां संख्या में बीस से अनधिक ऐसे व्यक्ति,

अभिप्रेत हैं, जिनके नाम राजनैतिक दल द्वारा ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए नेताओं के रूप में ऐसे निर्वाचन के लिए, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या उस राज्य के राजपत्र में इस अधिनियम के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित कर दिए गए हैं;

परन्तु कोई राजनैतिक दल, उस दशा में जहां, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किन्हीं व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या वह उस राजनैतिक दल का सदस्य नहीं रहता है, निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और संसूचना द्वारा, ऐसे निर्वाचन के लिए अंतिम मतदान पूरा होने के लिए नियत समय समाप्त होने के ठीक अड़तालीस घंटे पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, इस प्रकार मृत व्यक्ति या सदस्य न रहे व्यक्ति के नाम के स्थान पर नए नेता को पदाभिहित करने के प्रयोजनों के लिए नया नाम प्रतिस्थापित कर सकेगी ।}

- (2) लेखा में ऐसे समस्त विवरण होंगे, जो यथा निर्धारित किया जाए ।

(3) उक्त व्यय का योग ऐसी निर्धारित धन राशि से अधिक नहीं होगा ।

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार किसी राजनैतिक दल के नेताओं द्वारा दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा के कारण उपगत व्यय को अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।)

78. जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लेखा दाखिल करना:— [(1)] निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं, तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है [जिला निर्वाचन अधिकारी के पास] दाखिल करेगा ।

10क निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर निरर्हता:— यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति

(क) इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहता है : एवं

(ख) असफलता का कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इसे निरर्हित घोषित करेगा एवं ऐसे किसी व्यक्ति को आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

(सर्वोच्च न्यायालय ने एल0आर0 शिवरामगौड़े बनाम पी0एम0 चन्द्रशेखर – ए.आई.आर0 1999 एस सी 252 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि आयोग अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों के लेखे की शुद्धता की जाँच कर सकता है एवं लेखा के गलत अथवा असत्य पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 (क) के अधीन अभ्यर्थी को निरर्हित घोषित कर सकता है।)

123. भ्रष्ट आचरण:— निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे—

3[(1) "रिश्वत" अर्थात्:—

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि—

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता 4[वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए, अथवा जो—

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता 5[वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा, इनाम के रूप में हो,

(आ) चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करने के लिए करार करना।

(क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता 6[वापस लेने या न लेने के लिए]; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता 4[वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए “परितोषण” पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्टि किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।}

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या 7[अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप का प्रयत्न:

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो—

परन्तु—

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बिना दिया जाएगा,

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

1{(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

2[परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा।]

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन का प्रयत्न करना।]

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आवरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या 4[अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के 5*** निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकाशित कथन है।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न)

किसी निर्वाचक के {मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी द्वारा} या 4{अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से} किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा 6{एसे यान या जलयान का उपयोग करना}:

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्च पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत सीन को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आवरण है:

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत सीन को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड में “यान” से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता है।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना।

(7) सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गों, अर्थात्:—

- (क) राजपत्रित अधिकारियों
- (ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,
- (ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों
- (घ) पुलिस बलों के सदस्यों
- (ङ) उत्पाद-शुल्क अधिकारियों

2{(च) राजस्व ऑफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व ऑफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और}

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं, में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या 1{अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से} किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना:

3[परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसे इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी।]

4[(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण।]

स्पष्टीकरण-(1):- निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता 1*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है।]

2[(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन-

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है यहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था।]

3[(4) खण्ड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है।

127.क पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध:- (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता ना हो, का मुद्रण अथवा प्रकाशन न तो करेगा या मुद्रित अथवा प्रकाशित करवाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा ना ही करवायेगा -

(क) जब तक कि इसके प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित एवं ऐसे दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा अनुप्रमाणित न हो एवं उनके द्वारा मुद्रक को दो प्रतियों में भेजा न गया हो : एवं

(ख) जब तक कि युक्तियुक्त समय के भीतर दस्तावेज के मुद्रण के बाद मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ भेजा न गया हो :-

(i) राज्य की राजधानी में, जहां मुद्रित हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को : एवं

(ii) किसी अन्य मामले में, जिला, जहाँ यह मुद्रित हुआ है के, जिला मजिस्ट्रेट को।

(3) इस धारा के उद्देश्य से:-

(क) हाथ से प्रतिलिपि बनाने की अपेक्षा दस्तावेजों की प्रतियों को बढ़ाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जाएगा एवं शब्द 'मुद्रक' को तदनुसार समझा जाएगा ।

(ख) 'निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर' का अर्थ है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के समूह का निर्वाचन प्रगति अथवा प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से वितरित कोई मुद्रित पैम्फलेट, हैण्डबिल अथवा दस्तावेज या निर्वाचन से संदर्भित कोई प्लेकार्ड अथवा पोस्टर है, परन्तु इनमें वह कोई हैण्डबिल प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं है जो केवल निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान, व निर्वाचन बैठक के अन्य विवरण अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के लिए नेमी अनुदेश की घोषणा करते हों।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-नियम (1) अथवा उप नियम (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह उस अवधि जिसे छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है के लिए कारावास की सजा या जुर्माना, जो कि दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, सहित या दोनों ही सजा का भागी होगा ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां:- (1).....

धारा 77 के अधीन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए निर्वाचन व्ययों के लेखे में दिन प्रतिदिन की प्रत्येक मद के व्यय के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां होनी चाहिए :-

(क) वह तिथि जिस दिन व्यय उपगत अथवा प्राधिकृत किया गया ।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरणार्थ यात्रा, डाक व्यय, अथवा मुद्रण एवं अन्य)

(ग) व्यय की राशि

(i) भुगतान की गई राशि

(ii) बकाया राशि

(घ) भुगतान की तिथि

(ङ) पाने वाले का नाम एवं पता

(च) यदि राशि का भुगतान किया गया हो तो वाउचर की क्रम संख्या

(छ) यदि राशि बकाया हो तो बिल की क्रम संख्या, यदि कोई हो ,

(ज) उस व्यक्ति का नाम एवं पता जिन पर बकाया राशि देय हो ।

- (2) प्रत्येक मद के व्यय के लिए वाउचर प्राप्त किया जाना चाहिए जब तक कि मामले जैसे डाक व्यय, रेल यात्रा एवं सभी प्रकार जिनमें वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है
- (3) अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्ययों के लेखा सहित सभी वाउचर भुगतान की तारीख के अनुसार व्यवस्थित एवं क्रमांकित होना चाहिए एवं इस प्रकार के क्रमांक की प्रविष्टि उपनियम (1) की मद (च) के अंतर्गत खाते में की जानी चाहिए ।
- (4) व्यय की उन मदों के संबंध में जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर प्राप्त किए गए हैं, में उल्लिखित विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा

87. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा निरीक्षण के लिए सूचना:- धारा 78 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किए जाने की तिथि से दो दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए अपने सूचना पट्ट में नोटिस लगाएगा :-

(क) वह तिथि जिस दिन लेखा दाखिल किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; एवं

(ग) समय एवं स्थान जहां ऐसे लेखों की जाँच की जा सके ।

88. लेखा जांच एवं इनकी प्रतियों की प्राप्ति:-

कोई भी व्यक्ति एक रूपये का शुल्क अदा कर ऐसे किसी लेखे की जाँच का हकदार होगा एवं ऐसा शुल्क जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया जाए, अदा कर ऐसे लेखे अथवा इसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा ।

89. {जिला निर्वाचन अधिकारी} द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना एवं उस पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के संबंध में रिपोर्ट:-

- (1) किसी भी निर्वाचन में लेखा दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति होने के तुरंत बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग को रिपोर्ट करेगा :-
 - (क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम;
 - (ख) क्या उस अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है तथा यदि ऐसा है, तो वह तिथि जिस दिन लेखा दाखिल किया गया है, एवं
 - (ग) क्या उनके विचार में इस प्रकार का लेखा अधिनियम एवं इन नियम के द्वारा अपेक्षित रीति एवं समय के भीतर दाखिल किया गया है ।
- (2) जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी का यह मत है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम एवं इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल नहीं किया गया है, रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा एवं इसके साथ दाखिल किये गये वाउचर को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजना चाहिए ।
- (3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के तुरंत बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने सूचना पट्ट में इसे लगाते हुए इसकी एक प्रति प्रकाशित करनी चाहिए ।
- (4) उप नियम (1) में संदर्भित रिपोर्ट की प्राप्ति के तत्काल पश्चात् निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर यह निर्णय करेगा कि क्या कोई अभ्यर्थी अधिनियम एवं इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति एवं समय के भीतर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ।
- (5) जहाँ निर्वाचन आयोग यह निर्णय करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अधिनियम एवं उन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति एवं समय के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल हुआ है तो अभ्यर्थी से लिखित नोटिस द्वारा इस आशय का कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसकी असफलता के लिए उसे धारा 10क के अधीन निरर्हित क्यों न कर दिया जाए ।
- (6) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी जिससे उप नियम (5) के अधीन कारण बताने की अपेक्षा की गई है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर मामले के संबंध में निर्वाचन आयोग को लिखित में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है एवं उसी समय-अपने निर्वाचन व्ययों के पूर्ण ब्यौरे सहित अभ्यावेदन की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा यदि उसने ऐसा ही लेखा पहले प्रस्तुत नहीं किया था ।
- (7) जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर अभ्यावेदन एवं लेखा (यदि कोई हो) की प्रति के साथ ऐसी टिप्पणी जिसे वे उन पर करना चाहे, को निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करेगा ।
- (8) यदि, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात एवं ऐसी जाँच के पश्चात, जिसे वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफल होने का कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है , तो उसे धारा 10क के अधीन आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा एवं आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

90. अधिकतम निर्वाचन व्यय:- कुल व्यय जिसका लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन रखा गया है एवं जो नीचे की तालिका के स्तम्भ-। में उल्लिखित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में निर्वाचन के संबंध में उपगत अथवा प्राधिकृत है, निम्न से अधिक नहीं होगा :-

(क) संघ राज्य क्षेत्र अथवा उस राज्य के किसी एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त तालिका के तदनुरूपी स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशि: एवं

(ख) संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य के किसी एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, यदि कोई हो, में उक्त तालिका से संबंधित तदनुरूपी स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट राशि :-

सारणी

क्रम सं०	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्न किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
1.	2.	3.	4.
1.	आंध्र प्रदेश	40,00,000	16,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	27,00,000	10,00,000
3.	टसम	40,00,000	16,00,000
4.	थ्रहार	40,00,000	16,00,000
5.	गोवा	22,00,000	8,00,000
6.	गुजरात	40,00,000	16,00,000
7.	हरियाणा	40,00,000	16,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	40,00,000	11,00,000
9.	जम्मू व कश्मीर	40,00,000
10.	कर्नाटक	40,00,000	16,00,000
11.	केरल	40,00,000	16,00,000
12.	मध्य प्रदेश	40,00,000	16,00,000
13.	महाराष्ट्र	40,00,000	16,00,000
14.	मणिपुर	35,00,000	8,00,000
15.	मेघालय	35,00,000	8,00,000
16.	थमजोरम	32,00,000	8,00,000
17.	नगालैंड	40,00,000	8,00,000
18.	उड़ीसा	40,00,000	16,00,000
19.	पंजाब	40,00,000	16,00,000
20.	श्राजस्थान	40,00,000	16,00,000
21.	थ्सक्किम	27,00,000	8,00,000
22.	तमिलनाडु	40,00,000	16,00,000
23.	त्रिपुरा	40,00,000	8,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	40,00,000	16,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	40,00,000	16,00,000
26.	छत्तीसगढ़	40,00,000	16,00,000
27.	उत्तराखण्ड	40,00,000	11,00,000
28.	झारखण्ड	40,00,000	16,00,000

2. संघ राज्य क्षेत्र

1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	27,00,000
2.	चंडीगढ़	22,00,000
3.	दादर एवं नागर हवेली	16,00,000
4.	दमन एवं दीव	16,00,000
5.	श्दल्ली	40,00,000	14,00,000
6.	लक्षद्वीप	16,00,000
7.	पुडुचेरी	32,00,000	8,00,000

(विधि मंत्रालय की दिनांक 23 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं० 11019 (1) 2011-एल ई जी.II)

व्यय प्रेक्षक का आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट
(आगमन/प्रस्थान के तुरन्त बाद प्रस्तुत की जाए)

रिपोर्ट करने की तारीख :	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक कोड	
निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन-क्षेत्र की फ़ैक्स संख्या	कार्यालय फ़ैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाईल संख्या	मोबाईल संख्या
ई. मेल आई डी	

1.	प्रेक्षक के आगमन/प्रस्थान की तिथि (कृप्या उस भाग को हटा दें जो लागू न हो)	
2.	क्या प्रेक्षक द्वारा ड्यूटी से कोई अवकाश लिया गया था	
3.	यदि हाँ, विवरण दें	
4.	क्या ड्यूटी पर देर से आए थे	
5.	यदि हाँ, तो कितनी देर से	

स्थान :

दिनांक :

प्रेक्षक का हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-1

व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयारी रिपोर्ट (अधिसूचना की तिथि के बाद तीन दिनों के भीतर प्रत्येक विधान सभा सैगमेंट के लिए अलग से प्रस्तुत की जाए)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फ़ैक्स संख्या	कार्यालय फ़ैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाइल संख्या	मोबाइल संख्या
ई. मेल आई. डी	

क्र०सं०	विवरण	हाँ	न्हीं
(क)	क्या व्यय प्रेक्षक ने अभ्यर्थियों द्वारा रख-रखाव किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन के व्यय लेखे की जाँच करने के लिए पदनामित अधिकारी के रूप में सहायक व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति की है ।		
(ख)	क्या निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण में कार्यरत सभी दल जैसे लेखा दल, स्थैतिक निगरानी दल, उड़न दस्ते तथा वीडियो निगरानी दल का गठन किया गया है तथा क्या वे सही तरह से कार्य कर रहे हैं ।		
(ग)	क्या निर्वाचन तंत्र को व्ययों की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम 90 की जानकारी है ।		
(घ)	क्या रिटर्निंग अधिकारी ने प्रत्याशित अभ्यर्थी को निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराई है :- (i) अभ्यर्थी हेतु परिसम्पत्ति तथा देयता के लिए संशोधित प्रपत्र (ii) नए प्रपत्र के अनुसार, निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन लेखा के रख-रखाव हेतु निर्धारित रजिस्टर (ii) "निर्वाचन व्ययों का सार विवरण" तथा शपथ पत्र का फार्मेट (iii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के नामांकन के तुरन्त बाद निर्वाचन व्ययों के लेखे के रख-रखाव के उपबंधों का विवरण देते हुए पत्र व्यवहार		
(ङ.)	क्या ऐसे रजिस्ट्रों में सम्यक रूप से पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई थी तथा जारी करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उन्हें अधिप्रमाणित कर दिया गया था ।		
(च)	क्या प्रेक्षक द्वारा सभी व्यय अनुवीक्षण दलों तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों को व्यय के		

	विभिन्न पहलूओं तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई है ।		
(छ)	क्या व्यय प्रेक्षक ने नकद धनराशि, शराब तथा अन्य सामग्रियों के वितरण पर निगरानी रखने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्वेषण महानिदेशालय, आयकर, पुलिस तथा राज्य आबकारी के अधिकारी से बातचीत की है ।		
(ज)	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में पोस्टों का मुद्रण करने, वाहनों, लाउडस्पीकरों को किराए पर लेने, पंडालों को लगाने की कीमत तथा फर्नीचर एवं फिक्सचरों को किराए पर लेने की वर्तमान दरें उपलब्ध कराई गई थी ।		
	(ii) क्या निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मीडिया के मूल्य चार्ट प्राप्त कर लिए गए हैं ।		
(झ)	क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, सहायक व्यय प्रेक्षकों तथा व्यय अनुवीक्षण दलों के सदस्यों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है ।		
(ञ)	क्या लेखा दल, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया मानीटरिंग दल तथा प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधीन निगरानी दल निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयार हैं तथा उन्हें सुसंगत रजिस्टर/फार्मेट जैसे वीडियो क्यू शीट, शैडो रजिस्टर, मीडिया व्यय अनुवीक्षण रिपोर्ट इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं ।		
(ट)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा दल के सदस्यों, वीडियो अवलोकन दल, वीडियो निगरानी दल, मीडिया रिपोर्ट तथा अनुवीक्षण दल को प्रशिक्षण दिया गया है – (क) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा (ख) व्यय प्रेक्षक द्वारा (ग) दलों के द्वारा ध्यान में लाई गई कार्यप्रणाली सम्बन्धी कोई भी समस्या		
(ठ)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक की है तथा उन्हें स्थानीय भाषा में व्यय अनुदेश की प्रतियाँ प्रदान की है ।		

(यदि उपर्युक्त में से किसी का भी उत्तर 'न' है, तो इसे भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

स्थान :

दिनांक :

व्यय प्रेक्षक का हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-II

व्यय अनुवीक्षण के लिए तैयारी रिपोर्ट (अभ्यर्थिता वापिस लेने के तीन दिनों के भीतर प्रत्येक विधानसभा सेगमेन्ट के लिए अलग से प्रस्तुत की जाए ।

रिपोर्टिंग की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	
निर्वाचन क्षेत्र की फ़ैक्स संख्या	कार्यालय का फ़ैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाइल संख्या	मोबाइल संख्या
ई. मेल आई. डी	

क्र०सं०	विवरण	हाँ	नहीं
(क)	क्या व्यय रजिस्टर/वाऊचरों की जाँच का समय निर्धारित किया गया है ।		
(ख)	यदि हाँ, तो जाँच के लिए निर्धारित तिथियों को सूचित करें ।		
(ग)	क्या प्रेक्षकों द्वारा सभी व्यय अनुवीक्षण दलों तथा सहायक व्यय-प्रेक्षकों को व्यय के विभिन्न पहलुओं तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दे दी गई है ।		
(घ)	क्या व्यय प्रेक्षक को नकद धनराशि, शराब तथा अन्य सामग्रियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश एवं अन्वेषण महानिदेशालय, आयकर के अधिकारियों से दिन-प्रतिदिन की गतिविधि रिपोर्ट/प्रतिक्रिया मिल रही है ।		
(ङ.)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले के पोस्टरों के मुद्रण करने, वाहनों, लाउड स्पीकरों को भाड़े पर लेने, पंडाल लगाने के मूल्य तथा फर्नीचर तथा फिक्सचर को भाड़े पर लेने की वर्तमान दरें उपलब्ध करवा दी गई हैं ।		
(च)	क्या रिटर्निंग अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों को व्यय अनुवीक्षण की नई प्रक्रिया से अवगत कराया गया है तथा व्यय अनुदेशों की प्रतियाँ उन्हें दी गई हैं?		
(छ)	क्या नेताओं के नाम (गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में अधिकतम 40) (जो विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर हवाई जहाज अथवा परिवहन के किसी अन्य साधनों द्वारा यात्रा करेंगे) को मुख्य निर्वाचन		

	अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिए गए हैं।		
(ज)	यदि नहीं, तो क्या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित कर दिया गया है कि दल के सभी नेताओं के यात्रा व्यय सहित उनकी यात्रा से संबंधित सभी व्ययों को संबंधित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से दर्शाया जाएगा कि किस निर्वाचन के दौरान यह यात्रा की गई है। (यदि अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से संबंधित यह यात्रा सामान्य प्रकार की है, तो व्यय को ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा?)		
(झ)	क्या बैंक संदिग्ध नकद निकासी की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करवा रहे हैं।		
(ञ)	क्या रु 10 लाख से अधिक की निकासी सम्बन्धी रिपोर्ट नोडल ऑफिसर, आयकर को भेजी जा रही है।		
(ट)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षकों ने सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दाखिल करने से संबंधित व्ययों की प्रविष्टि शेडो रजिस्टर में कर दी है।		
(ठ)	क्या जन सभाओं, रैलियों तथा जलूसों में निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए वाहनों की तैनाती हेतु अनुमति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ऐसी अनुमति की प्रतियां वीडियो निगरानी दल, लेखा दल तथा मीडिया अनुवीक्षण दल को भेज रहे हैं।		
(ड)	क्या मीडिया प्रमाणन मॉनीटरिंग समिति को सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे समाचार पत्र तथा केबल कनेक्शन सहित टेलीविजन उपलब्ध कराए गए हैं ?		
(ढ)	क्या निर्वाचन क्षेत्र को व्यय के मामले में संवेदनशील घोषित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या पुलिस प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है ?		
(ण)	व्यय अनुवीक्षण दल की तैयारी पर समग्र पर्यवेक्षण तथा किसी भी प्रकार के सुधार के लिए कोई सुझाव (विचारणीय विषयों को प्राथमिकता के क्रम में दर्शाये)		

यदि उपरोक्त में से किसी का भी उत्तर ना में हैं, तो उसे भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए तुरन्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

स्थान :

दिनांक:

व्यय प्रेक्षक का हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक रिपोर्ट-III

मतदान के पूरा होने के बाद व्यय रिपोर्ट

(मतदान/पुनर्मतदान यदि कोई हो, के पूरे होने के 24 घंटे के भीतर ई-मेल तथा फैक्स द्वारा प्रस्तुत की जाएगी)

रिपोर्ट करने की तारीख	
प्रेक्षक का नाम	
प्रेक्षक का कोड	
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	
राज्य का नाम	कार्यालय फैक्स संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की फैक्स संख्या	दूरभाष संख्या
निर्वाचन क्षेत्र की दूरभाष संख्या	मोबाइल संख्या
निर्वाचन क्षेत्र का मोबाइल संख्या	
ई. मेल आई. डी	

क्र०सं०	विवरण		
(क)	व्यय से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ख)	जाँच की गई शिकायतों की संख्या तथा की गई कार्रवाई		
(ग)	लम्बित मामलों की संख्या, जाँच तथा सुधार हेतु कार्रवाई		
(घ)	लम्बित रहने का कारण		
(ङ.)	(i) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने जाँच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए हैं ।		
	(ii) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें जाँच के लिए रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं ।		
	(iii) अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए ।		
	(iv) नामों का उल्लेख करें, जिन्होंने नोटिस दिए जाने के बावजूद भी रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किए ।		
(च)	अभ्यर्थी जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया था ।	संख्या	नाम
	(i) दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर/नकद रजिस्टर/बैंक रजिस्टर के फार्मेट में विसंगति के लिए		
	(ii) वे सभी जो छाया रजिस्टर में दर्शाये गए हैं, के साथ सही व्यय लेखा नहीं दिखाए जाने के लिए		

	(iii) अलग से बैंक खाता नहीं खोलने के लिए		
(छ)	क्या सहायक व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मुख्यालय में अभ्यर्थियों के बीच छाया प्रेक्षण रजिस्टर, साक्ष्य फोल्डर तथा अन्य रिपोर्ट/पत्र-व्यवहार का रख-रखाव किया है ।		
(ज)	नामांकन दाखिल करने के बाद की अवधि के दौरान जब्त की गई नकदी, शराब तथा अन्य वस्तुएं ।		
(झ)	यदि ऐसा है, तो उसका विवरण दें तथा अलग-अलग स्थान एवं प्राधिकारी का नाम बताएं, जिनके द्वारा जब्ती की गई ।		
(ञ)	क्या जब्त नकद राशि/सामग्रियों को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से जोड़ा जा सकता है		
(ट)	यदि ऐसा है, तो विवरण दें		
(ठ)	क्या किसी संदिग्ध पेड न्यूज का पता चला था।		
(ड)	यदि ऐसा है, तो अभ्यर्थी का नाम, मीडिया का नाम तथा अन्य विवरणों सहित, विवरण दें । (इस प्रकार के सभी मामलों की प्रति संलग्न करें)		
(ढ)	क्या सभी जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों में उपगत व्यय की अभ्यर्थी के प्रेक्षण रजिस्टर में प्रविष्टि की गई थी ।		
(ण)	क्या ऐसे सभी व्ययों को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दिन-प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर में दर्शाया गया था ।		
(त)	यदि नहीं, तो विवरण दें ।		
(थ)	क्या इस अवधि के दौरान शराब के उत्पादन/वितरण की रिपोर्टों को मॉनीटर किया जा रहा था ।		
(द)	क्या आडम्बरपूर्ण व्यय जैसे-मुंडन समारोह, जन्मदिन समारोह, विवाह/समूह विवाह समारोह के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी/आयकर अन्वेषण महानिदेशालय को बताया गया था ।		
(ध)	यदि ऐसा है, तो निदेशालय/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दें ।		
(न)	ऐसे व्यय की राशि का उल्लेख करें तथा क्या इसे किसी अभ्यर्थी से जोड़ा जा सकता है । (अभ्यर्थी का नाम बताएं)		
(प)	नकद या किसी वस्तु के रूप में प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा उनके अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में उपगत व्यय (दल का नाम तथा राशि का उल्लेख करें)		
(फ)	निर्वाचन व्यय को छुपाने के कोई अन्य तरीके का पता चला था (कृपया विवरण दें)		
(ब)	कोई अन्य टिप्पणी/सुझाव (कृपया प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें)		

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर
व्यय प्रेक्षक

व्यय प्रेक्षक की अंतिम रिपोर्ट- रिपोर्ट IV
(प्रत्येक विधान सभा खण्ड के लिए अलग-अलग रूप में परिणामों की घोषणाके 30 दिन बाद प्रस्तुत की जाए)

रिपोर्टिंग की तारीख :

प्रेक्षक का नाम :

प्रेक्षक का कोड :

ई. मेल-आई डी :

मोबाईल नं० :

राज्य :

निर्वाचन क्षेत्र :

जिला :

परिणामों की घोषणा की तारीख :

निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख :

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या :

विजयी अभ्यर्थी का नाम/पार्टी संबद्धता, यदि कोई है :

प्रेक्षण का सार

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी संबद्धता	क्या निरीक्षण या दाखिल अंतिम लेखा के दौरान सभी विसंगतियों पर और उनके द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करके अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए गए (नोट 8 देखें)	अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने की तारीख (कृपया नीचे का नोट 1 देखें)	क्या लेखे समय पर दाखिल किए गए हैं (हां/ नहीं)	अभ्यर्थी के लेखे में उल्लिखित व्यय की राशि	क्या लेखा प्रपत्र में और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं	क्या प्रेक्षक एकत्रित साक्ष्यों की तुलना में अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से सहमत हैं (हां/ नहीं) यदि नहीं, तो नीचे दिए नोट 2 के अनुसार संलग्न करें)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार के दौरान एकत्रित सभी सूचनाओं की अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण से जांच की है (हां/ नहीं), यदि हां तो कृपया नीचे दिए नोट 3 के अनुसार संलग्न करें।	क्या अभ्यर्थी द्वारा उपगत अनुमानित व्यय निर्धारित सीमा से अधिक था (हां/ नहीं), यदि हां, तो कृपया नीचे दिए नोट 4 के अनुसार संलग्न करें।	अभ्यर्थी की तरफ से राजनैतिक पार्टी, यदि कोई है, द्वारा उपगत व्यय की राशि/ नीचे दिए नोट 5 के अनुसार पार्टी का नाम बताएं	अभ्यर्थी की ओर से अन्य हस्तियों/ व्यक्तियों द्वारा उपगत व्यय की राशि	क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर लेखों का संक्षिप्त विवरण (परिणामों को घोषणा के 3 दिन के भीतर) अपलोड कर दिया है	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

व्यय प्रेक्षक:

नोट:

1. स्तंभ 4 में, जहाँ अभ्यर्थी ने सार विवरण प्रस्तुत नहीं किया है वहाँ प्रस्तुत नहीं किया का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
2. स्तंभ 8 में यदि नहीं है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रेक्षक द्वारा साक्ष्य/संदर्भ संख्या सहित एक अलग शीट दी जाएगी जिसमें वह उन सबका उल्लेख करेगा जिनसे वह सहमत नहीं है ।
3. स्तंभ 9 में यदि प्रेक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी से सहमत नहीं है तो वह उस असहमति के कारण का अलग से उल्लेख करेगा ।
4. स्तंभ 10 में, व्यय प्रेक्षक द्वारा उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने सीमा से अधिक व्यय किया है, के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा तथा कुल व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाएगा ।
5. स्तंभ 11 में, यदि अभ्यर्थी के लिए एक से अधिक राजनैतिक पार्टियां व्यय उपगत करती है, तो प्रत्येक पार्टी का नाम तथा राशि अलग से दी जाएगी । यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है तो वह इकट्ठे किए गए साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा ।
6. स्तंभ 12 में, अभ्यर्थियों की ओर से अन्य हस्तियों/व्यक्तियों द्वारा उपगत कुल राशि का इस स्तंभ में उल्लेख किया जाएगा तथा यदि प्रेक्षक दिखाए गए आंकड़ों से सहमत नहीं है, तो वह हस्तियों/व्यक्तियों के नामों के साथ एकत्रित साक्ष्यों सहित अनुमानित आंकड़े अलग से संलग्न करेगा ।
7. यदि प्रक्रिया में सुधार करने के लिए व्यय प्रेक्षक के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव अपनी रिपोर्ट के साथ अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न कर सकता है।
8. उन मदों में जहां 'छाया प्रेक्षण रजिस्टर' अधिक व्यय प्रदर्शित करता है जिसे अभ्यर्थी ने नहीं दर्शाया है तो भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 14 मार्च, 2013 के अनुदेश संख्या 76/अनुदेश/2013/खण्ड-I के अनुसार अभ्यर्थी के लेखों का निरीक्षण करके एक नोटिस जारी करना अपेक्षित है जिसमें उसे 48 घंटे के भीतर उत्तर देने के लिए कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार, अंतिम निरीक्षण के उपरान्त यदि

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्षिप्त विवरण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थी को 3 दिन के भीतर उत्तर देने के लिए कहते हुए 48 घंटे के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

व्यय प्रेक्षक को यह प्रदर्शित करना अपेक्षित है कि क्या उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है और क्या अभ्यर्थियों के उत्तरों पर डी ई ओ की जांच रिपोर्ट में विचार किया जा रहा है।

(प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड के लिए प्रस्तुत किया जाए)

सहायक व्यय प्रेक्षक की दैनिक रिपोर्ट

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम तारीख :	
(क) वीडियो टीमें	
(i) उन स्थानों की सूची जहां वीडियो टीमें तैनात की गईं और अभ्यर्थियों के नाम	
(ii) क्या वीडियो निगरानी टीम संकेत पत्र के साथ सी डी प्रस्तुत करती हैं ।	
(iii) क्या वीडियो निरीक्षण टीम ने व्यय के मद, जैसे- वाहनों की संख्या/मंच/कट-आउट का आकार इत्यादि की प्रविष्टि कर दी है ?	
(ख) लेखा टीम	
(i) क्या प्रत्येक द्वारा अभ्यर्थी के छाया प्रेक्षण रजिस्टर में सभी व्ययों की प्रविष्टि कर दी गई है?	
(ii) क्या प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्ष्यों के फोल्डर का रख-रखाव किया जा रहा है ?	
(ग) मीडिया अनुवीक्षण टीम	
(i) क्या टीम, प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी विज्ञापनों को देख और रिकॉर्ड कर रही है?	
(ii) क्या टीम, लेखा टीम को रिपोर्ट भेज रही है ?	
(iii) क्या कोई पेड-न्यूज का पता चला है ?	
(घ) नियंत्रण कक्ष और कॉल सेन्टर	
(i) प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ii) क्या तुरन्त ही सम्बन्धित अधिकारी को शिकायत अग्रेषित की गई है ?	
(iii) क्या कोई कार्रवाई की गई है ? यदि की गई है, तो कार्रवाई के तरीके और उपलब्धि का उल्लेख करें ।	
(ङ) उड़न दस्ते और निगरानी टीमें	
(i) उड़न दस्ते को रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या	
(ii) उड़न दस्ते द्वारा की गई कार्रवाई	
(iii) डाले गए (बनाए गए) चेक पोस्टों की संख्या	
(iv) जब्ती, यदि कोई हो	

दिनांक :

हस्ताक्षर
सहायक व्यय प्रेक्षक का नाम

वीडियो-निगरानी टीमों के लिए क्यू-शीट
(वीडियो रिकार्डिंग के समय भरा जाए)

जिले का नाम :

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी का नाम :

वीडियोग्राफर का नाम :

दिनांक :

सी डी संख्या :

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम	स्थिति	घटना	दिन में किस समय रिकार्डिंग शुरू हुई	समय जब सी डी पर रिकार्डिंग शुरू हुई	समय जब सी डी पर रिकार्डिंग खत्म हुई	रिकार्डिंग की अवधि	रिकार्ड किए गए साक्ष्यों के विवरण का ब्योरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक 8

-----तारीख को नकदी/अन्य मदों संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्तों द्वारा दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम.....
पुलिस अधिकारी का नाम.....

संदर्भ सं०
उप-प्रभाग (मंडल) का नाम
राज्य.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र/जिले का नाम	शिकायत/सूचना की प्रकृति	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त की गई है	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई नकदी/अन्य मदें	अन्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जब्त की गई नकदी/अन्य मदें	दर्ज एफ आई आर	अभ्यर्थी/दल का नाम जिसके साथ संबंध पाया गया है	उस प्राधिकारी का नाम, पदनाम जिसे जब्त की गई नकदी/मदें सौंपी गई	अभ्युक्तियां (यदि कोई है)
1.									
2.									
3.									

विवरण		रिपोर्ट की तारीख को आंकड़े	रिपोर्ट की तारीख सहित प्रगामी आंकड़े
1	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी/अन्य मदें		
2	अन्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जब्त की गई कुल नकदी/अन्य मदें		
3.	नकदी/अन्य मदों के बारे में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या		
4	सत्यापित शिकायतों की कुल संख्या		
5	लम्बित शिकायतों की कुल संख्या		
6	दिन के अंत तक दर्ज की गई एफ आई आर की कुल संख्या		

हस्ताक्षर
उड़न दस्तों/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी :-

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा । साथ ही प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा ।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के ऑफिसों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा ।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑफिसों एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा ।

.....तारीख को आदर्श आचार संहिता (एम सी सी) संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते की दैनिक क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट

संदर्भ सं०.....

मजिस्ट्रेट का का नाम एवं पदनाम

उप-प्रभाग (मंडल) का नाम.....

पुलिस अधिकारी का नाम

राज्य.....

1	2	3		4		5	6
क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र/जिले का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई हो,	जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है (उसका नाम)	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई हो,	आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
1							
2							
3							

हस्ताक्षर

उड़न दस्ते/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

टिप्पणी :-

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते की रिपोर्ट एस पी को प्रस्तुत करेगा । साथ ही प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा ।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के ऑफिसों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा ।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के ऑफिसों को एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा ।

अनुलग्नक-9

स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा/जब/अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट

जाँच चौकी (चैक पोस्ट) का स्थान

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

जिला.....राज्य.....

पुलिस अधिकारी का नाम तथा पदनाम

1	2	3	4	5	6	7	8
	निर्वाचन क्षेत्र/जिले की सं० व नाम	जिन व्यक्तियों की चेक पोस्ट पर जांच की गई है उनका नाम तथा पता	नकदी/अन्य मदें	दर्ज की गई एफ आई आर	अभ्यर्थी/दल का नाम जिससे संबंध है	उस प्राधिकारी का नाम व पदनाम जिसे जब की गई नकदी, वस्तुएं सौंपी गई	अभ्युक्तियाँ
1							
2							
3							
विवरण			रिपोर्ट की तारीख को आंकड़े			तिथि सहित प्रगामी आंकड़े	
क	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब की गई नकदी की कुल राशि						
ख	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब की गई अन्य मदों की कुल राशि						
ग	दर्ज एफ आई आर की संख्या						

हस्ताक्षर

स्थैतिक निगरानी दल/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी :

1. इस प्रोफार्मा में उड़न दस्ते का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक स्थैतिक निगरानी टीम की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेगा । एक प्रतिलिपि रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, साधारण प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक को देगा ।
2. पुलिस अधीक्षक समस्त जिले के आंकड़ों को संकलित करके राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा ।
3. राज्य पुलिस मुख्यालय का नोडल अधिकारी पूरे राज्य के आंकड़े एकत्रित करेगा और आयोग को रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिलिपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी भेजेगा ।

नमूना अपील

भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है।

उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर..... पर सूचित करना चाहिए।

अनुलग्नक-11

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के दैनिक लेखा के रख-रखाव के लिए छाया प्रेक्षण रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :

राजनीतिक दल का

जहां से निर्वाचन लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम :

नाम, यदि कोई हो :

परिणाम की घोषणा की तारीख :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

(नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख ,दोनों तारीख सम्मिलित)

1.	2.	3.	4.	5.	6				7.	8.
व्यय/घटना की तारीख	वीडियो संकेत पत्र की क्रम संख्या और सी डी संख्या	मीडिया व्यय अनुवीक्षण टीम की संदर्भ संख्या (व्यय पर अनुदेशों के अनुसार)	निगरानी टीमों और अन्यो द्वारा की गई जर्बती की संदर्भ संख्या	व्यय की अन्य मदों की संदर्भ संख्या	व्यय की प्रकृति				व्यय प्रेक्षक/अभ्यर्थी/उसके एजेन्ट/किसी जनता द्वारा प्रेक्षण व्यय रजिस्टर की निरीक्षण की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई हो, और प्रेक्षक/अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन एजेन्ट के हस्ताक्षर
					वितरण	मात्रा	दर/यूनिट	कुल राशि		

दिनांक :

लेखा टीम में अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों/पेड न्यूज का विवरण

राज्य का नाम –

जिला का नाम –

निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या –

अभ्यर्थी का नाम –

राजनैतिक दल –

1. प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों का विवरण :-

क्रम सं०	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	विज्ञापन का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी.आई. आर.से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

2. प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज का विवरण :-

क्रम सं०	समाचार पत्र/पत्रिका का नाम	पेड न्यूज का आकार (स्तम्भ X से.मी में)	अनुमानित परिचालन (डी.पी. आर से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

3. केबल टेलीविजन सहित टेलीविजन में विज्ञापनों का विवरण :-

क्रम सं०	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

4. केबल टी वी सहित टेलीविजन में पेड न्यूज का विवरण :-

क्रम सं०	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पेड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित दर्शक (डी.पी. आर से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

5. रेडियो पर विज्ञापनों का विवरण :-

क्रम सं०	चैनल का नाम	दिनांक व समय	विज्ञापन की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित श्रोता (डी. पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	विज्ञापन की कीमत

6. रेडियो पर पेड न्यूज का विवरण :-

क्रम सं०	चैनल का नाम	दिनांक व समय	पेड न्यूज की अवधि (मिनटों में)	अनुमानित श्रोता (डी. पी.आर से सूचना प्राप्त की जाए)	पेड न्यूज की कीमत

दिनांक :

मीडिया प्रमाणन एवं मॉनीटरिंग समिति
के प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम :-----
पदनाम :-----

कॉल सेन्टर सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी की दैनिक कार्रवाई रिपोर्ट

तारीख :

निर्वाचन क्षेत्र :

क्रम सं०	शिकायत की प्रकृति	किसी भी विधि जैसे फोन/फैक्स/ईमेल/ एस एम एस या विशेष संवाहक द्वारा शिकायत/सूचना प्राप्त करने का समय	की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण	क्या लेखा टीम को भेजा गया ?

(तिथि सहित हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम)

(भाग - क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :-

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :-

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया :-

परिणाम की घोषणा की तारीख :-

निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता :-

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :-

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनो तारीखें सम्मिलित)

1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
व्यय/ घटना की तारीख	व्यय की प्रकृति			कुल राशि रु0 में (भुगतान किया गया + बकाया)	आदाता का नाम और पता	बिल सं0/ वाउचर सं0 और तारीख	अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	अन्य व्यक्ति/ संस्था/ निकाय/ किसी अन्य द्वारा उपगत/ प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखे	टिप्पणी, यदि कोई हो
	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर							

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे / मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :-

1. इस रजिस्टर का रख-रखाव दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए एवं यह निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के अधीन होगा।
2. यह रजिस्टर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय की विवरणी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को मूल रूप में सौंपा जाएगा। इसके साथ विहित आरूपों में निर्वाचन व्ययों के सार विवरण और समर्थक शपथ-पत्र अवश्य भेजे जाने चाहिए। कोई भी व्यय की विवरणी निर्वाचन व्ययों के सार विवरण एवं शपथ पत्र के बिना पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. केवल उन मदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं जो निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 86 (2) में सूचीबद्ध हैं, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है तो विहित रजिस्टर में इस प्रभाव से यह स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए कि अपेक्षित वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य क्यों नहीं था।
4. लेखा तथा सार विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है तो उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित किया जाना चाहिए कि रखे गए लेखा की सही प्रति है। अभ्यर्थी को स्वयं शपथ-पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।
5. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा सीधे उपगत अथवा प्राधिकृत व्ययों के अलावा, अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित राजनीतिक दल, अन्य संगठन, व्यक्तियों के निकायों, व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी व्यय को लेखा में शामिल किया जाना अपेक्षित है। इसका एकमात्र अपवाद पार्टी के कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दल के नेताओं की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) का स्पष्टीकरण 1 एवं 2 देखें)
6. यदि उपर्युक्त स्तम्भ 2 और 3 में प्रदर्शित किसी मद पर व्यय किसी राजनैतिक दल/संगठन/व्यक्तियों के निकाय/कोई व्यक्ति (अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त) द्वारा उपगत/ प्राधिकृत है तो स्तम्भ 7 और 8 में उसका नाम एवं पूरा पता प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
7. उपर्युक्त सारणी के स्तम्भ 2 और 3 में निर्दिष्ट कुल व्यय में, सभी नकद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार से प्राप्त सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए।
8. इस रजिस्टर में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सफेद पृष्ठों के भाग-क में दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, गुलाबी पृष्ठों के भाग-ख में यथा उल्लिखित नकद राशि रजिस्टर, तथा पीले पृष्ठों के भाग-ग में यथा उल्लिखित बैंक रजिस्टर शामिल होना चाहिए।

(भाग - ख)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के लेखे के रख-रखाव के लिए नकद रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

प्राप्ति				भुगतान				शेष राशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/ निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई	रसीद संख्या	राशि	बिल संख्या/ वाउचर संख्या तथा तिथि	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता	व्यय की प्रकृति	राशि	वह स्थान जहाँ पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गई है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें	कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग-1 के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है(परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(भाग – ग)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के लेखे के रख-रखाव के लिए बैंक रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम :

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो :

निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से निर्वाचन लड़ा था :

परिणाम की घोषणा की तिथि :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम और पता :

बैंक का पता :

शाखा का पता :

खाता सं० :

(नामांकन की तिथि से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तिथि तक, दोनो तिथियों सहित)

जमा				भुगतान				शेष	टिप्पणी, यदि कोई हो
तिथि	व्यक्ति/दल/संस्था/ निकाय/किसी अन्य का नाम तथा पता जिससे राशि प्राप्त की गई /बैंक में जमा की गई	नकद/चैक संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा	राशि	चैक संख्या	प्राप्तकर्ता का नाम	व्यय की प्रकृति	राशि		कोई व्यय जो इस सारणी के स्तम्भ 7 में उल्लिखित है तथा जो भाग-1 के सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित नहीं है, उसे यहाँ स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रमाणित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन यह मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखी गयी सही प्रति है(परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए ।)

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव हेतु दिशा निर्देश :

अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं के निधि या राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति, निकाय, संस्था या कम्पनी से प्राप्त रोकड़, चैक अथवा ड्राफ्ट या पे आर्डर को अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से खोले गए अलग बैंक खाते में डाला जाए।

1. प्राप्त किए गए रोकड़ के लिए:-

1.1 निर्वाचन व्यय के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभ्यर्थी का स्वयं का रोकड़:- यदि अभ्यर्थी अपने स्वयं का रोकड़ लाता है तो उसे निर्वाचन व्ययों के लिए खोले गए बैंक खाते में इस रोकड़ को जमा करवाना होगा। तब बैंक रजिस्टर में (दिन-प्रतिदिन के लेखे रजिस्टर का भाग-ग) स्तम्भ-2 में 'अभ्यर्थी की स्वयं की निधि', स्तम्भ-3 में 'रोकड़' तथा स्तम्भ-4 में 'धनराशि' लिखकर प्रविष्टि की जाए।

1.2 अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/दल/संगठन/निकाय से प्राप्त रोकड़:- यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति/दल से रोकड़ प्राप्त किया जाता है, तो इस धनराशि को रोकड़ रजिस्टर (भाग-ख) में प्राप्ति की तरफ स्तम्भ 1 में दिनांक, स्तम्भ 2 में उस व्यक्ति/दल आदि का नाम तथा पता जिनसे रोकड़ प्राप्त किया गया है, स्तम्भ 3 में 'प्राप्ति सं०' (यदि कोई हो) तथा स्तम्भ-4 में नकद धनराशि लिखकर प्रविष्टि की जाए। रोकड़ रजिस्टर में प्रविष्टि करने के बाद यह धनराशि निर्वाचन व्ययों के लिए खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी जो निर्वाचन व्ययों के लिए खोला गया है। एक बार यह राशि बैंक खाते में जमा हो जाए तो इसके लिए रोकड़ रजिस्टर में भुगतान के तरफ स्तम्भ 5 में दिनांक, स्तम्भ-6 में 'बैंक खाता संख्या' तथा स्तम्भ-7 में 'जमा' तथा स्तम्भ 8 में 'धनराशि' लिखकर प्रविष्टि की जाए।

1.3 बैंक में राशि जमा होने के बाद, बैंक रजिस्टर (भाग-ग) के स्तम्भ-1 में दिनांक, स्तम्भ-2 में 'अभ्यर्थी का स्वयं का रोकड़', स्तम्भ-3 में 'रोकड़', स्तम्भ-4 में राशि लिखकर अद्यतन किया जाए। ऐसा इसलिए करना है ताकि बैंक पासबुक से मिलान करने पर बैंक में जमा धनराशि की निकासी की जा सके।

2. प्राप्त किए गए चेक/ड्राफ्ट/पे आर्डर के लिए

2.1 किसी व्यक्ति/दल/संगठन आदि अथवा अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते से प्राप्त किए गए चेक/ड्राफ्ट/पे आर्डर:- यदि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से किसी व्यक्ति/दल आदि से चेक/ड्राफ्ट/पे आर्डर प्राप्त करता है अथवा वह अपने स्वयं के बैंक खाते से चेक/ड्राफ्ट जारी करता है, तो उसे इन्हें निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त बैंक खाते में जमा करना होगा। उसे बैंक रजिस्टर के जमा की तरफ स्तम्भ-1 में दिनांक, स्तम्भ-2 में व्यक्ति/दल का नाम तथा पता जिनसे चेक प्राप्त किया गया है, स्तम्भ-3 में ड्राफ्ट/पे आर्डर सं० तथा बैंक का नाम/शाखा तथा स्तम्भ-4 में चेक/ड्राफ्ट/पे आर्डर की राशि का उल्लेख करते हुए प्रविष्टि करनी होगी। यदि यह चेक उसके अपने बैंक खाते से हैं, तो इसे बैंक रजिस्टर के स्तम्भ 2 में 'अभ्यर्थी की स्वयं की निधि' में उल्लेख करना है।

3. नकद रूप से भिन्न प्राप्त किया गया सामान एवं सेवाएं:-
- 3.1 पार्टी अथवा किसी व्यक्ति/ निकाय/ संगठन से नकद रूप से भिन्न प्राप्त कुछ सामग्री अथवा सेवाएं जैसे वाहन, पोस्टर, पैम्फ्लेट, मीडिया का विज्ञापन, हेलीकॉप्टर, हवाईजहाज इत्यादि :- यदि कोई व्यक्ति दल/निकाय/संगठन अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार इत्यादि के लिए गैर नकद रूप में कुछ सामान अथवा सेवाएं देता है तो इन सामानों के लिए दिन-प्रतिदिन के लेखे के रजिस्टर के भाग क के स्तम्भ-1 में दिनांक स्तम्भ-2 में 'विवरण' मात्रा, प्रति इकाई दर', उक्त रजिस्टर के स्तम्भ-3 में 'व्यय की प्रकृति तथा कुल कीमत' (सामग्रियों का सांकेतिक मूल्य) की प्रविष्टि की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि इस प्रकार की सामग्रियों को राजनैतिक दल द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो इसकी कुल कीमत तथा राजनैतिक दल का नाम स्तम्भ-7 में लिखा जाना चाहिए तथा यदि इस प्रकार की सामग्री किसी अन्य व्यक्ति/संगठन आदि के द्वारा दिया गया है तो राशि तथा ऐसे व्यक्तियों/संगठनों आदि के नाम तथा पते को इस रजिस्टर के स्तम्भ 8 में उल्लिखित किया जाएगा।
4. सभी निर्वाचन व्ययों के लिए:-
- 4.1 सभी निर्वाचन व्यय की दिन-प्रतिदिन के लेखे (भाग-क) के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी। जब कभी भी कोई व्यय उपगत होता है, जैसे-टैक्सी की माँग की जाती है तो इसकी प्रविष्टि दिन प्रतिदिन के लेखे (भाग-क) के रजिस्टर में स्तम्भ-1 में 'दिनांक' के अन्तर्गत, व्यय की प्रकृति जैसे टैक्सी नंबर....
.....स्तम्भ-2 में, कुल घंटे/दिन जिसके लिए माँग की गई है तथा प्रति घंटे/दिन के दर के विवरण के अंतर्गत तथा कुल राशि स्तम्भ-3 में, टैक्सी उपलब्ध कराने वाले का नाम तथा पता स्तम्भ 4 में, बिल/वाउचर सं० स्तम्भ-5 में की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, तो इस राशि के स्तम्भ 6 में उल्लिखित करना होगा। यदि टैक्सी उपलब्ध कराने वाले को राशि का भुगतान सीधे राजनैतिक दल के द्वारा किया जाता है तो, दल का नाम तथा राशि स्तम्भ-7 में उल्लिखित होगी, यदि इसका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो राशि तथा ऐसे व्यक्ति का नाम एवं पता स्तम्भ-8 में उल्लिखित होगा।
- 4.2 चेक द्वारा व्ययों के भुगतान के लिए:-
व्ययों के लिए सभी भुगतान (सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान एकल पार्टी को रू० 20,000/- तक के छोटे/व्ययों की छोड़कर) केवल एकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा की जाएगी। चेक से भुगतान करने के लिए बैंक रजिस्टर (भाग-ग) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी :- स्तम्भ-5 में चेक संख्या, स्तम्भ-6 में अदाकर्ता का नाम जिसे चेक जारी किया गया है, स्तम्भ-7 में व्यय की प्रकृति तथा स्तम्भ-8 में राशि का उल्लेख किया जाएगा।
- 4.3 छोटे व्ययों के नकद भुगतान के लिए:-
यदि छोटे व्ययों का कोई भी भुगतान नकद रूप में किया जाता है (वह भी तब जब सम्पूर्ण निर्वाचन प्रचार की अवधि के दौरान किसी एक व्यक्ति को नकद भुगतान की राशि रू० 20,000/- से अनधिक हो) तब नकदी निर्वाचन व्यय के लिए खोले गए उक्त खाते में से निकाली जाएगी। इसके लिए,

प्रविष्टि बैंक रजिस्टर (भाग-ग), चैक संख्या दर्शाते हुए निकासी के लिए स्तम्भ-5 'स्वयं' स्तम्भ-6, व्यय की प्रकृति 'छोटे व्ययों के लिए निकासी' स्तम्भ-7, और राशि स्तम्भ-8 में लिखी जाएंगी। निकासी के बाद, यह राशि नकद रजिस्टर (भाग-ख) में प्राप्ति की तरफ प्रविष्टि करते हुए दर्शाई जाए। इसके लिए, तारीख स्तम्भ-1, में 'स्वयं' स्तम्भ-2 में, बैंक से निकासी स्तम्भ-3 में और धन राशि स्तम्भ-4 में दर्शाई जाए। यदि ऐसी छोटी राशि विभिन्न ब्रांच कार्यालयों या एजेंटों को छोटे खर्च करने के लिए दिया जाता है, तब राशि और व्यक्ति का नाम/स्थान स्तम्भ-9 में प्रविष्टि किया जाए। छोटे व्ययों का भुगतान करने के बाद, ऐसे व्यय दिन वार खाते (भाग-क) में प्रविष्टि किया जाए जो निम्नलिखित है: तारीख स्तम्भ-1, में, भुगतान की प्रकृति स्तम्भ-2 में, कुल राशि स्तम्भ-3 में, आदाता का नाम और पता स्तम्भ-4 में, बिल/वाउचर सं० स्तम्भ-5 में और स्वयं स्तम्भ-6 में।

निर्वाचन व्ययों का सार विवरण

भाग- I

अभ्यर्थी का नाम :

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम :-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :-

निर्वाचन का स्वरूप :-

उप निर्वाचन/साधारण निर्वाचन

परिणाम घोषणा की तारीख :-

निर्वाचन अभिकर्ता का नाम एवं पता :-

भाग- II

I. क्या आप राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी थे ? : हाँ/नहीं

II. यदि हाँ, तो दल का नाम :-.....

III. क्या राजनीतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है ? : हाँ/नहीं

IV. यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो राष्ट्रीय दल है या राज्यीय दल है : राष्ट्रीय/राज्यीय दल

V. क्या आपके दल ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत/प्राधिकृत किया है ? : हाँ/नहीं

VI. क्या किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति ने आपके निर्वाचन में व्ययों को उपगत प्राधिकृत किया है ? : हाँ/नहीं

VII. यदि हाँ, तो उसका/उनका नाम एवं पूरा पता लिखें : (1).....

(2).....

(3).....

भाग-III

अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन व्यय का सार विवरण

व्यय की मद		निम्न द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय			उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय (स्तम्भ 2,3, एवं 4 का जोड़)
		अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता	राजनैतिक दल जिसने उसे खड़ा किया है	कोई अन्य संस्था/ व्यक्तियों के निकाय/ व्यक्ति	
1.		2.	3.	4.	5.
		रु0	रु0	रु0	रु0
1.	जन सभाएं, जुलूस इत्यादि				
2.	प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पोस्टर, वीडियो एवं आडियो कैसेट, लाउडस्पीकर इत्यादि				
3.	इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार (केबिल नेटवर्क सहित)				
4.	इस्तेमाल की गयी गाड़ियों एवं उन गाड़ियों के ईंधन पर हुआ व्यय				
5.	द्वार/मेहराब, कटआउट, बैनर इत्यादि बनाना				
6.	निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं का दौरा (नेताओं की यात्रा पर हुए व्यय के अलावा पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित)				
7.	अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं का दौरा				
8.	प्रचार कार्यकर्ताओं पर व्यय				
9.	अन्य विविध व्यय				
		कुल जोड़			

प्राप्त की गई एकमुश्त राशि, यदि कोई, इनसे प्राप्त की गई हो:-

1.	राजनीतिक दल	
2.	कोई अन्य संस्था/निकाय (उनके नाम एवं पता सहित)	
3.	कोई व्यक्ति (नाम एवं पता सहित)	

भाग-IV

प्रयोग में लाये गए वाहनों पर व्यय का ब्यौरा

अपने राजनैतिक दल या किसी अन्य संघ/संगठन/निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को आपूर्ति किए गए वाहनों सहित निर्वाचन में प्रयुक्त सभी वाहनों, पर किए गए व्यय का विवरण प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है । इसका एकमात्र अपवाद धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 और 2 के अन्तर्गत आने वाले राजनैतिक दल के कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए राजनैतिक दल के 'नेताओं' की यात्रा के संबंध में किया गया व्यय है ।

वाहन की रजिस्ट्रेशन सं०	वाहन का प्रकार	आर ओ द्वारा जारी वाहन की परमिट सं०	भाड़े की दर			दिनों की सं० जिनके लिए प्रयोग किए गए	उपगत कुल राशि	कॉलम 6 के कुल व्यय का पृथक विवरण		
			वाहन भाड़े/अनुरक्षण की दरें	ईंधन प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)	ड्राइवर का प्रभार (यदि भाड़े के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है)			अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि	राजनैतिक दल द्वारा खर्च की गई राशि	किसी अन्य संस्था/व्यक्तियों के निकाय/व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि
1.	2.	3.	4क	4ख	4ग	5.	6.	7.	8.	9.

कॉलम 6 का कुल योग : रू०-----

नोट :-

- उन सभी वाहनों, जिनके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया, की सूची वाले आदेश की प्रति संलग्न की जाए ।
- उपर्युक्त सारणी में जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों के लिए प्रयुक्त सभी वाहनों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।
- यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से अपने वाहनों का प्रयोग किया गया है, तो केवल अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रयुक्त वाहन को छोड़कर ऐसे सभी वाहनों के भाड़े की नेशनल लागत को उपर्युक्त सारणी में व्यय की कुल राशि में शामिल किया जाएगा ।

भाग-V

जन सभा/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्यौरा

(अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता/ उसकी राजनीतिक पार्टी/ किसी अन्य संस्था/संगठन/निकाय/अभ्यर्थी की ओर से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा आयोजित जनसभा/रैली/जुलूस/इत्यादि का उल्लेख इस फार्मेट में किया जाए)

जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों की कुल संख्या :

कुल व्ययरु0

1.	2.	3.	4.				5.	6.	7.
जनसभा /रैली की तारीख	स्थान का पता	प्राधिकारी का नाम, जिससे अनुमति ली गई	जन सभाओं/रैलियों/जुलूसों पर खर्च				अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत राशि	राजनीतिक पार्टी द्वारा उपगत राशि और पार्टी का नाम	किसी अन्य संस्था/निकाय/व्यक्ति द्वारा उपगत राशि और ऐसे व्यक्तियों का नाम
	स्टार प्रचारक/ बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति (यदि कोई है) का नाम	संदर्भ सं0 और अनुमति की तारीख	विवरण	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि			
			पंडाल एवं फिक्सचर						
			तोरण और बैरिकेडिंग						
			किराए पर लिया गया फर्नीचर						
			किराए पर लिये गए लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन						
			पोस्टर						
			बैनर						
			कट- आउट						
			डिजिटल बोर्ड						
			प्रकाश की मर्दें जैसे पंक्तिबद्ध लाइट इत्यादि						
			विद्युत बोर्ड आदि का भुगतान किए गए/ देय विद्युत प्रभार						
			स्थान का किराया						
			अन्य विविध व्यय						
			कुल						

दिनांक :

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग-VI

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अधीन स्पष्टीकरण (2) के निबंधनों के अनुसार
नामनिर्दिष्ट दल के नेता (नेताओं) की यात्रा पर व्यय का ब्यौरा

क्रम. संख्या	नेता का नाम	निर्वाचन क्षेत्र में आगमन की तारीख	आगमन का ब्यौरा		ठहरने का ब्यौरा		प्रस्थान का ब्यौरा			क्या अभ्यर्थी ने राजनैतिक दल अथवा अन्य द्वारा मद सं० (5) (7) एवं (10) पर व्यय विनिर्दिष्ट किया है	अभ्यर्थी द्वारा मद 5) (7) एवं (10) पर व्यय यदि कोई हो
			यात्रा का माध्यम	भुगतान किए गए भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)	निर्वाचन क्षेत्र में ठहरने की अवधि	स्थानीय यात्रा पर व्यय	निर्वाचन क्षेत्र से प्रस्थान की तारीख	यात्रा का माध्यम	भुगतान किए गए भाड़े पर व्यय (यदि ज्ञात हो)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.											
2.											
3.											
कुल व्यय											

स्थान:

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक :

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम

शपथ पत्र का प्रारूप

.....जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष (जिला, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
श्रीसुपुत्रका शपथ पत्र मैं सुपुत्र/पत्नी/पुत्रीआयु.....
.....वर्ष का निवासी एतद्द्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ :-

(1) कि मैंसंसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सेकी लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिनका परिणाम को घोषित किया गया था ।

(2) कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने और मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने उपगत/प्राधिकृत सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखा है ।

(क) कि उक्त लेखा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर में ही उक्त लेखा में उल्लिखित वाउचर/बिल के साथ इनमें संलग्न है ।

(ख) कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें भी इसमें शामिल हैं एवं उनमें से (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़ कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है ।

(ग) कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के संलग्नक-।। में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/ अन्य संगठन/ मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकाय एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं ।

(घ) कि पूर्व पैरा (1) से (5) में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, कि कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 201 के इस दिन मैं द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई)

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

पावती प्रपत्र

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी

.....

.....

महोदय,

मैं अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव के लिए अन्य दस्तावेजों के बीच.....
.....क्रम सं० वाले रजिस्टर तथा इसके अनुलग्नकों सहित आपके दिनांकके पत्र सं०
.....की पावती देता हूँ ।

2. मैंने निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव और उस लेखों की सही प्रति और निर्वाचन
अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल करने संबंधी विधि की अपेक्षाओं को नोट कर लिया है ।

भवदीय,

*जो लागू न हो, उसे काट दे :-

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और तारीख

पावती

.....(निर्वाचन क्षेत्र) के परिणाम, जो(तिथि) को घोषित किया गया था, के संबंध में निर्वाचन व्ययों
का लेखा.....(तिथि) को उसकी ओर से उसके द्वारा दाखिल किया गया था, मैं आज(वर्ष) के.....
.....(महीने) केदिनांक को प्राप्त किया ।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला

जनसभाओं/रैलियों इत्यादि पर व्यय का ब्योरा

(अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जनसभा/रैली इत्यादि आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन)

जिले का नाम : निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम.....

अभ्यर्थी का नाम : राजनैतिक दल, यदि कोई हो.....

जनसभा/रैली इत्यादि की तारीख, समय एवं अवधि:

{स्थान} जनसभा/रैली इत्यादि का स्थान :

क्रम सं.	व्यय की मद	अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		अन्य संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रस्ताव		प्रभारी अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट	
		यूनिटों की सं०	लागत	यूनिटों की सं०	लागत	यूनिटों की संख्या	लागत	यूनिटों की संख्या	लागत
1.	पंडाल एवं फिक्सचर								
2.	बैरिकेडिंग और तोरण								
2.	मेजें								
3.	कुर्सियाँ								
4.	अन्य फर्नीचर								
5.	लाउड स्पीकर एवं माइक्रो फोन								
6.	पोस्टर								
7.	बैनर								
8.	कट आउट								
9.	डिजीटल बोर्ड								
10.	प्रकाश की मर्दे जैसे पंक्तिबद्ध लाइट इत्यादि								

11.	विद्युत बोर्ड को भुगतान किए गए/देय विद्युत कनेक्शन प्रभार इत्यादि								
12.	अन्य मदें								
13.								
योग :									

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/का नाम और हस्ताक्षर तथा राजनैतिक पार्टी/अन्य किसी संघ अधिकारी प्रभारी
का नाम और हस्ताक्षर

तारीख :

सभी संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारियों को संबंधित दिनांक 15.4.2004 का निर्वाचन आयोग का पत्र सं0 509/75/2004/जे.एस.-।

विषय:- टी वी चैनल और केबल नेटवर्क में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का दिनांक 13 अप्रैल, 2004 का आदेश ।

1. मुझे एतद्द्वारा एस एल पी (2004 की संख्या 6679 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम एम एस जेमिनी टी वी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसरण में आयोग द्वारा पारित दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश को संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

2. इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आयोग ने निदेश दिए हैं कि किसी भी रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल या किसी समूह या संगठन, संस्था, जिसका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो, द्वारा टी वी चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को आदेश के अनुच्छेद 6 (i) के निदेशानुसार एक समिति गठित करनी होगी, इसी प्रकार अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुच्छेद 6 (iii) के अनुसार जिस राजनीतिक दल या अन्य संस्थाओं/समूहों का मुख्यालय उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए समितियाँ गठित करेगी । आदेश के अनुच्छेद 6 (iv) के द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विज्ञापन के पूर्वदर्शन, संवीक्षण और प्रमाणन के लिए पदाभिहित अधिकारी घोषित किया है । आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम के चालू साधारण निर्वाचन और कुछ राज्यों में उप निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी जिसमें संसदीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं, विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए आवेदन स्वीकार करेगा ।

3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को विज्ञापनों के प्रमाणन के आवेदनों पर समिति के पदाभिहित अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय के सम्बन्ध में शिकायतों पर ध्यान देने के लिए इसके आगे एक और समिति के गठन की भी आवश्यकता है ।

4. प्रमाणन के लिए प्रत्येक आवेदन को आदेश से संलग्न अनुलग्नक 'क' में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार एक विवरण में, सम्बन्धित समिति या सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । विज्ञापन के प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र समिति/पदाभिहित अधिकारी द्वारा आदेश से संलग्न संलग्नक 'ख' में दिए गए प्रोफार्मा में दिया जाना होगा । आवेदकों से प्रस्तावित विज्ञापन की सत्यापित प्रतिलेख के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

5. प्रमाणन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों के समुचित रिकॉर्ड को एक रजिस्टर में व्यवस्थित रखना होगा । प्रत्येक आवेदन में क्रम संख्या दी जानी चाहिए और क्रम संख्या को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो प्रतियों में इंगित किया जाना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रति में प्राप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए । प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद प्रसारण के लिए प्रमाणित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति समिति पदाभिहित अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

6. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अविलम्ब टी वी, वी सी आर, वी सी डी इत्यादि आवश्यक आधारभूत उपकरण जिनकी आवश्यकता समितियों और नामित अधिकारियों को उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विज्ञापनों के पूर्वदर्शन और संवीक्षण के लिए पड़ सकती है, उपलब्ध करवाएंगे । किसी भी तरह की खरीद राज्य सरकार द्वारा उन्ही वस्तुओं की खरीद के लिए अनुमोदित दर और प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

7. आयोग के आदेश का व्यापक प्रचार किया जाना होगा और इसे विशेष रूप से राज्य संघ/ राज्य क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, टी वी चैनल, केबल ऑपरेटर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाना होगा ।

कृपया पावती भेजें ।

आदेश

1. यतः केबल टेलीविजन (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा द्वारा किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विज्ञापन विहित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो : एवं

2. यतः केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (3) ऊपर लिखित धारा-6 के निबंधनों के अनुसार "विज्ञापन संहिता का निर्धारण करते हुए यह उपबंधित करता है कि कोई विज्ञापन जिसकी विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति की हो और जो धार्मिक या राजनीति की ओर प्रेरित हो, ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी" और

3. यतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, दिनांक 23.3.2004 के आदेश के डब्ल्यू पी.एम.पी सं0 5214/2004(जेमिनी टी.वी प्राईवेट लिमिटेड बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) एवं अपने निर्णय द्वारा केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) नियम, 1994 के नियम 7 (3) के ऊपर लिखित उपबंधों को आस्थगित कर दिया है : एवं

4. यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती के अधीन आदेश, के प्रतिस्थापन में एस.एल.पी (सिविल) सं0 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मैसर्स जेमिनी टी.वी एवं अन्य) में दिनांक 2.4.2004 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :-

- (i) कोई भी केबल ऑपरेटर या दूरदर्शन चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश की विधि के अनुरूप न हो एवं जो नैतिकता, मर्यादा एवं भावनाओं या विचारों को ठेस पहुँचाता हो अथवा जो घृणित, भड़काऊ एवं दहलाने वाला है ।
- (ii) भारत निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रसारण को मानीटर किया जाएगा
- (iii) यह प्रश्न कि क्या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे विज्ञापन के अंतः स्थापन करने पर उपगत व्यय को शामिल किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस पर 5 अप्रैल 2004 को विचार किया जाएगा एवं
- (iv) वह रीति कि क्या ऐसे विज्ञापन विधि के अनुरूप हैं, भारत के निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. यतः माननीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. (सिविल) सं0 6679/2004 में दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के अपने अगले आदेश द्वारा निम्न निदेश दिए हैं :-

"-इससे पहले कि हम आदेश पारित करें, समय-समय पर यथा संशोधित केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (संक्षेप में "अधिनियम") तथा तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पर ध्यान दिया जाना उपयुक्त होगा । इस अधिनियम का उद्देश्य देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन को विनियमित करना

है । इस अधिनियम की धारा 6 में यह उपबंधित है कि कोई भी व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से ऐसे किसी विज्ञापन को प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित नहीं करेगा, जब तक वह निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हो । अधिनियम की धारा 11 में यह उपबंध है कि यदि किसी प्राधिकृत अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी केबल ऑपरेटर द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जा रहा है, तो वह केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन के लिए ऐसे केबल ऑपरेटर द्वारा प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है । अधिनियम के उपबंधों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम की धारा 12 में उपकरण की जब्ती का उपबंध है । इसी प्रकार अधिनियम की धारा 13 में भी उपकरण के अभिग्रहण अथवा जब्ती और दंड का उपबंध है । धारा 16 अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध करती है । धारा 19 यह अधिकथित करती है कि यदि कोई प्राधिकारी लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझता है कि वह आदेश द्वारा किसी भी केबल ऑपरेटर को ऐसे किसी विज्ञापन का प्रसारण या पुनः प्रसारण करने से निषेध कर सकता है, जो निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है तथा जिससे विभिन्न धर्म, प्रजाति, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों जातियों या समुदायों के मध्य धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या किसी भी अन्य आधार पर शत्रुता या सामंजस्य या शत्रुता की भावना, घृणा या द्वेष उत्पन्न होने की संभावना हो, जिससे लोक शांति भंग हो । अधिनियम की धारा 22, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु केन्द्र सरकार को सशक्त बनाती है । अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नियम बनाने में समर्थ है, जिन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (संक्षिप्त में "नियमों") कहा जाता है । नियमों के नियम 7 में यह उपबंध है कि जब कोई विज्ञापन किसी केबल सर्विस द्वारा प्रसारित किया जाता है तो वह इस प्रकार अभिकल्पित होना चाहिए कि वह देश के कानून के अनुरूप हो तथा उसे ग्राहकों की नैतिकता शालीनता और धार्मिक संवेदनशीलता को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए । इसके साथ-साथ, उप नियम (2) यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि किसी प्रजाति, जाति, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो, जो भारत के संविधान के किसी उपबंध के विरुद्ध हो और किसी भी प्रकार के लोगों को अपराध करने के लिए भड़काए, अव्यवस्था और हिंसा का कारण बने या कानून का उल्लंघन करे या हिंसा या अश्लीलता को महिमामंडित करे । पुनः उप नियम (3) में यह उपबंध है कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका विषय पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से धार्मिक या राजनीतिक प्रकृति का है, विज्ञापनों को किसी धार्मिक या राजनीतिक लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट नहीं होना चाहिए । इस पृष्ठभूमि में अब हम निम्नलिखित आदेश पारित करने का प्रस्ताव करते हैं:-

प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दल तथा निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल और/या केबल नेटवर्क पर विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है, उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व निर्वाचन आयोग अभिहित अधिकारी (निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अभिहित) के पास आवेदन करना होगा । किसी अन्य व्यक्ति या अरजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के मामले में, उन्हें प्रसारण की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा । ऐसे आवेदन के साथ, प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रॉनिक फार्म में दो प्रतियों के साथ उसके विधिवत रूप से अनुप्रमाणित प्रतिलेखन संलग्न किया जाएगा । प्रथम चरण के निर्वाचनों के मामले में आवेदन का निपटान उसकी प्राप्ति के दो दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू रहेगा । बाद के चरण के निर्वाचन के मामले में आवेदन का निपटान उसकी

प्राप्ति के तीन दिन के भीतर किया जाएगा और जब तक उस पर निर्णय नहीं ले लिया जाता, 2 अप्रैल, 2004 का हमारा आदेश लागू होगा। ऐसे आवेदनों का निपटान करते समय निर्वाचन आयोग/पदाभिहित अधिकारी विज्ञापन के किसी भी भाग को हटाने/संशोधित करने का निदेश देने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।

प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :-

- (क) विज्ञापन बनाने की लागत :
- (ख) विज्ञापनों के अन्तर्वेशनों की संख्या के अंतराल और ऐसे प्रत्येक अन्तर्वेशन के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दरों के साथ किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत।
- (ग) इसके साथ यह कथन भी संलग्न होगा कि शामिल किया गया विज्ञापन अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों)/दलों के निर्वाचन की संभावनाओं को लाभ पहुँचाने के लिए है।
- (घ) यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि उक्त विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या किसी अभ्यर्थी द्वारा आयोजित या अधिकृत या खरीदा गया नहीं है, और
- (ङ.) एक कथन कि सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 21 (क) "प्राधिकृत अधिकारी" को अधिकारिता क्षेत्र की उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर (क) जिला मजिस्ट्रेट, (ख) उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, या (ग) पुलिस आयुक्त के रूप में परिभाषित करता है। इसी प्रकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 क में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचन के संचालन के लिए इस भाग के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी तथा राज्य सरकार अस्थाई रूप से अभिहित पुलिस अधिकारी, ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तिथि को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे, और तदनुसार ऐसे अधिकारी इस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

चूंकि, विभिन्न केबल नेटवर्क और टेलीविजन चैनलों पर सभी विज्ञापनों को पहले से ही नियंत्रित (सेंसर) करना निर्वाचन आयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक हो गया है कि निर्वाचन आयोग को यह प्राधिकार दिया जाए कि वह इस संबंध में अपनी शक्तियों को सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट या राज्य प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य से कम श्रेणी के न हों। यह निर्वाचन आयोग द्वारा एक सामान्य आदेश जारी करके किया जा सकता है। ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करेंगे। निर्वाचन आयोग अपनी और से अपनी शक्तियों को प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्रों, जो भी मामला हो, के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, किसी विज्ञापन को प्रमाणन प्रदान करने या न करने से सम्बन्धित किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के परिवार या शिकायतों का

निपटान करने के लिए एक समिति नियुक्त कर सकते हैं । इस प्रकार नियुक्त समिति अपने निर्णय की सूचना निर्वाचन आयोग को देगी ।

इस प्रकार गठित समिति, भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी ।

समिति द्वारा दिया गया निर्णय, उपरोक्त कथन के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा ।

विलोपन या संशोधन, जो भी मामला हो, के लिए की गई टिप्पणियाँ और समुक्तियाँ, ऐसी संसूचना की प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर सम्बन्धित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी रहेगा और उनके द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा तथा इस प्रकार संशोधित विज्ञापन समीक्षा और प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा ।

हम स्पष्ट करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के उपबंध, इस आदेश के अधीन शामिल विज्ञापन के लिए लागू होंगे ।

यदि कोई राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति समिति या अभिहित अधिकारी/निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से यह समझता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे इसके लिए स्वतंत्र होंगे कि वे स्पष्टीकरण या उपयुक्त आदेश के लिए केवल इसी न्यायालय में आएँ तथा कोई भी अन्य न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण ऐसे विज्ञापन के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा । यह आदेश 16 अप्रैल, 2004 से प्रवृत्त होगा और 10 मई, 2004 तक प्रवृत्त रहेगा ।

यह आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है और यह उन सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट को सम्मिलित करेगा, जो केबल आपरेटरों के साथ-साथ केबल नेटवर्क और/या टेलीविजन सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करते हैं ।

निर्वाचन आयोग ऐसे कर्मचारियों की मांग करने के लिए स्वतंत्र है जो ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण का अनुवीक्षण करने के लिए आवश्यक है । जहाँ निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि इस आदेश या अधिनियम के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया गया है तो वह अतिक्रमण करने वाले को ऐसा अतिक्रमण तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी करेगा और वह उपस्करों का प्रत्यक्ष अभिग्रहण करने के लिए भी स्वतंत्र होगा । ऐसे प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा प्रत्येक आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाएगा, जिनके लिए ऐसा आदेश पारित किया गया है ।

निर्वाचन आयोग को, विज्ञापनों के अनुवीक्षण की लागत की पूर्ति के लिए निधि भारत संघ द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारत संघ द्वारा इस आदेश का पर्याप्त प्रचार किया जाएगा ।

यह आदेश, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 2004 को पारित आदेश के क्रम में है तथा एक अंतरिम उपाय के रूप में 10 मई, 2004 तक प्रवर्तन में रहेगा ।

उपर्युक्त आदेश के अध्यक्षीन आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 23 मार्च, 2004 के निर्णय पर रोक लगी रहेगी । यह आदेश, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के अल्पीकरण के रूप में नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त पारित किया जा रहा है ।”

6. अतः, अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित निदेश देता है :-

(i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति गठित करें, जो इसमें पैरा (ii) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों के आवेदनों का निपटान करेंगे :-

(क) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष ।

(ख) दिल्ली में किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर ।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से एक विशेषज्ञ मांगा जाए जो श्रेणी – I से कम स्तर का अधिकारी न हो ।

(ii) उपर्युक्त समिति किसी टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क में प्रसारित किए जाने वाले किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए निम्नलिखित द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार करेगी :

(क) वे सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में है ।

(ख) वे सभी संगठन या संघ या व्यक्ति, जिनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली है ।

(iii) प्रत्येक अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे नीचे पैरा (iv) में उल्लिखित राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा दिए गए आवेदनों के निपटान के लिए निम्नलिखित समिति गठित करें :-

(क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) राज्य की राजधानी में स्थित किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर

(ग) एक विशेषज्ञ के रूप में कम से कम प्रथम श्रेणी के एक अधिकारी को सूचना व प्रसारण मंत्रालय से मांगा जाएगा ।

- (iv) उपर्युक्त पैरा (iii) में गठित समिति निम्नलिखित द्वारा टेलीविजन चैनल तथा केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए प्रमाणन हेतु आवेदनों पर विचार करेगी :-
- (क) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यालयों वाले सभी पंजीकृत राजनीतिक दल
 (ख) उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालयों वाले सभी संगठन या व्यक्तियों के समूह या संघ
- (v) देश में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को एतद्द्वारा उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जहाँ ऐसे पदाभिहित अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी जो उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं द्वारा केबल नेटवर्क या टेलीविजन चैनल पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से पदाभिहित अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाता है। कथित रिटर्निंग ऑफिसर आवेदनों के प्रमाणन के कार्य में अपनी सहायता के लिए राज्य प्रांतीय सिविल सेवा से संबंधित कम से कम उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट श्रेणी के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सहयोजित कर सकता है।
7. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसी विज्ञापन को प्रमाणीकरण प्रदान करने या अस्वीकार करने के निर्णय के संबंध में किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित समिति का गठन करेगा :
- (i) मुख्य निर्वाचन अधिकारी – अध्यक्ष
 (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक
- उपर्युक्त पैरा 6(i) व 6(iii) में उल्लिखित विशेषज्ञ के अलावा समिति द्वारा एक अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित किया जाएगा।
8. पंजीकृत राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन ऐसे विज्ञापन का प्रसारण प्रारंभ करने की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले, उक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में उल्लिखित समिति का पैरा 6(iv) में यथा उल्लिखित पदाभिहित अधिकारी को यथा स्थिति प्रस्तुत किया जाएगा। निर्वाचन के प्रथम चरण के मामले में ऐसे आवेदनों का निपटान उनकी प्राप्ति के दो दिनों के भीतर किया जाएगा तथा यदि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 02-04-2004 का आदेश लागू होगा।
9. जब किसी अन्य व्यक्ति या गैर पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के प्रमाणन के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो इसे प्रसारण की तिथि से सात दिन पूर्व दिया जाना चाहिए।

10. ऐसा प्रत्येक आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संलग्नक 'क' में विहित आरूप में प्रस्तुत किया जाए:-
- (i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियाँ उसके विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंकन सहित
 - (ii) प्रमाणन के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए :-
 - (क) विज्ञापन की निर्माण लागत
 - (ख) टेलीविजन चैनल या केबल नेटवर्क पर ऐसे विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत दिखाए जाने की अवधि के विवरण तथा प्रत्येक सन्निवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली प्रस्तावित दर सहित ।
 - (ग) इसके साथ यह वक्तव्य दिया जाएगा कि क्या यह विज्ञापन अभ्यर्थियों/दलों के निर्वाचन की संभावना के हितों के लिए दिखाया गया है।
 - (घ) यदि यह विज्ञापन अभ्यर्थी या राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी कराया गया है, तो वह व्यक्ति यह शपथ लेगा कि यह राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के हित लाभ के लिए नहीं है तथा यह कि कथित विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित या जारी या भुगतान नहीं किया गया है।
 - (ङ) एक वक्तव्य कि सारा भुगतान चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
10. किसी विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय पैरा 6(i) तथा 6(iii) में यथागठित समिति या उक्त पैरा 6(V) में पदाभिहित अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में यथागठित पुनरीक्षण समिति, उस विज्ञापन के किसी भाग के सीधे विलोपन/संशोधन का निदेश देने के लिए स्वतंत्र होगा। विलोपन तथा संशोधन के लिए टिप्पणियां व प्रेक्षण करने वाला ऐसा प्रत्येक आदेश बाध्यकर होगा और इसकी प्राप्ति के 24 घण्टों के भीतर संबंधित राजनीतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या किसी अन्य व्यक्ति को इसका अनुपालन करना होगा। इस प्रकार संशोधित किया गया विज्ञापन पुनरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।
12. जहां उक्त पैरा 6(i) तथा 6(iii) में गठित समितियाँ या पदाभिहित अधिकारी या उपर्युक्त पैरा 7 में गठित पुनरीक्षण समिति, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि वह विज्ञापन विधि की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा उपर्युक्त पैरा 4 व 5 में यथा कथित सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि संबंधित विज्ञापन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। इस प्रमाण पत्र का आरूप अनुलग्नक 28 में दिया गया है।
13. सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13 अप्रैल, 2004 के आदेश में समाहित निदेशों का प्रत्येक संबंधित को सख्ती से पालन करना चाहिए तथा यह 10 मई, 2004 तक लागू रहेंगे और सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों के समूह या ट्रस्ट, जो केबल नेटवर्क तथा/या टेलीविजन चैनलों व साथ ही केबल संचालकों सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वह विज्ञापन दिखाए जाने का प्रस्ताव करते हैं, इससे बंधे होंगे।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 3/9/(इ.एस.008)/94-जे०एस०-1।

दिनांक : 2 सितम्बर, 1994

आदेश

विषय: पैम्फलेट, पोस्टर आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध।

निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। उक्त धारा 127क निम्नलिखित उपबंधित करता है :-

“127क पैम्फलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध :-

(1) कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।

(2) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा :- जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा

जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।

(क) जहाँ यह उस राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है, उसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, तथा
(ख) किसी अन्य मामले में, जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ यह मुद्रित हुआ है -

(3) इस भाग के प्रयोजनार्थ:-

(क) हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा तथा वाक्यांश 'मुद्रक' को तदनुसार समझा जाएगा, तथा

(ख) “निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर” से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्वाग्रह के उद्देश्य से वितरित किए गए हैण्ड बिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा

नेमी अनुदेशों की तिथि, समय, स्थान तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंडबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों।

4. कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, वह 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

क. निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर उक्त प्रतिबंध, इन दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से विधि द्वारा अधिरोपित किए गए हैं ताकि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हों, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हों तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रतिबंध राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर हुए अनधिकृत निर्वाचन व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते हैं।

ख. आयोग ने यह सूचित किया है कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन से जुड़े कानून के उक्त उपबंधों का अनुपालन करने की बजाय उनको भंग करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। निर्वाचन के समय बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित कर निजी तथा सरकारी भवनों की दीवारों पर चिपकाया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर वर्णित विधि की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। मुद्रणालय प्रकाशक द्वारा 127क (2) के अधीन अपेक्षित घोषणा सहित मुद्रित दस्तावेजों को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों या जैसी स्थिति हो, संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को बिरले ही भेजते हैं। कई बार धारा 127क (1) का उल्लंघन करते हुए निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक तथा/अथवा उसके प्रकाशक का नाम एवं पता नहीं लिखा होता है।

ग. साथ ही, आयोग से यह शिकायत की जाती है कि उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध समय से कोई कार्यवाही नहीं की जाती, परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री निर्बाध रूप से प्रकाशित तथा परिचालित होती रहती है। इस संबंध में रहीम खान बनाम खुर्शीद अहमद तथा अन्यो (*एआइआर 1975 एस सी 290) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

“यहाँ तक कि इस स्थिति में भी हम यह पाते हैं कि प्रश्नगत हैंडबिल में मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं है, यद्यपि निर्वाचन विधि द्वारा यह अपेक्षित है। दुर्भाग्यवश जब इस प्रकार मुद्रित सामग्री परिचालित की जाती है तो विधि की ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है जो विधिवत जाँच के पश्चात् त्वरित कार्रवाई करे जिसके परिणामस्वरूप कोई भी मुद्रक या अभ्यर्थी या प्रचारक, विधि की चिन्ता नहीं करता और वह बिना स्रोत की जानकारी दिए सफलतापूर्वक अफवाह फैलाता है क्योंकि वह जानता है कि निर्वाचन के पश्चात् लम्बे समय तक कुछ भी नहीं होगा। जब

कोई कानूनी कार्रवाई होती है तभी यह प्रश्न उठाया जाता है, विधि के नियमों को सही समय पर प्रवर्तित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विधान बनाना।”

- घ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त विषय पर विधि के ऊपर लिखित उपबंधों की अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों को समर्थ करते हुए तथा उक्त विषय पर इसके सभी पूर्व अनुदेशों का अतिक्रमण करते हुए आयोग एतद्वारा निम्नलिखित रूप से निदेशित करता है :-
- 5.(1) जैसे ही निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय, विधान सभा अथवा परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से किसी निर्वाचन की घोषणा की जाती है, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निर्वाचन की घोषणा के तीन दिनों के अन्दर उक्त घोषणा के संबंध में अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को सूचित करेंगे (लिखेंगे)।
- (क) उपर्युक्त धारा 127 (क) की अपेक्षाओं की तरफ उनका ध्यान दिलाते हुए विशेष रूप से अनुदेश दिए जाते हैं कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा :
- (ख) प्रिंटिंग प्रेसों से धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने को कहा जाएगा :
- (ग) स्पष्ट शब्दों में उन्हें यह बता दिया जाए कि धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है ।
- 5.(2) राज्य राजधानियों में स्थित प्रिंटिंग प्रेसों के संबंध में मुख्य निर्वाचक अधिकारी भी वही कार्रवाई करेंगे ।
- 5.(3) किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित इसके साथ संलग्न अनुबंध 'क' में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी । मुख्य निर्वाचक अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित करते समय यह प्रिंटर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए।
- 5.(4) उपर्युक्त निदेशानुसार, मुद्रक, मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अंदर इसकी चार प्रतियां तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा । इस प्रकार की मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा

आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा, जो कि इसके साथ अनुबंध 'ख' के रूप में संलग्न है, में इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के संबंध में, जोकि ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की प्रिंटिंग के तीन दिनों के अंदर उसके द्वारा मुद्रित किये गए हों, प्रिंटर द्वारा इस प्रकार की सूचना न देकर अलग-अलग दी जाएगी।

- 5.(5) जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस से कोई निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि प्राप्त करते हैं वे इस बात की जांच करेंगे कि क्या प्रकाशक या प्रिंटर ने कानून की अपेक्षाओं तथा आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों का पालन किया है। वे इसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे ताकि सभी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति ये जांच लें कि क्या ऐसे दस्तावेजों के संबंध में कानून की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से पालन हुआ है या अन्य निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के उन मामलों, जिनमें कानून की उपरोक्त अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ है, को संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।
- 5.(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त पैम्फलेटों तथा पोस्टरों इत्यादि के संबंध में उपरोक्त उप-पैरा (5) में उल्लिखित के अनुसार वही अनुवर्ती कार्रवाई भी करेगा।
- 5.(7) यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्वाचन पैम्फलेटस, पोस्टर इत्यादि के संबंध में ऊपर लिखित धारा 127 'क' के कथित प्रावधानों और/या आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन का मामला आता है या ऐसा उनके ध्यान में लाया जाता है तो वे इसकी जांच के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर देंगे। ऐसे सभी मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ शीघ्रतापूर्वक अभियोजन आरंभ कर देना चाहिए तथा इन मामलों में संबंधित अदालतों में गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।
6. आयोग एतद्वारा सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा अन्य संबंधितों को चेतावनी देते हैं कि उपर्युक्त विषय पर आयोग के निदेशों तथा कानून के उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
7. यदि कानून के उपर्युक्त प्रावधानों तथा आयोग के निदेशों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार अधिकारी इस संबंध में अपने कार्यों के निष्पादन में असफल पाया जाता है तो उसके विरुद्ध पदीय कर्तव्य भंग करने के लिए शास्तिक कार्रवाई के साथ-साथ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग के
आदेश से तथा उसके नाम से
(एस0 के0 मेंदीरत्ता)
सचिव

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट-क

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा का प्रोफार्मा
(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क देखें)

मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी.....(नाम)
निवासी.....(गांव / टाउन).....(जिला).....(राज्य), एतद्वारा घोषित करता हूँ
कि मैं(निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेट इत्यादि का विस्तृत ब्यौरा दें) का प्रकाशक हूँ
..... द्वारा प्रिंट किए गए हैं ।

(मुद्रण प्रेस का नाम)

(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

स्थान.....

दिनांक

पूरा पता.....

द्वारा अनुप्रमाणित किए गए (प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले)

हस्ताक्षर (नाम तथा पता)

हस्ताक्षर (प्रतिहस्ताक्षर करने वाले का नाम तथा पता)

हस्ताक्षर (मुद्रक का नाम तथा पता)

परिशिष्ट-ख

निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि के मुद्रण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. मुद्रक का नाम तथा पता :.....
2. प्रकाशक का नाम तथा पता :.....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तारीख :.....
4. प्रकाशक की घोषणा की तारीख :.....
5. निर्वाचन पोस्टर, पैम्फलेटों इत्यादि का संक्षिप्त विवरण :.....
6. उपर्युक्त मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या :.....
7. मुद्रण की तारीख
8. उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से लिए जा रहे
मुद्रण प्रभार (कागज की लागत सहित).....

स्थान.....

तारीख.....

(मुद्रक के हस्ताक्षर)
तथा मुद्रक की सील

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए व्यय के दावों का विवरण

(प्रत्येक (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग को अलग से प्रस्तुत किया जाए)

जिले का नाम

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम

राजनीतिक पार्टी का नाम

क्र०सं०	निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों में राजनीतिक दल द्वारा किए गए व्यय के दावे
जिला/राज्य का कुल योग			

जिला निर्वाचन अधिकारी /
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.4.1995 का आदेश सं0 76/95/न्या0अनु0-।।

आदेश

विषय:- वह भाषा जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जा सकता है ।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, निर्वाचन व्ययों का लेखा जिस भाषा में दाखिल कर सकता है, इस प्रश्न का आयोग द्वारा परीक्षण किया गया ।
2. निर्वाचन विधि के अधीन सभी सांविधिक दस्तावेजों एवं फॉर्मों को स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में प्रिन्ट करके उपलब्ध कराया जाता है । अभ्यर्थी एवं अन्य व्यक्तियों की विविध याचिकाओं एवं प्रत्यावेदनों को स्थानीय भाषाओं में दाखिल करने की अनुमति दी गई है । इन दस्तावेजों को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया गया है कि वे हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं हैं ।
3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जो अभ्यर्थी इन भाषाओं में दक्ष नहीं है वे वंचित महसूस करेंगे तथा अभ्यर्थी द्वारा दाखिल निर्वाचन व्ययों का लेखा इस आधार पर अस्वीकृत करना कि यह अंग्रेजी या हिन्दी में नहीं है, न्यायोचित नहीं होगा । यदि निर्वाचन व्ययों के लेखे में कोई गलतियां पाई जाती हैं तो उस पर हिंदी या अंग्रेजी के ज्ञान की कमी का आरोप लगाया जा सकता है ।
4. सभी सांविधिक दस्तावेज और फॉर्म स्थानीय स्वीकृत भाषाओं में तैयार किए जाएंगे, इस आदेशात्मक उपबन्ध के अलावा आयोग अपने प्रमुख आदेशों एवं अनुदेशों में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश देता है कि यदि वे आदेश और अनुदेश राज्य की राजनीतिक पार्टियों, अभ्यर्थियों और जनता के मध्य व्यापक प्रचार और परिचालन के लिए हैं तो उनका स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवा लिया जाए ।
5. इस प्रकार, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की निष्पक्षता के लिए उन्हें निर्वाचन व्ययों का लेखा हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा जिसमें निर्वाचक नामावली मुद्रित है, दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी । यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को, निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने से सम्बन्धित फॉर्म/रजिस्टर/नियमों का उद्धरण इत्यादि निर्वाचक नामावली के लिए अनुमोदित स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध हो जाएं जिससे कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी यह शिकायत न कर पाए कि उन्हें निर्वाचन व्ययों की विवरणी दाखिल करने से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं की जानकारी नहीं है और वह तदनुसार समुचित रूप से अपने दैनिक लेखे का रख-रखाव कर सकता है ।

जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या : -----

जिले का नाम :

लोक सभा या राज्य विधान सभा को निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत निर्वाचन व्यय दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभ्यर्थीवार संवीक्षा रिपोर्ट			
(अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे तथा छाया प्रेक्षण रजिस्टर में कोई विसंगति होने पर सभी रजिस्ट्रों तथा एकत्रित साक्ष्यों की सभी प्रतियां इस रिपोर्ट के साथ भेज देनी चाहिए ।			
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए	
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता		
2.	पार्टी संबद्धता, यदि कोई है		
3.	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सं० तथा नाम		
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम		
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख		
6.	लेखे दाखिल करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख		
7.	अभ्यर्थी द्वारा लेखे दाखिल करने की तारीख		
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा दाखिल लेखे		
(क)	निर्धारित फार्मेट में हैं (हां या नहीं)		
(ख)	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा फार्मेट में पाई गई विसंगतियां	पंक्ति के सामने चिन्हित करें	विसंगतियों के ब्यौरों पर संक्षिप्त नोट
(i)	सार विवरण (भाग I से भाग VI) विधिवत रूप से नहीं भरा गया/हस्ताक्षर नहीं किया गया		
(ii)	अभ्यर्थी के शपथपत्र में विधिवत रूप से शपथ दाखिल नहीं की गई		

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए				
(iii)	अभ्यर्थी के बैंक रजिस्टर तथा रोकड़ रजिस्टर सहित दैनिक लेखे के रजिस्टर पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए ।					
(iv)	निर्वाचन व्यय की मदों के संबंध में वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए/अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे ।					
(v)	निर्वाचन व्यय के लिए बैंक लेखों के विवरण की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई					
(vi)	उपरोक्त बैंक खाते में निर्वाचन व्यय के लिए सभी रसीदें जमा नहीं कराई गई तथा छुटकर व्ययों के अतिरिक्त सभी भुगतान चेक द्वारा नहीं किए गए ।					
9.	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल सार विवरण के भाग-III में यथा उल्लिखित अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का कुल योग					
10(क)	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित व्यय की मदें छाया प्रेक्षण रजिस्टर तथा साक्ष्यों के फोल्डर में दिखाए व्ययों से मेल खाती हैं (हां या नहीं)					
(ख)	यदि नहीं, तो ऐसे ब्यौरे भरें जहां अभ्यर्थी द्वारा व्यय कम बताया गया/उल्लेख नहीं किया गया ।					
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	साक्ष्य के छाया प्रेक्षण रजिस्टर के अनुसार राशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखे के अनुसार	अभ्यर्थी द्वारा कम बताई गई राशि
	योग					

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाए		
11.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रचार अवधि के दौरान 3 बार निरीक्षण के लिए निर्वाचन व्यय का रजिस्टर प्रस्तुत किया है (हां या नहीं)			
(ख)	क्या प्रेक्षक द्वारा रजिस्टर के निरीक्षण के समय अभ्यर्थी को विसंगति इंगित की गई थी ? यदि हां तो विसंगति का उल्लेख करें ।			
(ग)	क्या अभ्यर्थी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा व्यय में विसंगति के संबंध में नोटिस जारी किया गया था ? कृपया विसंगति की तारीख और प्रकृति का उल्लेख करें ।			
(घ)	क्या अभ्यर्थी ने नोटिस का कोई जवाब दिया (कृपया नोटिस तथा प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करें)			
12.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात से सहमत है कि अभ्यर्थी द्वारा व्यय सही रूप से बताया गया है (हां या नहीं)			
13.	सार विवरण के भाग-।।। में उल्लिखित राजनैतिक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को नकद या चेक में दी गयी एकमुश्त राशि तथा पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें ।			
14.	अभ्यर्थी को किसी अन्य व्यक्ति/हस्ती द्वारा दी गई एकमुश्त राशि/पार्टी के नाम का भी उल्लेख करें ।			
15.	क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट या उसके पार्टी कार्यकर्ता या अभ्यर्थी से संबंधित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में धन, अन्न या अन्य मदों के वितरण का मामला सामने आया है । कृपया तारीख तथा व्यक्ति के नाम का उल्लेख करें ।			
	मोहर : तारीख :	हस्ताक्षर (जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम)		

मद संख्या 10 (ख) के लिए नोट:-

1. कृपया उन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करें जहां छाया प्रेक्षण रजिस्टर की तुलना में निर्वाचन व्यय कम बताया गया है ।
2. यदि व्यवहार्य हो तो कृपया व्यय के मदवार ब्यौरे के लिए अलग संलग्नक लगाएं ।

व्यय प्रेक्षक द्वारा टिप्पणी, यदि कोई है,*

तारीख :

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा टिप्पणी सहित (यदि कोई है) भारत निर्वाचन आयोग को अग्रेषित

तारीख :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर**

*यदि व्यय प्रेक्षक के पास ऐसे कुछ और तथ्य हैं जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया तो वह इस संबंध में अलग नोट संलग्न करें।

** यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कोई अतिरिक्त टिप्पणी करना चाहे तो वह टिप्पणी अलग से अग्रेषित कर सकता/सकती है ।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

- (क) विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम :
 (ख) निर्वाचन लड़ने वालों की कुल संख्या :
 (ग) राज्य और जिला :
 (घ) निर्वाचन/उप निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख
 (ङ) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख :
 (च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम :

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
क0 सं0	अभ्यर्थी और सम्बद्ध पार्टी का नाम	लेखा दाखिल करने की निर्धारित तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित प्रपत्र में दाखिल किया गया है (हां या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल किया गया है (हां या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा प्राधिकृत/ उपगत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग- III में उल्लिखित है)	क्या अभ्यर्थी द्वारा व्यय की सभी मदों के सम्मुख दिखाई गई राशि से जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत है ?	पार्टी द्वारा उपगत कुल व्यय (जैसा कि सार-विवरण के भाग- III में उल्लिखित है)	अभ्यर्थी/हस्तियों द्वारा किये गए व्यय का योग (जैसा कि सार-विवरण के भाग- III में रिपोर्ट किया गया है)	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी		
								प्रत्येक पार्टी द्वारा अभ्यर्थी को दिया गया नकद या चैक की एकमुश्त राशि	राजनीति क पार्टी द्वारा इसी प्रकार के अन्य व्ययों का योग	अभ्यर्थी को दी गई नगद /चैक की एकमुश्त राशि और नाम का उल्लेख करें।	अभ्यर्थी के लिए उपगत इस प्रकार के अन्य व्ययों का कुल योग	

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई हो :-

व्यय प्रेक्षक के हस्ताक्षर

दिनांक :

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-22

राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा वैकल्पिक दिवस पर आई एम एफ एल/बीयर/देसी शराब की रिपोर्ट (आई एम एफ एल, बीयर और देसी शराब पर पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए)				
जिले का नाम/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम				रिपोर्ट की तारीख
क्र. सं.	विवरण	दिन के दौरान (इस वर्ष)	दिन के दौरान (पिछले वर्ष)	यदि अधिक हो, तो उस पर टिप्पणी
1.	अधिक परिमाण में निर्माताओं के पास प्रारंभिक स्टॉक			
2.	बहुत अधिक लीटर में उत्पादन/बौटलिंग			
3.	लीटर के परिमाण में निर्माताओं के गोदाम से भेजा गया कुल स्टॉक			
4.	लीटर के परिमाण में निर्माताओं के पास अंतिम स्टॉक 1+2-3			
5.	निर्माताओं के गोदाम से स्टॉकिस्ट को बहुत अधिक लीटर में भेजा गया			
6.	अधिक मात्रा में रिटेलर के पास प्रारंभिक स्टॉक			
7.	अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा खरीद			
8.	अधिक मात्रा में रिटेलर द्वारा बेचा जाना			
9.	अधिक मात्रा में रिटेलर के पास अंतिम स्टॉक			
10.	अधिक मात्रा में अन्यों द्वारा बेचा जाना			
11.	चैक पोस्टों की संख्या			
12.	चैक पोस्टों द्वारा अधिक मात्रा में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			

क्र.सं.	विवरण	दिन के दौरान (इस वर्ष)	दिन के दौरान (पिछले वर्ष)	यदि अधिक हो, तो उस पर टिप्पणी
13.	मारे गए छापों की संख्या			
14.	छापों के दौरान अधिक परिमाण में जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा			
15.	निषेध मामलों की संख्या			
16.	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या			
17.	लगाए गए जुर्माने की राशि			

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

नोट:-

1. आई एम एफ एल, बीयर या देशी शराब के लिए उपरोक्त प्रोफार्मा में अलग रिपोर्ट उत्पाद विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को भेजी जानी है, एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जानी है ।
2. उत्पाद विभाग का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उसी प्रोफार्मा में जिला स्तरीय रिपोर्टों का अनुवीक्षण करेगा और संकलित करेगा तथा उसी प्रोफार्मा में राज्य की संयुक्त रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी देगा ।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट
(भाग-क)

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	अभ्यर्थियों की कुल संख्या	लेखा दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	विनिर्दिष्ट रीति से लेखा दाखिल नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखों की संवीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए अभ्यर्थी रजिस्टर और छाया प्रेक्षण रजिस्टर में विसंगति पायी गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है	उन अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लेखे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं ।	निरहित अभ्यर्थियों की संख्या

जिला निर्वाचन अधिकारी का हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट (भाग-ख)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम -

जिले का नाम -

क्र० सं०	निर्वाचन क्षेत्र की सं० और नाम	अभ्यर्थी का नाम	राजनीतिक / निर्दलीय दल का नाम	लेखा विवरण की स्थिति

नोट:- 'स्थिति' के कॉलम में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा प्रस्तुत किया है, यदि प्रस्तुत किया है तो क्या प्रस्तुत करने की तारीख, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संवीक्षा पूर्ण कर ली गई, क्या अभ्यर्थी के लेखा और छाया प्रेक्षण रजिस्टर के मध्य कोई विसंगति पायी गई, क्या जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी, क्या आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत किया गया था, क्या नोटिस दिया गया था, यदि आयोग द्वारा लेखा स्वीकृत नहीं किया गया, तो क्या मामला लंबित है या अभ्यर्थी को निरर्हित कर दिया गया था, यदि निरर्हित कर दिया गया था तो निरर्हिता आदेश की तारीख ।

जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

-----तारीख के लिए अन्वेषण निदेशालय द्वारा गतिविधि रिपोर्ट
(अन्वेषण निदेशालय द्वारा एकांतर दिवस पर प्रस्तुत की जाए) संदर्भ संख्या :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम :
राज्य क्षेत्र

जिला : संघ

क्र. सं.	निर्वाचन क्षेत्र तथा जिले का नाम	उस एजेंसी का नाम जिससे आयकर विभाग को सूचना/ शिकायत प्राप्त हुई है	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है उनका नाम तथा पता	सूचना/शिकायत में उल्लिखित नकद/तौहफों की राशि	जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, उनके द्वारा चालान से जमा कराई गई धन राशि	आयकर द्वारा जब्त की गई नकद की राशि	जब्त की गई अन्य सामग्री (यदि कोई हो)	व्यक्ति को लौटाई गई लेखा बद्ध नकद राशि (यदि हो तो)	अभ्युक्तियों (कृपया अभ्यर्थी के नाम/उसका संबंध, निर्वाचन क्षेत्र तथा राजनैतिक दल यदि कोई है, का उल्लेख करें)।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
योग									
निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से रिपोर्टिंग दिवस की समाप्ति तक के आंकड़े									
क्रम सं.					नियत तारीख को कुल आंकड़े	तारीख सहित प्रगामी आंकड़े			
1	आयकर द्वारा जब्त की गई नकदी का प्रगामी योग								
2	अन्य मदों की जब्ती का प्रगामी योग (काल्पनिक मूल्य)								
3	चालान द्वारा जमा कराए गए कर का प्रगामी योग								

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर
डी जी आई टी (अन्चे) का कार्यालय/उप निदेशक
जिला प्रभारी/तारीख

नोट:-

1. जिले के प्रभारी अधिकारी आयकर महानिदेशक (अन्चे) को इस फार्मेट में प्रत्येक जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी तथा व्यय प्रेक्षक को दी जाएगी ।
2. राज्य आयकर विभाग के नोडल अधिकारी पूरे राज्य के लिए आंकड़े एकत्रित करेंगे तथा आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे और इसकी एक प्रति राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे ।

भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग का दिनांक 24 अक्टूबर, 2004 का पत्र सं० 437/6/1/2008-सी सी तथा बी ई.

विषय:- मुख्य प्रचारकों द्वारा यात्रा पर निर्वाचन व्यय, निर्वाचन अभियान के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग, इत्यादि।

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उप-धारा के अनुसार यह उपबंधित है कि "निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेन्ट के द्वारा उस तिथि जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा उसके परिणाम की घोषणा की तिथि के मध्य दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए, उसके, अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन से संबंधित सभी व्यय का पृथक एवं सही लेखा रखेंगे।" उपधारा (2) के अधीन यह उपबंधित है कि लेखा में वैसे विवरण शामिल होंगे जैसा कि उप-धारा (3) के अधीन निर्धारित है, कि कुल उक्त व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) में यह उपबंधित है कि राजनीतिक दलों के कार्यक्रम के प्रचार के लिए नेताओं (सामान्यता हमारे द्वारा स्टार प्रचारक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है)के द्वारा हवाई अथवा परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा यात्रा पर होने वाले व्यय को निर्वाचन के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा।
3. धारा 77 (1) के उपबंधों तथा उसके अधीन स्पष्टीकरण (1) को इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण पढ़ा जाए कि वे धारा 77 (1) के उपबंधों के मुख्य उद्देश्य को निष्प्रभाव न करें। धारा 77 (1) स्पष्ट रूप से यह अनुबंधित करता है कि अभ्यर्थी को उसके अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत सभी निर्वाचन व्ययों का लेखा देना होगा। स्पष्टीकरण (1) ऐसे व्यय लेखे से छूट प्राप्त की प्रकृति है जो राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों के निर्वाचन में व्यय होता है ताकि उसके राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उसके निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन प्रचार किया जा सके तथा उनके द्वारा हवाई अथवा परिवहन के अन्य किसी साधनों पर उपगत किसी व्यय को अभ्यर्थी के कुल व्यय का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अतः यह कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से राजनीतिक दल के द्वारा नेता घोषित किया गया है, उन्हें धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थ के अन्तर्गत उसके अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने राजनीतिक दल का नेता नहीं समझा जा सकता है, चाहे अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उसकी पार्टी के अन्य अभ्यर्थियों के साथ स्थिति कैसी भी हो। अपने निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में प्रथमतः वह एक अभ्यर्थी है। अतः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों में अपनी यात्रा चाहे हेलीकॉप्टर/हवाई जहाज अथवा परिवहन के किसी अन्य साधनों पर व्यय उपगत करता हो, उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम व्यय की कुल सीमा के लिए लेखा देना होगा। जब वह स्टार प्रचारक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में जाता है, तो उसके निर्वाचन क्षेत्र से अन्य निर्वाचन क्षेत्र में की गई यात्रा पर व्यय छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आएगी तथा

इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र से अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने अभियान के लिए की गई यात्रा व्यय पर छूट प्राप्त होगी। परन्तु एक बार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुँच जाता है तथा उक्त निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही यात्रा करता है तो उसे उसके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ऐसी यात्रा पर व्यय का लेखा देना होगा। ऊपर लिखित उपबंधों की कोई अन्य व्याख्या करना धारा 77 (1) में निर्धारित उद्देश्य को विफल करना होगा। उप निर्वाचनों के मामले में यह अधिक स्पष्ट होगा जहाँ राजनीतिक दल अपने अभ्यर्थी का नाम स्टार प्रचारक के रूप में शामिल करते हैं तथा उसे संचार के किसी अन्य साधन को अपनाते हुए तथा इसके लिए बिना लेखे के अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर यात्रा करने का लाइसेंस प्राप्त होगा।

प्रतिलिपि:-सभी मान्यता प्राप्त सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दल ।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 21 नवम्बर, 2008 का पत्र संख्या 509/75/2004/जे0एस0-1/वॉल्यूम-11/आर.सी.सी

विषय:- रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन के संबंध में ।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के पत्र सं0 1/04/2004-बी.सी/iv/द्वारा यह सूचित किया है कि रेडियो पर भी स्पॉट एवं जिंगल के रूप में राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/व्यक्तियों द्वारा विज्ञापन देने के लिए व्यवसायिक विज्ञापन की संहिता में संशोधन किया गया है । इसके परिणामस्वरूप आयोग ने इस प्रभाव से आदेश जारी किया है कि दूरदर्शन चैनलों/केबल नेटवर्को पर राजनीतिक विज्ञापन की जाँच के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में गठित समितियां, ऐसे निर्वाचनों से संबंधित आदर्श आचार संहिता के लागू रहने की अवधि के दौरान, लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों से जुड़े राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/अन्य व्यक्तियों के विज्ञापनों की पूर्व प्रसारण संवीक्षा के लिए आवेदनों का निपटान भी करेगी ।

आदेश की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की राज्य इकाइयों सहित प्रत्येक राजनीतिक दल को भेजी जानी चाहिए जिनका मुख्यालय आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में हो। अन्य संबद्ध प्राधिकारियों तथा साधारण जनता को सूचना के लिए इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

ऊपरनिर्दिष्ट आदेश की प्रति सहित प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनीतिक दलों को सूचनार्थ ।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 21 नवम्बर, 2008 का पत्र सं० 509/75/2004/जे०एस०-1/वाल्सूम-11/आर.सी.सी

आदेश

विषय:- टी.वी. चैनलों एवं केबल टी.वी. नेटवर्क पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन रेडियो तक विस्तार, के संबंध में आयोग का दिनांक 15 अप्रैल, 2004 का आदेश

1. एस.एल.पी (सिविल) सं० 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मे० जेमिनी टी.वी एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.04.2004 के आदेश के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को अपने आदेश सं० 509/75/2004/जे०एस०-I द्वारा टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्क पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों से संबंधित निदेश जारी किया था।
2. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के अपने पत्र संख्या 1/04/2004-बीसी-IV द्वारा यह सूचित किया है कि आकाशवाणी पर व्यवसायिक विज्ञापन के लिए कोड का खण्ड-II (4) में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ते हुए संशोधन किया गया है -

परन्तु राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों/किसी अन्य व्यक्ति से निर्धारित शुल्क की अदायगी पर स्पॉट एवं जिंगल के रूप में विज्ञापनों को केवल लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचनों/राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन/स्थानीय निकायों के साधारण निर्वाचन के संबंध में उस अवधि में स्वीकार किया जाएगा जब आदर्श आचार संहिता लागू हो। लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के संबंध में ऐसे विज्ञापन प्रसारण से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग/निर्वाचन आयोग के अधीन प्राधिकरणों तथा स्थानीय निकायों के मामले में राज्य निर्वाचन आयोगों की संवीक्षा के अध्यक्षीन होंगे।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निदेश दिया है कि टी.वी. चैनलों तथा केबल टी.वी. नेटवर्क पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापन से संबंधित दिनांक 15 अप्रैल 2004 का उनका आदेश किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लोकसभा अथवा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन से जुड़ी उस अवधि के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू हो, तब निजी एफ.एम. चैनलों सहित रेडियो के विज्ञापनों पर भी लागू होगा। तदनुसार रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के किसी विज्ञापन के प्रसारण के लिए, प्रसारण के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन, प्रसारण से पूर्व संवीक्षा एवं विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति देने के लिए संबद्ध राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में गठित किसी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन उसी फार्मेट में प्रस्तुत किया जाएगा जो टेप/सी.डी. एवं प्रस्तावित विज्ञापनों की सत्यापित प्रतिलेख सहित टी.वी. चैनल/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के लिए दिनांक 15.4.2004 के आदेश में निर्धारित हैं। विज्ञापनों के प्रमाणीकरण का फार्मेट भी वही होगा जो दिनांक 15.4.2004 के

आदेश में निर्धारित हैं। इन आरूपों में दूरदर्शन प्रसारण को रेडियो पर विज्ञापनों के प्रयोजन के लिए प्रसारण के रूप में पढ़ा जाएगा।

4. इसे स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निदेश तथा शर्तें एवं विषय पर उत्तरवर्ती अनुदेश रेडियो पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रसारण पर लागू होंगे।

विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आवेदन

I

- (i) आवेदक का नाम और पूरा पता
- (ii) क्या यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/संघ/संगठन/न्यास द्वारा दिया गया है (नाम लिखें)
- (iii) (क) यदि राजनीतिक दल है, तो उसकी स्थिति (क्या यह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य/गैर मान्यता प्राप्त दल है)।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी है, तो उस संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जहाँ से निर्वाचन लड़ा है।
- (iv) राजनीतिक दल समूह या व्यक्तियों के निकाय, संघ/संगठन/न्यास के मुख्यालयों का पता।
- (v) चैनलों/केबल नेटवर्कों के नाम, जिन पर इस विज्ञापन का प्रसारण प्रस्तावित है।
- (vi) (क) क्या यह विज्ञापन किसी अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के संभावित निर्वाचन लाभ के लिए है।
- (ख) यदि हाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का नाम, पूरा पता तथा निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम (नामों) के साथ प्रदान करें।
- (vii) इस विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि।
- (viii) इस विज्ञापन की भाषा (भाषाएं) (विधिवत् अनुप्रमाणित लिप्यंतरण के साथ विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)।
- (क) (i) विज्ञापन का शीर्षक
- (ख) (ii) विज्ञापन निर्माण की लागत
- (ग) (iii) प्रसारित किए जाने की बारंबारता का विवरण व प्रत्येक बार दिखाए जाने की प्रस्तावित दर के साथ प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत

(घ) (iv) संपूर्ण व्यय (रूप में)

II.

मैं, श्री/श्रीमती सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....(पूरा पता) वचन देता/देती हूँ
कि इस विज्ञापन के निर्माण तथा प्रसारण से संबंधित सारे भुगतान चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए
जाएंगे।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

III.

(किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को छोड़कर किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन के
लिए लागू)

मैं श्री/श्रीमती सुपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....(पूरा पता) एतद्वारा पुष्टि
करता हूँ कि इसके साथ प्रस्तुत विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के लाभ के लिए नहीं है
तथा यह विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा प्रायोजित, कमीशन प्राप्त या प्रदत्त नहीं
है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरदर्शन प्रसारण के लिए विज्ञापन का प्रमाणीकरण

(I)

- (i) आवेदक राजनीतिक दल/अभ्यर्थी/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/संस्था/संघ/ट्रस्ट का नाम और पता :
 - (ii) विज्ञापन का शीर्षक:
 - (iii) विज्ञापन की अवधि :
 - (iv) विज्ञापन में प्रयोग की गई भाषा/भाषाएं :
1. विज्ञापन के प्रस्तुतीकरण की तिथि :
 2. दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रमाणीकरण की तिथि :

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विज्ञापन माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा – निर्देशों के अनुसार दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपयुक्त है ।

स्थान :

दिनांक:

समिति के अध्यक्ष
सदस्यों
पदाभिहित अधिकारी
के हस्ताक्षर

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 491/मीडिया/2010

दिनांक: 08 जून, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- निर्वाचन के दौरान "खरीदी गई खबरों" पर रोक लगाने के उपाय अर्थात् मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन ।

महोदय/महोदया,

1. मुझे उपर्युक्त विषय तथा हाल ही में खरीदी गई खबरों की घटनाओं, जिन्होंने गंभीर निर्वाचन अनाचार के रूप में चौंकाने वाले परिणाम ग्रहण कर लिए हैं तथा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के संदर्भ में आयोग के लिए चिंता का विषय बन गया है, पर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । विभिन्न राजनीतिक दलों तथा मीडिया समूहों ने भी आयोग को इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की है । आयोग के साथ विभिन्न दावा धारकों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हुई वार्तालाप में इस प्रकार के अनाचार, जो कि मतदाताओं की स्वतंत्र इच्छाओं को अनुचित रूप में प्रभावित करने, धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देने तथा निर्वाचनों के संतुलन को भंग करने के संबंध में है, उन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सर्वसम्मति दी है । खरीदी गई खबरों की इस प्रक्रिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 तथा 123 (6) के प्रावधानों को, जो कि निर्वाचन व्ययों के लेखों की सीमा निर्धारित करते हैं और इस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय को निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण बनाते हैं, मात देने का प्रयत्न करते हुए देखा जा सकता है ।
2. आयोग ने विद्यमान प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अधिकतम निगरानी रखने के निदेश दिए हैं ताकि निर्वाचनों के संबंध में प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खरीदी गई खबरों या सेरोगेट विज्ञापन की घटनाओं को रोका जा सके । खरीदी गई खबरों की घटना सामान्यतः किसी पार्टी या अभ्यर्थी विशेष की प्रशस्ति करते हुए अन्यथा विपक्षी दलों की निंदा करते हुए, न्यूज आर्टिकल अथवा रिपोर्ट के रूप में व्यक्त की जाती है किंतु दोनों ही प्रकार से यह मतदाताओं को प्रभावित करने के अभिप्राय से किया जाता है । एक से अधिक अखबारों/पत्रिकाओं में इसी प्रकार के न्यूज आर्टिकल/रिपोर्टिंग (कृत्रिम संशोधन) सामने आने पर परिस्थितिक साक्ष्य के रूप में इसे और अधिक समर्थन मिलेगा चूंकि इस प्रकार के समाचार प्रकाशन अभ्यर्थी/पार्टी के समाचार-पत्र के संपादक, प्रकाशक, वित्तपोषक इत्यादि के अधीन सांठ-गांठ के लिए हुई सौदेबाजी के नकद या अन्य किसी तरह के भुगतान के कोई सबूत नहीं होते ।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 (क) के अधीन कानूनी प्रावधान किसी भी निर्वाचन विज्ञापन, पैम्फलेट इत्यादि के प्रकाशक के लिए प्रकाशक या मुद्रक का नाम व पता छापना आवश्यक होता है तथा ऐसा न करने पर दो वर्ष की सजा और/या 2000/-रु० तक का जुर्माना और हो सकती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच के अनुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना, विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय निषेध है । इस संबंध में दिनांक 16 अक्टूबर 2007 के (आयोग के विस्तृत अनुदेश) संख्या 3/9/2007/जे०एस०-11 देखे जाएं (प्रति संलग्न) । कथित अनुदेश अखबारों इत्यादि में सन्निविष्ट विज्ञापन के रूप में घोषित या विशिष्ट विज्ञापन कवर करते हैं तथा इस प्रकार के प्रकाशनों के लिए अदा की गई राशि का उल्लेख भी करते हैं परंतु खरीदी गई खबरों/सरोगेट खबरों के संबंध में इसका छदावरण खबर के रूप में किया जाता है चाहे यह विज्ञापन का प्रयोजन पूरा कर रहा हो तथा इस प्रकार के भुगतानों का मुश्किल से ही उल्लेख किया जाता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क (1) के प्रयोजनार्थ, निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का अर्थ किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजनार्थ वितरित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पैम्फलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज होते हैं । इस प्रकार से खरीदी गई खबरे भी अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में आती हैं तथा निर्वाचन पैम्फलेट और पोस्टर में शामिल किए जाने के अधीन है तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। अतः प्रिंट मीडिया में न्यूज रिपोर्टिंग के प्रत्यक्ष मामले में किसी विशेष अभ्यर्थी या पार्टी को समर्पित होने/लाभ पहुंचाने या अन्य अभ्यर्थी/पार्टियों को अनदेखा करने/पक्षपात करने के मामले में जांच किया जाना अपेक्षित है।
4. उपर्युक्त जांच के प्रयोजनार्थ आयोग ने निदेश दिए हैं कि निर्वाचनों की घोषणा होते ही सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाए ताकि वे उन सभी प्रकाशित या जिले में परिचालित सभी समाचार पत्रों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा कर सकें और निर्वाचन अवधि के दौरान छपने वाले न्यूज कवरेज के रूप में राजनीतिक विज्ञापनों का पता लगा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रिंट मीडिया में किसी भी रूप में प्रकाशित विज्ञापनों, जिसमें खबरों के रूप में सरोगेट विज्ञापन भी शामिल हैं, का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करना चाहिए तथा जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, अभ्यर्थियों/राजनीतिक पार्टियों को नोटिस दिए जाएं ताकि उन पर किए गए व्यय को संबंधित अभ्यर्थी/पार्टी के लेखों में विधिवत रूप से दिखाया जा सके।
5. इसी प्रकार से जिला समिति को जिला में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने वाली निर्वाचन खबरों/विशिष्टताओं इत्यादि पर नजर रखनी चाहिए । जब टेलीविजन/रेडियो चैनलों पर अभ्यर्थी के भाषण/गतिविधियों की असंगत कवरेज की जाती है तथा जो मतदाताओं को प्रभावित कर किसी विशेष अभ्यर्थी को निर्वाचक लाभ दिला सकती है।
6. निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए जाने से पूर्व इन सभी विज्ञापनों की समीक्षा, संवीक्षा और सत्यापन करने के लिए एस एल पी सी सं० 6679/2004 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाम जेमिनी टी वी प्राइवेट

लिमिटेड और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप, आयोग ने पहले ही आदेश सं० 509/75/2004/न्या०अनु०-1, दिनांक 15 अप्रैल, 2009 जारी कर दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के उन न्यूज रिपोर्टों, जिनकी प्रकृति राजनीतिक है, परन्तु जिन्हें राजनीतिक घोषित नहीं किया गया है, की भी संवीक्षा करने के लिए इन समितियों को सुदृढ़ कर सकते हैं। ऐसी समितियों की संस्तुति के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों/दलों को नोटिस जारी किया जा सकता है।

7. आयोग को ऐसे सभी मामलों की सूचना दी जानी चाहिए जहाँ दलों/अभ्यर्थियों को पूर्वोक्त नोटिस जारी किए जाते हैं।
8. इस पत्र की पावती भेज दी जाए तथा की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को दी जाए।

भवदीय,

ह०/—
(तपस कुमार)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 491/मीडिया/2011

दिनांक 18 मार्च, 2011

सेवा में,

सभी राज्य एवं संघ
राज्य क्षेत्रों के (मुख्य निर्वाचन अधिकारी)
(कृपया ध्यान दें – असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल)

विषय:— निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' की जांच के उपाय अर्थात् मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन ।

महोदय,

मुझे उक्त विषय पर आयोग के क्रमशः दिनांक 8 जून, 2010 और 23 सितम्बर, 2010 के पत्र सं० 491/मीडिया/2009 का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि नीचे (ग) में दिए गए सदस्य के अतिरिक्त भारत सरकार के पृथक मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के एक अधिकारी को, पेड न्यूज पर जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के आदेशों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए राज्य स्तरीय समिति का सदस्य बनाया जाए।

वैसे भी, राज्य स्तरीय समिति (टेलीविजन चैनल और केबल नेटवर्क पर विज्ञापन के प्रमाणन के लिए राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा किए गए आवेदन पर विचार के लिए) अब से निम्नलिखित संयोजन/गठन के साथ राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति कहलाएगी ।

- (क) अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचक अधिकारी – अध्यक्ष
- (ख) राज्य की राजधानी में स्थित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का कोई रिटर्निंग अधिकारी
- (ग) एक विशेषज्ञ, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अधिगृहीत कोई अधिकारी हो ।
- (घ) ऊपर (ग) के विशेषज्ञ के अलावा भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करता हुआ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा का एक अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर का) ।

भवदीय,
ह०/—
(यशवीर सिंह)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 491 / मीडिया / 2011(विज्ञापन)

दिनांक' 16 अगस्त, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ
राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचनों के दौरान राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ता/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनलों पर अभ्यर्थी के विज्ञापनों के बारे में दिशा-निर्देश ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग को राजनीतिक पार्टियों या उनके कार्यकर्ताओं/कार्यालय धारकों के स्वामित्व वाले टी वी/केबल चैनल नेटवर्क पर पेड-न्यूज या विज्ञापनों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रसंग प्राप्त हुए हैं । ये शिकायतें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, जर्नलिस्टों या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त हुई है । ऐसे दृष्टान्तों को निपटाने में एकरूपता लाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करने के अनुदेश दिए हैं :-

1. लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विधान सभा की समाप्ति से छः महीने पहले, जैसा भी मामला हो, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रसारित/परिचालित टी वी चैनलों/रेडियों चैनलों/समाचार पत्रों की सूची और उनके मानक दर कार्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिए और आयोग को अग्रेषित किये जाने चाहिए ।
2. जिला और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अभ्यर्थी से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी राजनीतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण करेगी और रिटर्निंग अधिकारी को सूचित करेगी, जिससे वे अपने निर्वाचन व्यय के लेखों में मानक दर कार्ड पर आधारित अनुमानित व्यय शामिल करने के लिए अभ्यर्थी को नोटिस जारी करे, भले ही उन्होंने वास्तव में चैनल/समाचार पत्रों को किसी राशि का भुगतान न किया हो अर्थात् अन्यथा मामला पेड-न्यूज का हो । इसमें उसकी निर्वाचकीय संभावना को प्रभावित करने के लिए अभ्यर्थी की ओर से किसी स्टार अभियानकर्ता या अन्यो द्वारा प्रचार भी शामिल है । नोटिस की एक प्रति निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को भी निर्देशित की जाएगी ।

3. संसदीय या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन होने पर उप निर्वाचनों की घोषणा होते ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मानक दर कार्ड प्राप्त किया जाएगा और उसके तुरन्त बाद मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति द्वारा समुचित कार्यवाही की जाएगी ।
4. 'पेड न्यूज' के मामले की तरह मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अभियान प्रारम्भ होने से पहले राजनीतिक दलों और मीडिया सदनों को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के विषय में जानकारी देंगे ।
5. मानक दर कार्ड के उपयोग से संबंधित कोई तकनीकी संदेह होने पर मामले को सलाह के लिए डी ए वी पी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा ।

इन अनुदेशों को पेड-न्यूज के दिनांक 8 जून, 2010, 23 सितम्बर, 2010 और 18 मार्च, 2011 के आयोग के पहले के परिपत्रों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इसे शीघ्र सभी सम्बन्धित लोगों की जानकारी में लाया जाना चाहिए।

भवदीय,
ह0 / -
(यशवीर सिंह)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं: 3/9/2007/जे एस II

दिनांक: 16.10.2007

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक अधिकारी

विषय:- पैपलेट्स, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध।

महोदय,

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों के संबंध में आयोग के दिनांक 24.08.2004 के पत्र सं 3/9/2004/जे एस-II का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि प्रिंट मीडिया में जो विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं उनमें से कुछ प्रतिनिधि सरोगेट हैं तथा कुछ किसी संस्था के नाम से हैं।
3. प्रिंट मीडिया, विशेषतः अखबारों में निर्वाचन अवधि के दौरान किसी विशेष अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए या उसके विरुद्ध प्रकट होने वाले विज्ञापनों के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए:

1/क½ ऐसे विज्ञापनों के मामले में, जिनके स्रोत का पता नहीं है, निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

1/द½ यदि विज्ञापन अभ्यर्थी की सहमति या जानकारी से दिया गया है तो इसे संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत माना जाएगा और अभ्यर्थी 1/र्थियों½ के निर्वाचन व्यय लेखे में डाला जाएगा।

1/ई½ यदि विज्ञापन के साथ अभ्यर्थी का प्राधिकार पत्र नहीं है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171/ज½ के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के अभियोजन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए 1/संबंधित अभ्यर्थी 1/र्थियों½ से लिखित प्राधिकार के बिना विज्ञापन में व्यय करना½

1/ख½ यदि विज्ञापन में प्रकाशक की पहचान न दी गई हो तो आप संबंधित समाचार पत्र से सूचना प्राप्त कर संपर्क कर सकते हैं तथा उपरोक्त अनुसार उचित कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं।

4. अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों सहित रिटर्निंग अधिकारियों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के बारे में सूचित किया जाए ताकि उनका अनुपालन किया जा सके। इस संबंध में की गई कार्रवाई की आयोग को पृष्ठांकित करते हुए पुष्टि की जाए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी इत्यादि को अनुदेशों की प्रति जारी की जाए।

5. कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय
ह0 / -
(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य राजनीतिक दलों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं० 576/3/2005/न्या०अनु०-11, दिनांक 29.12.2005

विषय:- राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के संबंध में ।

1. मुझे आपका ध्यान निर्वाचन व्ययों के लेखों के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 की उपधारा (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है । उक्त उपधारा के अंतर्गत स्पष्टीकरण 1(क) के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपने राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम के लिए वायुमार्ग से या अन्य किसी से की गई यात्रा पर उपगत व्यय, कथित धारा के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा । यहाँ यह नोट किया जाए कि उक्त स्पष्टीकरण 1(क) के अधीन प्रदान किया गया लाभ केवल तब ही उपलब्ध होगा, जब नेताओं के नामों (गैर मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 20 तथा मान्यता प्राप्त दल के मामले में अधिकतम 40) की सूचना, उप धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन के लिए अधिसूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर आयोग को तथा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जाए ।
2. ऊपर लिखित उपबंध पहले भी राजनीतिक दलों के संज्ञान में लाए गए हैं । राजनीतिक दलों को ऊपर स्पष्ट की गई धारा 77 (1) के उपबंधों को ध्यान में रखने का परामर्श दिया जाता है । इस क्रम में यदि कोई राजनीतिक दल उक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण 2 की अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो उस पार्टी को स्पष्टीकरण 1 के अधीन दिए जाने वाले लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे, तथा ऐसे दलों के मामले में सभी नेताओं के यात्रा व्यय संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा में सम्मिलित किए जाएंगे ।
3. आपका ध्यान आयोग के पत्र सं० 437/6/97/योजना-111, दिनांक 18.3.1997 (प्रति संलग्न) में निहित अनुदेशों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है । उक्त पत्र के अनुदेशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों का विवरण संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराया जाना अपेक्षित है । इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि दुपहिया वाहन जैसे मोटर साइकल, स्कूटर, मोपेड इत्यादि भी उक्त पत्र के अनुदेशों के अंतर्गत आते हैं, तथा ऐसे वाहनों से संबंधित सूचना भी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज की जानी अपेक्षित है ।
4. जहाँ राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान में विमान/हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है, वहाँ संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसकी पूर्व-सूचना दी जानी चाहिए । ऐसी सूचना देते समय भाड़े पर लिए जाने वाले वायुयानों/हेलीकॉप्टरों की संख्या, उस कंपनी का नाम, जहाँ से वायुयान/हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए हैं, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । आगे किसी भी वायुयान/हेलीकॉप्टर को निर्वाचन प्रचार अभियान के लिए उपयोग किए जाने के तीन दिनों के भीतर कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की पूर्ण जानकारी, उड़ानों की संख्या तथा भुगतान किए

गए/किए जाने वाले किराए भाड़े के साथ यात्रियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

5. कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं०
437/6/97-पीएलएन-III दिनांक 18 मार्च, 1997

विषय : लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन-निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरुपयोग पर अनुदेश-तत्संबंधी।

1. आयोग निर्वाचन अवधि के दौरान वाहनों के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाने के लिए अनुदेश जारी करता रहा है जिसका कड़ाई से पालन एवं अनुसरण किया जाना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता संरक्षित करने और उसे लोगों के सही विकल्प का प्रतिबिंब बनाने के हित में आयोग ने, अब निदेश दिया है कि निम्नलिखित अनुदेशों का लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के सभी साधारण एवं उप-निर्वाचनों में कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। ये अनुदेश संविधान के अनुच्छेद 324 और इस ओर से आयोग को समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
2. निर्वाचन प्रचार प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कारों/वाहनों को किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे हो जाने तक, किसी भी परिस्थिति में, तीन से अधिक वाहनों के काफिले में आने-जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अपेक्षाकृत बड़े काफिलों को टुकड़ों में बांटा जाएगा, चाहे उनमें केन्द्रीय या राज्य सरकार के किन्हीं मंत्री ही को क्यों ले जाया जा रहा हो। हालांकि, यह ऐसे किसी व्यक्ति के संदर्भ में निर्गत सुरक्षापरक अनुदेशों की शर्त के अधीन होगा। दूसरे शब्दों में, काफिले में, किसी भी परिस्थिति में, उस खास व्यक्ति के सुरक्षापरक श्रेणीकरण के दृष्टिगत अनुमत सुरक्षा वाहनों सहित किसी भी व्यक्ति के तीन से अधिक वाहन नहीं होंगे।
3. निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे हो जाने तक, किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में जिला प्रशासन, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा अन्य पार्टी नेताओं के साथ रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों पर निकटता से नजर रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आयोग के अनुदेशों की अवहेलना न की जाए।
4. अगर कोई व्यक्ति, काफिले को टुकड़ों में बांट दिए जाने के बावजूद, ऊपर विहित सीमाओं से परे जाकर वाहनों के काफिले में आता-जाता है तो यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का दायित्व होगा कि ऐसे वाहनों को, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे हो जाने तक, आयोग के निदेशों के उल्लंघन में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति न दी जाए।
5. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को कहा जाए कि वे प्रचार शुरू करने से पहले ऐसे सभी वाहनों के विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी या इस ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को उपलब्ध कराएं जिनका वे निर्वाचन प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी अतिरिक्त वाहनों की आगे कोई भी तैनाती केवल तभी की जाएगी जब अभ्यर्थियों या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय का नोटिस दे दिया जाए। निर्वाचन अभियान के लिए तैनात किए

जाने वाले वाहनों का विवरण देते समय उन क्षेत्र तहसील (लों) के विवरण भी सम्प्रेषित किए जाने चाहिए जिनमें वाहन प्रचालित होंगे।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तरह प्राप्त विवरणों को निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों को उपलब्ध कराना चाहिए।

7. अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेंटों द्वारा जिला प्रशासन को दी गई जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार के लिए नियोजित वाहन प्रशासन द्वारा अधिग्रहित नहीं किए जाने चाहिए।

8. यदि ऐसा कोई वाहन प्रचार-अभियान में इस्तेमाल में लाया जाता पाया जाता है जो प्रचार के लिए जिला प्रशासन के पास पंजीकृत नहीं है, तो यह अभ्यर्थी द्वारा अनधिकृत प्रचार माना जाएगा और उस पर भारतीय दंड संहिता के अध्याय **IX** के के दंडिक उपबंध लागू होंगे और इसलिए, उस वाहन को निर्वाचन-प्रक्रिया से तत्काल हटा दिया जाएगा।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 10.4.2004 का पत्र सं० 76/2004/जे०एस०-।।

विषय:- बैरीकेडों तथा मंच इत्यादि पर उपगत किए जाने वाला व्यय ।

1. आयोग के दिनांक 21 अक्टूबर, 1994 के आदेश संख्या 437/6/ई एस/0025/94/एम सी एस के साथ पठित (अनुदेश 2004 के अनुदेशों का सार-संग्रह की मद संख्या 133 के रूप में पुनः प्रस्तुत) दिनांक 29 मार्च, 1996 के आयोग के पत्र सं० 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी राजनीतिक नेता या अभ्यर्थी द्वारा प्रचार अभियान के संबंध में सुरक्षा व्यवस्थाओं यथा बैरीकेडिंग/मंच इत्यादि पर उपगत व्यय संबंधित राजनैतिक दल द्वारा किया जाएगा। आयोग में इस संबंध में शंकाए प्राप्त हुई हैं कि क्या मंचों/बैरीकेड्स के निर्माण पर व्यय राजनैतिक दल से लिया जाएगा या राजनैतिक दल से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के समूह या उस विशेष अभ्यर्थी, जो कि बैठक के उस अवसर पर उपस्थित थे, जहाँ राजनैतिक दलों के नेता भाग लेते हैं, के खाते में डाला जाएगा ।
2. राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय तथा अभ्यर्थियों द्वारा उपगत व्यय में अंतर दिखाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308) में मार्गदर्शी सिद्धांत निरूपित किए हैं जहां शीर्ष न्यायालय ने अवलोकन किया है कि 'किसी अभ्यर्थी को समर्थन देने वाले राजनीतिक दल जब सामान्य दलीय प्रचार से हटकर उसके निर्वाचन के संबंध में व्यय करता है तथा वह अभ्यर्थी जानबूझ कर उसका लाभ उठाता है और कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेता है और उस पर हुए व्यय या स्वीकृति या मौन सहमति को अस्वीकार कर देता है तब कुछ विशेष परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना उचित ही होगा कि उसी ने राजनैतिक दलों को ऐसा व्यय करने के लिए प्राधिकृत किया है और वह यह कहकर कि उपगत व्यय उसके द्वारा नहीं बल्कि उसकी पार्टी द्वारा किया गया है, उच्चतम सीमा की सख्ती से नहीं बच सकता ।
3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 में संशोधन करने पर धारा 77 के स्पष्टीकरण 2 के अधीन आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा यात्रा पर किए गए व्यय ही केवल अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के खाते में शामिल होने के कारण छूट प्राप्त करेंगे । राजनीतिक दलों द्वारा किए गए अन्य उपगत/प्राधिकृत खर्च, अन्य संघ व्यक्ति निकाय/व्यष्टि निकायों को भी अभ्यर्थी के खाते में समाविष्ट किया जाना अपेक्षित है ।
4. आयोग ने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्दिष्ट किया है । :-
 - (i) दलों/आयोजकों की ओर से सुरक्षा प्रबंधक के मद्देनजर सरकारी एजेंसियों द्वारा शुरू में बनाए गए बैरीकेड्स/मंचों पर व्यय उस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक होती है

या जब राजनीतिक दल के नेता ऐसी किसी बैठक को संबोधित करते हैं, तो उस समय उपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के समूह के खर्च में डाल दिया जाएगा। जब किसी मामले में 'नेता' की ऐसी कथित बैठक के समय किसी राजनीतिक दल के एक से अधिक अभ्यर्थी उपस्थित हैं, तो व्यय को सभी के मध्य विभाजित कर दिया जाएगा तथा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, जहाँ ऐसी बैठक होती है, बैठक के तीन दिनों के अंदर संबंधित सरकारी एजेंसी से अंतिम खर्चा प्राप्त कर अभ्यर्थी को उसके व्यय की हिस्से की जानकारी देंगे। यह जानकारी अन्य अभ्यर्थियों से संबंधित जिलों के रिटर्निंग आफिसर/निर्वाचन क्षेत्रों के जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी जाएगी।

- (ii) जहाँ अभ्यर्थियों अथवा राजनीतिक दल अथवा आयोजकों द्वारा सुरक्षा मामलों के कारण उनकी अपनी निधि से मंच/बैरीकेड का निर्माण किया जाता है, वहाँ यह राशि नेता की सभा में उपस्थित संबंधित अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थियों के दल के लेखों में दर्शायी जाएगी। इन लेखों को निर्वाचन प्रेक्षक या लेखे की संवीक्षा के लिए नियुक्त नामित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।
5. आयोग ने आगे यह निदेश दिया है कि उन सभी मामलों में, जहाँ सरकारी एजेन्सियों द्वारा अवरोधों/मंचों का निर्माण किया जाता है, अभ्यर्थी/राजनीतिक दल/आयोजक पहले ही अवरोधों/मंच की अनुमानित लागत जमा करेंगे।
6. चालू साधारण निर्वाचन के प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए जारी की गई अधिसूचना की तिथि के मध्य उन मर्दों पर पहले से उपगत व्यय के लिए संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग की निर्देश सं० 76/81, दिनांक 18.09.1981

विषय:- निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना ।

निदेश

अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1971 के नियम 89 के अनुसरण में और इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों के अधीन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किसी साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखा से संबंधित कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए, आयोग यह निदेश देता है:-

- (i) निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ दाखिल प्रत्येक वाउचर पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता, यदि कोई हो, के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे :
- (ii) जब निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी, जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करता है, तब जिला निर्वाचन अधिकारी तत्काल एक पावती जारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लेखा प्रस्तुत करता है तो संबंधित व्यक्ति को पावती जारी की जाएगी और यदि लेखा डाक के माध्यम से प्राप्त होता है तो पावती डाक द्वारा भेजी जाएगी। पावती निर्वाचन व्ययों के लेखों के रख-रखाव के लिए प्रपत्र के अनुसार होगी।
- (iii) जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 में यथा अपेक्षित भारत निर्वाचन आयोग को 30 दिन की समाप्ति के 10 दिनों के अंदर, जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना अपेक्षित होता है, अपनी रिपोर्ट भेजेगा ।
- (iv) निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अधीन जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के अंदर तथा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों के अपने लेखे दाखिल करने में असफल रहता है, उसे पंजीकृत ए.डी. पावती डाक से केवल एक ही 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जाएगा।
- (v) जब पंजीकृत डाक से नोटिस जारी किया जाता है तो जब तक कि पत्र उचित अवधि या कहीं एक महीने के अंदर अवितरित ही वापिस न आ जाए तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी को नोटिस दे दिया गया है। नोटिस जारी होने की तारीख के बाद एक महीने की समाप्ति पर मामले को निपटा दिया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी के साथ सभी पत्राचार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दिए उसके पते पर ही किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन हुआ है तो पत्राचार के लिए वह उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविलंब इस परिवर्तन के संबंध में निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग की पत्र संख्या 76/98/जे.एस.-।। दिनांक 30.10.1998

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विहित रजिस्टर में निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे का रख-रखाव करने - जाँच के लिए अधिकारियों/व्यय प्रेक्षकों को प्रस्तुत करने - अनुपालन करने के संबंध में ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन से संबंधित कार्यों में अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने तथा रोक लगाने के उपायों के रूप में, आयोग ने विस्तृत प्रोफार्मा वाला एक रजिस्टर तैयार किया है जो निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा उनके निर्वाचन से संबंधित प्रचारों पर निरंतर दिन-प्रतिदिन के आधार पर भरकर रखा जाएगा। आयोग के पत्र संख्या 76/98/जे.एस.-।। दिनांक 19.1.1998 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले के अन्दर स्थित अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट/पदाभिहित करना चाहिए, जिनके समक्ष निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय-लेखा रजिस्टर का निरीक्षण तथा जाँच के प्रयोजन से समय-समय पर प्रस्तुत करें। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतिक्रिया में आयोग ने उपर्युक्त पत्र द्वारा आगे अनुदेश जारी किए थे कि यद्यपि निर्वाचन व्ययों के लेखे का दैनिक आधार पर रख-रखाव किया जाएगा इसे निरीक्षण तथा जाँच के प्रयोजन से तीन दिनों में केवल एक बार पदाभिहित अधिकारी के पास प्रस्तुत करना जरूरी है।

1. आयोग को यह पता चला है कि कुछ मामलों में कुछ अभ्यर्थी अपने दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों के रजिस्टर को माँगे जाने के बावजूद पदाभिहित अधिकारियों तथा यहाँ तक कि आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकों को भी दिखाने की परवाह नहीं करते हैं।
2. स्पष्ट रूप से यह एक युक्तियुक्त धारणा को सामने लाता है कि इस मामले में व्ययों का लेखा, विधि द्वारा अपेक्षित दिन-प्रतिदिन के आधार पर नहीं रखा जा रहा है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ऐसी रीति से तैयार किया जा रहा है, जो वस्तुतः अभ्यर्थी द्वारा उपगत किये गए व्ययों का सही लेखा प्रस्तुत नहीं करता । अतः आयोग निदेश देता है कि जहाँ अभ्यर्थी को नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अपने निर्वाचन व्ययों के दिन-प्रतिदिन के लेखे वाला रजिस्टर पदाभिहित अधिकारी/प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी दोषी अभ्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-झ के अधीन शिकायत दर्ज कराएगा।
3. इसके अलावा, यह तथ्य कि क्या अभ्यर्थी ने अपने व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखे वाले रजिस्टर को पदाभिहित अधिकारी/व्यय प्रेक्षक को समय से जाँच करने के लिए प्रस्तुत किया है तथा क्या इस संबंध में अनुपालन न करने के लिए किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसका रिपोर्ट के

टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 (1) (रिटर्निंग ऑफिसर पुस्तिका का संलग्नक-49) के अधीन आयोग को इस आशय से भेजता है कि क्या अभ्यर्थियों ने निर्वाचनों पर अपने व्यय का विवरण दाखिल किया है या नहीं।

इसे सभी सम्बन्धितों, विशेष रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के ध्यान में लाया जाए ताकि उन्हें दण्डरूप परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता चले कि यदि वे पदाभिहित अधिकारी/प्रेक्षकों को अपने निर्वाचन व्ययों वाले रजिस्ट्रों को उचित समय से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें भुगतना पड़ सकता है।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित भारत निर्वाचन आयोग का दिनांक 12.3.2004 का पत्र संख्या 76/2004/जे.एस.-।।

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्ग दर्शन के लिए अनुदेश - अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्यय के लेखों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

मुझे उक्त विषय में आयोग के दिनांक 29.10.2003 के परिपत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। आयोग ने (पैरा-5 में) निदेश दिया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित रजिस्टर में अनुरक्षित सहायक दस्तावेजों सहित दैनिक लेखे को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचन प्रेक्षक या इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन दिन में एक बार निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना होगा।

मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कई पार्टियों ने इन अनुदेशों के पुनरीक्षण का निवेदन किया है क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में हर तीसरे दिन जाना बहुत बार अभ्यर्थी के लिए असुविधाजनक हो जाता है। आयोग ने इस मामले पर विचार किया है और इस संबंध में अपने निदेशों का पुनरीक्षण किया है और अब निदेश दिया है कि पूरे निर्वाचनों के दौरान लेखों की संवीक्षा केवल तीन अवसरों पर की जाए। तदनसार, अभ्यर्थी को अपने व्यय के लेखों से सम्बन्धित दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/निर्वाचक प्रेक्षक को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कम से कम तीन बार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित किया जायगा कि प्रत्येक निरीक्षण के मध्य लगभग 4 दिन का अन्तराल होगा और प्रथम निरीक्षण अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद से तीसरे दिन या उसके बाद होगा।

आयोग के दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के पत्र में निहित निदेश केवल ऊपर उल्लिखित निरीक्षण अनुसूची के सम्बन्ध में संशोधित माने जा सकते हैं। इसमें निहित अन्य सभी अनुदेश लागू और प्रभावी रहेंगे। इन्हें, विद्यमान संशोधित निरीक्षण अनुसूची के साथ सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों को सूचित किया जाएगा।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित आयोग का दिनांक 29.10.2003 का पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-॥

विषय:- साधारण निर्वाचन/उप निर्वाचन-निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश - अतिरिक्त उपाय के रूप में निर्वाचन व्ययों के लेखों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

मुझे उपरोक्त विषय में आयोग के दिनांक 19.01.1998 के पत्र सं० 76/98/न्या०अनु०-॥ की ओर ध्यान दिलाने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के स्थायी अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर अपने निर्वाचन व्यय के लेखों का निर्धारित रजिस्टर में रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है। साथ ही उन्हें इस रजिस्टर को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के लिए समर्थक दस्तावेजों सहित जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों या आयोग द्वारा नामित ऐसे किसी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माँगे जाने पर रजिस्टर उपलब्ध करवाने में असफलता को बहुत बड़ी त्रुटि के रूप में माना जाएगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा समर्थक दस्तावेजों सहित यह रजिस्टर केवल तीन दिन में एक बार उपलब्ध करवाना होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 के अधीन दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 के पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-॥ द्वारा आयोग ने अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन लेखों के अनुरक्षण के लिए संशोधित प्रपत्र निर्धारित किया है जो अब आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। धारा 77 (1) के अधीन (निर्वाचन एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003, पहले ही आपको भेज दिया गया है। देखें) स्पष्टीकरण 2 के अधीन समावेशित राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के यात्रा व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखों में सम्मिलित करने से छूट दी जाएगी। राजनीतिक दलों, अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तिगत रूप से उपगत/प्राधिकृत अन्य सभी व्यय अभ्यर्थी के लेखों में शामिल किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों द्वारा अनुरक्षित लेखों की संवीक्षा को सरल एवं कारगर बनाने के लिए आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए हैं :

1. जैसा कि आयोग के दिनांक 24.10.2003 के पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-॥ द्वारा पहले ही निर्धारित किया गया है, मानक फार्म में एक रजिस्टर, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके नामांकन के तत्काल बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को, उसके दिन-प्रतिदिन के व्यय के लेख को रखने के लिए जारी कर दिया जाना चाहिए।
2. रजिस्टर में विधिवत पृष्ठ सं० डाली जानी चाहिए और जारी किए जाते समय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

3. अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा सभी दिन-प्रतिदिन के लेखों को इस रजिस्टर में ईमानदारी से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य दस्तावेज में।
4. उपगत या प्राधिकृत व्यय के समर्थन में सभी दस्तावेज जैसे-वाउचर, पावतियां बिल इत्यादि दैनिक आधार पर व्यय और प्राधिकृत किए जाते समय ही प्राप्त कर लिए जाने चाहिए, उपरोक्त रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 86 के अधीन निर्धारित है।
5. उपरोक्त रजिस्टर में समर्थक दस्तावेजों सहित अनुरक्षित दैनिक लेखों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी/आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक या आयोग द्वारा इस विषय में नामित किसी अन्य प्राधिकारी को तीन दिन में एक बार निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण की एक अनुसूची तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का लेखा प्रस्तुत करने का तीन दिन का चक्र इस तरह तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक दिन संबंधित अधिकारी को एक या अधिक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लेखों की संवीक्षा करनी होगी। अन्य शब्दों में नाम दाखिल करने से परिणाम घोषित किए जाने के बीच की अवधि के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की लेखा संवीक्षा के लिए दाखिल करने की बारी हर तीसरे दिन पड़ेगी।
7. अभ्यर्थियों के लेखों की संवीक्षा, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी और या निर्वाचन प्रेक्षक या नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी और वे रजिस्टर के संबंधित पृष्ठों की दो फोटो प्रतियाँ रखेंगे। रजिस्टर से संबंधित पृष्ठ की एक कॉपी रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड में लगाई जाएगी और दूसरी कॉपी रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड के प्रमाण के रूप में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अलग फाइल में रहेगी और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी।
8. यदि कोई व्यक्ति इन दिन-प्रतिदिन के लेखों की प्रतिलिपि चाहता है तो सामान्य प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इसकी प्रतिलिपि दी जाएगी।
9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अधीन निर्वाचन व्यय के लेखों को दाखिल किए जाते समय अभ्यर्थी को निर्धारित रजिस्टर निर्वाचन व्ययों के सार विवरण तथा आयोग के दिनांक 24.10.2003 के आदेश सं0 76/2003/न्या0अनु0 द्वारा निर्धारित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आयोग ने दोहराया है कि उपरोक्त अनुदेश स्पष्ट किए जाएं और सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षकों की जानकारी में लाए जाएं और यह जिला निर्वाचन अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस विषय में आयोग के अनुदेशों का उचित रूप से पालन किया जाता है।
कृपया पावती भेजें।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 3.4.2004 का पत्र सं0 3/1/2004/न्या0अनु0-।।

विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के प्रयोजन के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण-2 के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों को उक्त धारा के अधीन स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (1) का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नेताओं के नाम आयोग और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संचारित करने अपेक्षित हैं।

आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में राजनीतिक पार्टियों से प्राप्त प्रत्येक सूची की प्रतिलिपि, राज्य में सभी प्रेक्षकों एवं सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 06.08.2004 का पत्रांक 76/2004/न्या0अनु0-।।

विषय: निर्वाचन व्ययों के लेखों के स्पष्टीकरण के संबंध में।

मुझे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों के लेखों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधानों की ओर आपका ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है। आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ मामलों में नामांकन दाखिल करने से पहले ही भावी अभ्यर्थी को पहले से तैयार की गई प्रचार सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के व्ययों के लेखे संबंधी प्रश्न उठाए गए हैं। पूर्व में, कुछ अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों से उन मदों पर उपगत व्यय को इस बहाने से हटा दिया कि केवल नामांकन दाखिल करने के दिन उपगत व्यय के लिए ही लेखा देना होता है।

इसे स्पष्ट किया गया कि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रख-रखाव करते हुए उन सभी व्ययों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो नामांकन की तिथि से पहले सामग्रियों इत्यादि को तैयार करने में उपगत व्यय, जिसका वास्तविक उपयोग निर्वाचन के संबंध में नामांकन अवधि के समाप्त होने पर किया जाता है।

उपर्युक्त निदेशों को आगामी निर्वाचनों में सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

कृपया पावती भेजें।

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 06.10.2005 का पत्र सं० 76/ई ई/2005/जे०एस०।।।

प्रतिलिपि: भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन), राष्ट्रीय जनता दल तथा लोक जन शक्ति पार्टी तथा इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसकी सूचना सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ-साथ उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रेक्षकों को भी दे दी जाए, जहाँ से उपरोक्त दलों के अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे थे। (मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया कि वे रिटर्निंग ऑफिसरों को यह अनुदेश दे कि वे निम्नलिखित स्थिति की सूचना ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भी दें।)

विषय:- निर्वाचन अभियान में दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय।

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा के कारण राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं समझा जाएगा बशर्ते इस प्रयोजन के लिए नेताओं के नाम निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिया गया हो। बिहार में चालू साधारण निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण के निर्वाचन में होने वाले मतदान में अधिसूचना दिनांक 23.09.2005 को प्रकाशित की गई तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अधिसूचना दिनांक 28.09.2005 को प्रकाशित की गई। चूंकि आपके दल ने धारा 77 (1) के अधीन उपर लिखित स्पष्टीकरण 1 (क) तथा 2 के प्रयोजन से अपने दल के नेताओं की सूची नहीं भेजी है, अतः इस पर ध्यान दिया जाए कि प्रथम दो चरणों के निर्वाचन में आपके दल के सभी नेताओं के द्वारा उपगत यात्रा व्यय सहित उनके द्वारा किए गए दौरों में उपगत सभी व्यय को संबंधित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से दर्शाया जाएगा जिनके निर्वाचन के संबंध में दौरा किया गया है। यदि यह दौरा अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन के संबंध में किया गया है तो व्यय को उन सभी अभ्यर्थियों के बीच समान रूप से विभजित कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त विधायी स्थिति को नोट किया जाए तथा बिहार में प्रथम तथा द्वितीय चरणों के निर्वाचनों में निर्वाचन लड़ने वाले अपनी पार्टी के सभी अभ्यर्थियों के ध्यान में भी लाया जाए।

जनता दल (युनाइटेड) के अध्यक्ष को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 07.10.2005 का पत्र सं0 76/ईई/2005/जे0एस0-111 तथा इसकी एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि इसकी सूचना सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग ऑफिसरों के साथ-साथ उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के प्रेक्षकों को भी दे दी जाए, जहाँ से ऊपर उपरोक्त दलों के अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे थे। (मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निम्नलिखित स्थिति की सूचना ऐसे सभी अभ्यर्थियों को भी दे दें।)

विषय: निर्वाचन अभियान में दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय।

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए, की गई यात्रा के कारण राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उपगत व्यय, अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत व्यय नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए नेताओं के नाम निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिए गए हों। बिहार के चालू साधारण निर्वाचन के प्रथम चरण में मतदान होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 23.9.2005 को प्रकाशित की गई थी। चूंकि आपके दल ने धारा 77 (1) के अधीन निर्वाचन के प्रथम चरण में 61 निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में ऊपर लिखित स्पष्टीकरण 1 (क) तथा 2 के उद्देश्यों से अपने दल के नेताओं की सूची नहीं भेजी है, अतः इस पर ध्यान दिया जाए कि प्रथम चरण के निर्वाचन में अपने दल के सभी नेताओं द्वारा उपगत यात्रा व्यय सहित उनके द्वारा किए गए दौरे के संबंध में उपगत सभी व्यय को संबंधित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे में आवश्यक रूप से इस आशय से दर्शाया जाएगा कि किए गए दौरे किसके निर्वाचन से संबंधित है। यदि अभ्यर्थियों के दल के निर्वाचन संबंधी दौरे साधारण प्रकार के हैं तो व्यय को समान रूप से ऐसे सभी अभ्यर्थियों के मध्य विभाजित किया जाएगा।

इस कानूनी स्थिति नोट किया जा सकता है और बिहार के प्रथम चरण के चुनाव में लड़ने वाले आपके दल के सभी अभ्यर्थियों के संज्ञान में लाया जाए।

सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं० 76/2007/न्या०अनु०-11, दिनांक 29 मार्च, 2007

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के सन्दर्भ में ।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी उस सारे व्यय का, जो स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, सही लेखा रखेगा । धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन यथा अपेक्षित, राजनीतिक दल के उन नेताओं, जिनके नाम आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित कर दिए गए हैं, द्वारा की गई यात्रा पर व्यय, उक्त धारा के प्रयोजन के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा उपगत या प्राधिकृत नहीं समझा जाएगा ।
2. कुछ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापनों पर उपगत व्यय का, अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा है ।
3. इस सन्दर्भ में, निर्वाचन रैलियों इत्यादि के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों द्वारा उपगत व्यय के मामले में निर्वाचन आयोग के पत्र सं० 76/2004/न्या०अनु०-11, दिनांक 10 अप्रैल, 2004 (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।
4. ऊपर उल्लिखित दिनांक 10.4.04 के पत्र में कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए.आई.आर. 1975 एस सी 308) में सन्दर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि सामान्य दलीय प्रचार को छोड़कर किसी राजनीतिक दल द्वारा उपगत वह व्यय, जिसका सम्बन्ध किसी दिए गए अभ्यर्थी के निर्वाचन से हो, वह उस अभ्यर्थी के व्यय में जोड़े जाने का दायी होगा जो अभ्यर्थी द्वारा सकल रूप से प्राधिकृत किया जा रहा है । शीर्ष न्यायालय ने पुनः यह व्यवस्था की है कि उस मामले में, जब अभ्यर्थी अपने राजनीतिक दल से अलग रहकर निर्वाचन में खड़ा नहीं होता और यदि वह राजनीतिक दल यह नहीं चाहता कि वह अभ्यर्थी निरर्हित हो, तो उसे चाहिए कि वह उस व्यय पर नियंत्रण रखे, जो अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत किया जाए ।
5. किसी भी निर्वाचन के संबंध में विज्ञापनों पर राजनीतिक दल द्वारा उपगत व्यय को निम्नलिखित रूप से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है :
 - (i) पार्टी तथा सामान्य रूप से उसके अभ्यर्थियों के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए दल के सामान्य प्रचार पर उपगत व्यय, परन्तु यह किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के किसी विशेष वर्ग/समूह के सन्दर्भ में न हो ।

(ii) किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से समर्थन और/या मत प्राप्त करने के लिए विज्ञापनों इत्यादि पर दल द्वारा उपगत व्यय ।

(iii) दल द्वारा उपगत वह व्यय जिसे किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के पक्ष में प्रचार के लिए व्यय से जोड़ा जा सकता है ।

6. कंवर लाल गुप्ता के मामले में निर्णय के कुछ हिस्से को लागू करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर वर्ग (i) के अंतर्गत आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा किसी विज्ञापन, चाहे वह प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया में किया गया हो, के मामले में, जिसे किसी अभ्यर्थी या दिए गए अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से न जोड़ा जा सके, उस व्यय को सामान्य पार्टी प्रचार पर राजनीतिक दल का व्यय समझा जाए । ऊपर (ii) और (iii) वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यय के मामले में अर्थात् उन मामलों में, जहाँ व्यय किसी विशेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन से सम्बन्धित हो, तब यह व्यय सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा प्राधिकृत उपगत व्यय समझा जाएगा और ऐसे व्यय की गणना सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे में की जाएगी । ऐसे मामलों में, जहाँ दल द्वारा उपगत व्यय, दिए गए अभ्यर्थियों के किसी समूह के लाभ के लिए हो, तो व्यय को अभ्यर्थियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा ।

7. इस पत्र की विषय-वस्तु को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों, निर्वाचन प्रेक्षकों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए । मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की राज्यीय इकाइयों सहित राज्य में सभी राजनीतिक दलों के भी ध्यान में इसे लाया जाए ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सम्बोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं० 76/2007/न्या०अनु०-11, दिनांक 4 अप्रैल, 2007

विषय: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे के संबंध में।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) यह अधिदेश देता है कि किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत/प्राधिकृत व्यय का सही लेखा रखेगा। धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 1 का खण्ड (क) यह उपबंधित करता है कि किसी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा उस दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए की गई यात्रा पर उपगत व्यय, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए उस राजनीतिक दल के अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में उपगत/प्राधिकृत नहीं माना जाएगा। धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 में यह उपबंधित है कि स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (क) का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दल के नेताओं (मान्यता प्राप्त दलों के मामले में 40 और रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के मामले में 20) की सूची, अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के भीतर आयोग और सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1. जब ऐसा नेता स्वयं अभ्यर्थी भी है, तो धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन शामिल राजनीतिक दल के नेता की यात्रा व्यय की गणना करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। इस निष्कर्ष पर पहुँचना ही तर्कसंगत है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना, जहाँ से वह स्वयं निर्वाचन लड़ रहा है, वह केवल उसके निर्वाचन की संभावना का प्रचार करने के प्रयोजन से है। जब कोई अभ्यर्थी निर्वाचन प्रचार के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र की यात्रा करता है तो इस यात्रा के सम्बन्ध में उपगत व्यय, उसके निर्वाचन व्यय का हिस्सा समझा जाए। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे नेता द्वारा वह निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से वह निर्वाचन लड़ रहा है, के भीतर की गई यात्रा (यात्राओं) के कारण उपगत व्यय को उस व्यक्ति के निर्वाचन व्यय लेखा से छूट नहीं दी जा सकती।

2. यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, राजनीतिक दलों ने धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन उस दल के नेताओं के नाम संसूचित करते समय उन व्यक्तियों के नाम भी शामिल कर दिए हैं जो अन्य राजनीतिक दलों के नेता हैं या जो उस राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।

दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं है, उसे धारा 77 (1) के प्रयोजनों के लिए पार्टी के नेता के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया जा सकता।

3. पहले यह भी देखा गया है कि आयोग को नेताओं की सूची प्रस्तुत कर देने के बाद, राजनीतिक दल उसमें नामों के प्रतिस्थापन के लिए आयोग के पास आते हैं। इस संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि स्पष्टीकरण 2 के उपबंध के अनुसार विधि के अधीन सूची से नाम प्रतिस्थापन की अनुमति केवल तभी मिल

सकती है, जब कि सूची में उल्लिखित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति की संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, अन्य किसी कारण से नहीं ।

4. इन अनुदेशों/स्पष्टीकरणों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग ऑफिसरों तथा सभी निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए । इनको मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्यीय दलों की राज्य इकाईयों समेत राज्य में आधारित सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाए ।

कृपया पावती भेजें ।

प्रतिलिपि: सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना व अनुपालन के लिए ।

सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संबोधित निर्वाचन आयोग का पत्र सं० 437/6/ओ आर/95/एम सी एस/1158, दिनांक 2.9.03.1996 जिसकी प्रति सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पृष्ठांकित कर दी गई थी।

विषय: निर्वाचन दौरों के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर व्यय।

कृपया, निर्वाचनों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बेरिकेड लगाने और मंच तैयार करने इत्यादि पर उपगत किए जाने वाले व्यय के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में श्री वी के. मल्होत्रा, संयुक्त सचिव (सी एस) का दिनांक 21.2.96 के पत्र का संदर्भ लें।

2. आयोग के दिनांक 21.10.94 के आदेश सं० 437/6/ई एस 0025/94/एम सी एस (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, 1994 की रिट याचिका (सिविल) सं० 312 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.4.94 के आदेश में दिए गए आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। आयोग के आदेश में आगे यह निदेश दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचन कार्य और निर्वाचन व्यवस्था जैसे कि बैरिकेड लगाने/मंच तैयार करने इत्यादि कार्य के लिए राज्य/निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, उसका खर्च सम्बन्धित राजनीतिक दल वहन करेंगे।

3. इसलिए, पुनः एक बार यह निदेश दिया जाता है कि आयोग के दिनांक 21.10.1994 के आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित पत्र सं० 437/6/ई एस 0025/94/एम सी एस, दिनांक 21 अक्टूबर, 1994

आदेश

1. आयोग ने अपने पत्र सं० 437/6/93 - यो०अनु.-॥, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 द्वारा पुनः यह दोहराया था कि निर्वाचनों के दौरान प्रचार, निर्वाचन सम्बन्धी कार्य या निर्वाचन से सम्बन्धित यात्रा के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग पूरी तरह और पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है, और यह निदेश दिया था कि किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध रहेगा।

2. आयोग ने अपने पत्र सं० 437/6/94, दिनांक 2 फरवरी, 1994 द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में मंत्रियों के दौरे के विषय में गृह मंत्रालय के परिपत्र सं० 10/17/89 - एम व जी, दिनांक 1 नवंबर, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित किया था और यह पाया कि दण्ड के अभाव में उन अनुदेशों की अवज्ञा कर दी गई और इसलिए

ऊपर संदर्भित गृह मंत्रालय के दिनांक 1 नवंबर, 1989 के अनुदेशों की बिना अवहेलना किए, उसे संशोधित या उसे प्रभावित किए बिना पुनः अनुदेश जारी किया गया था ।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं० 1994 का 312 में (तमिलनाडु राज्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के मामले में छूट की अपेक्षा करने पर निम्नलिखित निदेश दिया है :-

“जबकि हमें निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी है, हमें संदेह है कि निर्वाचन आयोग ने, जैसा कि वह यहाँ अपेक्षा करता है, कुछ विशेष राजनीतिक व्यक्तियों की सुरक्षा अपेक्षाओं पर विचार नहीं किया है, जिन्हें उग्रवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण जीवन का खतरा हो सकता है तथा जिनके लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा अपेक्षित है । निर्वाचन आयोग द्वारा केवल देश के प्रधानमंत्री तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सीमित करना तथा अन्य लोगों के लिए सुरक्षा, जैसा कि दिनांक 31 मार्च, 1994 के पत्राचार में माँग की गई थी, को अस्वीकार करना इस समस्या का समुचित बोध व मूल्यांकन नहीं करता है । सभी मामलों में भारत निर्वाचन आयोग को सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखना होगा । तथापि, हमें एक पहलू स्पष्ट कर देना चाहिए । निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के उतरदायित्व व बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है कि यदि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह है कि निदेशक, तमिलनाडु, विशेष सुरक्षा समूह द्वारा स्थिति के अंतर्गत की गई सुरक्षा अपेक्षाओं का आकलन, स्पष्ट व अनापेक्षित रूप से बहुत ज्यादा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचकों के हितों को अत्यधिक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है तो उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ऐसे मामलों को राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए। ”

4. मंत्रिमंडल सचिवालय ने अपने पत्र सं० 10/22/094 ई एस दिनांक 3/5 मई, 1994 में ये निदेश जारी किए हैं कि विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों की समीपस्थ सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है :-

- (i) प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार के मौजूदा सदस्य
- (ii) किसी पूर्व प्रधानमंत्री या उनके परिवार के मौजूदा सदस्यों को उस तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए ,जब से उस पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय से अपना पद छोड़ा हो ।

5. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रकाश में आयोग ने अपने पत्र सं० 437/6/93/पी एस-11, दिनांक 3 मई, 1994 के समसंख्यक पत्र के पैरा 6 द्वारा यह कहते हुए प्रतिस्थापित कर लिया था कि आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उसके उक्त संदर्भित परिपत्र सं० 437/6/93-11, दिनांक 13/12/1993 के पैरा 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

5(क) उक्त पैरा 2 में उल्लिखित निषेधों में केवल एक ही अपवाद होगा कि प्रधानमंत्री व अन्य राजनीतिक व्यक्तियों, जो अतिवादी तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण उनके जीवन में जोखिम के कारण उनके लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा अपेक्षित है तथा जिनकी सुरक्षा अपेक्षाएं इस संबंध में संसद या राज्य विधान मण्डलों द्वारा बनाए गए किन्हीं भी सांविधिक उपबंधों द्वारा नियंत्रित होती है ।

5(ख) आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन प्रक्रियाओं की शुद्धता को सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारियों तथा बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग, यदि उसे कोई संशय है कि प्राधिकारियों द्वारा उक्त संदर्भित विशेष अधिनियमों या सरकार के किसी विशेष अनुदेशों के अधीन की गई सुरक्षा अपेक्षाओं का आकलन समर्थकों के हितों का इस प्रकार स्पष्टतः पक्षपात रूप से समर्थन कर रहे हैं, तो उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ऐसे मामलों को केन्द्रीय सरकार और/या यथास्थिति राज्य सरकार के संज्ञान में लाएं।

5 (ग) ऐसा करने के लिए आयोग ऐसे किसी भी व्यक्ति के संबंध में की जाने वाली सुरक्षा अपेक्षाओं के निर्धारण संबंधी सूचना संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार से माँग सकता है। संबंधित सरकार द्वारा ऐसी सूचना आयोग को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी।

6. आगे आयोग द्वारा अपने पत्र सं० 437/6/94, दिनांक 14 मई, 1994 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सभी राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया जाता है। साथ ही सांविधिक शक्तियों या अन्य शक्तियों के अधीन जारी किए गए व्यक्तिगत सुरक्षा के आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए।

7. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि जब भी ऐसे व्यक्ति निर्वाचन प्रचार अभियानों और निर्वाचन कार्यों के संबंध में राज्य/निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें तो सुरक्षा प्रबंधों जैसे अवरोधकों/मंचों आदि पर उपगत व्यय का वहन संबंधित राजनीतिक दल द्वारा किया जाएगा।

गुजरात सरकार के केंद्रीय सचिव को संबोधित आयोग का पत्र सं० 437/6/गुजरात/96-योजना अनु०-111
दिनांक 16.01.1998

विषय:- आदर्श आचार संहिता के संबंध में

मुझे प्रधान सचिव, गृह विभाग के दिनांक 13 जनवरी, 1998 के पत्र सं० डी ओ सं० एस वी आई/एस एस ए/1 098/409, के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ व राज्य के सभी मंत्री तथा राजनीतिक दलों के अन्य सभी नेताओं को शासकीय एजेंसियों तथा अन्य व्यवसायिक एजेंसियों द्वारा निर्धारित किए गए आशंका बोध के अनुसार सुरक्षा की अनुमति दी जाएगी । इन व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ कारों तथा अन्य सभी कारों पर व्यय, संबंधित व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, सुरक्षा कार्मिकों पर व्यय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा ।

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित निर्वाचन आयोग का दिनांक 17.03.2004 की पत्र सं० 76/2004/न्या०अनु०-॥

विषय:- निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना - रेट चार्ट तैयार करना।

मुझे उक्त विषय में इन राज्यों में विधान सभा के साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संबोधित आयोग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-॥ की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

उपर संदर्भित पत्र में यह निदेश दिया गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबोधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शाई गई वस्तुओं के मूल्य चार्टों का संकलन करना होगा और मूल्य सूची जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी प्रेक्षकों और नामनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजी जाएगी।

उपरोक्त दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 के पत्र में निहित अनुदेशों का लोक सभा और विधान सभा के चालू साधारण निर्वाचनों और भविष्य के सभी निर्वाचनों में सख्ती से पालन किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-॥

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2003

सेवा में,

1. मध्य प्रदेश, भोपाल
2. छत्तीसगढ़, रायपुर
3. राजस्थान, जयपुर
4. मिजोरम, ऐजवाल
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:-निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना - रेट चार्ट तैयार करना।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने अपने दिनांक 14.10.2003 के पत्र सं० 76/2003/न्या०अनु०-II द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के नये संशोधन के कारण अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय के लेखों के रख रखाव के प्रोफार्मा में हाल ही में संशोधन किया है ।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में दैनिक आधार पर रख रखाव किए जाने वाले व्यय की संवीक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को संलग्न सूची में दिए वस्तुओं के रेट चार्ट को संबंधित जिले में प्रचलित दरों के आधार पर संकलित करना होगा । निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा इन रेट लिस्टों को लेखों की संवीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त सभी नामनिर्दिष्ट अधिकारियों और सभी प्रेक्षकों को जैसे ही वे संबंधित जिले में पहुँचते हैं तुरन्त भेज दिया जाएगा। इस अनुदेश की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षकों को उनके पहुँचने पर दी जा सकती है।

रेट चार्ट

1. एम्पलिफायर एवं माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का भाड़ा शुल्क
2. पोडियम/पंडाल का निर्माण (4-5 व्यक्तियों के लिए मानक आकार)
3. कपड़े का बैनर
4. कपड़े का झंडा
5. प्लास्टिक के झंडे
6. हैण्डबिल (मूल्य का आकलन किया जाए तथा मुद्रण आदेश की जानकारी प्रिंटर से ली जाए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 127 क देखें)
7. पोस्टर
8. होर्डिंग
9. कट आउट (लकड़ी के)
10. कट आउट (कपड़े के/प्लास्टिक)
11. वीडियो कैसेट
12. ऑडियो कैसेट
13. गेट का निर्माण
14. तोरण का निर्माण
15. वाहनों का प्रतिदिन भाड़ा शुल्क
 1. जीप/टैम्पो/ट्रक इत्यादि
 2. सूमो/क्वालिस
 3. कार
 4. श्री व्हीलर
 5. साइकिल, रिक्शा
16. होटल के कमरों/गेस्ट हाउस इत्यादि का भाड़ा शुल्क
17. ड्राइवर का वेतन शुल्क
18. फर्नीचर एवं उससे जुड़ी वस्तुओं का भाड़ा शुल्क (कुर्सी, सोफा इत्यादि)
19. नगर निगम प्राधिकारियों से होर्डिंग साइट का भाड़ा शुल्क

20. अन्य ऐसी वस्तुएं, जो सामान्य रूप से जिले में प्रयोग की जाती हैं ।
(ऐसी मदों की रेट लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को तैयार करनी होगी ।)

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 491/मीडिया पॉलिसी/2010

दिनांक 23 सितम्बर, 2010

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज़' अर्थात् मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन पर रोक लगाने के उपाय

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग के दिनांक 08 जून 2010 के पत्र सं0 491/मीडिया/2009 के क्रम में, मैं दिनांक 30 जुलाई, 2010 के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया संख्या पी आर/2/1011 की रिपोर्ट की प्रति एतद्द्वारा भेज रहा हूँ।

2. रिपोर्ट के निम्नलिखित अंशों पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा आवश्यक कार्रवाई की जाए :

(क) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'पेड न्यूज़' को "प्रतिफल के रूप में नकदी या किसी वस्तु के रूप में मूल्य चुकाने के लिए किसी मीडिया (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक) में आने वाली कोई खबर या विश्लेषण" के रूप में परिभाषित किया है।

(ख) काउंसिल ने इस पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट के पृष्ठ 8 से 10 पर 1996 के अपने दिशा-निर्देशों पर विशेष बल दिया है। दिशा-निर्देशों के पैरा – 1 में उल्लेख है कि " समाचार पत्रों से दूषित निर्वाचन प्रचार में शामिल होने, निर्वाचनों के दौरान किसी अभ्यर्थी/पार्टी या घटना के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण रिपोर्टों की अपेक्षा नहीं की जाती है। समाचार पत्र को, वास्तविक प्रचार पर रिपोर्ट करते समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहिए और उसके या उसके प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से पैरा –5 इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करता है कि प्रेस से किसी विशेष अभ्यर्थी / पार्टी के पक्ष में प्रचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि यह ऐसा करती है, तो वह अन्य अभ्यर्थी / पार्टी को जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगी। " अतः उपर्युक्त दिशा – निर्देशों से विचलित होने से 'पेड खबरों' की प्रथम दृष्टया जांच – पड़ताल का मामला बनना चाहिए।

3. रिपोर्ट के अन्य अंश सूचनार्थ है। आयोग द्वारा विशेष कार्रवाई, यदि कोई है, की जा रही है।

4. निर्वाचन अवधि के दौरान 'पेड खबरों' की संवीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की संरचना की जा रही है, इस समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

- (i) जिला निर्वाचन अधिकारी/उप-जिला निर्वाचन अधिकारी
 - (ii) डी पी आर ओ
 - (iii) केंद्रीय सरकार, सूचना एवं प्रसारण कर्मचारी (यदि जिले में कोई है तो)
 - (iv) प्रैस काउंसिल द्वारा अनुशंसित स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार
5. उपर्युक्त को दिनांक 08 जून, 2010 द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में अतिरिक्त दिशा – निर्देश माना जाए तथा तदनुसार कार्रवाई की जाए।

भवदीय

(तपस कुमार)
सचिव

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 31 अक्टूबर 2008 का आयोग का पत्र संख्या 437/6/आई एन एस टी/2008 – सी सी तथा बी ई

विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाते हुए प्रचारकों द्वारा सड़क परिवहन के प्रयोग-के संबंध में ।

(i) मुझे आयोग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के पत्र सं. 437/6/2007/वोल्यूम-IV-पी एल एन-III द्वारा जारी आयोग के अनुदेशों और दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 के पत्र सं. 3/7/2008/जे एस-III द्वारा जारी अनुदेशों का संदर्भ लेने एवं यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने पहले ही रक्षार्थ वाहनों के प्रयोग संबंधी दिशा - निर्देशों को संशोधित कर दिया है । परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (क) के अधीन दिए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का जिन नेताओं ने लाभ उठाया है, उनके द्वारा निर्वाचन अभियान के दौरान सड़क पर कारवों के साथ जाने वाले वाहनों की संख्या की अनुमति के संबंध में पहले का अनुदेश संशोधित किया गया है और उसके स्थान पर यह अनुदेश है ।

कारवों में वाहनों की संख्या पर प्रतिबन्ध वापस ले लिया गया है, तथापि कारवां के वाहनों को ऊपर संदर्भित नए अनुदेश के अनुसार उल्लिखित शर्त की पुष्टि करनी होगी ।

(ii) यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण के खण्ड (क) का लाभ उठाने वाले राजनीतिक दलों द्वारा सड़क परिवहन प्रणाली का प्रयोग किया जाना है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात की परवाह किए बिना, कि वही वाहन किसी नेता द्वारा पूरे राज्य में निर्वाचन अभियान के लिए प्रयोग किया जाना है या ऐसे पार्टी नेताओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वाहन प्रयोग किए जाने हैं, केन्द्र रूप से अनुमति जारी की जाएगी । परमिट उस सम्बद्ध व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में उसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहन के विंडस्क्रीन में इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा । अभ्यर्थियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी किए गए परमिट का रंग, जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले परमिट के रंग से स्पष्ट रूप से भिन्न होगा ।

(iii) यदि इस तरह मद संख्या 11 में अनुमति प्राप्त वाहन मद सं. (11) में संदर्भित नेता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी अधिकृत है तो ऐसे मामले में इसका 50% व्यय उस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के लड़ने वाले अभ्यर्थी से सम्बद्ध पार्टी के व्यय में दर्ज किया जाएगा ।

(iv) यदि अभियान के लिए वीडियो वैन के प्रयोग की अनुमति दिए जाने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा राज्य में अभियान के लिए वीडियो वैन का प्रयोग किया जाना है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाहन का इस तरह का प्रयोग, मोटर वाहन अधिनियम के

अनुसार हो । इस विषय में आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2006 की दिनांक 23.6.2006 और 14.2.2007 की रिट याचिका सं० 3648 (एम जी) के निर्णय की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वाहनों पर उपगत व्यय को जहाँ वैन/वाहन प्रयोग किए गए हैं, उस क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय के सम्मुख यथानुपात रूप में वितरित किया गया हो ।

इसे तुरन्त सभी राजनीतिक पार्टियों ओर सभी निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाया जाए ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

फा0 सं. 76/2009/एस डी आर

दिनांक 31 मार्च, 2009

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- निर्वाचन अभियान में पार्टी के नेताओं द्वारा उपगत व्यय-वायुयान/हेलीकॉप्टर के प्रयोग के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया अनुदेशों के सार-संग्रह के खंड - III में भाग 43 में प्रतिरूपित आयोग के दिनांक 31 अक्टूबर 2008 के पत्र सं0 437/6/अनु./2008 - सी सी तथा बी ई का संदर्भ लें । उपरोक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 77 (1) के स्पष्टीकरण -2 के अंतर्गत समाविष्ट यदि किसी वाहन में राजनैतिक पार्टी के नेता (स्टार प्रचारक) सफर कर रहे हैं और उसी वाहन में यदि अभ्यर्थी या पार्टी/अभ्यर्थी के कार्यकर्ता भी सफर करते हैं, तो वाहन पर लगने वाला 50% व्यय संबंधित अभ्यर्थी (र्थियों) (अर्थात् जिस अभ्यर्थी के भावी निर्वाचनों को प्रोत्साहन देने के लिए वह नेता सफर कर रहा है) के निर्वाचन व्यय में डाला जाएगा । इस संबंध में कुछ पार्टियों द्वारा उठाई गई शंकाओं के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जा रहा है कि दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के उपरोक्त पत्र में नेताओं (स्टार प्रचार) द्वारा प्रयुक्त वायुयान/हेलीकॉप्टर या परिवहन के अन्य साधन शामिल हैं । इस स्पष्टीकरण को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान सभी राजनैतिक पार्टियों के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय,

(आर. के. श्रीवास्तव)
सचिव

प्रति:- सभी राष्ट्रीय तथा राज्यीय राजनैतिक पार्टियों को प्रति

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली - 110001

फा0 सं. 76/2009/एस डी आर

दिनांक 20 अगस्त, 2009

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- निर्वाचन अभियान में हवाई जहाज /हेलीकॉप्टर इत्यादि के प्रयोग में पार्टी के नेताओं द्वारा उपगत व्यय के सम्बंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय में आयोग के दिनांक 31 अक्टूबर 2008 की पत्र सं0 437/6/आई एन एस टी/2008-सी सी बी ई तथा 31 मार्च 2009 की पत्र संख्या 76/2009/एस डी आर का संदर्भ लें । इन पत्रों के अनुदेशों के अनुसार यदि अभ्यर्थी या पार्टी/अभ्यर्थी के कार्यकर्ता भी स्टार अभियानकर्ता के वाहन (हवाई जहाज/हेलीकॉप्टर सहित) में यात्रा करते हैं, तो वाहन पर व्यय का 50% संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखों में दर्ज किया जाएगा ।

2. उस स्थिति के लिए एक प्रश्न उठाया गया है कि जब कोई व्यक्ति, जो पार्टी या अभ्यर्थी से संबंधित नहीं है (जैसे - सहायक , सुरक्षा गार्ड आदि) स्टार अभियानकर्ता के साथ यात्रा करते हैं।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सहायक, सुरक्षागार्ड भी स्टार प्रचारकर्ता का चिकित्सा सहायक उसके साथ (स्टार प्रचारकर्ता) यात्रा करता है तो उसे अभ्यर्थी के व्यय के लेखों के किसी भाग में दर्ज नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि सहायक/चिकित्सा सहायक निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। लेकिन स्टार प्रचारकर्ता के साथ जाने वाले इलैक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का प्रतिनिधि उपरोक्त छूट में शामिल नहीं होगा और उनकी यात्रा पर व्यय उपर पैरा 1 में दिए गए स्पष्टीकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

इसे राज्य पर आधारित सभी राजनीतिक पार्टियों सहित सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के नोटिस में लाया जाए ।

भवदीय

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीति पार्टियों को प्रतिलिपि

व्यय मामलों के लिए अतिरिक्त एजेन्टों की नियुक्ति हेतु प्रपत्र

(साधारण) उप –निर्वाचन के लिए(वर्ष का उल्लेख करें)

1. राज्य का नाम
2. निर्वाचन क्षेत्र का नाम
3. अभ्यर्थी का नाम और पता
4. संबद्ध पार्टी, यदि कोई हो
5. अतिरिक्त एजेन्ट का नाम
6. अतिरिक्त एजेन्ट का पूरा डाक पता
7. सम्पर्क टेलीफोन सं.

मैं(अभ्यर्थी का नाम) एतद्द्वारा, उपरोक्त निर्वाचन के लिए श्री/श्रीमती/..... को अपने अतिरिक्त एजेन्ट के रूप में नियुक्त करता हूँ। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उन्हें विधि के अधीन संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए निरहित नहीं किया गया है और उक्त व्यक्ति कोई मंत्री/संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य/निगम मेयर/नगरपालिका/जिला परिषद का अध्यक्ष नहीं है और ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की मतदान के दिन तक की रिपोर्ट

क्रम सं०	विवरण	अभ्युक्तियां				
1.	सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात व्यय प्रेक्षकों की कुल संख्या					
2.	रिपोर्ट की गई सभी प्रकार की जांच संख्या सहित सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात किए गए उड़न दस्तों (एफ एस) की कुल संख्या।	(i)				
		(ii)				
3.	रिपोर्ट की गई सभी प्रकार की जांच संख्या सहित सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात स्थैतिक निगरानी दल (एस एस टी) की कुल संख्या	(i)				
		(ii)				
4.	रिपोर्ट की गई सभी प्रकार की जांच संख्या सहित सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात उत्पाद-शुल्क दल की कुल संख्या	(i)				
		(ii)				
5.	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नकदी एवं अन्य मदों (रु० में लगभग मूल्य सहित) की कुल राशि जहां संदिग्ध अपराधिता का संदेह है और जब्त की गई हो।	एफ एस द्वारा	एस एस टी द्वारा			
6.	नकदी एवं अन्य मदों (रु० में लगभग मूल्य सहित) की कुल राशि जहां अपराधिता का संदेह 'नहीं' था, आयकर विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दी गई।					
7.	नकदी एवं अन्य मदों (रु० में लगभग मूल्य सहित) की कुल राशि जहां अपराधिता का संदेह 'नहीं' था-परंतु जो कोषागार में विद्यमान है और आयकर विभाग को नहीं सौंपी गई है।					
8.	सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जब्त की गई कुल शराब, लीटर में लगभग मूल्य रु० में सहित	एफ एस द्वारा	एफ एस टी द्वारा	उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा	पुलिस	

9.	जब्त की गई ड्रग्स द्वारा/नार्कोटिक्स/साईकोट्रोपिक पदार्थ, किलो में लगभग मूल्य रु0 में, सहित	एफ एस द्वारा	एस एस टी द्वारा	पुलिस
10.	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जब्त की गई कुल अन्य मदों अर्थात् प्रचार सामग्री, धोतियां, साड़ियां, आदि।	एफ एस द्वारा	एस एस टी द्वारा	
11.	सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रिपोर्ट की गई 'पेड न्यूज' की कुल संख्या			
12.	(i) सम्पूर्ण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्टर्ड पुलिस मामले एवं (ii) गिरफ्तारी, यदि कोई संबंधित व्ययों की कुल संख्या (कुल मामले = गिरफ्तार किए गए कुल लोगों की संख्या मामले = नोडल अधिकारी पुलिस द्वारा मतदान के दिन तक की गई दैनिक रिपोर्टों के अनुसार	एफ एस द्वारा	एस एस टी द्वारा	आर ओ द्वारा उत्पाद- शुल्क विभाग द्वारा

हस्ताक्षर
तारीख

पुलिस प्रेक्षक रिपोर्ट-।

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र के लिए पुलिस प्रेक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट
(ई एस सी)

(व्यय संवेदनशील क्षेत्र में पहुँचने के बाद 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत की जाए)

आगमन की तारीख और रिपोर्ट करने की तारीख		
पुलिस प्रेक्षक का नाम		
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र का नाम		
जिलों का नाम		
राज्य		
तैनाती के दौरान टेलीफोन संख्या और मोबाइल संख्या	तैनाती के दौरान फ़ैक्स संख्या और ई मेल आई डी	सामान्य तैनाती के स्थान पर फ़ैक्स संख्या, टेलीफोन संख्या और मोबाइल संख्या

क्र०सं०	विवरण	हां	ना
(क)	क्या पुलिस प्रेक्षक को राज्य में पुलिस के नोडल अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में व्यय प्रेक्षक/साधारण प्रेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, उत्पाद विभाग, उड़न दस्तों और निगरानी टीमों के नामों की सूची और सम्पर्क संख्या दे दी गई है ।		
(ख)	क्या उड़न दस्ते और निगरानी टीमों, नकदी और सामानों की जब्ती के लिए अपेक्षित संभारतंत्र जैसे वाहनों, वीडियो कैमरा, मोबाइल फोन और आवश्यक पंचनामों से लैस है ।		
(ग)	क्या पुलिस प्रेक्षक ने व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र के चैक पोस्टों और उनमें कार्य करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण ले लिया है ।		

(यदि उपरोक्त में से किसी का भी जवाब नकारात्मक है, तो इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करते हुए राज्य के जिला निर्वाचन अधिकारी/व्यय प्रेक्षक/पुलिस के नोडल अधिकारी के नोटिस में लाया जाना चाहिए ।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पुलिस प्रेक्षक

पुलिस-प्रेक्षक रिपोर्ट-2

(भारत निर्वाचन आयोग को मतदान/पुनर्मतदान के समापन के 24 घंटों के अंदर ई मेल/फैक्स, स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

प्रस्थान तथा रिपोर्ट करने की तारीख		
पुलिस प्रेक्षक का नाम		
व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का नाम		
जिले का नाम		
राज्य का नाम		
तैनाती की अवधि के दौरान फैक्स सं०/दूरभाष सं०	तैनाती की अवधि के दौरान मोबाइल संख्या और ई मेल आई डी	सामान्य तैनाती के स्थान की फैक्स सं०/दूरभाष सं०/मोबाइल सं.

क्र०सं०	विवरण	
(क)	प्राप्त शिकायतों की संख्या	
(ख)	जांच की गई शिकायतों की संख्या तथा की गई कार्रवाई	
(ग)	जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या तथा सुधारक कार्रवाई	
(घ)	लंबित रहने के कारण	
(ङ.)	शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किए गए स्थानों की संख्या	
(च)	तैनाती की अवधि के दौरान निरीक्षण किए गए चेक पोस्टों की संख्या	
(छ)	उड़न दस्तों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी	
(ज)	निगरानी टीमों द्वारा जब्त की गई कुल नकदी	
(झ)	उड़न दस्तों तथा निगरानी टीमों द्वारा नकद के अलावा जब्त किया गया अन्य सामान	
(ञ)	सामान का लगभग मूल्य रू० में	
(त)	जब्त के बाद किसी अधिकारी को नकदी/सामान सौंपा गया था	
(थ)	क्या जिन व्यक्तियों से सामान/नकदी पकड़ी गई थी, उन्हें अगली कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया गया था ।	
(द)	जिस व्यक्ति/व्यक्तियों से नकदी/सामान जब्त किए गए थे, क्या उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है (कृपया विवरण अलग से संलग्न करें)	
(ध)	अन्य कोई टिप्पणी/सुझाव : (कृपया प्राथमिकता के क्रम में उल्लेख करें ।)	

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
पुलिस प्रेक्षक

सी ए एस -7(15)/2012/प्रभाग-I(निर्वा)
भारत सरकार
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो
(नागर विमानन मंत्रालय) 'अ' खंड, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001, दि0: 03/07/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हवाई अड्डों के जरिए अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं तथा संदेहजनक मुद्रा/सोने-चांदी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया-तत्संबंधी मामला।

संदर्भ : दिनांक 08.04.2011 और दिनांक 14.02.2012 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन

1. ऐसी खबरें मिली हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान चार्टर्ड विमानों/हैलीकॉप्टरों/वाणिज्यिक विमानन कम्पनियों के मालिकों के माध्यम से मतदान वाले राज्यों में अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं या अत्यधिक मात्रा में नकदी/बहुमूल्य धातुओं (सोना-चांदी) का परिवहन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ऐसी घटनाओं के प्रति चिंतित है, क्योंकि इनसे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी को एक समान धरातल नहीं मिल पाता है।
2. इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि मतदान वाले राज्यों के वाणिज्यिक हवाई अड्डों तथा गैर-वाणिज्यिक हवाई पट्टियों/हैलीकॉप्टरों में समान/यात्रियों पर मतदान वाले राज्यों में जाने वाले विमानों पर चढ़ने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखने के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे-

वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर जहाज पर चढ़ने से पहले जांच

- (i) मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के समय यात्रियों व सामान की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के, कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। सभी यात्रियों (केवल उनके अतिरिक्त जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त है) तथा सभी सामान (उसके अतिरिक्त जिसे नियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है), किसी भी व्यावसायिक/चार्टरित फ्लाईट सहित सभी वायुयानों/हैलीकॉप्टरों में प्रचालन एयरपोर्ट क्षेत्र में प्रवेश पूर्व सुरक्षा जांच से गुजरेगा।
- (ii) वाणिज्यिक एयरपोर्टों पर विमानों (फिक्स्ड विंग विमान सहित) तथा हैलीकॉप्टरों के अवतरण तथा उड़ान भरने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वाणिज्यिक एयरपोर्टों पर विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) द्वारा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा

उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी जिसमें वह हवाई अड्डा स्थित है, को चार्टरित एयरक्राफ्ट या हैलीकाप्टर की यात्रा योजना के बारे में यथाशीघ्र अधिमानतः आधे घण्टे पहले सूचित किया जाएगा ।

- (iii) तथापि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वाणिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले/अवतरण करने वाले ऐसे सभी निजी विमानों या हैलीकाप्टरों का विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) रिकार्ड रखेंगे जिसमें अवतरण का समय, उड़ान भरने का समय तथा यात्री अवतरण मालसूची, मार्ग योजना इत्यादि भी शामिल होंगे। विमान यातायात नियंत्रण (ए टी सी) इस सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसमें वह हवाई अड्डा स्थित है, को अवतरण/उड़ान की तारीख के तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराएंगे तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी इस जानकारी को निरीक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन के लिए व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराएंगे। विमान परिवहन नियंत्रण (ए टी सी) इस रिकार्ड को व्यय प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाएंगे ।
- (iv) ऐसे सभी यात्रियों (जिन्हें नियमों के अंतर्गत छूट दी गई है) किन्तु जिन्हें वायुयान तक जाने हेतु गाड़ी का प्रयोग करने की सुविधा दी गई है , द्वारा हाथ में ले जाए जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच बिना किसी छूट के के० औ० सु० ब०/राज्य/केंद्र शासित राज्य की पुलिस द्वारा की जाएगी।
- (v) के० औ० सु० बल अथवा राज्य या केंद्रशासित राज्यों के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा रूपये दस लाख (10,00,000) से अधिक की नगदी अथवा 1किग्रा० या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी पाए जाने पर, जो कि मतदान वाले राज्य में या वहां से ले जाया जा रहा है, राज्य के हवाई अड्डे के आयकर विभाग को तुरंत सूचित किया जायेगा।
- (vi) सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप आवश्यक सत्यापन किया जायेगा और संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की किसी नगदी/बहुमूल्य धातु की मुक्ति के पहले उनके द्वारा निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी/संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जायेगा।
- (vii) विधि प्रवर्तन एजेंसियों, जैसे के० औ० सु० बल, राज्य पुलिस और आयकर विभाग अपनी आंतरिक मानक प्रचालन पद्धति का विकास इस प्रकार करेंगे कि हवाई अड्डे में खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरा घटना क्रम क्लोज़ सरकिट टी वी, वीडियो कैमरे में कैद हो रहा है। इस उद्देश्य से सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों के ऐसे सभी स्थानों में जहां नगदी/बहुमूल्य धातु का पता लगाया जाता है, गिना/जब्त किया जाता है तथा आयकर विभाग सहित सभी विधि प्रवर्तक एजेंसियों के पूछताछ के कमरों में क्लोज़ सरकिट टी वी लगाये जायेंगे। सी सी टी वी/वीडियो कैमरे की यह रिकार्डिंग हवाई अड्डा संचालक/प्राधिकारी द्वारा संरक्षित रखी जायेगी तथा जरूरत पड़ने पर निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी।

गैर वाणिज्यिक हवाई अड्डों/हैलीपैडों पर जांच

- (viii) सुदूर/अनियंत्रित हवाई अड्डों या हेलीपैडों में राज्यों/केंद्र शासित राज्यों के उड़न दस्ते या पुलिस अधिकारी पायलट के साथ समन्वय करके क्राफ्ट से बाहर आने वालों के सामान की तलाशी/भौतिक जांच-पड़ताल करेंगे (महिलाओं द्वारा हाथ में लिए पर्स को छोड़कर)। किसी भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता या दल के कार्यकर्ता से संबंधित अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं, 50,000 रु. से अधिक की नकदी की जांच की जाएगी और दिनांक 09.11.2012 की रिट याचिका सं० 231/2012, निर्वाचन आयुक्त बनाम भाग्योदय जनपरिषद तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार जब्ती पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सुदूर अनियंत्रित हवाई अड्डों/हेलीपैडों पर जहाज से उतरते हुए यात्रियों की तलाशी नहीं ली जाएगी जब तक कि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत अस्त्र-शस्त्र या निषिद्ध वस्तुएं ले जाने के संबंध में कोई विशेष सूचना न हो।
- (ix) सुदूर/अनियंत्रित एयरपोर्टों तथा हेलीपैडों पर अवतरण के कम से कम 24 घंटे पहले अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन दिया जाएगा जिसमें यात्रा योजना के ब्यौरों, जिले में अवतरण का स्थान तथा एयरक्राफ्टों/हेलीकॉप्टरों में यात्रियों के नामों का उल्लेख होगा ताकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा, विधि और व्यवस्था मामलों के संबंध में समुचित व्यवस्था कर सके और हेलीपैड उपलब्ध करवा सके। इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी अग्रता आधार पर उसी दिन अनुज्ञा जारी करेगा।
- (x) प्रत्येक अभ्यर्थी एयरक्राफ्ट/हेलीकॉप्टर के अवतरण के पांच दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में उसके निर्वाचन क्षेत्र में एयरक्राफ्ट/हेलीकॉप्टर का स्वामित्व रखने/लीज पर लेने के लिए कंपनी को उपगत/देय भाड़ा प्रभारों, राजनैतिक दल का नाम तथा यात्रियों के नाम के बारे में भी सूचित करेगा।
3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय को सूचित करते हुए उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जा रहा है।

ह०/-
(आर०एन० ढोके, भा पु से)
अपर आयुक्त, सुरक्षा (ना०वि०)

वितरण:-

1. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को।
2. महानिदेशक सी आई एस एफ, 13 सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशक आई जी पी को।
4. डी जी सी ए सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, ए ए आई, सफदरजंग एयरपोर्ट नई दिल्ली।

6. आर डी सी ओ एस (सी ए), बी सी ए एस, दिल्ली, अमृतसर, मुम्बई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गोहाटी: कड़े अनुपालन के लिए।
7. एम डी, डी आई ए एल, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-4 आई जी आई हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-37
8. एम डी, एम, आई ए एल, सी एस हवाई अड्डा, पहला तल टर्मिनल आई वी, सन्ताक्रुज(पू), मुम्बई-400009
9. एम डी, सी आई ए एल, कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन।
10. एम डी, एच आई ए एल, हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड, शमशाबाद-500409 जिला रंगा रेड्डी, आ0प्र0।
11. एम डी, बी आई ए एल, बँगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, प्रशासनिक ब्लॉक, बँगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवनाहल्ली, बँगलोर-560300।
12. एम डी, एम आई एच ए एन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, डा0 बाबा साहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत निर्वाचन आयोग (श्री अनुज जयपुरियर, सचिव) निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली को पत्र सं0 76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खण्ड-I दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ में।
2. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, सी बी डी टी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. संयुक्त निदेशक, आई.बी., 35, एस पी मार्ग, नई दिल्ली।

आन्तरिक:-

1. सीओएससीए के पीपीएस
2. श्री आर.एन. ढोके, अपर सीओएस(सीए), नोडल अधिकारी, दूरभाष सं0 011-23311467 ; मोबाइल : + 919013626505
3. दूरभाष नं0 (011) 23311467, मोबाइल नं0 +919013626505
4. श्री एम.टी.बेग, सहायक सुरक्षा आयुक्त (सीए), वैकल्पिक नोडल अधिकारी, दूरभाष नं0 (011) 23731721
5. बी सी ए एस मुख्यालय के सभी अधिकारी।

ह0/-
(आर0एन0 ढोके, भा पु से)
अपर आयुक्त, सुरक्षा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0: 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस/खण्ड-V

दिनांक : 18 अप्रैल, 2013

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कर्नाटक
बंगलौर

विषय : भोजन परोसने, सामूहिक विवाह, जब्त राशि और अन्य मुद्दों पर निर्वाचन व्यय के विषय में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, ई-मेल द्वारा प्राप्त आपके पत्र सं0 शून्य दिनांक 13.04.2013 के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसार स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है।

1. राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित रैली में आए लोगों के लिए भोजन, कोल्ड ड्रिंक, छाछ का परोसा जाना:-

(क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अंतर्गत अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचन से संबंधित सभी व्ययों के लिए अलग एवं सही खाते रखें, जो उनके या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नाम-निर्देशन की तारीख से लेकर और परिणाम की घोषणा होने तक की तारीख के बीच किए गए हों। ऐसी मदों पर खर्च की गई धनराशि अभ्यर्थी (र्थियों) जिन्होंने रैली/बैठक आयोजित की है, के निर्वाचन व्ययों के नामे डाली जाएगी। यदि रैली/बैठक राजनैतिक दल द्वारा आयोजित की जाती हैं तो ऐसी मदों पर व्यय, कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए आई आर 1975 एस सी 308 दिनांक 10.04.1974) के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विनियमित किया जाएगा जिसे निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-मार्च, 2013 के अनुदेशों के पैरा 10.2 में समाविष्ट किया गया है।

(ख) तथापि, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अंतर्गत रैली में उपस्थित लोगों को केवल पेय जल या छाछ परोसना रिश्वत देना नहीं माना जा सकता है।

2. सामूहिक विवाह:-

ऐसे कार्यक्रम पर आयोग द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऐसा कोई भी संदेह है कि कार्यक्रम, निर्वाचन अभियान के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो उनका अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, अभ्यर्थियों के व्यय को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-मार्च, 2013 के अनुदेशों में दिए गए पैरा 5.10.2 और 5.10.3 के अनुदेश के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

3. रक्षदल (काफिला)/बाईक रैलियां:-

आयोग ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 के अपने पत्र सं० 437/6/आई एन एस टी/2010-सी सी एव बी ई के द्वारा यह तय किया है कि आचार संहिता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के वाहन जो काफिले में चल रहे होते हैं, में सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों इत्यादि के नेताओं को उस रक्षदल में उपलब्ध करवाए गए हैं, दस वाहनों से अधिक नहीं होने चाहिए।

4. जब्त धनराशि या अन्य मदों को छाया प्रेक्षण रजिस्टर में अभिलिखित करना:-

विद्यमान अनुदेश के अनुसार यदि अभ्यर्थी से संबंधित जब्त राशि या अन्य मदें पाई गई हैं तो रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, शिकायतें/एफ आई आर दर्ज करने के बाद शिकायत/एफ आई आर की प्रति व्यय प्रेक्षक/सहायक व्यय प्रेक्षक को भेजेगा, जो उसे छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लिखित करेगा। आयोग ने दिनांक 21 मार्च, 2013 के अपने आदेश सं० 76/अनुदेश/2013/ई ई पी एस/खण्ड-I (निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेश, मार्च 2013 का संलग्नक-73) के पैरा-6 के आंशिक संशोधन में यह एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि जब्त राशि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक न्यायालय में दर्ज मामला अंतिम रूप से निर्णित नहीं हो जाता है और तब तक छाया प्रेक्षण रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि नहीं की जाएगी। शिकायत/एफ आई आर की प्रति साक्ष्य फोल्डर में रखी जाएगी।

भवदीय,

(एस.के.रुडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं0 464/आंध्र प्रदेश-लो.स. तथा आंध्र प्रदेश-वि0स/उप0 निर्वा0/2011/ई ई एम

दिनांक: 3 जून, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचारकों द्वारा उपगत किए गए आवास संबंधी व्ययों के बारे में स्पष्टीकरण।

महोदय,

1. मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के उपबंधों को संदर्भित करने का निदेश हुआ है। उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित स्पष्टीकरण 1 (क) के अनुसार राजनीतिक दल के नेता, जो दल के कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक हैं, उनकी निर्वाचन संबंधी यात्रा के बारे में उपगत व्यय अभ्यर्थी का व्यय नहीं माना जाएगा। स्टार प्रचारकों द्वारा अथवा उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र में होटलों तथा कमरों को बुक करवाने से संबंधित व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन छूट प्राप्त नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त, मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्टार प्रचारक जिस निर्वाचन क्षेत्र में किसी अभ्यर्थी के लिए प्रचार करते हैं, उनके भोजन आवास के व्ययों सहित सभी व्यय उस अभ्यर्थी विशेष के व्यय खाते में जोड़े जाएंगे, बशर्ते कि-

(क) स्टार प्रचारकों/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के लिए वास्तव में प्रचार किया हो, तथा

(ख) स्टार प्रचारकों/प्रचारकों ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभियान के प्रयोजन से व्यावसायिक होटल या लॉज में रहते हुए ऐसे भोजन/आवास पर खर्च किया है, चाहे ऐसे अभ्यर्थी द्वारा उसका भुगतान किया गया है या नहीं।

3. ऐसे व्यावसायिक बोर्डिंग एवं लॉजिंग का बाजार मूल्य अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा बावजूद इसके कि बोर्डिंग एवं लॉजिंग सम्मानार्थ रूप में हो। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई प्रचारक एक निर्वाचन क्षेत्र में बोर्डिंग एवं लॉजिंग की सुविधा प्राप्त करते हुए अन्य अभ्यर्थियों के लिए प्रचार करने हेतु दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करता है, तो लॉजिंग एवं बोर्डिंग व्ययों को उन अभ्यर्थियों के व्यय के रूप में आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

4. ऐसे सभी मामलों में तत्काल नोटिस जारी कर दिया जाएगा तथा इस पर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5. इससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आंध्र प्रदेश के दिनांक 30.04.2011 के पत्र सं० 1760/इलेक्शन डी/2011-7 का निपटान हो जाता है।

भवदीय,
ह०/—
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/अनुदेश/2011/ईईएम

दिनांक: 7 अप्रैल, 2011

सेवा में,

असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण-अभ्यर्थी से संबंधित व्यय-नकद भुगतान-पर अनुदेश के संबंध में ।

महोदय,

समसंख्यक अनुदेश दिनांक 7 फरवरी, 2011 के संदर्भ में राजनीतिक दलों ने आगे स्पष्टीकरण माँगा है । भारत निर्वाचन आयोग ने मामले की जाँच कर ली है तथा मुझे निम्नलिखित को स्पष्ट करने को निदेश हुआ है :-

1. आयोग के अनुदेश सं० 76/अनुदेश/2011/ई.ई.एम, दिनांक 7.2.2011 में उल्लिखित है कि अभ्यर्थी निर्वाचन के प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा सभी निर्वाचन व्यय उपगत करेंगे, सिवाय छोटे व्ययों के जहाँ चैक जारी करना संभव नहीं है । कुछ राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के नकद व्यय की सीमा का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा किसी व्यक्ति/सत्ता को किसी मद के व्यय के लिए दी जानेवाली राशि यदि 20,000 रुपये से अधिक नहीं होती है, तो इस प्रकार का व्यय निर्वाचन के प्रयोजन से खोले गए बैंक खाते से निकालकर नकद रूप में उपगत किया जा सकता है। अन्य सभी भुगतान उक्त बैंक खाते से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा किया जाएगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी उस तिथि से जिस दिन उसे नामांकित किया गया है तथा जिस दिन परिणाम की घोषणा की गई है (दोनों तिथि सहित), सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखेगा। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी अभ्यर्थियों की उनके निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर का रख-रखाव करते समय नामांकन दाखिल करने के दिन (अर्थात् उस दिन से) उपगत सभी व्यय तथा नामांकन की तिथि से पूर्व जैसे प्रचार सामग्रियों आदि पर उपगत सभी व्यय के लिए भी हिसाब देना होगा, जो नामांकन अवधि के बाद प्रयोग किया गया है। नामांकन दाखिल करते समय आयोजित रैली या जुलूस से संबंधित सभी व्यय, अभ्यर्थियों के लेखे में जोड़ा जाएगा।

3. जब आम जनता किसी से भी किसी भुगतान या प्रतिपूर्ति प्राप्त किये बिना अपने व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की जन रैली/जुलूस/जन सभा में शामिल होती है, तो इसे अभ्यर्थी के व्यय में नहीं डाला जाएगा । यद्यपि, किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के हित के लिए झण्डे या बैनर या पोस्टर लगाकर प्रचार के प्रयोजन से रैली या जन सभा में प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के व्यय में डाला जाएगा ।

यदि वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या वाले वाणिज्यिक वाहनों का प्रयोग किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के रैली या जनसभा के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार के वाहनों पर व्यय को अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा ।

4. अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के प्रयोजन से लिए गए तथा प्रयोग किए गए व्यक्तिगत वाहन को प्रचार वाहन माना जाएगा तथा बाजार दर से ईंधन पर अनुमानित व्यय तथा चालक का वेतन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लेखे में डाला जाएगा । यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए अन्य वाहनों का प्रयोग प्रचार के प्रयोजन से किया जाता है तो इस प्रकार के वाहनों को किराए पर लेने के लिए अधिसूचित दर के अनुसार अनुमानित व्यय का अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों द्वारा हिसाब दिया जाएगा ।

5. दल प्रतीक में ध्वजों, कैम्पों, मफलरों के प्रयोग को आदर्श आचार संहिता पर अक्सर पूछे जाने वाले (एफ ए क्यू) प्रश्न के प्रश्न सं० 72 में स्पष्ट किया गया है । दल प्रतीक में ध्वजों, मफलरों या कैप जैसी मदों पर व्यय के लिए संबंधित दल द्वारा अपने निर्वाचन व्यय के रूप में हिसाब देना होगा । यदि वे अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का नाम या फोटो लगाते हैं तो इसे अभ्यर्थी के खाते में डाला जाएगा । यद्यपि दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्तु जैसे साड़ी, कमीज, टी-शर्ट धोती इत्यादि की आपूर्ति तथा वितरण, मतदाताओं को रिश्त की भाँति है, अतः इसकी अनुमति नहीं है ।

6. भारत निर्वाचन आयोग की अनुदेश सं० 464/अनुदेश/2011/ई.ई.एस, दिनांक 28.3.2011 में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के लिए जिला स्तर के पदाधिकारियों/नेताओं (स्टार प्रचारकों के अलावा) का जिले के भीतर विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के प्रयोजन से वाहन पर व्यय को अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में नहीं डाला जाएगा । आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जिला कार्यकर्ता स्वयं उसी जिले से निर्वाचन लड़ रहा है तथा उस निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ से वह निर्वाचन लड़ रहा है ऐसे वाहन का प्रयोग अपने आने-जाने के लिए करता है या इस प्रकार के वाहन का प्रयोग किसी विशेष अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के प्रचार के लिए किया जाता है तो वाहन का भाड़ा प्रभार, प्रचार के प्रयोजन से वाहन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा ।

7. आपसे अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों को सूचित किया जाए ।

भवदीय,
ह०/—
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:—

1. सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल
2. असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी राज्यों के सभी राजनीतिक दल ।

(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

जिस व्यक्ति से नकदी/वस्तु जब्त की गई है उस व्यक्ति को रसीद देने के लिए प्रपत्र

पुस्तिका संख्या :.....

रसीद संख्या.....

दिनांक :

कार्यपालक मजिस्ट्रेट का नाम(उड़न दस्ते/स्थैतिक निगरानी दल का नेतृत्व करने वाला)

1. श्रीनिवासी.....मोबाईल नं0.....से.....
 (तारीख) को.....(राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम) के स्थान..... (स्थान जहाँ से
 जब्त की गई) सेजिले केपुलिस थाने के.....विधान
 सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है, से नकदीधनराशि (शब्दों में)/अन्य वस्तुएं
 जब्त की गई क्योंकि इस पूरी धनराशि/अन्य वस्तुओं का प्रयोग निर्वाचकों को रिश्वत देने में किए
 जाने का संदेह था ।

या

2. नकद रू0.....(रूपये शब्दों में) अन्य वस्तुओं के ब्यौरे श्री.....
 (आयकर विभाग के अधिकारी का नाम) को आयकर विधि के अधीन आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंपे
 गए । (जो लागू न हो उसे काट दें)
 शिकायत के निवारण के लिए आप..... (ए डी एम/एस डी एम, जो कि व्यय अनुवीक्षण
 एकक के प्रधान हैं, का नाम) को सात दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं या आवश्यक राहत के लिए
 आप संयुक्त निदेशक, आयकर (अन्वे) को भी अपील कर सकते हैं ।

मुहर सहित हस्ताक्षर

(मजिस्ट्रेट का नाम, पदनाम व पता)

दिनांक :

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 76/अनुदेश/2012/ई ई पी एस

दिनांक : 20 जनवरी, 2012

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मणिपुर तथा गोवा

विषय : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अंतर्गत आने वाले दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के निर्वाचन व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण तत्संबंधी मामला ।

महोदय/महोदया,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के स्पष्टीकरण (2) के अंतर्गत आने वाले स्टार प्रचारकों पर राजनीतिक दलों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । आयोग, अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को एतद्द्वारा जारी करता है :-

1. प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन पर व्यय:- यदि प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपरोक्त नेता के फोटो अथवा अपील सहित दल के सामान्य प्रचार के विज्ञापन को किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के बिना मुद्रित या प्रसारित किया जाता है, तो ऐसे साधारण विज्ञापन पर व्यय को राजनीतिक दल के लेखे में डाला जाएगा । यदि ऐसा नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी है, तो प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे उनका फोटो लगा हो तो ऐसे दल के साधारण प्रचार पर व्यय को ऐसे नेता के लेखे में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि यह दल के साधारण प्रचार की प्रकृति में है तथा यह निर्वाचन क्षेत्र के किसी संदर्भ के बिना है ।

2. पोस्टरों, बैनरों, फ्लैगों इत्यादि पर व्यय:- यदि उपरोक्त नेताओं के फोटो अथवा अपील वाले पोस्टर, बैनर, फ्लैग इत्यादि किसी अभ्यर्थी के संदर्भ के बिना निर्वाचनों के दौरान प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे व्यय को राजनीतिक दल के लेखे में डाला जाएगा । यदि, तथापि कोई नेता किसी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी है, तो ऐसी सामग्रियाँ जिनका प्रयोग वास्तव में उसके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, का आनुपातिक व्यय उसके निर्वाचन व्यय के खाते में डाला जाएगा ।

3. यात्रा व्यय:- आयोग ने व्यय अनुवीक्षण पर दिनांक 20 अगस्त, 2009 का अपना अनुदेश सं० 76/2009/एस डी आर तथा आयोग के अनुदेश के सुसंगत पैरा 5.6.3 में संशोधन किया है तथा इसे एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई परिचर, सुरक्षा गार्ड, चिकित्सा परिचर, या कोई अन्य व्यक्ति या दल का कोई सदस्य जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है, तथा उपरोक्त राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उनके वाहन/हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर इत्यादि में यात्रा करते हैं, तो ऐसे नेता के यात्रा व्ययों को पूरी तरह से

राजनीतिक दल के लेखे में डाला जाएगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राजनैतिक नेता के यात्रा व्यय के किसी भाग को अभ्यर्थी के लेखे में नहीं डाला जाएगा, यदि नेता (स्टार प्रचारक) के वाहन का प्रयोग करने वाले ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं । तथापि, यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे नेता के साथ वाहन का प्रयोग करता है तो यात्रा व्यय का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के खाते में डाला जाएगा ।

भवदीय,
ह0/-
(सुमित मुखर्जी)
सचिव

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को
प्रति प्रेषित

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं०: 76/अनुदेश/2012/ई0ई0पी0एस0/खण्ड-I

तारीख: 18 अप्रैल, 2013

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- संदर्भ:- 1. आयोग का दिनांक 31.10.2008 का पत्र सं० 437/61/अनुदेश/2008-सी सी एवं बी ई।
2. आयोग का दिनांक 20.08.2009 का पत्र सं० 76/2009/एसडीआर।
3. आयोग का दिनांक 20.01.2012 का पत्र सं० 76/अनुदेश/2013/ईईपीए।
4. निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का पैरा 5.6.3 (मार्च, 2013)।

विषय:- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अन्तर्गत दल के नेताओं (स्टार प्रचारकों) के निर्वाचन व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण-तत्संबंधी मामला।

महोदय/महोदया,

आयोग को राजनीतिक दलों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें सुझाव दिया गया है कि यदि प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उसके वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है तो यात्रा व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों में नहीं शामिल किया जाना चाहिए और यह कि इस प्रयोजनार्थ आयोग के अनुदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए।

2. मुझे सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने सुझावों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा आयोग के दिनांक 31.10.2008 के पत्र सं० 437/6/अनुदेश/2008-सीसी एवं बीई के पैरा(iii); आयोग के दिनांक 20.08.2009 के पत्र सं० 76/009/एसडीआर के पैरा 3; आयोग के दिनांक 20.01.2012 के पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस के पैरा 3 में आंशिक संशोधन के साथ निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है और व्यय अनुवीक्षण पर आयोग के अनुदेश (मार्च, 2013) का संबंधित पैरा 5.6.3 निम्नानुसार है:-

(क) यदि कोई परिचारक, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा परिचारक सहित या कोई व्यक्ति दल के सदस्य सहित, जो कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी नहीं है या इलैक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का कोई प्रतिनिधि, राजनैतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) के साथ उसके वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है तो ऐसे नेता का यात्रा व्यय पूर्णतया राजनैतिक दल के लेखा में जोड़ा जाएगा और निम्नलिखित पैरा (ख) की शर्त के अध्यक्षीन, न कि अभ्यर्थी के व्यय लेखा में।

(ख) इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी के लेखा में राजनैतिक नेता के यात्रा व्यय के किसी भी भाग को नहीं जोड़ा जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति नेता (स्टार प्रचारक) के साथ परिवहन साझा करता है, और अभ्यर्थी के लिए किसी भी तरीके से निर्वाचन प्रचार में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यद्यपि, यदि ऐसा कोई व्यक्ति नेता के साथ परिवहन साझा करते हुए निर्वाचन प्रचार में किसी भी तरीके से अभ्यर्थी(यों) के लिए भूमिका अदा करता है/हैं या यदि कोई अभ्यर्थी(यों) ऐसे नेता के साथ अपने वाहन/विमान/हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है तब नेता की यात्रा का 50% व्यय ऐसे अभ्यर्थियों के बीच बांटा जाएगा।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक ने स्टार प्रचारकों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अतिरिक्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश हुआ है:—

(क) राजनैतिक दलों के नेताओं (स्टार) प्रचारकों के नाम, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण 3 में परिभाषित किया गया है, राजनैतिक दलों द्वारा ऐसे निर्वाचनों के लिए अधिसूचना की तारीख से सात दिनों की अवधि के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दिया जाए और ऐसे नेता को उस तिथि से जब भारत निर्वाचन आयोग या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उनके नाम सहित सूची प्राप्त की गई हो, अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार हैं।

(ख) यदि नेता (स्टार प्रचारक) अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किसी रैली का हिस्सा है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 77(1) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार है। यद्यपि, यदि नेता (स्टार प्रचारक) किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहा है तो वह उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन, अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए व्ययों में लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और उसके निर्वाचन क्षेत्र में हुए यात्रा व्ययों सहित, उसके द्वारा आयोजित बैठकों या रैली पर हुआ व्यय उसके निर्वाचन व्यय के लेखा में जोड़ा जाएगा।

(ग) यदि रैली/बैठक नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की जाती है जहां नेता अन्य नेताओं के साथ मंच साझा करता है तो बैठक का व्यय ऐसे सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय में बांट दिया जाता है। यद्यपि, यदि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर या बाहर अपने दल कते दूसरे अभ्यर्थियों के साथ रैली/बैठक में भाग लेता है तब बैठक व्यय ऐसे सभी अभ्यर्थियों जिनके लिए निर्वाचन प्रचार, ऐसी रैली/बैठक आयोजित की जाती है, के निर्वाचन व्यय में बांटा जाएगा और उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आयोजित ऐसी रैली/बैठक का व्यय का कोई भी भाग नेता (स्टार प्रचारक) के निर्वाचन व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. यह राज्य में सभी राजनैतिक दलों सहित सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

भवदीय,

(एस.के. रूडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं०: 76/अनुदेश/2012/ई0ई0पी0एस0

तारीख: 9 फरवरी, 2012

सेवा में,

1. पंजाब,
 2. उत्तर प्रदेश,
 3. उत्तराखण्ड,
 4. मणिपुर,
 5. गोवा
- के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:- पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012-मतदान की तारीख के पश्चात् स्टार प्रचारकों तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा एयरक्राफ्ट/हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा पर हुए व्यय को जोड़ना - तत्संबंधी ।

महोदय/महोदया,

मीडिया द्वारा ऐसे बहुत से दृष्टांत रिपोर्ट किए गए हैं कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों सहित बहुत से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मतदान की तारीख के पश्चात् एयरक्राफ्ट्स/हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार की यात्रा पर व्यय के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है, इस मामले में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अनुसार मतदान के पश्चात् तथा गणना की तारीख से पहले के व्ययों को निर्वाचन संबंधी व्यय माना जाएगा और इसका लेखा केवल अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा ।
- (ii) इसलिए, निर्वाचन के पश्चात् स्टार प्रचारक या अभ्यर्थी (अपने निर्वाचन के संदर्भ में नहीं) की यात्रा पर होने वाले व्यय को किसी अभ्यर्थी के खाते में नहीं डाला जाएगा । यदि स्टार प्रचारक/अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से उसने निर्वाचन लड़ा है, में जाता है तो मतगणना की तारीख वाले दिन या उससे पहले मत

गणना की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के अंदर के यात्रा व्यय को उसके लेखे में डाला जाएगा । निर्वाचन क्षेत्र से बाहर की यात्रा व्यय उसके लेखे में नहीं डाला जाएगा ।

(iii) यदि स्टार प्रचारक का उसके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का यात्रा व्यय राजनैतिक दल वहन कर रहा है तो उक्त व्यय निर्वाचनों की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर राजनैतिक दल द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. इस संबंध में आपसे एतद्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य में सभी राजनैतिक दलों तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित करें ।

भवदीय,
ह0/-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

सभी राष्ट्रीय दलों को सूचनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाईल सं०: 76/अनुदेश/2011/ई0ई0एम0

तारीख: 5 दिसम्बर, 2011.

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- सामुदायिक भोज (लंगर, भोज, आदि) पर हुए व्यय-अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखा में शामिल करना-तत्संबंधी ।

महोदय,

1. मुझे, सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) पर हुए व्यय और इसे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के लेखे में शामिल करने के संबंध में, आयोग के दिनांक 07.10.2011 के समसंख्यक अनुदेश का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है ।
2. उपरोक्त अनुदेश के संदर्भ में, प्रादेशिक समुदायों द्वारा अपने धार्मिक संस्थानों में प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर भोज आदि और धार्मिक अनुष्ठान जैसे विवाह, मृत्यु आदि सामाजिक प्रथा के तौर पर आयोजित सामुदायिक भोज (लंगर, भोज आदि) आदि में अभ्यर्थियों की भागीदारी के संबंध में प्रश्न उठाया गया है । प्रश्नगत संदर्भ में आयोग के अनुदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि "यदि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचकों से मिलने के लिए सामुदायिक भोज (किसी भी नाम से बुलाया गया है) या तो उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आयोजित, में भाग लेता है" तो सामाजिक समारोह पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के रूप में माना जाएगा और उसके लेखा में जोड़ा जाएगा । यह एतद्द्वारा फिर से स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अनुदेश, धार्मिक समुदायों द्वारा अपने संस्थानों के अन्दर प्रथागत तौर पर आयोजित लंगर, भोज आदि या कोई समारोह जैसे शादी, मृत्यु आदि के लिए एक सामान्य भोज पर लागू नहीं होता है जब यह किसी व्यक्ति (अभ्यर्थी को छोड़कर) द्वारा आयोजित किया जाता है तो ऐसे सामुदायिक भोज/लंगर/दावत/आदि पर किया गया व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा बशर्ते कि अभ्यर्थी उसमें सामान्य आगुंतक के रूप में भाग लेता है ।

इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी ने ऐसे सामुदायिक भोज आदि में कोई वित्तीय योगदान नहीं दिया हो और ऐसे सामुदायिक भोज आदि में किसी भी तरीके से राजनैतिक अभियान नहीं चलाया गया हो ।

3. कृपया इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय,

ह0/-
(एस0के0 रुडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं०: 76/अनुदेश/2013/ई0ई0पी0एस0/वालयूम-IV

दिनांक : 12 जून, 2013

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय:- अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के लेखे के संदर्भ में संवीक्षा रिपोर्ट तथा सार रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 14 मार्च, 2013 के समसंख्यक पत्र (आयोग की वेबसाइट पर भी

Election Laws and ECI Instructions-Important Instruction's-Letter dated 14th March, 2013-Procedure for preporting of true and correct account of election

expenses by the candidates-matter reg. नामक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध) को संदर्भित करने

तथा अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए निर्वाचन व्यय के लेखे पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 की धारा 89 के अधीन संवीक्षा रिपोर्ट को तैयार करने में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को एतद्द्वारा अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया को आवश्यक कार्रवाई तथा अनुपालन के लिए सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाया जाए।

(संलग्न-जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा तथा सार रिपोर्ट के लिए प्रक्रिया)

भवदीय,
ह०/-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रभाग (2013)

1-जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा तथा सार रिपोर्ट के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. अभ्यर्थी को परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन की वैधानिक समय सीमा के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करना चाहिए। जैसे ही लेखा प्राप्त हो जाता है, उसे स्कैन किया जाना चाहिए तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इसकी प्राप्ति के तीन दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट में डाल दिया जाना चाहिए।
2. अभ्यर्थी के लेखे की प्राप्ति के पश्चात्, छाया प्रेक्षण रजिस्टर (एस.ओ.आर)/साक्ष्य फोल्डर (एफ.ई) की तुलना में व्यय के किसी मद में यदि कोई विसंगति हो, तथा यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी विसंगति पर पहले से नोटिस जारी नहीं किया गया हो तथा जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डी.ई.एम.सी) ने व्यय के ऐसे मद पर विचार नहीं किया हो, तो सहायक व्यय प्रेक्षक/व्यय प्रेक्षक के सहयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन व्यय की ऐसी मदों पर विसंगति को दर्शाते हुए अभ्यर्थी को एक अवसर देने के लिए लेखे की प्राप्ति के अधिमानतः 2 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी से कहा जाय कि वह अथवा उसका एजेन्ट नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन के भीतर जवाब दें।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों से निर्वाचन व्यय के लेखे की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर संवीक्षा एवं सार रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा तथा इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि ऊपर संदर्भित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों से 3 दिन के भीतर कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर होगा। यदि उत्तर प्राप्त होता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा व्यय प्रेक्षक के परामर्श से इसकी जांच की जाएगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय की सूचना अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को दे दी जाएगी। इसे जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट में भी सम्मिलित किया जाएगा।
4. जिला निर्वाचन अधिकारी इ.इ.एम.एस सॉफ्टवेयर पर उपर्युक्त डाटा की प्रविष्टि जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के 3 दिन के भीतर करवाएगा।
5. व्यय प्रेक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपने तीसरे दौरे के दौरान 7 दिन के लिए (अर्थात् परिणामों की घोषणा के पश्चात् 31 वें दिन से 38 वें दिन तक) निर्वाचन क्षेत्र/जिला मुख्यालयों में रहेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी इस अवधि के भीतर अपनी संवीक्षा तथा सार रिपोर्टों को अंतिम रूप देंगे तथा इन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी की संवीक्षा तथा सार रिपोर्ट (रिपोर्टों) को इसकी प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं०: 76/अनुदेश/2012/ई0ई0पी0एस0/खण्ड-1

तारीख: 9 फरवरी, 2012.

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा की विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों से साधारण निर्वाचन, 2012- राजनैतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान वीडियो वैन के उपयोग पर स्पष्टीकरण - तत्संबंधी ।

महोदय/महोदया,

मुझे आयोग के दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के पत्र सं० 437/6/अनु०/ 2008-सी.सी. व बी.ई. (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन आदि के प्रयोग के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा इस मामले में इस प्रकार के व्यय के लेखांकन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है । इस विषय में स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :-

(i) यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किए बिना राजनैतिक दलों के द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इसे पार्टी के खाते में डाला जाएगा और इसकी सूचना लोक सभा के मामले में राजनैतिक दल को 90 दिनों के अंदर तथा विधान सभा निर्वाचनों के मामले में निर्वाचनों की समाप्ति के पश्चात् पार्टी द्वारा 75 दिनों के अंदर दे दी जानी चाहिए ।

(ii) यदि अभ्यर्थी (र्थियों) के नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित किए गए हैं या फिर अभ्यर्थी (र्थियों) का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी (र्थियों) के खाते में डाला जाएगा ।

भवदीय,
ह०/-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

निर्वाचन आयोग के दिनांक 5 नवम्बर, 2008 का पत्र संख्या 464/अनु0/2008/ई पी एस जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित किया गया था ।

विषय:- संक्षिप्त संदेश सेवाएं (एस एम एस) के दुरुपयोग पर निषेध के संबंध में ।

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग के नोटिस में यह तथ्य लाया गया है कि निर्वाचनों में निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन विधि के प्रावधानों, आदर्श आंचार संहिता और इस संबंध में जारी आयोग के निदेशों/अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेशों को संक्षिप्त संदेश सेवा से (एस एम एस) भेजे जाते हैं । उक्त क्रियाओं के द्वारा, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए वातावरण दूषित हो सकता है ।

2. आयोग ने इस मामले में विचार किया है और निम्नलिखित निदेश जारी करने का निर्णय लिया है :-

(i) आपत्तिजनक एस एम एस, जो निर्वाचन विधि के प्रावधान, आदर्श आंचार संहिता और इस संबंध में जारी आयोग के निदेशों/अनुदेशों का उल्लंघन करते हैं, के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष मोबाईल नम्बरों को विज्ञापित करना चाहिए जिन पर ऐसे एस एम एस प्राप्तकर्ता उक्त एस एम एस (आपत्तिजनक एस एम एस भेजने वाले के नम्बर के साथ) को अग्रेषित कर सकते हैं । पुलिस प्रशासन पहले उचित जाँच करे और ऐसे एस एम एस के असली भेजने वाले का पता लगाया जाए और भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, आयोग द्वारा जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों के अधीन, और इस मामले में लागू होने वाले अन्य विधि के अधीन उचित कार्रवाई की जाए ।

(ii) प्रचार अवधि के दौरान वैकल्पिक निर्वाचन के प्रचार के लिए थोक में भेजे गए एस एम एस जब रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के नोटिस में आए तो वे इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नोटिस में लाएंगे, जो सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगाएंगे और जैसा भी मामला हो इसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों से संबंधित खाते में जोड़ देंगे ।

(iii) मतदान के सम्पन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घण्टे पहले तक की अवधि के दौरान राजनैतिक प्रकृति के थोक में एस एम एस भेजने पर प्रतिबंध होगा ।

3. राज्य में मोबाईल सेवा प्रदाता सहित सभी संबंधितों के नोटिस में इसे तुरंत लाया जाए और इसका व्यापक प्रचार किया जाए । जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस पत्र की एक प्रति सभी प्रेक्षकों को भेजी जाए ।

4. कृपया इस पत्र की एक प्रति यह पृष्टि करते हुए भेजें कि संगत अनुदेश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं । इस संबंध में जारी किए गए निदेशों/अनुदेशों की एक प्रति आयोग की जानकारी और रिकार्ड के लिए भी पृष्ठांकित की जाए ।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं० 61/शिकायत/आ०प्र० -लो०स०/2012/ई ई पी एस

दिनांक : 19 जुलाई, 2012

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय:- संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन के दौरान संदेहजनक लेन-देन के संबंध में बैंकों से सूचना प्राप्त करना-तत्संबंधी ।

महोदय,

इंडियन बैंक एसोशियेशन के दिनांक 6 जून, 2012 के पत्र सं० विधिक/5946 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बैंकों से किए गए संदेहजनक नकद लेन-देन के संबंध में

निम्नलिखित सूचना माँगेगा :-

- (i) पिछले दो महीने में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान रू० 1 लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना ।
 - (ii) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अंतरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना आर.टी. जी. एस के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अंतरण ।
 - (iii) अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके आश्रितों, जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र में उल्लिखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट में उपलब्ध है, के बैंक खाते में रू० 1 लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना ।
 - (iv) निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से रू० 1 लाख से अधिक की नकद राशि की निकासी या जमा करना ।
 - (v) अन्य कोई भी संदेहजनक नकद लेन-देन, जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा ।
2. उपरोक्त सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रक्रियाबद्ध की जाएगी तथा जहाँ भी यह संदेह हो कि नकद राशि का प्रयोग निर्वाचकों के रिश्वत देने के लिए किया जा सकता है, तो फ्लाइन्ग स्कवायड को पूरी जांच के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जा सकता है। तथापि, यदि जमा की जाने वाली निकासी

की नकद धन राशि की रकम रु0 10 लाख से अधिक हो, तो ऐसी सूचना को आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को आयकर विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जानी चाहिए।

भवदीय,
ह0/-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री के रामाकृष्णन, मुख्य कार्यपालक, भारतीय बैंक संघ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कॉम्प्लेक्स, सेन्टर-1, छठा तल, कुफी परेड मुम्बई-400005, को इस अनुरोध सहित कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी बैंक को अनुपालन करने के संबंध में सूचित करें।

ह0/-
(अविनाश कुमार)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001.

सं०: 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस/खण्ड-II

तारीख: 16 जनवरी, 2013.

सेवा में,

अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
वित्त मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली।

विषय:- नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2013-निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर आयोग के अनुदेशों में संशोधन-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 11.01.2013 के अपने प्रैस नोट द्वारा नागालैण्ड, त्रिपुरा और मेघालय विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन व्यय पर कड़ी निगरानी रखने पर उपरोक्त राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आयोग के दिनांक 27 जुलाई, 2012 के पत्र सं० 76/अनुदेश/2012/ईईपीएस और क्रमानुसार दिनांक 17.12.2012 और 15.01.2013 के संशोधित पत्र (प्रतियां संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है।

2. क्योंकि काला धन निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता को दूषित करता है, इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि निर्वाचनों के दौरान काले धन के प्रयोग पर नियन्त्रण करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक प्रबंध करें:-

(क) आयकर विभाग द्वारा अनुवीक्षण:-

आयकर विभाग, राज्य में सभी हवाई अड्डे, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाऊसों, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, कैश कूरियरों, आधि-व्यवसायियों और अन्य संदिग्ध एजेंसियों/व्यक्तियों जो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अघोषित राशि के संचलन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, पर कड़ी निगरानी रखेगा। इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा राज्य के प्रभारी, आयकर के महानिदेशक (अन्वे.) के पर्यवेक्षण में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं

का अधिग्रहण किया जाता है। अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों का स्थापन किसी राज्य में निर्वाचनों की अधिसूचना के तुरंत बाद राज्य की राजधानी में या ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जो आयकर विभाग द्वारा निर्णित किए जाते हैं, में करना होता है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए, आयकर के महानिदेशक (अन्वे.), अधिक मात्रा में ऐसी नकदी या अन्य मदें जिनका निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग करने का संदेह हो, के संचलन के सम्बन्ध में शिकायतें या सूचना प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर सहित मुख्यतः राज्य की राजधानी में 24X7 नियंत्रण कक्ष और शिकायत अनुवीक्षण प्रकोष्ठ खोलने के लिए कदम उठाएंगे। आयकर अन्वेषण निदेशालय, सूचना और शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध स्वतंत्र जांच चलाएगा और डी ई ओ सुरक्षा कर्मियों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। जांच का परिणाम आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति देते हुए आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्वेषण निदेशालय और वित्तीय आसूचना इकाई (एफ आई यू), भारत सरकार भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थियों द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों और देयताओं के शपथ-पत्र की प्रतियाँ डाऊनलोड करेगा। एफ आई यू अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना जो उनके पास उपलब्ध है, को भी सत्यापित करेगा और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राज्य के डी जी आई टी (अन्वे.) को रिपोर्ट भेजेगा। अन्वेषण निदेशालय, आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना को भी सत्यापित करेगा और जहां कहीं भी सम्पत्तियों या देयता या लम्बित देयों के सम्बन्ध में सूचना छिपाए जाने का मामला हो तो इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजेगा। किसी भी स्थिति में, परिसम्पत्तियों से संबंधित अन्वेषण रिपोर्ट, मतदान की तिथि से अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि में भेजी जाएगी।

(घ) यदि किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा किए गए निर्वाचन व्ययों से संबंधित कोई सूचना या तो निर्वाचन प्रचार के दौरान या अभ्यर्थियों सहित किसी व्यक्ति की उनके स्वतन्त्र अन्वेषण के दौरान, चुनाव से पहले या बाद में, अन्वेषण निदेशालय द्वारा एकत्रित की जाती है तो उसे आयोग को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

(ङ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयकर विभाग का अन्वेषण निदेशालय उन राजनैतिक दलों जो चंदा ले रहे हैं और निर्वाचनाधीन राज्यों में बिना सांविधिक रिटर्न भरे कर में छूट का आनंद ले रहे हैं, उनकी और विभाग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होने के 2 सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को करेगा।

(च) आयकर कार्मिकों की तैनाती:—

(i) राज्य में आसूचना एकत्रित करने के अतिरिक्त आयकर कार्मिकों का दल ऐसे संवेदनशील स्थानों पर स्वयं को अवस्थित करेगा जहां अघोषित रोकड़ आदि की बड़ी धन राशि की आवाजाही का संदेह हो और आयकर कानूनों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग, निर्वाचनाधीन राज्यों के सभी हवाई अड्डों और निर्वाचनाधीन राज्यों में व्यावसायिक उड़ानों वाले हवाई अड्डों में विमान आसूचना इकाई खोलेगा और निर्वाचनाधीन राज्यों में आने वाले और वहां से उड़ान भरने वाले विमानों (निजी विमानों सहित) द्वारा राशि की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखेगा। यदि हवाई अड्डे पर 10 लाख से अधिक नकदी पाई जाती है तो आयकर विभाग, आयकर कानूनों के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगा। यदि आयकर कानूनों के अधीन यह जब्त करना संभव नहीं है तब आयकर विभाग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना तत्काल हस्तान्तरित करेगा जो यदि नकदी निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग में लाए जाने का संदेह हो तो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कदम उठाएंगे। सी आई एस एफ प्राधिकारी इस संबंध में आवश्यक सूचना और सहयोग देंगे।

(iii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक खाते से 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी निकाले जानी की सूचना बैंक द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट की जाती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे आयकर अन्वेषण निदेशालय के नोडल अधिकारी/जिले के प्रभारी सहायक निदेशक, आयकर (अन्वेषण) को हस्तान्तरित की जाएगी जो आयकर कानूनों के अधीन तुरंत कार्रवाई करेंगे।

3. आयकर (अन्वे.) के सहायक/उप निदेशक द्वारा क्रियाकलाप रिपोर्ट संशोधित फार्मेट (अनुलग्नक-24) के अनुसार संबंधित डी जी आई टी (अन्वे.)/डी आई टी (अन्वे.) के कार्यालय में नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जो रिपोर्ट को संकलित करेंगे और इसे प्रत्येक एकान्तर दिवस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति सहित भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। अनुलग्नक-24 में यथासंशोधित फार्मेट भी इसके साथ संलग्न है।

भवदीय,

ह0/-
(एस.के. रूडोला)
सचिव

फा0सं0 60(2)/2008-बीओ.-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग,

तीसरा तल, जीवन दीप बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 फरवरी, 2013

सेवा में,

भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

(ध्यानाकर्षण: श्री एस.के. रूडोला, सचिव)

विषय- निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का परिवहन-तत्संबंधी।

महोदय,

1. कृपया उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 29 मई, 2012 के पत्र सं0 75/नि0व्यय/आई टी डी/2012/ईईपीएस/605 का संदर्भ लें और अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 06.11.2012 के समसंख्यक पत्र के द्वारा इस संबंध में उल्लेख करते हुए इस विभाग का उत्तर है कि भारतीय बैंकों के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास किया जाएगा और यह विभाग निर्वाचन आयोग के साथ निर्वाचन प्रचालन प्रक्रिया एस ओ पी में भी भागी होगा ताकि यह निर्वाचन तंत्र की जांच प्रक्रिया का हिस्सा बन सके और इस तरह से निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का सुचारु परिवहन सुनिश्चित कर सकें।
2. भारतीय बैंकों के संघ ने चुनिन्दा बैंकों के समूह से विचार/टिप्पणियां एकत्रित की और बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर और विचार-विमर्श करने के बाद भारतीय बैंकों के संघ की प्रबंधन समिति ने

नकदी के परिवहन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित कर सभी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित किए थे।

- बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बाह्य स्रोत एजेंसियों/कम्पनियों की नकदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा, किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियों/व्यक्तियों की नकदी नहीं ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, बाह्य एजेंसियों/कम्पनियों के पास एटीएम होगा जो कि उनके द्वारा एटीएम में नकदी डालने और अन्य शाखाओं, बैंकों या मुद्रा तिजोरी में नकदी पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा है। बैंक द्वारा जारी पत्र/दस्तावेज इत्यादि होगा जिसमें बैंक द्वारा जारी की गई नकदी का विवरण दिया है।
 - बाह्य स्रोत एजेंसियों/कम्पनियों (की नकदी वैन) के साथ जाने वाले व्यक्ति संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान-पत्र रखेंगे।
 - उपरोक्त प्रतिक्रिया इस कारण से अनुबद्ध की गई है कि निर्वाचन अवधि के दौरान यदि निर्वाचन आयोग का प्राधिकृत अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी) बाह्य स्रोत एजेंसी/कम्पनी की नकदी वैन को जांच करने के लिए रोकता है तो एजेंसी/कम्पनी दस्तावेजों और मुद्रा की प्रत्यक्ष जांच के द्वारा निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करने की स्थिति में होनी चाहिए कि बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक एटीएम को फिर से भरने या बैंक की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने बैंक से नकदी प्राप्त की है।
 - उपरोक्त प्रक्रिया मानक प्रचालन नियमों और नकदी के परिवहन के लिए बैंकों की प्रक्रिया का हिस्सा होगी।
3. भारतीय बैंकों के संघ (आई बी ए) द्वारा सदस्य बैंकों की जारी दिनांक 04.02.2013 के परिपत्र की प्रति संलग्न की जा रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इन दिशा-निर्देशों को निर्वाचन तंत्र की जांच करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने और इस तरह, निर्वाचनों के दौरान बैंकों द्वारा यथार्थ एवं उचित नकदी का सुचारु परिवहन सुनिश्चित करने पर विचार करें।

भवदीय,

ह0/–

(डी.डी. महेश्वरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सम्पर्क सं0-011-23748750

ई-मेल: usbo2-dfs@nic.in, bo2@nic.in

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार।

मतदान के दिन तक उत्पाद विभाग द्वारा की गई जब्ती और छापे/परिसम्पत्तियां आदि

सभी प्रकार की शराब की जब्ती की समेकित रिपोर्ट (लीटर में)	मूल्य, रुपये में (लगभग)	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल छापे (सं०)	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दाखिल की गई पुलिस शिकायतों की कुल सं० (सं० में)	निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुल गिरफ्तारियां (सं० में)

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख

मतदान के दिन तक आयकर विभाग द्वारा की गई जब्ती इत्यादि

क्रम सं०	विवरण	राशि (लाख रु० में)
1.	पुलिस विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ते (एफ एस) और निगरानी दल (एस एस टी) से प्राप्त नकदी आदि की कुल राशि	
2.	सत्यापन के बाद संबंधित दल/व्यक्ति को जारी की गई नकदी की कुल राशि	
3.	मतदान के दिन 12 बजे तक आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई नकदी आदि की कुल राशि	
4.	मतदान के दिन 12 बजे तक चालान द्वारा जमा किए गए कर की कुल राशि	

हस्ताक्षर
पदनाम
तारीख

मतदान के दिन तक पुलिस विभाग द्वारा की गई जब्ती

क्रम सं०	अधिनियम के अधीन	उड़न दस्ते (एफ एस) द्वारा की गई जब्ती		स्थैतिक निगरानी दल (एस एस टी) द्वारा की गई जब्ती		एस एच ओ इत्यादि द्वारा की गई जब्ती	
1.	उत्पाद अधिनियम (सभी प्रकार की समेकित शराब)	लीटर में	मूल्य रु० में (लगभग)	लीटर में	मूल्य रु० में (लगभग)	लीटर में	मूल्य रु० में (लगभग)
2.	एन डी और पी एस अधिनियम (सभी प्रकार की मादक द्रव्य)	कि०ग्रा०/ग्राम में	मूल्य रु० में (लगभग)	कि०ग्रा०/ग्राम में	मूल्य रु० में (लगभग)	कि०ग्रा०/ग्राम में	मूल्य रु० में (लगभग)
3.	अन्य सभी मदें (समेकित)	सं० में	मूल्य रु० में (लगभग)	सं० में	मूल्य रु० में (लगभग)	सं० में	मूल्य रु० में (लगभग)
4.	नकदी						
5.	कॉलम 1,2,3,4 का कुल योग (रु० में)						
6.	मतदान के दिन 12 बजे तक व्यय संबंधित मामलों (सं०) के लिए दायर किए गए मामलों की कुल सं०						
7.	मतदान के दिन 12 बजे तक व्यय संबंधित मामलों (सं०) के लिए दायर किए गए मामलों में गिरफ्तारियों की कुल संख्या						

हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001.

सं०: 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया

दिनांक : 27 अगस्त, 2012.

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात् मीडिया में खबरों के रूप में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर रोक लगाने के उपाय-संशोधित दिशा-निर्देश-तत्संबंधी ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि एसएलपी © सं० 6679/2004 (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम मै० जैमिनी टीवी प्रा० लि० तथा अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 को आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-1 जारी किया है जिसमें राजनैतिक दलों या व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा सभी विज्ञापनों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने से पहले पूर्वदर्शन, संवीक्षण तथा सत्यापन के लिए समिति के गठन की अपेक्षा की गई है। आयोग ने अपने दिनांक 08 जून, 2010, 23 सितंबर, 2010, 18 मार्च, 2011 तथा 16 अगस्त, 2011 के समसंख्यक पत्रों द्वारा पेड न्यूज के मामलों पर रोक लगाने के अतिरिक्त कार्य को देखने के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) गठित करने संबंधी और दिशा-निर्देश किए थे।

दिनांक 08 जून, 2010 तथा उसके पश्चात् 'पेड न्यूज' पर आदेशों के आशोधन में, मुझे निम्नलिखित कहने का निदेश हुआ है:-

1. जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी)
 - 1.1 प्रत्येक जिले में निम्नलिखित सदस्यों के साथ जिला स्तरीय एमसीएमसी गठित की जाएगी:-
 - (क) जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी
(संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के)
 - (ख) सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(कम से कम एसडीएम)

- (ग) केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकारी
(यदि जिले में कोई है)
- (घ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा संस्तुत निर्दलीय नागरिक/पत्रकार
- (ङ) डीपीआरओ/जिला सूचना अधिकारी/समकक्ष-सदस्य सचिव

1.1.1 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन के प्रयोजनार्थ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी (कम से कम एसडीएम) जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के सदस्य होंगे। तथापि, 'पेड न्यूज' इत्यादि के मामलों की संवीक्षा के लिए 'ग' 'घ' 'ङ' पर उल्लिखित तीन अतिरिक्त सदस्य होंगे।

1.1.2 यदि केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी जिले में तैनात नहीं हैं तो जिला निर्वाचन अधिकारी अधिमानतः केंद्र सरकार के अधिकारी या राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी को जिले में तैनात कर सकते हैं।

1.1.3 यदि एमसीएमसी में शामिल करने के लिए पीसीआई नाम उपलब्ध नहीं करवा रही है तो जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं ही निर्दलीय वरिष्ठ नागरिक या पत्रकार, जो इच्छुक हों तथा जो पृष्ठभूमि और तटस्थता के रिकार्ड के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में उपयुक्त पात्र है, को नियुक्त कर सकता है।

1.1.4 सदस्य सचिव (डीपीआरओ/डीआईओ या समतुल्य) प्रांतीय राज्य सिविल सेवाओं से होना चाहिए।

1.2 समिति को दो भिन्न कार्य करने होंगे:-

- (i) विज्ञापनों का प्रमाणन, जिसके लिए एमसीएमसी के दो विशिष्ट सदस्यों अर्थात् रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी को प्रमाणन हेतु ऐसे विज्ञापनों पर विचार कर उन पर निर्णय लेना होगा।
- (ii) शिकायतों/पेड न्यूज के मामलों इत्यादि की सभी सदस्यों द्वारा अनुवीक्षण व्यवस्था द्वारा जांच करना।

1.3 विज्ञापनों के प्रमाणन तथा पेड न्यूज पर रोक लगाने के कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन मीडिया संबंधी विनियमन के प्रवर्तन में सहायता करेगी। अतः समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होगा:-

1.3.1 एमसीएमसी सभी प्रकार के मीडिया (उदाहरणार्थ, समाचार-पत्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क इत्यादि) की निम्नलिखित हेतु बारीकी से जांच करेगा:-

(क) पेड न्यूज के संदेहास्पद मामले [यह पेड न्यूज के उन मामलों पर भी सक्रियतापूर्वक विचार करेगा जो इसे व्यय प्रेक्षक द्वारा भेजे गए हैं। यह रिटर्निंग अधिकारी को उनके निर्वाचन व्यय लेखों में डीआईपीआर दरों पर आधारित काल्पनिक व्यय या प्रकाशित सामग्री पर वास्तविक व्यय को शामिल करने (डीआईपीआर दरों के न होने पर, डीएवीपी

दरों का प्रयोग किया जा सकता है) के लिए अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने की सूचना देगा चाहे अभ्यर्थी ने चैनल/समाचार-पत्र को वह राशि दी है या नहीं दी है।} नोटिस की प्रति व्यय प्रेक्षक को भी मार्क की जाएगी।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण (यह देखने के लिए कि समिति द्वारा प्रमाणन के पश्चात् ही प्रसारण किया गया है)।

(ग) निर्वाचन अनुवीक्षण दृष्टिकोण से अभ्यर्थियों के संबंध में अन्य मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का अनुवीक्षण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (इसमें अभ्यर्थी की ओर से, स्टार प्रचारक(कों) द्वारा या अन्यों द्वारा अभ्यर्थियों की निर्वाचन संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन या प्रचार भी शामिल होगा।)

(घ) प्रिंट मीडिया में विज्ञापन (एमसीएमसी) यह जांच करेगा कि क्या विज्ञापन अभ्यर्थी के संज्ञान या सहमति से दिए गए हैं: किस मामले में यह अभ्यर्थी(र्थियों) के निर्वाचन व्ययों में डाला जाएगा; तथापि, यदि विज्ञापन अभ्यर्थी के आदेश के बिना दिया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171ज के उल्लंघन के लिए प्रकाशक के अभियोजन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) जांच करना कि क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अधीन अपेक्षित किसी निर्वाचन पैंफलेट, पोस्टर, हैंड बिल तथा अन्य दस्तावेजों पर प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम और पता लिखा गया है (यदि किसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक या प्रकाशक के नाम का उल्लेख नहीं है तो एमसीएमसी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के प्रयोजनार्थ 'पेड न्यूज' को भी अन्य दस्तावेजों की श्रेणी में रखा जाएगा)।

1.3.2 निर्वाचन विज्ञापनों पर अभ्यर्थी द्वारा वहन व्ययों या उस 'न्यूज' को प्रकाशित करने के लिए वहन वास्तविक व्यय जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणस्वरूप आवश्यक दस्तावेज लगाए जाते हैं या 'पेड न्यूज' के निर्धारित मामलों में समिति द्वारा आकलित काल्पनिक व्यय के संदर्भ में यह प्रत्येक अभ्यर्थी के बारे में दैनिक रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट (निर्धारित व्यय दिशा निर्देशों के संलग्नक 12 के अनुसार) में लेखांकन दल को प्रस्तुत करेगा तथा इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक को भी भेजेगा।

1.3.3 एमसीएमसी, मीडिया अनुवीक्षण के लिए उचित तंत्र का सृजन करेगी और उसके लिए पर्याप्त जनशक्ति तथा मौलिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

2. राज्य स्तरीय एमसीएमसी

2.1 राज्य स्तरीय एमसीएमसी में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

- (क) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अध्यक्ष
- (ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त कोई प्रेक्षक
- (ग) समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ

- (घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तैनात भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारी (अवर सचिव/उप सचिव के स्तर पर) जो कि उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित विशेषज्ञ से पृथक भारत सरकार के मीडिया विभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- (ङ) पीसीआई (यदि कोई है) द्वारा नामित निर्दलीय नागरिक या पत्रकार
- (च) अपर/संयुक्त सीईओ, मीडिया प्रभारी (सदस्य सचिव)

2.1.1 यदि एमसीएमसी में शामिल करने के लिए पीसीआई नाम उपलब्ध नहीं करवा रही है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्वयं ही निर्दलीय वरिष्ठ नागरिक या पत्रकार, जो इच्छुक हों तथा जो पृष्ठभूमि और तटस्थता के रिकार्ड के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राय में उपयुक्त पात्र हैं, को नियुक्त कर सकता है।

2.2 राज्य स्तरीय एमसीएमसी दो तरह के कार्य करेगी:-

- (i) आयोग के दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के उपरोक्त आदेश के अनुसार विज्ञापनों के प्रमाणन पर जिला तथा अपर/संयुक्त सीईओ दोनों से अपील पर निर्णय लेना।
- (ii) जिला स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरुद्ध अपील पर पेड न्यूज के सभी मामलों या अपने आप से उठाए गए मामलों की जांच करना, जिस मामले में यह संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निदेश देंगे।

2.2.1 विज्ञापनों के प्रमाणन पर अपील को दिनांक 15 अप्रैल, 2004, के उपरोक्त में विनिर्दिष्ट तरीके से (क), (ख) तथा (ग) पर उल्लिखित सदस्यों द्वारा देखा जाना चाहिए जबकि (घ), (ङ) तथा (च) पर दिए गए सदस्यों को पेड न्यूज के मामलों पर विचार करना चाहिए।

2.2.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के आदेश दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अनुसार जहां तक प्रमाणन का संबंध है, जिला एवं अपर/संयुक्त सीईओ समिति दोनों की अपील केवल सीईओ की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एमसीएमसी के पास रहेगी और उन्हीं के द्वारा निपटाई जाएगी और इस संबंध में आयोग को कोई पत्र भेजने की जरूरत नहीं है।

3. प्रमाणन पर अपर/संयुक्त सीईओ की समिति:- विज्ञापन के प्रमाणन के लिए आयोग के 15 अप्रैल, 2004 के आदेश के अनुसार गठित अपर/संयुक्त सीईओ की अध्यक्षता वाली समिति कार्य करती रहेगी जैसा कि पूर्वोक्त आदेश में कहा गया है और उसका 'पेड न्यूज' के मामलों पर कोई अधिकार नहीं होगा।

4. पेड न्यूज पर राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील:-

4.1 पेड न्यूज के मामले में राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील भारत निर्वाचन आयोग को की जाएगी। राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, यदि आवश्यक समझे तो सलाह लेने के लिए आयोग को भी संदर्भ भेज सकती है। जब कभी भी पेड न्यूज संबंधी शिकायती मामले आयोग को सीधे भेजे जाएंगे, आयोग ऐसे मामलों पर प्रारंभिक विचार-विमर्श करने के लिए उन्हें राज्य स्तरीय एमसीएमसी को अग्रेषित करेगा।

5. पेड न्यूज दिशा-निर्देशः- पेड न्यूज के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जाए:

5.1 लोक सभा या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा, जैसा भी मामला हो, के सामान्य अवसान की नियत तारीख से छह महीने पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों/रेडियो चैनलों/समाचार-पत्रों की सूची और उनके मानक रेट कार्ड हासिल किए जाएंगे और विज्ञापनों की दरें नियत करने के लिए सभी जिला स्तरीय एमसीएमसी को दिए जाएंगे।

5.2 संसदीय या विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-चुनाव के मामले में, उप-चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मानक रेट कार्ड हासिल किए जाएंगे।

5.3 मानक रेट कार्ड के आवेदन के संबंध में कोई संदेह किसी कारण से उठाया जाता है तो सलाह के लिए मामला डी आई पी आर या डी ए बी पी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जाएगा।

5.4 मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन प्रचार के प्रारम्भ होने से पहले उपरोक्त दिशा-निर्देशों के बारे में राजनैतिक दलों और मीडिया हाऊसों को व्याख्यान देंगे। मीडिया से इस संबंध में स्वतः नियामक अपनाने को कहा जा सकता है। साधारण जनता को इन दिशा-निर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए इस आदेश की व्यापक प्रचार किया जा सकता है। ब्रीफिंग का मुख्य जोर आत्म-विनियमन की जरूरत पर होगा।

5.5 संदिग्ध पेड-न्यूज या विज्ञापन या अपील के मामले निम्नलिखित सख्त समय अवधि में विचार करने पड़ेंगे:-

5.5.1 जिला एम सी एम सी के संदर्भ से रिटर्निंग अधिकारी 'न्यूज' के प्रकाशन या समान मामले के लिए खर्च हुए व्यय/बताने के लिए प्रकाशन/प्रसारण की शिकायत मिलने के 96 घण्टे के अन्दर अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेगा, या पूछेगा की व्यय मानक रेट के आधार क्यों परिकलित नहीं किय गया और उसे अभ्यर्थी के व्यय में शासित नहीं किया गया। जब राज्य स्तरीय एम सी एम सी स्वयं गए या शिकायतों के आधार पर मामलों पर समान समय सीमा लागू होगी।

- 5.5.2 जिला/राज्य स्तरीय एम सी एम सी जवाब पर अविलम्ब निर्णय लेगी और अभ्यर्थी या दल को अपना अंतिम निर्णय सूचित करेगी। किसी अवस्था में जिला एम सी एम सी द्वारा नोटिस देने के 48 घण्टे के अन्दर अभ्यर्थी से कोई जवाब नहीं प्राप्त होता है तो एम सी एम सी का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.5.3 यदि जिला स्तरीय एम सी एम सी का निर्णय अभ्यर्थी को मान्य नहीं है तो वह निर्णय के 48 घण्टे के अंदर जिला एम सी एम सी को सूचित करते हुए राज्य स्तरीय एम सी एम सी को अपील कर सकता है।
- 5.5.4 राज्य स्तरीय एम सी एम सी अपील के प्राप्त होने के 96 घण्टे के अन्दर मामले का निपटान करेगी और जिला स्तरीय एम सी एम सी को प्रति के साथ अभ्यर्थी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी।
- 5.5.5 अभ्यर्थी इस समिति से आदेश प्राप्त होने के 48 घण्टे के अन्दर राज्य स्तरीय एम सी एम सी के निर्णय के विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग को अपील कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 5.6 सम्पूर्ण प्रक्रिया, सामान्य तौर पर, निर्वाचन अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
6. यह पाया गया है कि कतिपय मामलों में पेड न्यूज पर बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए हैं जबकि उस पर आगे की कार्रवाई लंबित पड़ी रहती है। एमसीएमसी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मामले पर समुचित विचार-विमर्श किया जाए और केवल ऐसे मामले उम्मीदवार को नोटिस भेजे जाने के लिए आरओ को भेजे जाएं जो 'पेड न्यूज' के संदिग्ध मामले प्रतीत होते हों। यह देखते हुए कि सार-विहीन शिकायतें हाथ में न ली जाएं, एमसीएमसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक 'पेड न्यूज' की जांच करने में कोई ढिलाई न बरती जाए।
7. जहां पेड न्यूज के संदेहास्पद मामलों पर जिला स्तर/सीईओ स्तर/आयोग स्तर पर, जैसा भी मामला हो, "पेड न्यूज" के रूप में निर्णय हो जाता है तो इसकी सूचना उस उम्मीदवार/उसके एजेंट को विधिवत रूप से दी जाएगी और वास्तविक/कल्पित व्यय संबंधित उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय के भाग के रूप में माना जाएगा।
8. जहां जिला/राज्य स्तरीय समिति या भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्णय हो जाता है कि यह एक पेड न्यूज मामला है तो ऐसे मामले संबंधित मीडिया के संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए भारत प्रेस परिषद को सम्प्रेषित किए जाएंगे।

भवदीय,

ह0/-
(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

प्रति:- व्यय डिवीजन, विधिक डिवीजन, भारत निर्वाचन आयोग।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001.

सं: 491/पेड न्यूज/2012/मीडिया

दिनांक : 9 अक्टूबर, 2013.

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:- निर्वाचनों के दौरान 'पेड न्यूज' अर्थात् मीडिया में खबरों की आड़ में विज्ञापन और संबंधित मामलों पर रोक लगाने के उपाय-संशोधित दिशा-निर्देश-तत्संबंधी ।

महोदय/महोदया,

मुझे उपरोक्त विषय पर आयोग के दिनांक 27 अगस्त, 2012 के पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र का पैरा 5.5.2 आंशिक संशोधन के साथ अब इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए, "अभ्यर्थी जिला/राज्य स्तरीय एम सी एम सी से प्राप्त नोटिस का उत्तर नोटिस के प्राप्त होने से 48 घण्टे के अन्दर देगा। यदि निर्धारित समय के अंदर अभ्यर्थी से उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एम सी एम सी का निर्णय अंतिम होगा। जिला/राज्य स्तरीय एम सी एम सी उत्तर प्राप्त होने पर शीघ्रता से और अधिमानतः 48 घण्टे के अन्दर अपना निर्णय देगी और अभ्यर्थी/दल को अपना अंतिम निर्णय सूचित करेगी।"

भवदीय,

ह0/-
(राहुल शर्मा)
अवर सचिव

अनुदेश क्रम सं0 46

(अनुदेशों का संकलन-वाल्जूम-II)

विषय:- निर्वाचनों के संबंध में टेलीविजन प्रसारणों के लिए आचार संहिता।

1. निर्वाचन आयोग (ईसी) निर्वाचनों के कवरेज में टेलीविजन के महत्त्व को समझता है। उसकी पहुंच व्यापक है और इसका काफी प्रभाव है। एक तरफ, दूरदर्शन का एक या दूसरी पार्टी के पक्ष में दुरुपयोग किया जा सकता है। लेकिन, दूसरी तरफ, निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि दूरदर्शन का अगर उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह देशभर के मतदाताओं के लिए जानकारी का महत्त्वपूर्ण स्रोत बन सकता है, यह राजनीतिक पार्टियों; उनके प्रतीकों, विभिन्न नेताओं, निर्वाचन के भिन्न-भिन्न मुद्दों पर मतदाताओं के लिए अधिक से अधिक प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान कर सकता है।

यही कारण है कि वाद-विवाद, अभियान, कवरेज आदि की दृष्टियों से टेलीविजन समूची दुनिया में जानकारी का एकल सबसे बड़ा स्रोत है।

2. इसलिए, यह अनिवार्य है कि टेलीविजन हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका दुरुपयोग न किया जाए और दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका लोकतंत्र और मतदाता के सर्वश्रेष्ठ हितों में उपयोग किया जाए, एक आदर्श आचार संहिता बनाई जाए।

3. दूरदर्शन पर निर्वाचन कवरेज के लिए क्या करें और क्या न करें, की सूची नीचे दी गई है।

(क) क्या न करें:-

(i) ऐसे किसी निर्वाचन भाषण या अन्य सामग्री का कोई कवरेज नहीं होना चाहिए, जो हिंसा, एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध, एक भाषा समूह को दूसरे के विरुद्ध भड़काना हो।

(ii) किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में केवल एक अभ्यर्थी को नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक एकल अभ्यर्थी को कवर किया जाए (क्योंकि कुछेक निर्वाचन-क्षेत्रों में कई अभ्यर्थी हो सकते हैं) लेकिन, अधिक महत्त्वपूर्ण को निर्वाचन-क्षेत्र की किसी भी रिपोर्ट में कवर किया जाना चाहिए।

(ख) क्या करें:-

(i) निम्नलिखित को संतुलित एवं उचित तरीके से कवर किया जा सकता है:-

प्रचार अभियान एवं प्रचार भाषणों के उद्धरण: पार्टियों के प्रतीक, बैनर लैग्स एवं अन्य प्रचार 'सामग्री':
सुस्थापित गैर-राजनीतिक, प्रोफेशनल संगठनों द्वारा किए जाने वाले ओपीनियन पॉल के परिणाम, पार्टी
घोषणा-पत्र (जिसका भी आलोचनात्मक विश्लेषण बिल्कुल जायज है):

देशभर के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के अभ्यर्थी और उनकी राय:

निर्वाचन के लिए महत्वपूर्ण भिन्न-भिन्न मुद्दों पर मुख्य पार्टियों की राय:

प्रमुख पार्टियों और अभ्यर्थियों के बीच बहस:

पिछले मतदान पैटर्न, विजय मार्जिन, झुकाव, आदि का विश्लेषण

4. "संतुलित और उचित" से अभिप्राय है-प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच:

किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को दूसरे की अपेक्षा अत्याधिक कवरेज नहीं दिया जाना चाहिए। यह "संतुलन" किसी दिन में या एक एक स्टोरी में हासिल करने की जरूरत नहीं है लेकिन, युक्तिसंगत समयावधि, मानें कि एक सप्ताह, के भीतर।

संतुलन का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक पार्टी को अंतिम क्षण तक के लिए ठीक बराबर समय मिलना चाहिए लेकिन, पार्टियों को मोटे तौर पर समान समयावधि मिलनी चाहिए।

संतुलन का तात्पर्य यह है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी को दूसरों की तुलना में अधिक तरजीह दी जा रही है।

5. कार्यविधियां:-

सभी प्रोड्यूसरों को ऑफ एचर अपने कार्यक्रम की एक प्रति अवश्य रिकार्ड करनी चाहिए ताकि कोई विवाद होने की दशा में उसका संदर्भ के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

निर्वाचन आयोग कोई भी विवाद में आखिरी मध्यस्थ होगा।

6. कोई भी विवादित लेखांश या स्टोरी का अंतिम निर्वाचन निर्वाचन आयोग के पास होना चाहिए। प्रसारक के साथ कोई असहमति होने की दशा में निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्राधिकार नामित किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं०: 76/अनुदेश/2013/ईईपीएस

दिनांक : 21 मार्च, 2013.

आदेश

जबकि, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है; और

जबकि, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकी देने, प्रभावित करने और घूस देने के सभी रूपों को अवश्य रोका जाना चाहिए और; ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन का वितरण; अथवा धमकी या डराने-धमकाने के द्वारा निर्वाचकों को भयभीत करने के लिए धन शक्ति और बाहुबल का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

जबकि, निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहु बल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171 के अंतर्गत अपराध हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण हैं;

इसलिए, अब, निर्वाचनों की शुचिता बनाए रखने के प्रयोजनार्थ भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन-क्षेत्र में अत्याधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, शराब, या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए गठित उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों और चेक पोस्टों के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन कार्यविधि जारी करता है:

उड़न दस्ता (एफ एस)

1. प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र में तीन या अधिक उड़न दस्ते (एफ एस) होंगे। उड़न दस्ता निर्वाचन की घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेगा और मतदान समाप्त होने तक बना रहेगा।
2. उड़न दस्ता (क) आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्रवाई करेगा; (ख) डराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, शराब, हथियार एवं गोला-बारूद तथा निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में नकदी को लाने-ले जाने आदि की सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा; और (ग) अभ्यर्थियों/राजनीतिक दल द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगा;

(घ) आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के उपरांत राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली प्रमुख रैलियों, सार्वजनिक बैठकों या अन्य बड़े खर्चों की वीडियो निगरानी दल (बीएसटी) की सहायता से वीडियोग्राफी करेगा।

3. व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों (ईएससी), में जरूरत के आधार पर एक से अधिक उड़न दस्ते होंगे। इस अवधि के दौरान उड़न दस्ते को और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। उड़न दस्ते के अध्यक्ष के तौर पर मजिस्ट्रेट और उड़न दस्ते के अन्य कर्मचारियों के और मोबाइल नंबर शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर, आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यय संवेदनशील निर्वाचन-क्षेत्रों में केन्द्रीय अर्धसैनिक बल या राज्य सशस्त्र पुलिस को परिस्थिति के आधार पर उड़न दस्ते में शामिल किया जा सकता है और डीईओ इस संबंध में जरूरी कदम उठाएंगे। डीईओ, उड़न दस्ते में साबित सत्यनिष्ठा के अधिकारियों को शामिल करेंगे।

जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत की कोई अन्य वस्तु के वितरण के संबंध में या असामाजिक तत्वों या हथियारों और गोला-बारूद के लाने और ले जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है जो उड़न दस्ता मौके पर तत्काल पहुंचेगा। उड़न दस्ता रिश्वत की वस्तुओं या अन्य गैर-कानूनी वस्तुओं को जब्त करेगा, और साक्ष्य एकत्रित करेगा और गवाहों एवं ऐसे व्यक्तियों के बयान को रिकार्ड करेगा जिनसे वस्तुएं जब्त की गई हैं।

5. उड़न दस्ता रिश्वत या नकदी की जब्ती की वस्तुओं के संदर्भ में अनुलग्नक-क पर दिए गए फार्मेट के अनुसार पुलिस अधीक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेगा और उसकी प्रति आर.ओ., डी.ई.ओ. और व्यय प्रेक्षकों को भेजेंगे तथा आदर्श आचार संहिता उल्लंघनों के संदर्भ में अनुलग्नक-ख में दिए गए फार्मेट में आरओ, डीईओ और सामान्य प्रेक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेगा। पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी फार्मेट (यानि अनुलग्नक-क एवं ख) में फैक्स/ई-मेल के द्वारा अगले दिन आयोग को एक समेकित रिपोर्ट, भेजेंगे और उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

6. सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी (i) रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्तियों; (ii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनसे विनिषिद्ध वस्तुएं जब्त की गई हैं या (iii) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो गैर-कानूनी गतिविधि में लिप्त पाए गए हैं; के विरुद्ध

शिकायतें/एफआईआर दाखिल करेंगे। शिकायत/एफआईआर की प्रति सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए आर.ओ. के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक और पुलिस प्रेक्षक को भेजी जाएगी। यदि उसका किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय से संबंध है तो व्यय प्रेक्षक उसका छाया प्रेक्षण रजिस्टर में उल्लेख करेंगे।

7. यदि नकदी, उपहार वस्तुएं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण के बारे में; या निर्वाचकों को धमकी देने/डराने के बारे में; या हथियारों/गोला-बारूद/असामाजिक तत्वों की आवाजाही के बारे में शिकायत प्राप्त हो और उड़न दस्ते का घटना-स्थल पर तत्काल पहुंच पाना संभव नहीं हो तो सूचना घटना-स्थल के सबसे नजदीक मौजूद राज्य निगरानी दल या उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दी जाए जो शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए घटना-स्थल पर एक टीम भेजेंगे। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा या तो उड़न दस्ते द्वारा अग्रेसित शिकायतों के प्राप्त होने पर की गई या स्वतंत्र रूप से की गई सभी जख्तियों की भी उड़न दस्ते के रिपोर्टिंग की जाएगी जो ऐसी रिपोर्टों की प्रविष्टियां अपनी दैनिक कार्यकलाप रिपोर्टों के संगत कतारों/स्तंभों में करेंगे और ऐसा जख्ती की सूचना या की गई कार्रवाई की रिपोर्टों के दोहराए जाने से बचने के लिए किया जाता है।
8. प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगा: "भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं। सभी नागरिकों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नंबर..... पर सूचित करना चाहिए।"

9. जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को उपर्युक्त उद्धृत करते हुए अंग्रेजी या हिंदी या स्थानीय भाषा में पर्चे बनाने चाहिए और उड़न दस्तों के माध्यम से प्रमुख-प्रमुख स्थानों में वितरित करना चाहिए। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण उपायों पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी की जानी चाहिए।
10. निर्वाचनों की घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सीपित किए जा रहे अनुवीक्षण तंत्र के बारे में आम जनता के हितलाभ के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऊपर उल्लिखित अपील करना चाहिए।

स्थैतिक दल (एसएसटी):-

1. एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में तीन या अधिक स्थैतिक निगरानी दल होंगे। प्रत्येक दल में एक मजिस्ट्रेट और तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत होंगे। कुछेक निगरानी दलों में, क्षेत्र की संवेदनशीलता के आधार पर, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल शामिल होंगे।
2. यह दल प्रमुख मुख्य मार्गीय सड़कों, जिले एवं राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित करेगा और अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी नजर रखेगा। जांच किए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
3. एसएसटी उसी दिन अनुलग्नक-ग के अनुसार फार्मेट में पुलिस अधीक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट अधीक्षक को दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट भेजेगा और उसकी प्रति आर.ओ., डी.ई.ओ. और व्यय प्रेक्षक, सामान्य प्रेक्षक, एवं पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी जिले की ऐसी सभी रिपोर्टों का संकलन करेंगे और उसी दिन फैक्स/ई-मेल के जरिए आयोग को उसी फार्मेट (यानि, अनुलग्नक-ग) में एक समेकित रिपोर्ट भेजेंगे और उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।
4. स्थैतिक निगरानी दलों की सम्पूर्ण प्रक्रिया कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बगैर ऐसी कोई जांच नहीं होगी। दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या के पहचान निशान के साथ वीडियो रिकार्ड अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी को जमा किया जाएगा, जो आयोग द्वारा बाद में उसका सत्यापन किए जाने के लिए उसे संरक्षित रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बात का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए कि जनता का कोई भी सदस्य 300/-रु जमा करके डीवीडी/वीडियो रिकार्ड की प्रति हासिल कर सकता है।

5. जब कभी भी किसी एजेंसी द्वारा जिले/राज्य की सीमाओं पर या किसी अन्य स्थान पर किसी अन्य स्थान पर किसी भी प्रयोजनार्थ चेक पोस्ट सीपित किए जाते हैं, तो क्षेत्र में जांच-प्रक्रिया के दोहराव से बचने के लिए ऐसी टीम में वहां मौजूद एसएसटी भी होगा और रिपोर्टिंग, एसएसटी द्वारा की जानी है।
6. प्रमुख सड़कों या मुख्यमार्गीय सड़कों पर एसएसटी द्वारा जांच किए जाने की शुरुआत आयोग द्वारा यथा-निर्धारित तारीख से होगी। स्थैतिक निगरानी दलों का नियंत्रण सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षकों के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा और यह तंत्र, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में या व्यय संवेदनशील पॉकेटों में मतदान के पहले अंतिम 72 घंटों में सुदृढ़ किया जाएगा।
7. जांच के दौरान यदि, अभ्यर्थी, उसके एजेंट, या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50,000/-रु. से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार अथवा 10,000/- रु के मूल्य से अधिक की ऐसी उपहार वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो या वाहन में कोई अन्य गैर-कानूनी वस्तुएं पाई जाती हैं तो वे जब्त किए जाने की शर्त के अधीन होगी। जांच किए जाने और जब्त के सम्पूर्ण घटनाक्रम की वीडियो टीम द्वारा वीडियोग्राफी की जाएगी जो रिटर्निंग ऑफिसर को वीडियो सीडी की प्रति प्रस्तुत करेगी।
8. उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल को सामान या वाहन की जांच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट होना होगा। महिला द्वारा धारित पर्स की तब तक जांच नहीं की जाएगी जब तक कि वहां पर कोई महिला अधिकारी न हो। उड़न दस्ता अपने क्षेत्रों में जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दलों के कार्यकलाप एवं उपयुक्त आचरण का पर्यवेक्षण भी करेगा।
9. उड़न दस्तों और स्थैतिक निगरानी दलों के प्रशिक्षण पर अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने की नियत तिथि के कम से कम तीन महीने पहले प्रशिक्षित स्थिति में हों और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुसार तैनात किया जा सके। जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि दलों का गठन किया जाए और उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। पुलिस मुख्यालयों के नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस संबंध में पुलिस बल को उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें सुग्राही बनाया जाए।

10. उड़न दस्ता या स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्ती किए जाने के मामले में अपीलीय प्राधिकारी, जिनसे व्यक्ति शिकायत के निवारण के लिए अपील कर सकते हैं, जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी) होंगे। अपीलीय प्राधिकारी के नाम एवं पते का जब्ती सूची में उल्लेख किया जाएगा जो उस व्यक्ति को दी जाती है जिनसे जब्ती की गई हो।
11. जब्ती के बाद जब्त की गई धनराशि कोषागार में या न्यायालय द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से जमा की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समय के परे और अवकाश दिनों में भी जब्त नकदी प्राप्त करने के लिए कोषागार इकाईयों को आवश्यक अनुदेश देंगे।
12. जहां कहीं भी उड़न दस्ते या स्थैतिक निगरानी दल या पुलिस प्राधिकारियों को अपने क्षेत्र में किसी अन्य संदिग्ध वस्तुओं, जिनमें भारी मात्रा में नकदी ले जाना शामिल है, के बारे में सूचना मिले तो वे ऐसी वस्तुओं के बारे में संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियां को सूचित रखेंगे।

आदेश से,

ह0/-
(एस.के. रूडोला)
सचिव

नकदी/अन्य वस्तुओं की जब्ती से संबंधित शिकायतों पर उड़न दस्ते द्वारा दिनांक..... की दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट

संदर्भ सं०.....

सब-डिवीजन का नाम.....

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम.....

राज्य.....

पुलिस अधिकारी का नाम.....

क्रम सं०	निर्वाचन-क्षेत्र/जिला का नाम	शिकायत/सूचना का स्वरूप	उस व्यक्ति का नाम जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	उड़न दस्ते द्वारा जब्त नकदी/अन्य वस्तुएं	अन्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जब्त नकदी/अन्य वस्तुएं	दाखिल एफआईआर	उस अभ्यर्थी या पार्टी का नाम जिसके साथ लिंक पाए गए	उस प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम जिन्हें जब्त नकदी/वस्तुएं सौंपी गईं	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
विवरण				रिपोर्ट की तिथि को आंकड़े			रिपोर्ट की तिथि सहित क्रमिक आंकड़े		
1.	उड़न दस्ते द्वारा जब्त नकदी/अन्य वस्तुओं की कुल धनराशि								
2.	अन्य पुलिस द्वारा जब्त नकदी/अन्य वस्तुओं की कुल धनराशि								
3.	प्राप्त नकदी/अन्य वस्तुओं की शिकायतों की कुल संख्या								
4.	स्त्यापित शिकायतों की कुल संख्या								
5.	शिकायतों की कुल संख्या लंबित								
6.	दिन की समाप्ति तक दाखिल एफआईआर की कुल संख्या								

हस्ताक्षर

उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी/राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

1. उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी, प्रत्येक उड़न दस्ते के लिए इस फार्मेट में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसकी प्रति आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक को भेजेंगे।
2. पुलिस अधीक्षक सम्पूर्ण जिले के लिए आंकड़ों का संकलन करने के उपरांत राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।

3. राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए आंकड़े का संकलन करेंगे और आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे तथा उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे।

अनुलग्नक-ख

आदर्श आचार संहिता संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते की दिनांक..... की दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट

संदर्भ सं०.....

सब-डिवीजन का नाम.....

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम.....

राज्य.....

पुलिस अधिकारी का नाम.....

1	2	3		4		5	6
क्रम सं०	निर्वाचन-क्षेत्र / जिला का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई हो	शिकायत जिसके विरुद्ध है उसका नाम	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई हो	आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मुद्दे का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
1							
2							
3							

हस्ताक्षर

उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी / राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

टिप्पणी:-

- उड़न दस्ते के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक उड़न दस्ते के लिए इस फार्मेट में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसकी प्रति आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक को भेजेंगे।
- पुलिस अधीक्षक सम्पूर्ण जिले के लिए आंकड़ों का संकलन करने के उपरांत राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।
- राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए आंकड़े का संकलन करेंगे और आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे तथा उसकी प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचक अधिकारी को भेजेंगे।

अनुलग्नक-ग

नकदी/अन्य वस्तुओं की जब्ती से संबंधित शिकायतों पर स्थैतिक निगरानी दलों की दिनांक.....
की दैनिक कार्यकलाप रिपोर्ट

चेक पोस्ट का नाम..... मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम.....
जिला.....राज्य..... पुलिस अधिकारी का नाम.....

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं०	निर्वाचन-क्षेत्र/ जिले की संख्या एवं नाम	उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनकी चेक पोस्ट पर जांच की गई	नकदी/अन्य वस्तुएं	दाखिल एफआईआर	उस अभ्यर्थी या पार्टी का नाम जिनसे लिंक हैं	उस प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम जिन्हें जब्ती के बाद नकदी, सामान सौंपा गया	अभ्युक्ति
1							
2							
3							
विवरण						रिपोर्ट की तिथि को आंकड़े	थत्थि सहित क्रमिक आंकड़े
क	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब्त नकदी की कुल धनराशि						
ख	स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जब्त अन्य वस्तुओं की कुल धनराशि						
ग	दर्ज एफ आई आर की संख्या						

हस्ताक्षर

स्थैतिक निगरानी दल के प्रभारी अधिकारी/राज्य पुलिस मुख्यालय
के नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

टिप्पणी:-

1. स्थैतिक निगरानी दल के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक स्थैतिक निगरानी दल के लिए इस फार्मेट में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसकी प्रति आरओ, डीईओ, सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक को भेजेंगे।
2. पुलिस अधीक्षक सम्पूर्ण जिले के लिए आंकड़ों का संकलन करने के उपरांत राज्य मुख्यालय के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे।

3. राज्य पुलिस मुख्यालय के नोडल अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए आंकड़े का संकलन करेंगे और आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे तथा उसकी प्रति राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचक अधिकारी को भेजेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं०: 76/अनुदेश/ईईपीएस/2013/खण्ड-I

दिनांक: 14 मार्च, 2013

आदेश

जबकि, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित है, और

जबकि, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि अभ्यर्थीगण निर्वाचन अभियान में अत्याधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं जिससे समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत (लेवल प्लेईंग फील्ड) पर प्रतिकूल असर पड़ता है और अपने निर्वाचन खर्चों के दिन-प्रति-दिन के लेखाओं में ठीक-ठीक खर्च नहीं दर्शा रहे हैं;

अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करता है:

- (i) यदि रिटर्निंग अधिकारी या अधिकृत किसी अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोई सूचना मिली है कि किसी अभ्यर्थी ने कतिपय व्यय उपगत या अधिकृत किया है और या तो उसके अंश या सम्पूर्ण हिस्से को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए रखे गए निर्वाचन व्यय के अपने दिन-प्रति-दिन के लेखाओं में नहीं दर्शाया है या उक्त लेखा-जोखा को निर्धारित तिथि के दिन अधिकृत अधिकारी या व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए नहीं प्रस्तुत किया है तो रिटर्निंग अधिकारी अधिमानतः सूचना मिलने या लेखाओं के निरीक्षण की तिथि के 24 घंटों के भीतर उसके साक्ष्य के प्रमाण के सहित यथास्थिति, उन खर्चों के विवरणों, जो दिन-प्रति-दिन के लेखा में सही या ठीक रूप में नहीं दर्शाए गए हों, का उल्लेख करते हुए या उन्हें यह सूचित करते हुए नोटिस जारी करेंगे कि वे अपना लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालांकि, संदिग्ध पेड न्यूज मदों के जिन मामलों में मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की सिफारिश के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं या जारी किए जा रहे हैं उन मदों को इस नोटिस में कवर नहीं किया जाएगा।

- (ii) ऐसे अभ्यर्थी उनके ध्यान में लाए गए चूक या व्यतिक्रम के कारणों को स्पष्ट करते हुए नोटिस का 48 घंटों के भीतर उत्तर दे सकते हैं। जिन मामलों में अभ्यर्थी नोटिस में उल्लिखित छिपाए हुए खर्च के तथ्यों को स्वीकार कर लेता है उनमें वह खर्च उनके निर्वाचन खर्चों में जोड़ा जाएगा।
- (iii) जिन मामलों में अभ्यर्थी अपना दिन-प्रति-दिन का लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है और नोटिस दिए जाने के बावजूद यह विफलता बनी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील किए जाने के 48 घंटों के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 171(1) के अंतर्गत एफआईआर दायर किया जाना होता है और निर्वाचन अभियान के लिए अभ्यर्थी द्वारा वाहनों आदि के इस्तेमाल के लिए अनुमति वापस ले ली जाएगी।
- (iv) जिस मामले में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा नोटिस मिलने के 48 घंटों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नोटिस में उल्लिखित छिपाई गई धनराशि अंतिम मानी जाएगी और उसे ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट नोटिस में उल्लिखित छिपाए गए व्यय का खंडन करते हैं तो वे असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत करेंगे और उसे निम्नलिखित सदस्यों से बनी जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) को अग्रेषित करना होगा:
1. निर्वाचन-क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक
 2. जिला निर्वाचन अधिकारी
 3. जिले के व्यय अनुवीक्षण के उप जिला निर्वाचन प्रभारी अधिकारी
- (vi) डीईएमसी नोटिस और तत्संबंधी अभ्यर्थी के उत्तर में उल्लिखित साक्ष्य की जांच करने के उपरांत मामले पर, अधिमानतः अभ्यर्थी से उत्तर मिलने की तिथि से 72 घंटों के भीतर, इस बात का निर्णय लेगी कि ऐसा छिपाया हुआ व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च खाते में जोड़ा जाएगा या नहीं।
- (vii) डीईएमसी द्वारा आदेश दिए जाने के उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन के पश्चात आयोग को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अधीन संवीक्षा रिपोर्ट भेजते हुए ऐसे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे में ऐसे खर्चों को शामिल करने पर विचार कर सकता है।
- (viii) यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा उसके लेखे के निरीक्षण की आखिरी तारीख के पश्चात अधिकृत/उपगत व्यय की छाया प्रेक्षण रजिस्टर में रिकार्ड किए गए व्ययों की तुलना में, निर्वाचन की घोषण

होने के 30 दिन के अंतर प्रस्तुत की गई उसकी निर्वाचन व्यय विवरणी में ठीक तरह से नहीं दिखाया जाता तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखे के प्रस्तुत करने के अधिमानतः 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करके उन्हें दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के 48 घंटों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब प्रस्तुत करेंगे।

यदि अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय की छिपायी गई राशि पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करता है या ऐसी छिपायी गयी राशि पर असहमति दिखाते हुए जवाब प्रस्तुत करता है तो व्यय प्रेक्षक के परामर्श से डीईओ इस प्रकार के जवाब पर विचार करते हुए मामले पर निर्णय लेगा और निर्वाचन व्यय की उक्त राशि पर अपना निर्णय अभ्यर्थी/अभिकर्ता को सूचित करेगा तथा आयोग को प्रस्तुत उसकी संवीक्षा रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख करेगा। नोटिस, अभ्यर्थी द्वारा नोटिस का उत्तर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को नोटिस बोर्ड पर दर्शाया जाएगा।

(ix) यदि अभ्यर्थी परिणामों की घोषणा के जिनसे 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर बिना किसी वैध कारण के अपने निर्वाचन व्ययों की विवरणी फाइल नहीं करता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी संस्तुतियों के साथ ऐसी चूक का उल्लेख करते हुए आयोग को रिपोर्ट भेज देगा।

उपरोक्त प्रक्रिया का 01 अप्रैल, 2013 से अनुसरण किया जाएगा।

आदेश से,

हस्ता० /—
(एस.के. रूडोला)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं०: 76/ईई/2012-पीपीईएमएस

दिनांक: 21 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव
(सभी राजनैतिक दल)

विषय:- राजनैतिक दलों द्वारा "निर्वाचन व्यय की विवरणी" फाइल करने के लिए प्रपत्र का आशोधन-विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों/लोक निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा।

महोदय,

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 'कॉमन कॉज़' बनाम भारत संघ एवं अन्य (एमआर 1996 एस सी 3081) के मामले में निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 27.12.2001, 22.03.2004 तथा 13.01.2009 के पत्र द्वारा एक फार्मा निर्धारित किया है जिसमें राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक लोक सभा/राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों द्वारा फाइल किए गए विवरण को आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है।
2. इसके अतिरिक्त मुझे यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि सुसंगत सूचना पर और सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। अतः, आयोग ने उक्त प्रपत्र में आशोधन किया है जो कि एतद्वारा संलग्न किया जा रहा है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त आशोधित प्रपत्र पार्ट-क में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाता है, पार्टी के अथवा राज्य दलों (जिलों/स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा राज्य इकाई(ईयों) पर सूचना भाग-ख में, सूचना का सार भाग 'ग' और भाग 'घ' में सत्यापन संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। व्यय के ब्यौरे प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। संशोधित प्रपत्र में बेहतर स्पष्टता तथा जिम्मेवारी के लिए साधारण पार्टी प्रचार के लिए राजनैतिक दलों के खर्च तथा अभ्यर्थियों के नामे डाले जाने वाले खर्चों का भी द्विभाजन किया गया है।

3. दलों या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत/उपगत व्ययों की संवीक्षा हेतु अपेक्षित सूचना मांगी गई है जिसके लिए उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थों में, निर्वाचन व्ययों की अपनी विवरणी, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन फाइल की गई थी, में छूट का दावा किया था।
4. मुझे सभी राजनैतिक दलों को यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि वे 01 जनवरी, 2013 के पश्चात होने वाले सभी निर्वाचनों के लिए इस संशोधित प्रपत्र में ही "निर्वाचन व्यय का विवरण" हाई प्रति और सी डी में सॉफ्ट प्रति में फाइल करेंगे।
5. इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,
हस्ता०/—
(एस.के. रूडोला)
सचिव

संलग्नक:- उपर्युक्त के अनुसार

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे राज्य में सभी राजनैतिक दलों की सूचना में लाएं,

- सभी जिला निर्वाचन अधिकारी
- सभी रिटर्निंग अधिकारी

लोकसभा/विधान सभा के निर्वाचनों में राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय का विवरण
(निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक)

1. राजनीतिक दल का नाम:.....
2. लोकसभा/राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन..... (विधान सभा के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख करें तथा जो संगत ना हो उसे काट दें)
3. निर्वाचन की घोषणा की तिथि.....
4. निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि.....

भाक-क

5. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

5.1	क. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल की विधियों का 'अथ-शेष' (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को)	राशि
	विवरण	राशि
	(i) हस्त रोकड़	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा का नाम दर्शाएँ)	
		कुल
5.2	ख. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों की सभी श्रोतों से कुल प्राप्तियां	राशि
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) बैंक अथवा ड्राफ्ट इत्यादि	
	(iii) किसी अन्य रूप में (किसी व्यक्ति/सत्ता से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी व्यक्ति/सत्ता से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे-हैलीकॉप्टर सेवाएँ इत्यादि का विवरण तथा काल्पनिक मूल्य का उल्लेख करें)	
		कुल
5.3	क. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय (यदि एक से अधिक राज्य शामिल हों, तो दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत राज्यवार कुल व्ययों को अनुसूची-1 में दिया जाए)	
	दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा कुल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) बैंक/ड्राफ्ट इत्यादि	

	(iii) प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तिथि को बकाया शेष	
		कुल
	ख. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत कुल प्राधिकृत उपरोक्त सामान्य दल प्रचार व्ययों का विवरण	
	(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 में यथा विनिर्दिष्ट स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय (अनुसूची-2 में दिए गए फार्मेट में विवरणों को संलग्न किया जाए)	
	(ii) स्टार प्रचारकों की अपेक्षा नेताओं का यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-2क में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) सामान्य दल प्रचार में मीडिया विज्ञापन (प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, सामूहिक एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टी.वी. चैनल इत्यादि) पर व्यय	
	(iv) सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजों, स्पीकरों, आर्चों, गेटों, कट-आउट, होडिंग, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-4 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) सामान्य दल प्रचार के लिए जनसभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-5 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
		सामान्य पार्टी प्रचार पर कुल व्यय
5.4	दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय	
	(i) दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दल के अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों अथवा अन्य अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या तो नकद अथवा अन्य माध्यमों जैसे-चेक/डीडी/पी.ओ./आरटीजीएस/फन्ड ट्रान्सफर इत्यादि के द्वारा कुल एक मुश्त राशि का भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-7 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(ii) विशेष अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक में एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल (इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा ऐसे व्यय को अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के निर्वाचन व्यय के नाम डालना। (विवरणों को अनुसूची 8 में दिए गए फॉर्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-9 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iv) स्टार प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) सहित अन्य नेताओं की रैली में जन सभाओं/जलूसों इत्यादि (बैरीकेडों/ऑडियो सीडी इत्यादि/श्रोताओं/समर्थकों के लिए भाड़े में लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अलावा) (विवरणों को अनुसूची-10 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-11 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	

		अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों पर कुल व्यय		
5.5	दल (जिले एवं स्थानीय निकायों सहित) के राज्य इकाई (इकाईयों) के दल के केंद्रीय मुख्यालयों अथवा अन्य दल द्वारा निर्वाचन व्ययों (कृपया राज्यवार राशि दर्शाये) के लिए दी गई कुल एक मुश्त राशि, यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करता है, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख किया जाए।			
	दल के राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है। अन्य राजनीतिक दल (यदि कोई हो) का नाम	भुगतान की तारीख	नकद चेक/डीडी इत्यादि की संख्या	राशि
	1.			
	2.			
	3. इत्यादि			
			कुल	
5.6	निर्वाचन सम्पन्न होने पर दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल विधियों का अंतः शेष (क्लोजिंग बैलेंस)			
			श्वरण	
	(i) हस्त रोकड़			
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)			
			कुल	

भाग-ख

6. राज्य के लिए सभी जिला स्तर तथा स्थानीय निकायों सहित दल की राज्य इकाई द्वारा अथवा राज्यीय दल के मुख्यालय द्वारा उपगत) प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

I. यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक राज्य मं निर्वाचन व्ययों को उपगत/प्राधिकृत करता है, तो प्रत्येक राज्य का ब्यौरा इस प्रोफार्मा के अनुसार अलग कागज में दिया जाए,

II. राज्य के भीतर मुख्यालयों वाले राज्यीय राजनीतिक दल इस प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.1	राज्य इकाई (जिले स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) का अथ शेष (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषण की तिथि को) विवरण	राशि
	हस्त नकद	
	बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा का नाम उल्लेख करें)	

		कुल
6.2	राज्य में जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित राज्य ईकाई द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सभी स्रोतों से कुल प्राप्तियाँ	
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) बैंक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) किसी अन्य रूप में (किसी भी व्यक्ति/सत्ता से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी भी व्यक्ति/सत्ता से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे हैलीकॉप्टर सेवाएँ आदि के काल्पनिक मूल्य का उल्लेख करें)	
		कुल
6.3	सामान्य दल प्रचार (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक) के लिए राज्य ईकाई (जिला स्तर के इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों) द्वारा उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय।	
	राज्य ईकाई द्वारा कुल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) बैंक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) व्यय प्राधिकृत, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि पर बकाया राशि	
		कुल
	ख. राज्य ईकाई (जिला स्तर के इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा उपगत सामान्य दल प्रचार के लिए व्यय का विवरण	
	(i) राज्य ईकाई द्वारा उपगत स्तर प्रचारकों पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-12 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(ii) राज्य ईकाई द्वारा अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-13 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iii) राज्य ईकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एसएमएस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-14 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iv) राज्य ईकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैज, स्टीकरों, आर्चेज, गेट, कट-आउट, होर्डिंग्स, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-15 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(v) राज्य ईकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए जन सभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-16 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) राज्य ईकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय। (विवरणों को अनुसूची-17 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
		कुल

6.4	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) को आबंटित जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए राज्य इकाई द्वारा उपगत या प्राधिकृत कुल व्यय			
	(i) राज्य इकाई द्वारा दल के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को नकदी या अन्य माध्यमों, यथा-चेक/डीडी/पीओ/आरटीजीएस/फन्ड ट्रान्सफर इत्यादि द्वारा कुल एक मुश्त भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-18 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)			
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक थोक एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय। (विवरणों को अनुसूची-19 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)			
	(iii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्रियों (जैसे पोस्टरों, बैनरों, कट-आउटों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-20 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)			
	(iv) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ स्टार प्रचारकों की रैली में बैरीकेटों/ऑडियो आदि/दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों पर राज्य इकाई द्वारा कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) (विवरणों को अनुसूची-21 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)			
	(v) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-22 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)			
	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय			
6.5	दल के राज्य इकाई (जिले तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा निर्वाचन व्ययों के लिए दूसरे दल को दी गई कुल एक मुश्त राशि। यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करते हैं, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख करना है।			
	दल के राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है। अन्य, राजनीतिक दल (यदि कोई हों) का नाम	भुगतान की तिथि (विधियाँ)	नकद चेक/डीडी इत्यादि की संख्या	राशि
	1.			
	2.			
	3. इत्यादि			
			कुल	
6.6	निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात दल के राज्य इकाई (जिले एवं स्थानीय इकाईयों सहित) का अंत शेष			राशि
	विवरण			राशि
	(i) हस्त नकद			

	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)	
		कुल

भाग-ग

7. जैसा कि भाग-क तथा ख में सारणियों में निर्धारित है, सभी प्राप्तियों का सार तथा निर्वाचन के दौरान (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक) राजनीतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तिथि (तिथियाँ)	
ग	निर्वाचन: (राज्य तथा विधान सभा/लोक सभा/निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें)	
घ	अथ शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के इकाइयों सहित के लिए)	
	विवरण	राशि
	(i) हस्त नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (i) + 6.1 क (i) }	
	(ii) बैंक में नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (ii) + 6.1 क (ii) }	
ङ	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तथा (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के इकाइयों, दोनों में) कुल प्राप्तियाँ।	
	विवरण	राशि
	(i) हस्त नकद {सभी राज्यों का 5.2क (i) + 6.2 क (i) }	
	(ii) चेक अथवा ड्राफ्ट {सभी राज्यों का 5.2क (ii) + 6.2 क (ii) }	
	(iii) इसी प्रकार (अथवा मानार्थ प्राप्तियाँ) {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.2क (iii) + 6.2 क (iii) }	
	कुल प्राप्ति (प्राप्तियाँ)	
च	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तथा (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, क्षेत्रों में) सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय।	
	विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (i) + 6.3 क (i) }	
	II. चेक अथवा ड्राफ्ट {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (ii) + 6.3 क (ii) }	
	III. प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि को बकाया राशि शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (iii) + 6.3 क (iii) }	
	IV. सामान्य दल प्रचार पर कुल व्यय	
छ	राजनीतिक दल द्वारा सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय	
	विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भुगतान {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (i) + 6.4 क (i) }	

	II. इसी प्रकार— क. मीडिया को किए गए भुगतान {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (ii) + 6.4 क(ii)}	
	ख. प्रचार सामग्रियाँ {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iii) + 6.4 क(iii)}	
	ग. जन सभाएँ, जलूसों आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iv) + 6.4 क(iv)}	
	घ. कोई अन्य व्यय {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क(v) + 6.4क(v)}	
	IV. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की कुल व्यय	
ज.	सामान्य दल प्रचार के लिए तथा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कुल व्यय (इस सारणी के ऊपर के च(iv) + छ(iv) का कुल जोड़	
झ.	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों; दोनों में)	
	विवरण	राशि
	क. हस्त नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(i) + 6.6क(i)}	
	ख. बैंक शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(ii) + 6.6क(ii)}	
	ग. कुल अंतः शेष (क्लोजिंग बैलेंस)	

भाग—घ

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती.....एतद्द्वारा सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूँ कि निर्वाचन व्यय (भाग क, ख, ग) की विवरणी में दर्शाये गए निर्वाचन व्यय के लेखे लोकसभा/..... राज्य/विधान सभा के साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के संबंध में राजनीतिक दल {पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों/राज्य इकाई (जिला स्तर तथा स्थानीय इकाईयों सहित)} द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें शामिल हैं तथा उनमें से कुछ भी नहीं छुपाया गया है अथवा रोका गया है। प्रतिबंध लगाया गया है; तथा

निर्वाचन व्यय की उक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही लेखा है तथा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को, छिपाया नहीं गया है।

दिनांक कोषाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर

अथवा प्राधिकृत व्यक्ति

प्रति हस्ताक्षरित

पार्टी के अध्यक्ष/महा सचिव के हस्ताक्षर

लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर एवं मुहर

*जो लागू न हो, उसे हटा दें।

पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा व्यय

अनुसूची 1					
निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति की तारीख तक साधारण पार्टी प्रचार के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत राज्य-वार सकल व्यय का ब्यौरा					
क्रम सं०	राज्य का नाम	नकद	चेक इत्यादि	अधिकृत व्यय, परंतु जो निर्वाचन की समाप्ति की तारीख को बकाया रह गया	
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची 2						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (कों) का यात्रा व्यय						
क्रम सं०	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलों में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 2क						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले वाले व्ययों सहित) अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय						
क्रम सं०	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामलों में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 3					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एम एस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय					
क्रम सं०	राज्य	पाने वाले का नाम	मीडिया का (प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक/ एस एम एस/ केबल, टीवी चैनल इत्यादि)	प्रिंट/टेलीकास्ट/एस एम एस की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची 4				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडो इत्यादि सहित प्रचार सामग्री (ग्रियों) पर व्यय				
क्रम सं०	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
कुल				

अनुसूची 5				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत आम सभाओं/जुलूस/रैली (यथा मंच/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं०	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
कुल				

अनुसूची 6					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्रम.सं०	राज्य	प्रयोजन	तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची 7						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (र्थियों) या अन्य अभ्यर्थी (र्थियों) को नकद या अनय माध्यमों यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तारण इत्यादि में कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।						
क्रम. सं०	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चेक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	भुगतान की गई कुल राशि
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची 8					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एम एस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत/उपगत किसी/किन्हीं अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जा सकता है					
क्रम सं०	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एम एस/केबल टी वी इत्यादि)	प्रिंट/प्रसारण/एस एम एस की तिथि/यां	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

अनुसूची 9					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्टर, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत/उपगत किसी/किन्हीं अभ्यर्थी (र्थियों) के नामें डाला जा सकता है					
क्रम सं०	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मद के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

अनुसूची 10						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा लोक बैठकों/जुलूस इत्यादि (बैरीकेड्स/श्रव्य इत्यादि/दर्शकों/समर्थकों के लिए भाड़े पर लिए वाहन/अभ्यर्थी (र्थियों) सहित स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली पर) पर अधिकृत/उपगत कुल व्यय (सामान्य पार्टी प्रचार को छोड़कर)						
क्रम सं०	राज्य और स्थल	स्टार प्रचारक (कों) का नाम	बैठक में भाग लेने वाले अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम	बैठक की तारीख व स्थल	व्यय की मदें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 11						
अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत अन्य कोई खर्च (र्चें)						
क्रम सं०	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1						
2						
3						
कुल						

निर्वाचन व्ययों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य का नाम-----

अनुसूची 12						
राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (कों) के कुल व्यय						
क्रम सं०	स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक (कों) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकाप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलीकाप्टर या एयरक्राफ्ट के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
3						
कुल						

अनुसूची 13						
राज्य/जिले/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले के व्ययों सहित)						
क्रम सं०	स्थल	बैठक की तारीख	नेता (ओं) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकाप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हेलीकाप्टर या एयरक्राफ्ट के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 14						
राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत सामान्य पार्टी प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एम एस, केबल, वेबसाइट तथा टी वी चैनल इत्यादि) पर व्यय						
क्रम सं०	राज्य	पाने वाले का नाम	मीडिया का प्रकार (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एम एस केबल टी वी, वेबसाइट, टी वी चैनल इत्यादि)	प्रिंट/टेलीकास्ट/एस एम एस आदि की तारीख/खें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1						
2						

कुल

अनुसूची 15				
राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत सामान्य पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री (ग्रियों) पर व्यय				
क्रम सं०	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
कुल				

अनुसूची 16				
राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत लोक बैठकों/जुलूस/रैली (मंच/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं०	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस रैली की तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
कुल				

अनुसूची 17				
राज्य/जिले/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए अन्य कोई व्यय				
क्रम सं०	राज्य	प्रयोजन/मदों के ब्यौरे	व्यय की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
कुल				

अनुसूची 18

राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (र्थियों), यदि कोई है, को नकदी या अन्य किसी माध्यम यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तांतरण इत्यादि का कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयां एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करती है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाए :

क्रम सं०	राज्य का नाम/वि०स०/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चेक/डी डी सं० इत्यादि तथा तारीख	संदत्त कुल राशि
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची 19

अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एम एस, केबल, वेबसाइट, टी वी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय

क्रम सं०	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया का प्रकार (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एम एस/केबल टी वी)	प्रिंट/टेलीकास्ट एस एम एस इत्यादि की तारीख (खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची 20					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो और/पोस्टर नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्ट, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत ऐसे व्यय जिसे/जिन्हें अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जाएगा					
क्रम सं०	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

अनुसूची 21						
स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए आम सभाओं/जुलूसों इत्यादि (बैरीकेड्स/श्रव्य इत्यादि/भाड़े पर वाहन) पर राज्य/जिलों/स्थानीय ईकाईयों (साधारण पार्टी प्रचार के अतिरिक्त) द्वारा अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए अधिकृत/उपगत कुल व्यय						
क्रम सं०	राज्य एवं स्थल	तारीख	स्टार प्रचारक (कों) का/के नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का/के नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 22					
राज्य/जिलों/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत/उपगत अन्य कोई व्यय					
क्रम सं०	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का/के नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं० : 3/ई.आर./2011/एस.डी.आर

दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसंपत्ति देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए
परिशोधित फार्मेट-अभ्यर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन पत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र।

महोदय/महोदया,

सिविल अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के
अनुसरण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं० 3/ई.आर./2003/जे.एस-II, के द्वारा एक फार्मेट
निर्धारित किया है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों
द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल
करना होता है।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी
सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए हैं। शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है। यह फार्मेट अब
से सभी निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाएगा।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में
मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित सभी राजनीतिक पार्टियों के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,
ह०/-
(के.एफ.विलफ्रेड)
सचिव

अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के सम्मुख नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

..... 1/2सदन का नाम1/2 के लिए निर्वाचन

.....निर्वाचन क्षेत्र से 1/2निर्वाचन क्षेत्र का नाम1/2

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष, निवासी

1/2पूरा पता लिखें1/2.....उपरोक्त निर्वाचन हेतु एक

उम्मीदवार एतद्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक तथा शपथ लेकर निम्नलिखित ब्यान करता हू कि

1/2जो लागू नहीं है उसे काट दिया जाए1/2

1/41/2 मैं1/4राजनीतिक पार्टी का नाम1/2 द्वारा प्रयोजित किया

गया/निर्दलीय अभ्यर्थी हू ।

1/21/2 पैन (PAN) का विवरण और आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति :

क्रम सं०	नाम	स्थायी खाता संख्या 1/2PAN No1/2	वित्तीय वर्ष जिसके लिए पिछला आयकर रिटर्न दाखिल किया गया	आयकर रिटर्न में दर्शाई गई कुल आय 1/2रूपयो में1/2
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3.....			

1/31/2 मेरे विरुद्ध निम्नलिखित मामला/मामले लम्बित हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :-

क्रम सं०	अपराध	विवरण
1/41/2	उन मामलों का विवरण जहाँ कोर्ट ने संज्ञान लिया है, अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया है :	

1/4x1/2	कोर्ट का नाम केस संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	
1/4x1/2	अपील का विवरण/उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध संशोधन के लिए दाखिल किया गया आवेदन 1/4x1/2 यदि कोई हो 1/2 :	

1/4x1/2 मामले जिसमें मुझे न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है :- 1/4x1/2 फार्म 26 में संदर्भित किए गए से अन्य 1/2

1/4x1/2	मामलों का विवरण, अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का विवरण जिसके लिए दोषी सिद्ध किया गया है :	
1/4x1/2	न्यायालय/न्यायालयों का नाम, केस संख्या और आदेशों की तारीख :	
1/4x1/2	दी गई सजा :	

1/4x1/2 कि मैं, स्वयं मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की परिसंपत्तियों 1/4x1/2 चल तथा अचल आदि 1/2 का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूं :-

चल परिसंपत्तियों का विवरण :-

1/4x1/2 टिप्पणी:-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर परिसंपत्तियों का विवरण भी दिया जाए ।
2. जमा/निवेश के मामलों में क्रम सं०, राशि, जमा तिथि, योजना, बैंक/संस्था का नाम तथा शाखा का विवरण दिया जाए ।
3. सूचीबद्ध-कंपनियों की दशा में बंध पत्रों/शेयरों/ऋण पत्रों का शेयर बाजार में नवीनतम बाजार मूल्य तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में पुस्तकों के अनुसार मूल्य दिया जाए ।
4. यहाँ आश्रित से अभिप्राय है, उम्मीदवार की आय पर वास्तविक रूप से आश्रित व्यक्ति ।
5. प्रत्येक निवेश के संबंध में राशि सहित विवरण अलग से दिया जाए 1/2

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
1/4x1/2	हस्त नकदी					
1/4x1/2	बैंक खातों/सावधि जमा, टर्म डिपोजिट तथा बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार की जमा राशि में जमा राशि का विवरण 1/2 वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग					

वित्तीय कंपनियों तथा सहकारी समितियों में जमाराशि तथा प्रत्येक ऐसी जमाराशि का मूल्य ।					
--	--	--	--	--	--

¼iii½	बॉण्ड; डिबेंचर/शेयर में निवेश का विवरण तथा कंपनियों/म्युचुयल फंड की इकाइयों तथा अन्य राशि की इकाइयों				
¼v½	एन.एस.एस., डाकघर बचत, बीमा पॉलिसी में निवेश का विवरण तथा डाकघर या बीमा कम्पनी के किसी वित्तीय प्रालेख में निवेश तथा राशि ।				
¼vi½	फर्म, कंपनी, ट्रस्ट आदि सहित किसी व्यक्ति अथवा इकाई को दिया गया वैयक्तिक ऋण/अग्रिम तथा ऋणी से प्राप्य अन्य प्राप्तियाँ तथा राशि ।				
¼vii½	मोटर वाहनों/हवाई जहाज/नौका/पोत ¼निर्माण, पंजीकरण सं० आदि, क्रय का वर्ष का विवरण तथा राशि ।				
¼viii½	जेवर, सोने-चाँदी तथा मूल्यवान वस्तु ¼वजन तथा मूल्य का विवरण दें½				
¼ix½	किसी अन्य परिसंपत्तियों जैसे-दावों/हितों का मूल्य ।				
¼x½	सकल कुल मूल्य				

ख. अचल परिसंपत्तियों का विवरण:

टिप्पणी:-

1. संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शाते हुए संयुक्त नाम पर संपत्तियाँ भी दर्शाई जाएं।
2. इस फॉर्मेट में प्रत्येक भू-खण्ड या भवन या अपार्टमेंट का पृथक रूप से उल्लेख करें।)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी/पति नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
i/2	कृषि भूमि अवस्थिति/का/2 सर्वेक्षण सं०					
	क्षेत्रफल 1/4एकड़ में कुल माप/2					
	क्या संपत्ति विरासत में मिली है\ /4हां या नहीं/2					
	स्वयं खरीदी संपत्ति के मामले में क्रय करने की तिथि					
	भू-खण्ड का मूल्य 1/4क्रय करने के मामले में 1/2 क्रय करते समय ।					
	इस भूमि पर विकास, निर्माण कार्य आदि के द्वारा कोई निवेश					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
ii/2	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति/का/2 सर्वेक्षण सं०					
	क्षेत्रफल 1/4वर्ग फुट में कुल माप/2					
	क्या संपत्ति विरासत में मिली है\ /4हां या नहीं/2					
	स्वयं खरीदी संपत्ति के मामले में क्रय करने की तिथि					
	क्रय करते समय भू-खण्ड का					

	मूल्य/क्रय करने के मामले में/					
	इस भूमि पर विकास, निर्माण कार्य आदि के द्वारा कोई निवेश					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					

<u>iv</u>	वाणिज्यिक भवन अपार्टमेंट सहित/					
	अवस्थिति/					
	सर्वेक्षण सं०					
	निर्मित क्षेत्र /वर्ग फुट में कुल माप/					
	क्या संपत्ति विरासत में मिली है ? हाँ या नहीं/					
	स्वयं खरीदी संपत्ति के मामले में, क्रय करने की तिथि					
	क्रय करते समय संपत्ति का मूल्य/क्रय करने के मामले में /					
	इस सम्पत्ति पर विकास, निर्माण कार्य आदि के द्वारा कोई निवेश					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
<u>v</u>	आवासीय भवन /अपार्टमेंटो सहित/					
	अवस्थिति/					
	सर्वेक्षण सं०					
	क्षेत्रफल/वर्ग फुट में कुल माप/					
	निर्मित क्षेत्र/वर्ग फुट में कुल माप/					
	क्या संपत्ति विरासत में मिली है? /हाँ या नहीं/					
	स्वयं खरीदी गई संपत्ति के मामले में क्रय करने की तिथि					

	क्रय करते समय संपत्ति का मूल्य/क्रय करने के मामले में 1/2					
	इस भूमि पर विकास, निर्माण आदि के द्वारा कोई निवेश					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
1/4 1/2	अन्य 1/4 से संपत्ति में हित 1/2					
1/4 1/2	उक्त 1/4 से 1/4 1/2 तक कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

1/6 1/2 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी देयों के लिए मेरी देयताओं/अधिक देयों का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

(नोट : कृपया बैंक, संस्थान, इकाई या व्यक्ति का नाम तथा प्रत्येक मद हेतु राशि, का पृथक विवरण दें।)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्थान (नों) के ऋण या देयताएं वित्तीय संस्था या बैंक का नाम शेष राशि ऋण का प्रकार					
	उक्त के अलावा किसी व्यक्ति/संस्था के ऋण या देयताएं नाम शेष राशि ऋण का प्रकार					
	कोई अन्य देयता					
	देयताओं का महा योग					
1/4 1/2	सरकारी देयताएं सरकारी आवास से सम्बन्धित					

कार्यो का निपटान करने वाले विभागों को देयताएं ।					
जल आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यो का निपटान करने वाले विभागों को देयताएं ।					
विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यो का निपटान करने वाले विभागों को देयताएं ।					
टेलीफोन/मोबाइल की आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यो का निपटान करने वाले विभागों को देयताएं ।					
सरकारी परिवहन वायुयान और हेलिकॉप्टर्स सहित 1/2 से सम्बन्धित कार्यो का निपटान करने वाले विभागों को देयताएं ।					
आयकर देयताएं					
धन कर देयताएं					
सेवा कर देयताएं					
नगरपालिका/संपत्ति कर देयताएं					
विक्रय कर देयताएं					
कोई अन्य देयताएं					
सभी सरकारी देयताओं का कुल योग					

1/7 1/2 वृत्ति या व्यवसाय का विवरण :

- क. स्वयं
- ख. पति या पत्नी.....

1/8 1/2 मेरी शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार है :

प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें।

उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया।

पर 1/2 से 1/2 तक दिए गए विवरण का सार:

1.	उम्मीदवार का नाम		श्री/श्रीमती/कुमारी				
2.	डाक का पूरा पता						
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य						
4.	उम्मीदवार को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल का नाम अन्यथा निर्दलीय लिखें।						
5.	उन मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध आदेश पास किया गया प्रपत्र 26 में निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर।						
	उन लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है।						
6.	पैन सं० PAN No.	वह वर्ष जिसके लिए पिछला आयकर रिटर्न दाखिल गया।	दर्शायी गयी कुल आय				
	उम्मीदवार का						
	पति या पत्नी का						
	आश्रितों का						
7.	परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण रुपये में						
		विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क		चल परिसंपत्ति कुल मूल्य					
ख		अचल परिसंपत्ति					
	1/2	अचल संपत्ति का क्रय मूल्य और बढ़ी हुई कीमत					

		1/2 कुल मूल्य					
	1/2 i	परिसंपत्ति की बाजार में अनुमानित वर्तमान कीमत 1/2 कुल मूल्य					
8.		देनदारियाँ					
		1/2 सरकारी देयताएं 1/2 कुल					
		1/2 बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य से लिया गया ऋण 1/2 कुल					
9	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें 1/2 उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया 1/2						

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि :

1/2 ऊपर के मद सं० 3 और 4 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर मेरे खिलाफ कोई दोष सिद्ध या लंबित मामला नहीं है ;

1/2 ऊपर मद सं० 5 और 6 में उल्लिखित परिसंपत्ति और देनदारी को छोड़कर मेरा, मेरे पति/पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई अन्य परिसंपत्ति या देनदारी नहीं है ।

.....स्थान पर आज दिनांकको सत्यापित किया ।

अभिसाक्षी

- नोट:-
1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अधिकतम 3.00 बजे अपराहन तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
 2. शपथपत्र पर ओथकमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
 3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं हो तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं', जैसा भी मामला हो, लिखा जाना चाहिए।
 4. शपथपत्र या तो टंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।